एकादश माला, खंड 9, अंक 10

बुधवार, 5 मार्च, 1997

14 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र (भाग–एक)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद/हिन्दी संस्करण/

बुधवार, 5 मार्च, 1997/14 फाल्गुन, 1918 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

.....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ए
विषय-सूची	10	285-290	285-286
13	15	अध्यक्षमहोदय	अध्यक्ष महोदय
70	नीचे से 5	(ग)	(ङ)
79	नीचे से 7	1772	1780
123	3	श्री श्री बल्लभ पाणिगृही	श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही
135	18	श्री अन्नासाहित एम॰के॰ पाटिल	श्री अन्नासाहिब एम॰के॰पाटिल
156	9	1869	1968

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रमाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रा नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 9, चौथा सत्र (भाग-एक), 1997/1918 (शक)]

अंक 10, बुधवार, 5 मार्च, 1997/14 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	161 और 163 से 166	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	162 और 167 से 180	25-60
अतारांकित प्रश्न संख्या	1750 से 1854 और 1856 से 1979	59-284
सभा पटल पर रखे गए पत्र		285-290
बिहार में रेलगाड़ियों में हुई डकैतियों के बारे में		291-313
सरदार सरोवर परियोजना के बारे में		313-330
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विनय कटियार	330-331
(दो)	उत्तर प्रदेश आवास एंव विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण संबंधी उपबंधों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भगवान शंकर रावत	331
(तीन)	मध्य बिहार में 2000 मेगावाट विद्युत परियोजना की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री धीरेन्द्र अग्रवाल	331-332
(चार)	स्वदेशी अखबारी कागज एककों को बंद होने से रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस० बंगारप्पा	332
(पांच)	कर्नाटक के पारिवारा, बेरुटा और तलवारास समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार	332-333
(छः)	मलेरिया रोधी कार्यक्रम के लिए असम सरकार को और अधिक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री उधव बर्मन	333
(सात)	बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों में छात्रावास की सुविधाओं वाले केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	334

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कालम

(आठ) भूमि पर अनधिकृत कब्जे रोकने के लिए पुलिस को अधिकार देने हेतु भारतीय दंड संहिता में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

डा० बलिराम. 334

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प — *अस्वीकृत*

और

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह 335-337

श्री गिरधारी लाल भार्गव 338-339

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 339-343

श्री चित्त बसु 344-347

श्री प्रदीप भट्टाचार्य 347-349

वैद्य दाऊ दयाल जोशी 349-350

श्री ए० सम्पथ 351-352

श्री प्रमथेस मुखर्जी 352-353

श्री जार्ज फर्नान्डीज 353-355

श्री पी० चिदम्बरम 356-363

प्रो० रासा सिंह रावत 363-366

खंड 2 से 15 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

निक्षेपागार संबंधित विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प — *वापस लिया गया*

और

निक्षेपागार संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री गिरधारी लाल भार्गव 367-369

श्री पी० चिदम्बरम 369-371

प्रो० रासा सिंह रावत 371-373

कुमारी ममता बनर्जी 373-374

श्री बलाई चन्द्र राय 374-377

श्री निर्मल कांति चटर्जी. 377-383

खंड 2 से 23 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

लोक सभा

बुधवार, 5 मार्च, 1997/14 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : माननीय अध्यक्ष जी, आज पीछे वालों का ध्यान रखें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष जी, मेरा पोइंट ओफ ऑर्डर है। प्रधान मंत्री का क्वश्चन डे है और प्रधान मंत्री सदन में नहीं हैं। पहले छः प्रश्न प्रधान मंत्री के ही हैं। यह सदन की परिपाटी रही है कि प्रधान मंत्री अपने प्रश्न के दिन जरूर रहें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

एक माननीय सदस्य : यहां कोई वरिष्ठ मन्त्री उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : चिंता न करें, यहां वरिष्ठ सदस्य हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मिट्टी के तेल की कमी

+

*161. **श्री सनत मेहता :**
श्री सन्दीपान थोरात :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य मिट्टी के तेल की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा की गई माह-वार वास्तविक मांग और उन्हें की गई आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने मूल्य का और कितना मिट्टी का तेल आयात किया गया;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) मिट्टी तेल देश में कमी वाला उत्पाद है तथा हमारी 40 प्रतिशत से अधिक आवश्यकता आयातों द्वारा पूरी की जाती है। राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन पूर्वाधारों पर, अर्थात् विगत में आबंटन और उपभोग के साथ अतिरिक्त उपलब्धता में से अनुमेय वृद्धि के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकारों से समय-समय पर अतिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। परन्तु, उत्पाद उपलब्धता, विदेशी विनिमय और शामिल भारी राज सहायता की कठिनाइयों के कारण राज्यों की संपूर्ण मांग पूरी करना संभव नहीं है। मिट्टी तेल पर भारी राजसहायता है जो पिछले वर्षों में बढ़ती आ रही है तथा फ़िलहाल यह 5 रुपये प्रति लीटर से भी अधिक है जिसका वर्तमान में कुल योग 6000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से भी अधिक है। जिस पर भी, पूरे देश में के लिए पिछले वर्षों की तुलना में 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान आबंटन में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मिट्टी के तेल की अपेक्षाकृत कम प्रति व्यक्ति उपलब्धता वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि और अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कम वृद्धि प्रदान की गई है। एल पी जी की आपूर्ति भी सभी राज्यों में की जा रही है। मिट्टी तेल का खुदरा वितरण राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्यों को थोक विक्रय आबंटन के पश्चात संबंधित राज्य सरकारें विभिन्न जिलों के लिए आबंटन करती हैं तथा उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति राशन कार्ड आपूर्ति के अपने मानदण्ड निर्धारित किए हैं। परन्तु, मिट्टी तेल पर भारी राजसहायता के कारण और इसके फलस्वरूप मिट्टी तेल एवं डीजल के मूल्यों में अंतर के परिणामस्वरूप, मिट्टी तेल का भारी विपथन होता है जिससे सामान्य उपभोक्ताओं के लिए कमी उत्पन्न होती है। सभी राज्यों को आबंटन के अनुसार मिट्टी तेल की पूर्ण आपूर्ति की जाती है। 1995-96 के दौरान मिट्टी तेल का राज्यवार आबंटन और जारी की गई मात्राएं अनुबंध में दी गई हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए मिट्टी तेल की मात्रा और मूल्य नीचे दिए गए हैं:–

वर्ष	मात्रा (एम०एम०टी०)	मूल्य (मि० अमेरीकी डालर)
1993-94	3.667	692.06
1994-95	3.889	699.06
1995-96 (अनन्तिम)	4.484	889.07

अनुबंध

वर्ष 1995-96 के दौरान मिट्टी तेल का राज्यवार आबंटन और जारी की गई मात्राएं

(आकंडे मिलियन टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	जारी की मात्रा
हरियाणा	159468	157730
हिमालय प्रदेश	42228	42662

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	जारी की मात्रा
जम्मू और कश्मीर	85536	85790
पंजाब	328932	330183
राजस्थान	327344	321767
उत्तर प्रदेश	1087462	1083035
चंडीगढ़	21132	19640
दिल्ली	240924	242210
असम	255232	257009
बिहार	606924	606157
मणिपुर	21638	22302
मेघालय	16092	16057
नागलैण्ड	11422	11461
उड़ीसा	211452	210974
सिक्किम	7632	7962
त्रिपुरा	23112	22969
पश्चिम बंगाल	757987	759585
अरुणाचल प्रदेश	9576	9574
मिजोरम	9360	6392
अंडमान और निकोबार	4632	4588
गुजरात	806280	808443
महाराष्ट्र	1527648	1526733
गोआ	27408	28371
द्वियू	1488	1178
दमण	1488	1471
दादर और नागर हवेली	3144	3119
मध्य प्रदेश	482555	487978
आंध्र प्रदेश	621656	614053
कर्नाटक	484690	482715
केरल	287167	290620
तमिल नाडु	675276	673495
पांडिचेरी	15012	14424
लक्ष्यद्वीप	888	93

श्री सनत मेहता : गुजरात में मिट्टी के तेल की आपूर्ति की स्थिति काफी गंभीर है। कानून और व्यवस्था की स्थिति हर समय खराब रहने के कारण इसकी आपूर्ति में कठिनाई होती है। ऐसी परिस्थितियों में शहरों में काफी लम्बी कतारें लगी होती हैं। इसके अतिरिक्त, गुजरात में, आदिवासियों की जनसंख्या भी काफी हैं वहां समुद्रतल काफी लम्बा होने के कारण मछुआरों को भी मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती हैं गुजरा में 1,02,111 लीटर मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है जबकि वहां मात्र 87,000 लीटर मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जाती हैं क्या माननीय मंत्री जी गुजरात को इसकी अतिरिक्त वृद्धि हेतु के लिए एक आश्वासन देंगे ? गुजरात के मुख्य मंत्री जी भी इस संबंध में प्रधान मंत्री से दो बार मिलें हैं। उसके बावजूद इसका कोई परिणाम नहीं निकला है।

श्री टी०आर० बालू : जहां तक गुजरात का संबंध है तो वहां 1996-97 के दौरान प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 1917 किलोलीटर और 1997-98 में 19.91 किलोलीटर मिट्टी के तेल का आवंटन किया गया है। 1997-98 के दौरान 8,22,339 टन मिट्टी के तेल का आवंटन किया जाता है। इसका मासिक आवंटन 68.528 टन होगा। इसकी राष्ट्रीय औसत प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 11.41 लीटर है जबकि गुजरात को प्रति वर्ष 19.91 लीटर प्रति वर्ष है। राष्ट्रीय औसत से पहले ही ज्यादा है।

श्री सनत मेहता : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि एक ओर तो भारत सरकार मिट्टी के तेल पर प्रति लीटर 5 रुपए की राज सहायता दे रही है और दूसरी ओर निजी पार्टियाँ, जो कि कांडला पत्तन पर मिट्टी के तेल का आयात कर रही हैं, सरकार द्वारा इस कम आवंटन का फायदा उठा रहे हैं। जून में निजी आयातकों ने इसकी कीमत 7500 रुपए प्रति टन रखी थी जो बाद में बढ़कर 9,500 रुपए हो गयी। इसमें करीब 2,000 रुपए की वृद्धि हुई। सरकार इन लाभ कमाने वाले निजी लोगों को यह फायदा क्यों दे रही है, या तो हमें ज्यादा मिट्टी के तेल का आयात करना चाहिए या हमें निजी आयातकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर नियंत्रण रखना चाहिए।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से मैं यह जान सकता हूं कि मिट्टी के तेल की कमी, जो सरकार के पास उपलब्ध है, के फलस्वरूप कांडला पत्तन का उपयोग करके मनमाने ढंग से इसकी कीमतों को क्यों बढ़ने दिया जा रहा है ?

श्री टी०आर० बालू : महोदय, हम निजी व्यापारियों को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें बाजार में अपना मूल्य निर्धारण की भी छूट दे रहे हैं। निजी व्यापारियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।

श्री सनत मेहता : महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि जब राज्यों को कम आवंटन किया जाता है, तो इसका फायदा कांडला स्थित निजी आयातकों को जाता है। जून में 7,500 किलोलीटर से दिसम्बर में इसकी कीमत को बढ़ाकर 9,500 किलोलीटर कर दिया गया। हमें निजी पार्टियों को इस तरह का शोषण क्यों करने देना चाहिये ? यदि माननीय मंत्री जी का कहना है कि निजी आयातकों पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है तो वे हम किसके हित में कार्य कर रहे हैं ?

श्री टी०आर० बालू : वास्तव में, गुजरात को हम कम आवंटन नहीं कर रहे हैं। सच तो यह है कि 11 किलोलीटर के राष्ट्रीय औसत के स्थान पर गुजरात को प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 1971 किलोलीटर मिट्टी का

तेल 1996-97 में दिया गया है। अतः, गुजरात राज्य को प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 1971 किलोलीटर मिट्टी के तेल का आवंटन किया जाता है।

श्री सनत मेहता : मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : वास्तविकता तो यही है कि गुजरात को राष्ट्रीय औसत से ज्यादा प्राप्त हो रहा है। मंत्री जी का यही कहना है।

श्री सनत मेहता : मेरा प्रश्न आम लोगों के बल पर निजी लोगों द्वारा लाभ कमाने के बारे में है। इस बारे में मंत्री महोदय चुप है।

श्री संदीपान थोरात : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मिट्टी के तेल का भारी मात्रा में अन्य कामों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसे कहां ले जाया जा रहा है ? कया यह सच है कि ज्यादातर मिट्टी का तेल पेट्रोल में मिलाकर पेट्रोल पंपों द्वारा बेचा जाता है ? इस कारण से इसे गलत कार्यों को रोकने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अतः, गलत कार्यों को रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

दूसरी बात यह है कि, मिट्टी के तेल को तिपहिया वाहनों और चुपहिया वाहनों आदि में प्रयोग के लिए बेचा जाता है। इसके कारण हे शहरों में वायु प्रदूषण फैल रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास क्या उपाय हैं ?

श्री टी०आर० बालू : मिट्टी के तेल का अन्य कार्यों के लिए उपयोग एक सामाजिक बुराई है। वास्तव में, ऐसे कार्यों को रोकने के लिए मंत्रालय अनेक कार्य कर रहा हैं वास्तव में हमने सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को यह सुझाव दिया है कि वे मिट्टी के तेल में 'फरफूरल' मिलायें जिससे कि प्रयोगशाला में परीक्षण कर हम हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) और पेट्रोल में हुई मिलावट का पता लगा पायें। साथ ही, हम अचनाक जांच पड़ताल भी करते है। इसके अतिरिक्त हमने एक संयुक्त औद्योगिक दल भी बनाया है। हम आचानक जाकर जांच-पड़ताल करने के लिए चलती-फिड़ती प्रयोगशालाओं का उपभोग कर रहे है। बीच-बीच में गहन जांच-पड़ताल भी की जाती है। हम मिट्टी के तेल को नीला रंग भी देते है। हमने एक योजना के जरिए मिट्टी के तेल को अपने डिपो से लेकर सीधे व्यापारियों के परिसर तक पहुंचाने का भी प्रबन्ध किया है। लेकिन अनेक राज्यों में यह विशेष योजना अभी लागू की जानी है 16 से ज्यादा राज्यों ने इस योजना को अब तक लागू किया है और अन्य 13 राज्यों में अभी इस योजना को लागू नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में वर्ष 1995-96 के दौरान मिट्टी का तेल राज्यवार आवंटन जारी करने के जो आदेश दिये हैं उसमें मध्य प्रदेश को 4,82,555 मीटरिक टन का आवंटन वर्ष 1995-96 में किया गया हें लेकिन इसी दौरान आंध्र प्रदेश को 6 लाख मीटरिक टन से ज्यादा, तमिलनाडु को भी 6 लाख 75 हजार मीटरिक टन से ज्यादा, महाराष्ट्र को 15 लाख 27 हजार मीटरिक टन से अधिक और गुजरात को 8 लाख मीटरिक टन से अधिक मिट्टी के तेल का कोटा आवंटित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनसंख्या के अनुपात में मध्य प्रदेश से कम जनसंख्या को राज्यों को मध्य प्रदेश से अधिक मात्रा में कोटा आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश को तुलनात्मक दृष्टि से जनसंख्या के अनुपात में कम कोटा आवंटित करने का क्या कारण है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कोटे को आवंटित करने का आधार क्या है ? क्या मध्य प्रदेश की मांग और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार इस कोटे को बढ़ाने पर विचार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री टी०आर० बालू : महोदय, यह आपूर्ति प्रणाली ऐतिहासिक है। इससे पहले, करीब 50 वर्ष से निजी कम्पनियां अपनी इच्छा से व्यापारियों को इसकी पूर्ति किया करती थीं। लेकिन अब हमने इस आपूर्ति को तर्क संगत बना दिया है। इस युक्तीकरण के दौरान हमें एक प्रणाली अपनानी चाहिए। अब प्रत्येक वर्ष 3% का इजाफ़ा होता है। जहां तक राज्यों को आवंटन देने का संबंध है, तो इस वर्ष भी हमने 3% की वृद्धि की है। मिट्टी के तेल को प्रति व्यक्ति कम उपलब्धता वाले राज्यों को, उन राज्यों की तुलना में जहां इसकी उपलब्धता अधिक है, ज्यादा वृद्धि दी गई है जिससे कि असमानता को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि मंत्री जी को वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं है, जैसा सचिव महोदय इन्हें लिखकर दे देते हैं, उसे ही वे यहां पढ़ देते हैं। मिट्टी के तेल की प्रौब्लम सारे देश में है। राज्य सरकार जितने मिट्टी के तेल के आवंटन के लिए लिखती हैं, उतना तेल आवंटित नहीं किया जा रहा है। हम इस समस्या को कहां उठाएं, कोई सुनता ही नहीं है। हमारे स्टेट को मिट्टी के तेल का एलोकेशन बहुत कम हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको उसका जवाव देने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू : महोदय, मैंने अपना उत्तर अभी समाप्त नहीं किया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आपकों उनका जवाब सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को भी अनुमति दूंगा।

श्री टी०आर० बालू : महोदय, उदाहरण के तौर पर उड़ीसा, जहां प्रति व्यक्ति सबसे कम उपलब्धता है, को 1997-98 में 5.2% की वृद्धि दी गई है। अतः, कुछ वर्षों में यह आवंटन सब राज्यों में एक समान हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का ध्यान इस प्रश्न के उत्तर के साथ लगे अनैक्सजर की तरफ खीचना चाहता हूं, जिसमें विभिन्न राज्यों को मिट्टी के तेल के आवंटन से संबंधित सूचना दी गई है। इसमें बताया गया है कि बिहार को 606924 एम०टी० तेल आवंटित किया गया है जबकि वैस्ट बंगाल को 757987 एम०टी० तेल आवंटित हुआ। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हर राज्य को तेल आवंटित करने का आधार क्या है – क्या जनसंख्या को आधार माना जाता है, क्षेत्रफल को आधार माना जाता है या उस

राज्य की गरीबी को आधार माना जाता है। यदि गरीबी को आधार मानकर तेल का आवंटन किया जाता है तो वैस्ट बंगाल की तुलना में बिहार ज्यादा गरीब है। यदि जनसंख्या को आधार मानकर आबंटन किया जाता है तो बिहार की जनसंख्या वैस्ट बंगाल की तुलना में कहीं ज्यादा है। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि बिहार को तेल की कम सप्लाई के कारण क्या हैं साथ ही साथ मंत्री जी को यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि तेल पर प्रति लीटर 5 रुपए से ज्यादा सबसिडी है, फिर भी तेल ब्लैक-मार्केट में उपलब्ध है। यदि आप कहते हैं कि तेल पर हन्ड्रैड परसेंट कंट्रोल है तो काला-बाजार में यह कैसे मिल रहा है – क्या इसमें सरकार की मिलीभगत है या सरकार इसे रोकने में अक्षम है या राज्य सरकारें इस काम में केन्द्र सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं ? क्या मंत्री जी इस संबंध में पूरी जानकारी सदन को देंगे ?

[अनुवाद]

श्री टी०आर० बालू : महोदय, देवे गौड़ा सरकार इसे चोरों को नहीं सौंप रही है। हम सभी कर्त्तव्यों के प्रति सचेत है। हम देश की सेवा करने में सुदक्ष हैं। आज जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध है, पहले 1996-97 में प्रति व्यक्ति आवंटन 7.5 कि०ग्रा० प्रति वर्ष था। अब इसे बढ़ाकर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 7.86 कि०ग्रा० कर दिया गया है। ...*(व्यवधान)* 1997-98 में आवंटन 6,79,329 मी० टन होगा। मासिक आवंटन होगा ...*(व्यवधान)*

श्री रमेन्द्र कुमार : महोदय, संदंधित मंत्री महोदय को चाहिए कि वह हमें विभिन्न राज्यों को मिट्टी के तेल की आपूर्ति की स्वीकृति हेतु दिशानिर्देश/मानदण्ड के बारे में सूचित करें। ...*(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : महोदय, मैंने सदन को पहले ही सूचना दे दी है। ...*(व्यवधान)*

श्री रमेन्द्र कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी ने पहले ही कहा है कि जनसंख्या ही मानदण्ड है। यदि ऐसा है तो बिहार की जनसंख्या पश्चिम बंगाल से ज्यादा है पर वहां मिट्टी के तेल की आपूर्ति कम है माननीय मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें। ...*(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : महोदय मैंने सदन को पहले ही सूचित कर दिया हैं कि अपनाया जाने वाला मानदण्ड 'जनसंख्या' है। हम जनसंख्या के आधार इसे आवंटित कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, आप प्रश्न पूछ सकती हैं।

(व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत : देश भर में मिट्टी के तेल की कमी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसके लिए आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देता हूं।

विदेशी स्वामित्व वाले परमाणु संयंत्र

\+
*163. **श्री अजय चक्रवर्ती :**
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने एक जापानी समाचार पत्र "निहोन केईजाई शिम्बुन" को दिये गये एक साक्षात्कार में यह कहा है कि भारत पूर्ण रूप से विदेशी स्वामित्व वाले परमाणु संयंत्रों को अनुमति प्रदान करेगा;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे संभावित विदेशी निवेशकों को शत प्रतिशत स्वामित्व प्रदान करने वाली योजना के अंतर्गत विदेशी निवेशकों को परमाणु विघुत संयंत्र लगाने के लिए आमंत्रित किया है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ रीति भी तय की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का यह कदम वर्तमान परमाणु विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता का प्रभाव डालेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (घ) प्रधान मंत्री ने कहा है कि सरकार विघुत क्षेत्र में 100% विदेशी इक्विटी के लिए सामान्य रूप से सहमत हुई है न कि विशिष्ट रूप से परमाणु विद्युत क्षेत्र के लिए। यद्यपि भारत सरकार ने परमाणु विद्युत क्षेत्र के लिए कोई प्रस्ताव अमांत्रित नहीं किए हैं, तथापि वह विशिष्ट प्रस्तावों के लिए तैयार है और अपने उत्तर के बारे में मामले-दर-मामले के आधार पर निर्णय लेगी। परमाणु विघुत क्षेत्र में किसी तकनीकी सहकार के प्रस्ताव को तकनीकी दृष्टि से उसके उपयुक्त होने, आर्थिक दृष्टि से आकर्षक होने और उससे जुड़ी शर्तों के आधार पर ही विचार करना होगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, यह प्रश्न हमारे देश की पवित्रता और सुरक्षा से संबंधित है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या हमारे देश में संरचना की सहायता या नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के रख-रखाव हेतु तकनीकी क्षमता की कमी है ? में यह भी जानना चाहता हूँ कि अब तक विदेशी तकनीक और सहयोग के साथ का बिना कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : नाभिकीय विद्युत क्षेत्र को दी जाने वाली प्राथमिकता के मामले में देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने के बारे कोई प्रश्न नहीं हो सकता। किसी के द्वारा भी किसी प्रकार का निवेश देश के नियमों के अंतर्गत नाभिकीय सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिति हमारी नीतिगत सुरक्षा के संबंध में किया जाएगा।

जहां तक विघमान परियोजनाओं का संबंध है, हम आशा करते हैं कि वार्षिक योजना में चालू परियोजनाओं का प्रावधान किया गया है। उसकी कल शाम योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति ने समीक्षा की गई थी। तारापुर संयंत्र के संबंध में, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि हम और निधियां चाहते हैं तथा तीव्र उत्पादक रियेक्टर के संबंध में उन्होंने पाया कि वार्षिक योजना में इस वर्ष निधियां प्रदान की जा रही हैं। समिति में यह भी इच्छा व्यक्त की कि नौंवी पंचवर्षीय योजना में, योजना आयोग काइगा III और IV को, कूदानकूलम संयंत्र तथा आधरूप तीव्र

गति उत्पादक रिएक्टर को पूरा सहयोग दे जो हमारे द्वारा उत्पादित कामिनी आद्यरूप रिएक्टर में विगत में की गई हमारी उपलब्धियों पर आधारित होगा। इसलिए, योजनाओं के अंतर्गत परमाणु विद्युत क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। परन्तु इसके अलावा, जो नीतियां मैंने कहीं हैं वे भी हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती : मैं यह चाहता हूं कि क्या परमाणु ऊर्जा विभाग को लगभग 3,000 करोड़ रुपए के मूल्यवान उपकरणों की प्राप्ति के लिए बेकार खर्च किया था जिसके अधिकांश को समय पर प्रयोग न किए जाने के कारण या इसकी गैर-निष्पादन क्षमता के कारण अस्वीकार कर दिया जाएगा।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : महोदय, उसका उत्तर 'नहीं' है। परन्तु हम चाहेंगे कि तारापुर संयंत्र में सिविल निर्माण कार्य यथाशीघ्र किया जाए जिससे आयातित उपकरणों का उपयोग हो सके।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय, अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह सरकार विशेष प्रस्तावों को स्वीकार करती है और वह अपना प्रत्युत्तर मामला-दर-ममाला आधार पर तय करती है। मैं विशेषरूप से माननीय प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वे ''मामला-दर-मामला आधार पर'' कहने से वे वास्तव में क्या समझते हैं। क्या हय सरकार की उस नीति से पूर्ण विमुखता नहीं है जहां सरकार ने कहां था कि देश में किसी परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार की नीति यह है कि यह अकेले ही चलने दे? इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इसे अकेले ही चलाने देना चाहती है या किसी विदेशी सहयोग से चलाने का सोच रही है। मंत्री महोदय इसका विशेष रूप से उत्तर दें।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : महोदय मुझे ठीक नहीं पता कि माननीय सदस्य ''अकेले चलने देने' से क्या समझते हैं क्योंकि विद्यमान नीति में यह व्यवस्था भी की गई है और 1987 से परमाणु विद्युत संयंत्रों का निर्माण और प्रचालन एक निगम द्वारा किया जा रहा है। विद्यमान नीति में सरकार के लिए 51 प्रतिशत स्वामित्व का भी प्रावधान किया गया हैं। वास्त में, राज्य सरकारों से इस बारे में सिफारिशें आई हैं कि वे परमाणु विद्युत संयंत्रों की इक्विटी में भागीदारी करना चाहेंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि गत वर्ष हमने निजी क्षेत्र की भारतीय कम्पनियों की परगाणु विद्युत क्षेत्र में साधारण विकास के क्षेत्र में भागीदारी के संबंध में एक मंच आयोजति किया था और इस संबंध में कई कम्पनियों ने इलैक्ट्रिकल और टर्बाइन के क्षेत्रों तथा ऐसे ही क्षेत्रों में, जनरेटर को छोड़कर, भागदारी करने का अनुरोध किया है।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : महोदय, मैं अपने देश में निजी क्षेत्र की पार्टियों के बारे बात नहीं कर रहा हूं। मैं विदेशी पार्टियों की बात कर रहा हूं। क्या सरकार ने किन्हीं ऐसी विदेशी एजेंसियों से संपर्क किया है जो देश में परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए सहमत हो गई हैं, यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ? क्या इस संबंध में कोई जापानी कम्पनी भी है

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं वे प्रश्न समझ गए हैं।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : महोदय, मैं माननीय सदस्य को समाझाने की कोशिश कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

प्रधान मंत्री (श्री एच०डी० डेवेगौड़ा) : जहां तक परमाणु विद्युत संयंत्रों का प्रश्न है, पिछली सरकार ने सभी सरकार के साथ कूदाकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र के संबंध में एक समझौता किया हैं इस संयंत्र की क्षमता 2,000 मे०वा० है। इस संयंत्र को न केवल वे आंशिक रूप से वित्त पोपित करेंगे बल्कि तकनीकी जानकारी और संयंत्र भी उधार-आधार पर उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। जिसका भुगतान 12 वर्षों के बाद शुरू किया जाएगा। पिछली सरकार ने रूसी सरकार के साथ इसका समझौता किया था और वे जोर देते रहे हैं कि पहले किए गए करार का सम्मान किया जाना चाहिए। यह मामला मंत्रिमंडल के समक्ष है और अभी निर्णय लिया जाना है। यह माननीय सदस्य और इस सदन की जानकारी हेतु है।

जहां तक अन्य मुद्दे का संबंध है, हम परमाणु विद्युत संयंत्रों से विमुख नहीं हुए हैं और 100 प्रतिशत इक्विटी एक सामान्य शर्त हैं। मैंने यह बात बहुत स्पष्ट कर दी है। अगर कोई विशेष प्रस्ताव आता है, तो उनकी शर्तें क्या होंगी, क्या इससे देश की सुरक्षा को कोई खतरा होगा, इन सभी बातों की मामला दर मामला आधार पर जांच की जाएगी। अधिनियम के अंतर्गत भी 51 प्रतिशत इक्विटी की अनुमति दी गई है परन्तु क्या यह विदेशी इक्विटी है या घरेलू इक्विटी, अभी इस प्रश्न पर चर्चा नहीं की जा रही है। एक कम्पनी मेरे पास आई और उनका कहना था, आपने विद्युत क्षेत्र में 100 प्रतिशत इक्विटी की अनुमति दी है। इसी प्रकार, आप परमाणु विद्युत संयंत्र को भी वही रियायत देने जा रहे है।

मैंने कहा कि सबसे पहले एक अपने प्रस्ताव लाइए फिर हम जांच करेंगे। मैंने यही कहा था। किसी प्रकार की वचनबद्धता का कोई प्रश्न ही नहीं है ल ही किसी समझौता ज्ञापन या अन्य किसी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह एक आम चर्चा है

मैंने कहा था कि आप प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए और बाद में भारत सरकार द्वारा इस विषय की जांच की जाएगी। यही कुछ मैंन कहा था।

श्री जी०जी० स्वैल : प्रधानमंत्री महोदय ने रूस का और उस व्यवस्था का उल्लेख करके अच्छा कार्य किया है जो पिछली सरकार द्वारा रूस के साथ की थी। जहां तक नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का सम्बन्ध है, रूस का पिछला अभिलेखा अच्छा नहीं है। चिरनोबिल की याद अभी भी हमारे मस्तिष्क में ताजी है। परन्तु इसके अतिरिक्त, क्या इसके लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। वे कौन से देश है जिन्होंने इसमें रूचि दिखायी है और जब आप उनको 100 प्रतिशत स्वामित्व दे दिया है, तो क्या इस देश से उनके निवेश को स्वतंत्र रूप से उनके देश भेजने दिया जाएगा।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : महोदय, जैसा कि प्रधान मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव अभी केवल प्राथमिक चरण पर ही है। *(व्यवधान)* कुछ परामर्श है *(व्यवधान)*

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : महोदय प्रधान मंत्री महोदय ने जो वर्णन किया और जो वे व्याख्या कर रहे हैं, उसमें अन्तर है।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : महोदय, यह एक अत्यधिक गम्भीर मामला है।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, इससे अब सारा प्रश्न ही बदल गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रधानमंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे।

श्री एच०डी० देवेगौड़ा : महोदय, जैसाकि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे पास नहीं है।

श्री मुरली मनोहर जोशी : परन्तु वह प्राथमिक सुझावों के बारे में कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ प्राथमिक प्रस्ताय है।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री महोदय ने एक विशिष्ट प्रस्ताव का उल्लेख किया था। मेरे विचार से उन्होंने कहा था कि ऐसा मात्र एक प्रस्ताव है।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : श्रीमान् मैं सहमत हूं परन्तु मंत्री जी का कहना है कि ऐसे कई हैं"

श्री एच०डी० देवेगौड़ा : मैं विशेषरूप से ··· *(व्यवधान)*

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : आपने जापान में जो कहा था उसे मैं समझता हूं।

श्री एच०डी० देवेगौड़ा : कुछ जापनी निवेशक मुझसे मिले थे। उन्होंने यह प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा कि आपने, जहां तक बिजली क्षेत्र का सम्बन्ध है, 100 प्रतिशत भागीदारिता की अनुमति दी है। उन्होंने पूछा कि क्या हम इस लाभ को जारी रखेंगे ? मैंने कहा था कि मैं इस समय कुछ कह नहीं सकता। मैं ने कहा था कि आप आपकी शर्तें क्या है, आपकी परियोजना प्रौद्योगिकी क्या है और अन्य सभी मुद्दों के बारे में प्रस्तावों को प्रस्तुत कीजिए। जब तक कि इन्हें भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया जाता और सम्बन्धित अधिकारी इनकी जांच नहीं कर लेते, मैं इस समय कुछ भी नहीं कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह बिलकुल सही है। डॉ० जोशी, मैं समझता हूं कि आपने पहले ही अपना प्रश्न रखा दिया है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : नहीं, मैंने नहीं रखा। मुझे अभी प्रश्न पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं आप एक नाभिकीय वैज्ञानिक है।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैं कभी-कभार ही प्रश्न करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी सुन रहे हैं, वे वहां अपनी बात कर रहे हैं।

इस उत्तर में एक वाक्य है,

[अनुवाद]

"जबकि भारत सरकार ने नाभिकीय विद्युत संयंत्र क्षेत्र में किसी प्रकार के प्रस्तावों को आमंत्रित नहीं किया है।"

[हिन्दी]

मुझे इसमें बहुत कुछ नजर आ रहा है। विश्व में और विशेषकर यूरोप और अमेरिका में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बिठाने के बजाय अब उन्हें हटाया जा रहा है। दूसरे हटाये गये पावर स्टेशन्स और एक जमाने में बनाये हुए, लेकिन नहीं लगाये हुए पावर स्टेशंस आज दुनिया के बाजार में बेचने के लिए हैं और बहुत कम दाम में बेचने के लिए हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनका यह बयान डाओस से लौटने के बाद का था, क्या प्रधान मंत्री को ऐसे कोई भी प्रस्ताव आये हैं कि अमेरिका और यूरोप में हटाये हुए या न लगाये हुए पावर स्टेशंस को हिन्दुस्तान मे बेचने के हैं और इसके बारे में क्या इन्होंने उन लोगों से ऐसी बातें कही हैं कि आप अपनी शत-प्रतिशत पूंजी लेकर आना चाहते हो, तब हम केस बाई केस विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : शायद इसका जवाब दे चुके हैं।

श्री जार्ज फर्नानडीज : नहीं-नहीं।

[अनुवाद]

श्री एच०डी० देवेगौड़ा : महोदय, मेरे दावोस से लौटने के बाद से जहां तक नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रश्न है इसके बारे में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। कोई भी मेरे पास नहीं आया है।

केन्द्र सरकार के समक्ष कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं आया है। ऐसा कोई विचलन नीति-निर्णय से नहीं है।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : प्रधान मत्री महोदय ने जो कहा वह बहुत ही गम्भीर मामला है। यह निश्चित रूप से वर्तमान नीति से विचलन है। रूस से ऋण लेना एक बात है और प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता और उपकरण किसी अन्य से लेना दूसरी बात है। परन्तु एक विदेशी कम्पनी को शत प्रतिशत स्वामित्व वाले नाभिकीय बिजली संयंत्र की अनुमति देना पूरी तरह एक दूसरा ही विषय है। यह नीति विचलन है। प्रधान मंत्री महोदय ने जो कहा था वह यह है कि यदि शर्तें और निबन्धन पूरे होते है, तो वह शत प्रतिशत स्वामित्व वाले प्रस्तावों पर विचार करना चाहेंगे। हम सभी जानते हैं कि सारी पश्चिमी शक्तियाँ भारत पर दबाव डालेगी कि वह परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उस पर भी पुनर्विचार कर रही है। मेरा मतलब है यदि देश में शत प्रतिशत स्वामित्व वाले नाभिकीय बिजली संयंत्र पर प्रधान मंत्री विचार करते हों तो यह एक बड़ा नीति विचलन होगा। अभी 49 प्रतिशत भागीदारिता की अनुमति है।

श्री एच०डी० देवेगौड़ा : श्रीमान, पहले फ्रांसिसी एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र को लगाने के लिए आगे आए थे। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए जाने बाद वे वापस चले गए। भारत सरकार ने किसी भी बात पर जो नहीं दिया और आज भी हम पर है। जापानी निवेशकों ने जो अनुरोध मुझसे किया था वह यह है : "क्या आप नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को अनुमति देने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आपने जल विद्युत में शतप्रतिशत भागीदारिता दे चुकें हैं ?" मैंने उनसे कहा था कि उनहें अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहिए और यह कि मैं इस अवस्था में कुछ बात नहीं कर सकता हूं। 1,000 मेगावाट क्षमता वाले दो संयंत्रों के लिए रूस वाले ऋण, प्रौद्योगिकी और अन्य सभी बातों के प्रस्तावों के साथ आगे आए थे।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : एक दूसरी बात है। क्या वे संयंत्र को अपने स्वामित्व में रखेंगें ?

श्री एच०डी० देवेगौड़ा : कृपया मेरी बात सुनिए। वह अवस्था

मेरे सामने नहीं है। मानाकि वे इन शर्तों के साथ आगे आते हैं, तो क्या मैं स्वीकार करूंगा ? मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : क्या आप भारत में शत-प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाले नाभिकीय विद्युत संयंत्र को अनुमति देने वाले हैं। अब यह मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर दिया जा चुका है। उन्होंने कहा था कि निर्णय नहीं किया गया है। उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री दत्ता मेघे : वह उस पर कैसे विचार कर सकते हैं ?

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : वह इस प्रस्ताव पर कैसे विचार कर सकते हैं ?

श्री एच०डी० देवेगौड़ा : यह जाने बिना कि किस प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे, यदि वह किंचित मात्र भी इच्छुक हैं, तो, मैं अब क्या कह सकता हूं ? ...*(व्यवधान)*

अध्ययक्ष महोदय : डॉ जोशी, मुझे एक नाभिकीय वैज्ञानिक को वरीयता देनी है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : तब आपको मुझे प्रथम अवसर देना चाहिए था। अब, इस समय की स्थिति के अनुसार, देश में शत-प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाले संयंत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री एच०डी० देवेगौड़ा : हमें अधिनियम को संशोधित करना होगा।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : कृपया मेरी बात सुनिये।

श्री एच०डी० देवेगौड़ा : मैं केवल आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर रहा हूं कि जब तक हम अधिनियम को संशोधित नहीं करते हैं, तब तक हम इसे नहीं कर सकते है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : अब आप यह कह रहे हैं। इसमें कई गम्भीर प्रश्न जुड़े हुए हैं।

श्री एच०डी० देवे गौड़ा : हमनें शत-प्रतिशत भागीदारिता, जहां तक नाभिकीय विद्युत संयंत्र का सम्बन्ध है, की अनुमति को दिए जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है। यदि ऐसी बात होती ही है, तो जब तक यह सभा सहमत न हो जायेगी मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : इस विषय के दो या तीन अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें मैं प्रधान मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। जब आप किसी विदेशी प्रौद्योगिकी या विदेश संयंत्र को देश में लगाने की अनुमति देंगे तो उसमें हमारे अपने वैज्ञानिकों की क्या स्थिति होगी ? आप यहां पर एक शत-प्रतिशत स्वामित्व वाले संयंत्र को अनुमति दे रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इसका नियंत्रण कौन करेगा, इसका अनुवीक्षण कौन करेगा; उन संयंत्रों पर भारत सरकार का नियंत्रण कितना होगा और क्या केवल उनका पर्यवेक्षण अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण ही करेंगे। ये इसके वे विभिन्न पहलू हैं जिन पर देश चिन्तित है। हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या यह हमारे व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के विरोध को नकारने या उसके विरोध में जाने का मामला है। जब एक बार विदेशी द्वारा शत-प्रतिशत भागीदारिता वाला संयंत्र आप यहां लगवायेंगे, तो उस पर आपका क्या नियंत्रण होगा ? कुछ भी नहीं, ये रोक सकते हैं और कह सकते हैं कि ये इसे आपको प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए भी नहीं देंगे। बेकार उत्पाद वहां पर नहीं होंगे। यह एक गम्भीर प्रश्न है और मैं श्री जार्ज फर्नांडीस के साथ सहमत हूं कि पश्चिमी दुनियां में सभी बेकार प्रौद्योगिकी, विशेषकर नाभिकीय क्षेत्र को, विकासशील देशों को थोपे जाने की योजना है। यह एक गम्भीर मामला है और हमें इसके बारे में पर्यावरणीय सुरक्षा और राष्ट्र की परमाणु अस्त्रों से सुरक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए। यदि एक बार विदेशी वैज्ञानिक इस भूमि पर आ जाते हैं और संयंत्र को चलाते है, तो आप उन्हें हमारे परमाणु रहस्यों को जानने से कैसे रोकेंगें।

इसी कारण, इस प्रश्न में बड़ी समस्याएं जुड़ी है। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है और मेरा विश्वास है कि जापानी पत्रकारों के साथ वार्त्तालाप करते समय प्रधान मंत्री को यह सूचना नहीं थी कि वर्तमान कानून के तहत भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती।

श्री एच०डी० देवेगौड़ा : मैं सहमत हूं। जब आप ऋण आधार पर दो नाभिकीय विद्युत संयंत्रें को अनुमति देते हैं ...*(व्यवधान)* हमें प्रौद्योगिकी के बारे में भी, वित्त के बारे में अभिधारणा के बारे में भी सोंचना होगा ...*(व्यवधान)*

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : मैं दूसरे प्रश्न पर आऊंगा। भारत को नाभिकीय विद्युत संयंत्र के क्षेत्र में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी की आज आवश्यकता है ?

श्री एच०डी० देवेगौड़ा : इन सभी बातों पर देश की वर्तमान परिस्थिति के नजरिए से जांच की जानी होगी।

डा० मुरली मनोहर जोशी : हम संसार की वर्तमान प्रौद्योगिकी से पूर्णतः परिचित हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रधानमंत्री जी की बात सुनिये।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : आज भारत को कैसी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है ?

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : इस प्रश्न को अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें भारत की सुरक्षा निहित है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : क्या आप इस पर पूर्ण चर्चा की अनुमति देंगे ? कृपया इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय मंत्री की बातें क्यों नहीं सुनते?

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : जहां तक डा० मुरली मनोहर जोशी और श्री जॉर्ज फर्नान्डीज द्वारा उठाये गए विस्तृत और सही प्रश्नों का संबंध है तो भारत अपनी किसी वर्तमान वैज्ञानिक ढांचे, अन्य शब्दों में, पर्यावरणीय परिस्थितियों से पीछे नहीं हटेगा। ...*(व्यवधान)* सर्वप्रथम मुझे इसका स्पष्टीकरण देने दीजिये। उन्होंने एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्न पूछा है। परमाणु सुरक्षा से संबंधित पूरे प्रश्न के मुद्दे पर मेरा कहना है कि हम संयंत्र के स्तर पर ही पूरी सुरक्षा को स्वीकार करते हैं। हम आम सुरक्षा, पूर्ण सुरक्षा को स्वीकार नहीं करते है। जैसा कि प्रधान

मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ संयंत्रों में रूस की मदद लेंगे। कानून में 49% गैर-सरकारी निवेश का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि विनियमों, पर्यावरण नियंत्रण और सी०टी०बी०टी० तो अंतर्गत संधि संबंधी दायित्वों से हम किसी रूप में समझौता करेंगे। जैसा कि जॉर्ज फर्नान्डीज कह रहे है, उन देशों में जहां ऊर्जा की उपलब्धता और उर्जा की क्षमता बहुत अधिक है ···*(व्यवधान)* कृपया मुझे पूरा करने दीजिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ···*(व्यवधान)* माननीय श्री जॉर्ज फर्नान्डीज जी मुझे इसका स्पष्टीकरण देने दीजिए।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : आप सभा को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : मेरा सभा को गुमराह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप मुझे अपना वाक्य भी पूरा करने नहीं दे रहे हैं। वस्तुतः चीन जैसे और अनेक नये उद्योगीकृत देशों में परमाणु उर्जा का विस्तार हो रहा हैं इसकी बाजार काफी विस्तृत है। परमाणु क्षेत्र में भारत कभी भी पुरानी प्रौद्योगिकियों को स्वीकार नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, माननीय सदस्य की जी०जी० स्वेल ने रूस के चेर्नोबिल के बारे में प्रश्न पूछा है। रूस से हम जिस प्रौद्योगिकी का आयात कर रहे है वह एक अलग किस्म की प्रौद्योगिकी है। यह एक वी०वी०ई०आर० प्रौद्योगिकी है जिसे वे चीन सहित अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं। इस संबंध में पूरा स्पष्टीकरण होना जाना चाहिए। पुरानी प्रौद्योगिकियों का आयात करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भारत के किसी भी कानून को बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक सी०टी०बी०टी० का संबंध है तो इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वास्तव में यह कुछ और बात है। दूसरे देशों में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के परमाणु क्षेत्र में रूचि रखते हैं। यह हमारे परमाणु क्षेत्र में उनके विश्वास को दर्शाता है। ऐसा करने से सी०टी०बी०टी० के किसी समझौता का प्रश्न ही नहीं उठता। हम क्या चाहते हैं उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिये। ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह काफी है। कृपया मुद्दे को और अधिक जटिल न बनायें।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : मैंने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : कृपया इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस संबंध में एक सूचना दे सकते हैं। मैं उस पर विचार करूंगा। आप जब चाहें तब सूचना दे सकते हैं।

कच्चे तेल का उत्पादन

*164. **डा० असीम बाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन के लिए अनुमोदित 34.5 मिलियन टन के लक्ष्य को संशोधित करके 30.5 मिलियन टन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने संशोधित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने निम्नांकित कारणों से वर्ष 1996-97 के लिए कच्चे तेल उत्पादन अनुमानों को 32.80 मिलियन मीट्रिक टन के स्तर से 31.092 मिलियन मीट्रिक टन के लिए संशोधित किया है:–

(1) भण्डार अप्रत्याशित व्यवहार जो कि पूर्वानुमानों के मुताबिक नहीं था, के कारण बी०आर०बी०सी० के प्रमुख क्षेत्रों विशेषकर बंबई हाई और नीलम से प्रत्याशित उत्पादन में कमी।

(2) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था तथा उपक्रम से संबंधित समस्याओं के कारण उत्पन्न प्रचालन संबंधी कठिनाइयां।

(3) पूर्वी क्षेत्र में बारंबार विद्युत बन्दी ने कृत्रिम लिफ्ट प्रचालों को प्रभारित किया।

(ग) संशोधित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम निम्न हैं :–

(1) नीलम और गंधार क्षेत्रों के मामले में नई तकनीकों के जरिए अस्थायी कृत्रिम उठान पर कूप स्थापित करने के लिए योजनाएं विकसित की गई हैं। विकास योजनाओं के मुताबिक ऐसा अपेक्षाकृत बाद में किए जाने का कार्यक्रम था।

(2) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विशेषज्ञ एजेंसियों की सहायता से प्रभावी वईओवर प्रचालन तथा जल/गैस बंदी कार्य।

(3) पश्चिम अपतट में अतिरिक्त लोंग ड्रिफ्ट साइड ट्रेक्ड कूपों का वेधन।

(4) पश्चिम अपतट में नालिका छिद्र वेधन तथा अधिक गहराई तक वेधन (ई०आर०डी०)।

(5) पश्चिम अपतट में जल अंतःक्षेपण रुपरेखा का पुनरवितरण।

(6) पश्चिमी अपतट में बहुपक्षीय कूपों का वेधन।

(7) स्केल अपनयन/अवरोधन जैसी कूप समस्याओं को काबू करने के लिए अभिनव तकनीकों का अनुप्रयोग, चुंबकीय तरल दशाओं (एम० एफ०सी०) के जरिए पैराफिन नियंत्रण।

डा० असीम बाला : महोदय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि :–

"पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए, सरकार ने देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से अनेक अल्पावधि और दीर्घावधि दोस कदम उठाये हैं। इन अल्पावधि उपायों में पुरानी उत्पादन प्रणाली, विद्यमान तेल के कुओं को और गहरा करना, ज्यादा काम करना और उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाना शामिल है। दीर्घावधि उपायों के अंतर्गत नए क्षेत्रों को विकसित करने और विद्यमान क्षेत्रों को और अधिक विकसित करना शामिल है। इन उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष 1993-94 में कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट के रूख को रोका

गया। 1995-96 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 35.193 मिलियन टन था। जो अब तक का सब से ज्यादा उत्पादन है। इसमें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का अंशदान 31.673 मि०ट० था जबकि आमल इंडिया लिमिटेड का अंशदान 2.89 मि०टन० था।

13.11.96 को यह कहा गया कि घरेलू उत्पादन 30.8 मि०ट० है।

अध्यक्ष महोदय : डा० असीम बाला क्या अब कृपया आप अपना प्रश्न पूछेंगी ?

डा० असीम बाला : इससे उत्पादन में गिरावट का पता लगता है।

अध्यक्ष महोदय : आपको कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल प्रश्न पूछना है।

डा० असीम बाला : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग उत्तरदायी है या नहीं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 1991-94 के बीच जानबूझकर 'धीरे जाओं' की नीति के एक वर्ष के पश्चात् बम्बई हाई से तेल के उत्पादन में गिरावट क्यों आई थी।

जब हमारे देश में तेल के उत्पादन की काफी मांग है और इसकी कमी भी है तो सरकार द्वारा यह 'धीरे जाओ' की नीति क्यों अपनायी गई ?

श्री टी०आर० बालू : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता की सराहना करता हूं। वास्तव में कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट कोई नई शात नहीं है। 1990-91 में कच्चे तेल का उत्पादन 33.021 एम०एम०टी० था। 1992-93 में इसका उत्पादन 30.346 एम०एम०टी० था। 1992-93 में अचानक यह उत्पादन घटकर 26.95 एम०एम०टी० रह गया। इसका उत्पादन 33 एम०एम०टी० से घटकर 26.95 एम०एम०टी० रह गया। लेकिन फिर 1993-94 से इसके उत्पादन में वृद्धि प्रारम्भ हो गई। 1993-94 में यह 27 एम०एम०टी० था। 1994-95 में यह 32.23 एम०एम०टी० था। 1995-96 में यह 35 एम०एम०टी० था। अब इसमें फिर से गिरावट आ रही है। यह अनेक कुओं में गैस और तेल के उच्च अनुपात में अंतर के कारण हुआ। बम्बई हाई और नीलम तेल क्षेत्रों स्थित तेल के कुओं के अप्रत्याशित भण्डार के व्यवहार के परिणाम और उत्तर-पूर्व में विधि और व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण परिचालन संबंधी दिक्कतों के फलस्वरूप कुछ वाधाओं और पूर्वी क्षेत्रों में बार-बार बिजली की कटौती के कारण भी कृत्रिम निकासी परिचालन प्रभावित हुआ।

डा० असीम बाला : सरकार द्वारा जानबूझकर 'धीरे-जाओ' नीति क्यों अपनायी गयी ?

श्री टी०आर० बालू : यह कोई 'धीरे जाओ' वाली नीति नहीं है। हमने त्वरित फार्मूला भी शामिल किए है।

डा० असीम बाला : पश्चिम बंगाल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र नाडिया जिले के इचापुर और बरोल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ स्थानों और असम के सिलचर में कुछ पुराने कूप खनन संयंत्र थें 1993-94 में उन संयंत्रों को बंद कर दिया गया है। अब फिर से परिचालन के उद्देश्य से उन संयंत्रों का चालू किया जा रहा है। उनको क्यों बंद कर दिया गया था ? जहां तक पुराने संयंत्रों का संबंध है तो क्या उनके बारे में गलत परीक्षण किया गया था ? या यह उचित रूप में नहीं था। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार उन संयंत्रों को फिर से क्यों शुरू करने जा रही है ?

मेरे प्रश्न का (ख) भाग असम में सिलचर में सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : असम के बारे में मैं असम से आने-वाले किसी अन्य व्यक्ति को मौका दूंगा। वह प्रश्न को और अच्छे ढंग से रखने में सफल होंगे।

श्री टी०आर०बालू० : पश्चिम बंगाल के 34-तटीय और तटीय क्षेत्रों में खनन कार्य किया गया है। सर्वेक्षण कार्य किये है। निजी क्षेत्र के ठेकेदारों द्वारा उपतटीय क्षेत्र के 3,032 किलोमीटर के क्षेत्र में भूकम्प संबंधी 2-डी सर्वेक्षण भी कर लिया गया है। बंगाल के उप-तटीय क्षेत्र में कुल 35,199 मीटर की खुदाई की गई है। बंगाल में कुल 6 उपतटीय संरचनाओं की खुदाई की गयी है और कहीं से भी हाईड्रो-कार्बन नहीं पाये की गए है। यही कारण है कि यह कार्य बंद कर दिया गया है। श्री किंग्सटन ने इस संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। उनके अनुसार विद्यमान आंकड़े को पहले संसाधित किया जाना है। नए आंकड़े प्राप्त करने चाहिए और आगामी तीन वर्षों तक कोई ड्रीलिंग कार्य नहीं किया जाना चाहिए। श्री किंग्सटन द्वारा यह सिफारिश की गई थी।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : वर्ष 1996-97 से कच्चे तेल के उत्पादन में काफी गिरावट आयी है। तेल और प्राकृतिक गैस उपयोग के चेयरमैंने द्वारा दिये गये एक वक्तव्य के अनुसार पुनरीक्षित 30 मिलियन मिट्रिकटन की तुलना में वर्ष 1996-97 में 29 मिलियन मिट्रिक टन तेल के उत्पादन का आंकलन किया गया है। उन्होंने कहा है वर्ष 1997-98 के दौरान इसका उत्पादन 27 मिलियन मिट्रिक टन से भी कम होगा। नौंवी योजना के लिए 180.02 मिलियटन मिट्रिक टन तेल की उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। इस संबंध में एक विशेषज्ञ श्री के० नारायणन का वक्तव्य हमारे पास है। उनका कहना है कि नौंवी योजना के पांच वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विभिन्न तेल क्षेत्रों से 180 मिलियन मिट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है जबकि इससे मात्र 119 मिलियन मिट्रिक टन ही तेल प्राप्त किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस गिरावट का मुख्य कारण बम्बई हाई में 30-32 प्रतिशत प्राप्ति दर के विरुद्ध 20% प्राप्ति दर का होना है। अतः, इस स्थिति से निपटने के लिए हमें अविलम्ब कुछ करने की आवश्यकता है। अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि बम्बई हाई में प्राप्ति दर में सुधार करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

दूसरे, नए तेल क्षेत्रों के मामले में अनेक बार यह देखा गया है कि निविदाएं जारी की जाती हैं किंतु नए तेल क्षेत्रों में सिंह तेल क्षेत्र भी निजी पार्टियों या सरकारी क्षेत्रों को देने में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि तेल प्राप्ति के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें और नए तेल क्षेत्रों को सौंपे।

श्री टी०आर० बालू : जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया है, श्री नारायण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है और समिति द्वारा रिपोर्ट देने के पश्चात इसकी सिफारिशों की जांच की जाएगी। वर्ष 1995-96 के दौरान लगभग 2,000 करोड़ रुपए की कुल लागत की 6 विकास योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी और

और यह कार्य प्रगति पर है। हमने 6,500 करोड़ रुपए की लागत से त्वरित खनन कार्यक्रम शुरू किया है। निजी पार्टियों को 35 खनन क्षेत्र पहले ही सौंपे जा चुके हैं और 30 तेल युक्त क्षेत्र भी निजी पाटियों को सौंपे जा चुके हैं और कार्य प्रगति पर है।

हमें संयुक्त उद्यम भागीदारों से 1996-97 में 1.5 मैट्रिक मिलीयन टन और 1997-98 में दो मिलीयन मैट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन होने की आशा है। नई प्रौद्योगिकी अपनाकर विद्यमान तेल क्षेत्रों से तेल का पता लगाए जाने पर जोर दिया जाएगा। अधिकांशतः संयुक्त आधार पर कम आकर्षक और मध्यम स्तर के तेल क्षेत्रों में भी उत्पादन किया जा रहा है।

श्री पी०एस० गढ़वी : माननीय प्रधान मंत्री ने अपने उत्तर में पश्चिमी अप-तटों पर अतिरिक्त लोंग ड्रिफ्ट साइड ट्रैक कुओं, ड्रेनहील ड्रिलिंग और जल प्रक्षेपण संभावनाओं के संशोधित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में उपायों के बारे में कहा है। मैं उन विशेष क्षेत्रों के बारे में जानना चाहता हूं जहां ये कार्य किए जा रहे हैं और मंत्रालय या सरकार कच्छ क्षेत्र में खुदाई या अन्य कार्य करने का प्रस्ताव करती है या नहीं।

श्री टी०आर० बालू : महोदय, हमने 6 नई योजनाएं शुरू की है : एम बी-119/121, संरचना के विकास के लिए, एक और बी-55 संरचना के लिए और एक अन्य बी-173 (क) संरचना के लिए। एक और अन्य पश्चिमी अप-तटीय क्षेत्र में हीरा फेज-III में तथा बालोल और संथाल फेज-II में इंसिटू कंवस्थन प्रोद्यौगिकी के प्रयोग के लिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवा आप पिछले 2 दिनों से कोशिश कर रहे हैं।

श्री तिरूचि शिवा : पिछले चार दिनों से।

अध्यक्ष महोदय : चार दिनों से ? आज बहुत ही भाग्यवान दिन है। पिछले चार दिनों से वे कोशिश करते रहे हैं।

श्री तिरूचि शिवा : महोदय, यह बहुत ही आसान प्रश्न है। कच्चे तेल के उत्पादन में उतार-चढ़ाव के लिए बताए गए कारण के अलावा मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय के पास लक्ष्य को अधिक से अधिक बढ़ाते रहने की कोई विशेष योजना है ?

श्री टी०आर० बालू : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि यह बढ़ता ही जाएगा। हमारे पास बहुत से त्वारित कार्यक्रम हैं। इसके साथ ही, जैसा कि मैंने पहले ही अपने उत्तर में कहा है 1991 से 1993 तक यह घट रहा था; 1993 से 1996 तक यह बढ़ रहा था और अब यह घटने की स्थिति में है। तेल की खोज और विकास में हम सावधानी भरा रवैया अपना रहे हैं। निश्चय ही अब यह आने वाले दिनों में बढ़ेगा ही।

न्यूनतम साझा राष्ट्रीय कार्य योजना

\+

***165. श्री आर० साम्बासिवा राव :**
श्रीमती शारदा टाडीपारथी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत के संबंध में हाल ही में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान प्राप्त सुझावों पर आधारित एक राष्ट्रीय कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक घोषित किए जाने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप देश में विद्युत के अभाव को किस हद तक कम किए जाने की संभावना है;

(घ) इस प्रारूप योजना को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) अक्तूबर, 1996 तथा दिसम्बर, 1996 में हुए राज्य सरकारों तथा मुख्यमंत्री सम्मेलन में हुए व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर एक विद्युत पर एक न्यूनतम साझा राष्ट्रीय कार्य योजना को अंतिम रूपप दिया गया है तथा इसे क्रियान्वयन हेतु अपनाया गया है।

(ख) ये (ङ) : एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) से (ङ) इस कार्य योजना में, अन्य बातों के अलावा, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति राज्य विद्युत नियामक आयोगों की स्थापना, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना, खुदरा टैरिफों को युक्तिसंगत करना, राज्य विद्युत बोर्डों को स्वायत्ता सुलभ करवाना, तथा इन बोर्डों के प्रबंधनकार्य को सुधारना, भौतिक प्राचलों में सुधार को बढ़ाना, सहजनन/कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देना, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए उच्च वरीयता प्रदान करना तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निवेश पर बल देना, तरल ईंधन के आबंटन को अंतिम रूप देना, पिटहैड पर वृहत् विद्युत परियोजनाएं विकसित करना तथा वाशरियों की स्थापना अपेक्षित हैं।

न्यूनतम साझा राष्ट्रीय कार्य योजना का क्रियान्वयन विद्युत क्षेत्र में निवेशों को आकर्षित करेगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र यूटिलिटीज के कार्य निष्पादन को सुधारेगा और उन्हें निवेशों के लिए आंतरिक संसाधन जुटाने में समर्थ बनाएंगा। विद्यमान परिसंपत्तियों आदि की सुधरी उत्पादकता माध्यम से क्षमता अभिवृद्धि, प्रणाली सुधार में निवेशों से देश में विद्युतकमियों को कम करने में सहायता मिलेगी।

न्यूनतम साझा राष्ट्रीय कार्य योजना के समबद्ध क्रियान्वयन के लिए उसे 31.12.1996 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेज दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकारों से उत्साहजनक उत्तर मिला है और अनेक राज्यों ने इसके क्रियान्वयन की दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया है।

श्री आर० साम्बा शिवा राव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आंध्र प्रदेश में पूर्ण स्थापित क्षमता और उन परियोजनाओं के बारे में जानना चाहूंगा जिनका कार्यान्वयन लंबित है और ये सिम्हाद्री परियोजना को कब पूरा करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न इसी तरह होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट सीधा।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पु येरननाडु) : जी हां, यह सीधा एवं स्पष्ट है।

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : महोदय, हमारे पास आंध्र प्रदेश में स्थापित क्षमता के अद्यतन आंकड़े नहीं हैं। 31.3.1996 तक की अवधि तक जल विद्युत के लिए 2655.49 मेगा-वाट और ताप विद्युत के लिए 2551.50 और परमाणु विद्युत के लिए शून्य था। कुल योग 5207.44 मेगावाट हुआ। माननीय सदस्य ने आंध्र प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति के बारे में पूछा है। मैं समझाता हूं आंध्र प्रदेश में 36790 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता की जगह 29,367 मेगावाट विद्युत ही उपलब्ध है। यह 20.2 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। जबकि पूरे भारत में यह कमी 9.2 प्रतिशत है। सिम्हाद्री परियोजना के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि पी०आई०बी० ने परियोजना को स्वीकृति दे दी है न जल्दी ही हम इसे आर्थिक कार्यों से संबंधित मंत्री मंडलीय समिति को प्रस्तुत कर रहे हैं। शेष परियोजनाओं के संबंध में ···*(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : शेष परियोजनाओं के संबंध में मैं समझता हूं आप उन्हें अलग से ब्यौरे दे सकते हैं।

श्री आर० साम्बा शिवा राव : मैं ऊर्जा नीति की स्थिति के बारे में और विशेषकर आंध्र प्रदेश में विद्युत संकट को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों के बारे में भी जानना चाहता हूं। जैसा कि मंत्री जी कहते हैं कि वहां 20 प्रतिशत से भी अधिक विद्युत की कमी है तो हम इसे इस वर्ष किस प्रकार पूरा करने जा रहे हैं?

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : महोदय, ऊर्जा नीति हमारी न्यूनतम साझा राष्ट्रीय कार्य योजना में सम्मिलित है। हम एक राष्ट्रीय नीति पर विचार कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए हमने पहले ही योजना आयोग के सदस्य सचिव श्री रंगनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इस समिति में विभिन्न विभागों के लगभग 9 सदस्य हैं, क्योंकि ऊर्जा का मतलब केवल विद्युत नहीं है, बल्कि इसमें पेट्रोलियत, कोयला रेलवे, यातायात और अन्य बातें भी शामिल हैं। इसीलिए हमने एक समिति गठित की है।

इस कमी को पूरा करने के लिए हम अल्पावधि और दीर्घावधि कार्यनीतियां बना रहे हैं। हम कई प्रकार की पहल कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री महोदय ने सभी मुख्य-मंत्रियों की दो बैठकें भी बुलाई थी। विद्युत का अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्क्षेत्रीय विनियम जैसे अल्पावधि उपाय है जिनके द्वारा अगर एक क्षेत्र में फालतू विद्युत है और अन्य क्षेत्र में विद्युत की कमी है, तो हम उनकी लाइनों को जोड़ देते हैं जिससे विद्युत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चली जाए। इसके अलावा हम नवीकरण और आधुनिकीकरण का तरीका भी अपना रहे हैं। इसमें व्यापक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना में हम इस पर अधिक जोर दे रहे हैं। हम कम अवधि में पूरी होने वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। इसके अलावा हम नापथा-आधारित पारियोजनाओं को अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ नापथा आधारित परियोजनाओं को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया गया है। सरकार ने इस संबंध में एक निर्णय लिया है। हमने सभी राज्यों को एक मसौदा भेजा है। हम कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई के बारे में कह रहे हैं। हम इस मामले को कोयला और रेल मंत्रालय की समन्वय समिति के साथ उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको हर चीज समझाने की जरूरत नहीं है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, विद्युत सबसे अधिक महत्वपूर्ण आधारभूतीय ढांचा है। मेरा प्रश्न विद्युत उत्पादन के लिए साझा न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना के संबंध में है। दो बातों के संबंध में मैं अपना प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला तो यह कि क्या सरकार की साझा योजना के अंतर्गत परमाणु प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय श्रोतों के उपयोग द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करना शामिल है या नहीं। परमाणु प्रोद्योगिकी में भी, क्या वे तीव्र उत्पादन प्रौद्योगिकी और संश्लेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने जा रहे हैं ?

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : महोदय जहां तक परमाणु प्रौद्योगिकी का संबंध है, यह मामला मेरे साथी श्री अलघ का है। मैं समझता हूं श्री अलघ ने प्रधान मंत्री जी से पहले पूछे गए प्रश्न का क्रमबद्ध रूप से उत्तर दे दिया है। हम गैर परम्परागत ऊर्जा श्रोतों के द्वारा इस आवश्यकता को पूरा कर रहें हैं जिसके लिए एक अलग मंत्रालय भी है। पवन ऊर्जा द्वारा हमने एक तिहाई मेगावाट विद्युत उत्पादित की है। यह भी साझा न्यूनतम कार्य योजना में शामिल है।

श्री उद्धव बर्मन : महोदय, पूर्व वित्त मंत्री, डा० मनमोहन सिंह ने हाल ही में कहा था कि विद्युत के उत्पादन में सार्वजनिक निवेश की कमी के कारण इसकी मांग और आपूर्ति में काफी अंतर पैदा हो गया है और इससे कई कठिनाइयां सामने आई हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार आने वाले वर्षों में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से हट रही है। यही मेरा साधारण सा प्रश्न है ।

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : नहीं। सरकार विद्युत उत्पादन से नही हट रही है।

परमाणु अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा

*166. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारत में पैदा हो रहे कम रेडियो-धर्मी परमाणु पदार्थ अपशिष्ट के निपटारे के लिए कोई दीर्घकालिक योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए किसी अन्य देश के सहयोग की व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ): (क) जी, हां।

(ख) भारत में उत्पादित होने वाले कम स्तर के विकिरण सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों के संसाधन, अनुकूलन, हस्तन, पैकेजिंग और निपटान के

लिए स्वदेशी रूप से प्रक्रिया, प्रद्योगिकियों और उपस्कर विकसित किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए नियामक प्राधिकरण, नामतः परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों और अनुमोदनों के अनुसार संयंत्र स्थापित किए गए हैं और उनका सफलतापूर्वक प्रचालन किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, अगर मंत्री जी का जवाब सही हो तो मैं यह जानना चाहता हूं कि तारापुर पावर स्टेशन के अगल-बगल में एक तो समद्र में मछली खत्म हो गई है और दूसरा इस इलाके के लोग वहुत भारी मात्रा में बीमार पड़ रहे हैं। राजस्थान के कोटा शहर में जहां एक ओर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वहां भी पिछले कई सालों से अनेक शिकायतें आई हैं। यहां तक सरकार का रूख रहा कि अगर कोई उसकी तस्वीर बनाना चाहता था तो उसे वहां से भगा दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जब इतना सारा इंतजाम है तो तारापुर और कोटा से ये शिकायतें क्यों आ रही हैं ?

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : अध्यक्ष महोदय, इरेक प्लांट के एनवायरनमैंट के जो सैम्पल लिए जाते हैं, हवा के, पानी के या कोई भी एफ्लूयूएंट हो, एटॉमिक एनर्जी सेफ्टी रैगुलेटरी बोर्ड ने जो स्टैंडर्डस सैट किए हैं, उससे ज्यादा किसी समस्या के बारे में हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। *(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत : ऐसी शिकायतें तो कोई दफा आ चुकी हैं ···*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इनके पास रिपोर्ट है या नहीं, वह मैंने नहीं पूछा ?

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : सदन में पहले भी इस बारे में बातें की जा चुकी हैं, हम उसके बारे में सदन में भी क्लैरिफिकेशन्स दे चुके हैं लेकिन अगर किसी के पास किसी इनस्टैंट की कोई स्पैसिफिक शिकायत हो तो ···*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप मेरे साथ कल तारापुर चलिए।

श्री योगेन्द कुमार अलघ : चलिए ···*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : स्वयं वहां की स्थिति देखकर सदन को जवाब दीजिए ···*(व्यवधान)*

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : मैं तारापुर होकर आया हूं। *(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

मैं तारापुर होकर आया हूं, खाली बोल नहीं रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं तारापुर का दौरा कर चुका हूं। यह कोई मुद्दा नहीं है और यह बहस करने का कोई तरीका नहीं है। ···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप कैसे कहते हैं कि आपके पास कोई शिकायत नहीं है। वहां से लाखों शिकायतें आयी हैं।

श्री योगेद्र कुमार अलघ : अगर ऐसी कोई दो-एक शिकायतें आई हैं तो उसके वारे में मैंने सदन में जवाब दिया है। उसके वाद भी यदि आप कह रहे हैं कि आपको कोई शिकायत है तो आप भेज दें, देखेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : देखेंगे क्या ? आप के पास पड़ी हुई हैं, आप दबाकर क्यों बैठे हैं ?

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : आपके यहां श्री जसवंत सिंह जी बैठे हुये हैं। इन्होंने एनर्जी कमेटी में सारी बातों पर डिटेल में चर्चा की है। इस रिपोर्ट को माननीय सदस्य पढ़ें और उसके बाद भी कोई समस्या हो तो कहें।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं, परमाणु सुरक्षा के संबंध में काफी लापरवाही से वक्तव्य दिये गये हैं *(व्यवधान)*

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : मैं समझता हूं कि मंत्री जी लापरवाह हैं। आप लापरवाह हैं। आप यहां ऐसे आरोप करने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं ? ···*(व्यवधान)*। आप लापरवाही के ऐसे आरोप लगाने की कैसे हिम्मत कर रहे हैं ? यह कार्य पालिका की जिम्मेदारी है न कि इस सदन की ···*(व्यवधान)*।

श्री योगेद्र कुमार अलघ : महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं प्रत्येक परमाणु संयंत्र में हवा, पानी और ऐसे ही अन्य सभी तत्वों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। तारापुर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। मैं आज ही उनको कहना चाहता हूं कि तारापुर में वह जगह दिखाने के लिए तैयार हूं। मैंने इस विषय में बार-बार बात की है और इसी संबंध में मेरा प्रश्न 176 भी है। यदि मंत्री महोदय इस शनिवार और रविवार में से किसी दिन तारापुर जाने के लिये तैयार हो तो मैं उनको तारापुर ले जाने के लिए तैयार रहूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जो, तारापुर में सैफ्टी नहीं हो रही है और यही बात कोटा के लिये है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रसोई गैस उपभोक्ता

*162. **श्रीमती केतकी देवी सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने अपने रसोई गैस उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में कतिपय राज्यों में आपातकाल सेवा प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रसोई गैस के सिलिण्डरों में गैस रिसाव संबंधी शिकायतों को तत्परतापूर्वक दूर किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अधिक से अधिक कितना समय लिया जाता है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार अपने रसोई गैस उपभोक्ताओं को ये सुविधायें प्रदान करने हेतु अन्य गैस कंपनियों को भी निर्देश जारी करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौदा क्या है; और

(ज) इसके परिणामस्वरूप कितने उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) अवकाश और रविवार के दौरान और वितरक के सामान्य कार्य-समय के पहले या बाद एल पी जी रिसाव संबंधी उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए आई ओ सी द्वारा दिल्ली में 22 जुलाई, 1983 को पहला आपातकालीन सेवा प्रकोष्ठ स्थापित किया गया। 1.1.97 की स्थिति के अनुसार आई ओ सी विभिन्न राज्यों में 419 आपातकालीन सेवा प्रकोष्ठ चला रहा है।

(ग) और (घ) एल पी जी के रिसाव से संबंधित शिकायतें वितरक और आपातकालीन सेवा प्रकोष्ठ के प्रचालक द्वारा शीघ्रतापूर्वक दूर की जाती हैं सामान्यतया ऐसी शिकायत, प्राप्त होने के 2 घंटों के भीतर दूर कर दी जाती है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) आई ओ सी, एच पी सी और बी पी सी नामक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां ऐसे स्थानों पर उद्योग आधार पर आपातकालीन सेवा प्रकोष्ठ चला रही हैं, जहां सभी 3 तेल कंपनियों अथवा 2 तेल कंपनियों का वितरण नेटवर्क है। ऐसे मामलों में आपातकालीन सेवा प्रकोष्ठ उद्योग आधार पर विभिन्न एल पी जी बाजारों के लिए स्थापित किए जाते हैं और कोई एक तेल कंपनी प्रत्येक राज्य के लिए क्रियाकलापों का समन्वय करती है। इस प्रकार उद्योग आधार पर संचलित आपातकालीन सेवा प्रकोष्ठ सुविधाएं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के किसी भी एच पी जी विपणन कंपनी के साथ संलग्न होने पर ध्यान दिए बिना, बाजार में सभी उपभोक्ताओं को उपलब्ध हैं।

(छ) और (ज) बी पी सी एल और एच पी सी एल पूरे देश में क्रमशः 46 और 145 आपातकालीन सेवा प्रकोष्ठों का संचालन कर रहे हैं और इन आपातकालीन सेवा प्रकोष्ठों द्वारा लाभान्वित होने वाले अनुमानित उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 87 लाख है। दूसरी ओर उद्योग के कुल 610 आपातकालीन सेवा प्रकोष्ठों से 192 लाख उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान की जा रही है।

मौद्रिक सीमा को बढ़ाना

*167. **श्री चिन्तामन वानगा :**
श्री सुरेश आर. जादव :

क्या योजना और कार्यक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का निर्धारण करने के लिये मौद्रिक सीमा को बढ़ाने हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है;

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की पहचान के लिए वर्तमान मौद्रिक सीमा क्या है;

(घ) उस नए फार्मूले का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत देश में 1995-96 के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रहे रहे लोगों की संख्या का अनुमान लगाया गया था;

(ङ) इस समय गरीबी की रेखा से नीचे रहे रहे व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान धनी और निर्धन के बीच असमानता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) मूल्य वृद्धि में परिवर्तन के कारण गरीबी रेखा को लगातार अद्यतन बनाया जाता है।

(ग) गरीबी रेखा 1973-74 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रु० के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के रूप में व्यक्त की गई है। यह 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में 229.14 रु० और शहरी क्षेत्रों में 264.38 रु० तक अद्यतन की गई है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग, न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी उपभोग मांग पर अनुमान संबंध कार्य बल की सिफारिशों पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के मामलों का अनुमान लगाता है। इसने गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100 की प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता के मानक पर आधारित पदार्थों और सेवाओं की बास्केट के अनुरूप 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रु० और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के रूप में परिभाषित किया था।

गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों का प्रतिशत गरीबी रेखा के संबंध में उपभोग के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन स्तर पर इसके यथानुपात समंजन करने के पश्चात उपभोक्ता व्यय पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से प्राप्त व्यक्तियों के श्रेणी वार व्यय वितरण से परिकलित किया जाता है।

गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी अनुमान के लिए एक वैकल्पिक पद्धति प्रस्तुत की है। इसने कार्य बल की गरीबी रेखा को स्वीकार किया और राज्य – विशिष्ट मूल्य सूचकांक का उपयोग करते हुए राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं प्राप्त की हैं। कोई समंजन किए बिना राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण उपभोक्ता व्यय वितरण से विशेषज्ञ दल ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के पंचवार्षिक उपभोक्ता व्यय से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के अनुमान उपलब्ध कराएं।

गरीबी के नवीनतम अनुमान 1987-88 में किए गए पंचवार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं। वर्ष 1987-88 के संबंध में गरीबी के अनुमान विवरण.I और II में क्रमशः सरकारी पद्धति और विशेषज्ञ दल की पद्धति के लिए दिए गए हैं। योजना आयोग ने 1993-94 के संबंध में दोनों पद्धतियों द्वारा गरीबी के राज्य वार अनुमान संसद की पदामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत किए हैं। जो विवरण-III और IV में दिए गए हैं। कतिपय तकनीकी ब्यौरों की जांच की जा रही है और इन अनुमानों पर शीघ्र ही अन्तिम राय दी जानी है।

(च) गरीबी रोधी परिसंपत्ति सृजन कार्यक्रम जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और मजदूरी रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसे कि जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम, नेहरू रोजगार योजना आदि से सामान्य विकास प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले परिणाम से अधिक गरीबों की आय को बढ़ा कर अमीर और गरीबों के बीच असमानता कम होने की संभावना है।

विवरण-I

1987-88 वर्ष के संबंध में राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की संख्या और प्रतिशत (संशोधित)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		संख्या लाख	प्रतिशत	संख्या लाख	प्रतिशत	संख्या लाख	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	129.81	28.18	35.35	22.14	165.16	26.62
2.	असम	35.88	19.20	1.56	6.99	37.44	17.89
3.	बिहार	252.26	35.86	25.86	24.85	278.12	34.44
4.	गुजरात	42.68	16.51	13.44	10.38	56.12	14.46
5.	हरियाणा	10.79	9.28	3.46	9.56	14.24	9.34
6.	हिमाचल प्रदेश	3.44	7.71	0.05	1.21	3.49	7.17
7.	जम्मू और कश्मीर	6.78	12.35	1.02	6.29	7.81	10.96
8.	कर्नाटक	91.73	31.10	25.32	19.83	117.05	27.70
9.	केरल	27.83	13.14	10.80	16.23	38.63	13.88
10.	मध्य प्रदेश	171.95	36.04	23.75	17.40	195.71	31.89
11.	महाराष्ट्र	143.94	31.41	39.73	14.45	183.67	25.05
12.	उड़ीसा	111.60	42.89	8.00	20.89	119.61	40.07
13.	पंजाब	6.77	4.99	2.82	5.13	9.59	5.03
14.	राजस्थान	69.63	22.03	14.68	16.22	84.31	20.74
15.	तमिलनाडु	121.44	34.38	30.78	17.17	152.23	28.58

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	उत्तर प्रदेश	332.41	31.79	56.94	22.90	389.35	30.08
17.	पश्चिम बंगाल	114.37	24.73	28.24	16.44	142.60	22.48
18.	अखिल भारत	1682.98	28.37	331.08	16.82	2014.06	25.49

टिप्पणी :-

1. उपर्युक्त अनुमान 1973-94 के संबंध में क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 49.1 रु० और शहरी क्षेत्रों के लिए 56.6 रु० की गरीबी रेखाओं के अनुरूप 1987-88 की कीमतों पर ग्रामाणी क्षेत्रों में 132.0 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की गरीबी रेखा और शहरी क्षेत्रों के लिए 152.3 रु० प्रति व्यक्ति प्रति माह की गरीबी रेखा का उपयोग करके निकाले गए हैं।
2. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की संख्या 1 अक्टूबर, 1987 की जनसंख्या से संबंधित है।
3. परिणाम उपभोक्ता व्यय पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 43वें दौर (जुलाई, 1987 – जून 1988) पर आधारित है।
4. राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा उनके राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में आकलित कुल अखिल भारतीय निज़ी उपभोग व्यय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के बीच के अन्तर को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच यथानुपात समंजित कर दिया गया है।

विवरण-II

गरीबो की संख्या और प्रतिशतता–1987-88 विशेषज्ञ दल के अनुमान

क्र.सं.	राज्य संघ/राज्य क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		व्यक्तियों की संख्या लाख	व्यक्ति का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या लाख	व्यक्ति का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या लाख	व्यक्ति का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	94.89	20.92	72.85	44.63	167.77	27.20
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.73	39.35	0.11	17.34	2.84	37.47
3.	असम	80.86	39.35	4.58	17.34	85.44	36.84
4.	बिहार	370.36	52.63	69.48	57.71	439.84	53.17
5.	गोवा	1.32	17.64	1.42	33.71	2.74	23.42
6.	गुजरात	75.95	28.67	52.63	39.63	128.58	32.33
7.	हरियाणा	18.75	16.22	7.15	17.79	25.90	16.63
8.	हिमाचल प्रदेश	7.37	16.28	0.25	6.18	7.62	15.46
9.	जम्मू और कश्मीर	13.96	25.70	2.40	14.82	16.36	23.20
10.	कर्नाटक	93.96	32.82	68.39	49.06	162.35	38.14
11.	केरल	66.20	29.10	26.02	43.36	92.22	32.08
12.	मध्य प्रदेश	195.85	41.92	70.04	48.17	265.89	43.40
13.	महाराष्ट्र	185.59	40.78	108.59	38.99	294.18	40.10

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	4.68	39.35	0.85	17.34	5.53	32.93
15.	मेघालय	4.89	39.35	0.59	17.34	5.48	34.60
16.	मिजोरम	1.68	39.35	0.33	17.34	2.01	32.52
17.	नागालैंड	3.05	39.35	0.35	17.34	3.40	34.85
18.	उड़ीसा	148.02	57.64	19.94	44.11	167.96	55.61
19.	पंजाब	16.78	12.60	7.77	12.91	24.56	12.70
20.	राजस्थान	103.02	33.21	38.17	38.99	141.19	34.60
21.	सिक्किम	1.25	39.35	0.15	17.34	1.40	34.67
22.	तमिलनाडु	160.67	45.80	82.54	43.88	243.20	45.13
23.	त्रिपुरा	8.49	39.35	0.48	17.34	8.97	36.84
24.	उत्तर प्रदेश	412.03	41.10	125.02	45.22	537.05	41.99
25.	पश्चिम बंगाल	219.09	48.30	57.63	32.84	276.72	43.99
	स. शा. क्षेत्र						
26.	दिल्ली	0.06	1.29	12.74	16.91	12.80	16.04
27.	अ. और नि. द्वीपसमूह	0.80	45.80	0.32	43.88	1.12	45.24
28.	चण्डीगढ़	0.04	12.91	0.76	12.91	0.80	12.91
29.	दा. और न. हवेली	0.21	17.64	0.03	33.71	0.24	18.71
30.	लक्षद्वीप	0.06	29.10	0.12	43.96	0.18	37.26
31.	पांडिचेरी	1.35	45.80	1.80	43.88	3.15	44.68
	अखिल भारत	2293.96	39.06	838.52	40.12	3127.48	39.94

टिप्पणी :

1. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1973-74 की अखिल भारतीय गरीबी रेखा जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी लेने और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी लेने के समरूप है : राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्त :- राज्य कीमत विभेदकों के लिए संमजित की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं मध्यम ग्रामीण जनसंख्या के कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक का उपयोग करते हुए संमजित की जाती है ओर शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा जनसंख्या के मध्यम वर्ग के औद्यागिक कामगारों ओर शहरी गैर-शारीरिक कामगारों के उपभोक्ता कीमत सूचकांकों के संयुक्त सूचकांक द्वारा समंजित की जाती है।

2. गरीयी अनुपात के अनुमान (i) घरेलू उपभोवता व्यय वितरण 43 वां दौर (जुलाई, 1987 से जून, 1988) संबंधी एनएस आंकड़ों के साथ उपयुक्तानुसार दी गई राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा पर आधारित है।

3. गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों की संख्या 1 मार्च, 1988 से संबंधित है।

स्रोत : गरीबी के अनुपात और संख्या अनुमानों पर विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट, जुलाई 1993 विवरण 4.5 पृष्ठ-40

विवरण-III

गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी की संख्या तथा प्रतिशत-राज्यवार – 1993-94 (विशेषज्ञ दल पद्धति)

क्र.सं.	राज्य संघ/राज्य क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्ति का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्ति का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्ति का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	83.12	16.64	22.98	11.83	106.10	15.29
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.14	14.12	0.07	4.56	1.20	12.67
3.	असम	18.95	9.04	0.76	2.91	19.71	8.36
4.	बिहार	241.33	31.16	21.03	17.07	262.35	29.22
5.	गोवा	0.17	2.31	0.05	0.95	0.22	1.71
6.	गुजरात	26.43	9.43	7.85	5.09	34.28	7.89
7.	हरियाणा	9.03	6.92	2.04	4.56	11.07	6.32
8.	हिमाचल प्रदेश	3.41	6.72	0.06	1.15	3.47	6.22
9.	जम्मू और कश्मीर	2.39	3.81	0.39	1.92	2.78	3.35
10.	कर्नाटक	62.77	19.54	17.08	11.34	79.86	16.92
11.	केरल	13.71	6.32	5.24	6.29	18.96	6.31
12.	मध्य प्रदेश	138.02	25.95	20.31	11.94	158.34	22.55
13.	महाराष्ट्र	124.08	24.34	30.80	9.67	154.87	18.70
14.	मणिपुर	0.20	1.41	0.09	1.43	0.28	1.41
15.	मेघालय	0.27	1.72	0.02	0.42	0.29	1.47
16.	मिजोरम	0.01	0.41	0.00	0.00	0.01	0.20
17.	नागालैंड	0.00	0.00	000	0.01	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	95.08	33.55	6.12	12.94	101.20	30.60
19.	पंजाब	3.28	2.21	1.46	2.25	4.74	2.22
20.	राजस्थान	33.38	9.33	8.35	7.53	41.73	8.90
21.	सिक्किम	0.25	6.12	0.00	0.02	0.25	5.53
22.	तमिलनाडु	69.48	18.54	20.48	10.13	89.95	15.59
23.	त्रिपुरा	1.86	7.32	0.21	4.24	2.06	6.83
24.	उत्तर प्रदेश	255.11	21.74	48.77	15.94	303.88	20.54
25.	पश्चिम बंगाल	68.64	13.34	16.57	8.32	85.21	11.94

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	अ० और नि० द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.09
27.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.01	0.22	0.01	0.20
28.	दादरा व नगर हवेली	0.42	30.67	0.02	17.51	0.45	29.46
29.	दमन और दीव	0.02	2.70	0.00	0.00	0.02	1.40
30.	दिल्ली	0.00	0.00	3.57	3.74	3.57	3.38
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.01	3.54	0.01	2.11
32.	पांडिचेरी	0.16	5.43	0.52	8.64	0.67	7.60
	अखिल भारत	1259.66	19.24	238.60	10.11	1498.26	16.82

विवरण-IV

गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी की संख्या तथा प्रतिशत-राज्यवार — 1993-94 (कार्य पद्धति)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्ति का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्ति का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्ति का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	79.49	15.92	80.64	41.51	160.13	23.08
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.62	45.01	0.19	13.15	3.81	40.18
3.	असम	94.33	45.01	3.35	13.15	97.78	41.46
4.	विहार	450.86	58.21	55.83	45.34	506.69	56.44
5.	गोवा	0.38	5.34	1.47	26.04	1.85	14.48
6.	गुजरात	62.16	22.18	41.77	27.07	103.93	23.92
7.	हरियाणा	36.56	28.02	5.85	13.09	42.41	24.21
8.	हिमाचल प्रदेश	15.40	30.34	0.43	8.58	15.83	28.39
9.	जम्मू और कश्मीर	19.05	30.34	1.74	8.58	20.79	25.03
10.	कर्नाटक	95.99	29.88	60.58	40.21	156.57	33.18
11.	केरल	55.95	25.76	24.65	29.57	80.59	26.82
12.	मध्य प्रदेश	216.19	40.64	82.88	48.70	299.07	42.60
13.	महाराष्ट्र	193.33	37.93	108.33	34.03	301.65	36.43
14.	मणिपुर	6.33	45.01	0.80	13.15	7.13	35.41
15.	मेघालय	7.09	45.01	0.49	13.15	7.58	38.95
16.	मिजोरम	1.64	45.01	0.52	13.15	2.16	28.47

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	नागालैंड	4.85	45.01	0.33	13.15	5.18	38.95
18.	उड़ीसा	140.90	49.72	19.21	40.59	160.11	48.41
19.	पंजाब	17.76	11.95	5.87	9.08	23.63	11.08
20.	राजस्थान	94.68	26.46	35.08	31.63	129.76	27.68
21.	सिक्किम	1.81	45.01	0.06	13.15	1.87	41.96
22.	तमिलनाडु	121.40	32.48	89.65	44.34	211.35	36.63
23.	त्रिपुरा	11.41	45.01	0.64	13.15	12.05	39.89
24.	उत्तर प्रदेश	496.17	42.28	110.34	36.06	606.51	44.99
25.	पश्चिम बंगाल	209.90	40.80	44.86	22.51	254.76	35.69
26.	अ. व नि. द्वीपसमूह	0.73	32.48	0.37	44.54	1.10	35.71
27.	चण्डीगढ़	0.06	9.08	0.58	9.08	0.64	9.08
28.	दादरा और नगर हवेली	0.72	51.95	0.05	39.00	0.77	50.76
29.	दमन और दीव	0.03	5.34	0.14	26.04	0.17	15.32
30.	दिल्ली	0.19	1.90	14.64	15.31	14.83	14.04
31.	लक्ष्यद्वीप	0.06	25.76	0.10	29.57	0.16	28.03
32.	पांडिचेरी	0.93	32.48	2.65	44.34	3.58	40.49
	अखिल भारत	2440.29	37.27	794.17	33.66	3234.46	36.31

1. सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा त्रिपुरा के लिए असम के गरीबी अनुपात को उपयोग में लाया जाता है।

2. पांडिचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के लिए तमिलनाडु के गरीबी अनुपात को उपयोग में लाया जाता है।

3. लक्षद्वीप के लिए केरल के गरीबी अनुपात को उपयोग में लाया जाता है।

4. दमन व दीव के लिए गोवा के गरीबी अनुपात को उपयोग में लाया जाता है।

5. चण्डीगढ़ के ग्रामीण तथा शहरी गरीबी, दोनों के लिए, पंजाब के शहरी-गरीबी अनुपात को उपयोग में लाया जाता है।

6. गोवा के गरीबी अनुपात अनुमान हेतु महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा गोवा के व्यय वितरण को उपयोग में लाया जाता है।

7. दादरा व नगर हवेली के गरीबी अनुपात अनुमान के लिए महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा दादरा व नगर हवेली के व्यय वितरण को उपयोग में लाया जाता है।

8. जम्मू व कश्मीर के लिए हिमाचल प्रदेश के गरीबी अनुपात को उपयोग में लाया जाता है।

ग्रामीण रोजगार सृजन

*168. **प्रो० जितेन्द्र नाथ दास :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में ग्रामीण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में कौन-कौन सी योजनाएं चल रही है;

(ख) 1996 के दौरान योजनावार तथा राज्यवार सृजन किये गये रोजगार अवसरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इस योजना में कोई असफलता रही है, तो उसके

कारण क्या हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए देश में निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं—जवाहर रोजगार और सुनिश्चित रोजगार योजना, जो मजदूरी रोजगार कार्यक्रम हैं और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो एक स्वरोजगार कार्यक्रम है।

हालांकि जवाहर रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम देश में लागू हैं लेकिन सुनिश्चित रोजगार योजना में फिलहाल 4329 विकास खंड शामिल हैं।

(ख) वित्त वर्ष 1996-97 के दौरान इन योजनाओं के जरिए सृजित रोजगार के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अब तक जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 6874 मिलियन श्रमदिनों का मजदूरी रोजगार सृजित किया गया है और लगभग 49 मिलियन परिवारों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी गई है। तथापि हमारी कोशिश रही है कि इन कार्यक्रमों की समीक्षा की जाए और उन्हें और अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि ये योजनाएं विफल हो गई हैं।

विवरण

वर्ष 1996-97 (दिसम्बर, 1996 तक) के दौरान जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित परिवार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जवाहर रोजगार योजना (लाख श्रमदिन)	सुनिश्चित रोजगार योजना	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित परिवार
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	184.85	164.08	96817
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.15	16.17	2870
3.	असम	54.58	48.18	14883
4.	बिहार	310.60	170.57	124052
5.	गोवा	4.85	असूचित	664
6.	गुजरात	57.25	90.33	33315
7.	हरियाणा	10.32	15.91	12284
8.	हिमाचल प्रदेश	7.38	6.35	4872
9.	जम्मू और कश्मीर	12.28	49.57	6190
10.	कर्नाटक	144.63	173.83	70188
11.	केरल	26.81	15.53	31899
12.	मध्य प्रदेश	197.51	163.71	64642
13.	महाराष्ट्र	251.20	149.53	80305
14.	मणिपुर	3.00	9.96	3354
15.	मेघालय	5.06	2.63	2323
16.	मिजोरम	1.48	17.18	1304
17.	नागालैंड	4.46	0.11	702
18.	उड़ीसा	224.89	235.86	43081
19.	पंजाब	असूचित	असूचित	4777
20.	राजस्थान	61.95	120.59	28437
21.	सिक्किम	1.95	2.33	1075
22.	तमिलनाडु	217.76	119.72	43240
23.	त्रिपुरा	14.85	41.31	1568
24.	उत्तर प्रदेश	458.81	176.85	245249
25.	पश्चिम बंगाल	125.83	100.12	70468
26.	अ. व नि. द्वीपसमूह	0.42	0.22	135
27.	दादरा व नगर हवेली	0.51	0.19	9
28.	दमन व द्वीव	0.27	0.00	178
29.	लक्षद्वीप	0.57	1.20	22
30.	पांडिचेरी	2.05	असूचित	788
	कुल	2387.27	1892.03	989631

एन०आर०—रिपोर्ट नहीं मिली।

पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि

*169. **श्री रमेश चेन्निथला :**
श्री सत्यजीत सिंह दत्तीपसिंह गायकवाड़ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों के मूलय में वृद्धि करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने तेल पूल के बढ़ते हुए घाटे, जिसका इस वर्ष

मार्च में 14,700 करोड़ रु० तक पहुंच जाने का अनुमान है, से निपटने के लिए कई प्रस्तावों का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय ऋण लेने का निर्णय लिया है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (च) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य तेल पूल खाता प्रक्रम के माध्यम से सरकार द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। तेल पूल खाते स्वतः सन्तुलनीय होते हैं। अनुमान था कि 31.3.1996 तक तेल कंपनियों के संचयी बकाया 5700 करोड़ रुपये होंगे। परन्तु, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि, रुपया-डालर विनिमय दर में परिवर्तन, 1996-97 के वित्त बिल में घोषित रेल भाड़ों में वृद्धि और सीमा शुल्क और उत्पाद कर में परिवर्तनों के कारण अक्तूबर, 1996 में पूल खाते पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पूल खाते से तेल कंपनियों के संचयी बकाया 31.3.97 की स्थिति के अनुसार 15,500 करोड़ रुपये के होने का अनुमान है।

अत्यधिक बढ़ते बकायों के कारण तेल कंपनियों में नकदी की गम्भीर कमी उत्पन्न हुई है जिससे उनके लिए भारी मात्रा में ऋण लेना अनिवार्य हो गया ये ऋण 31.3.97 तक 23,000 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच जाने का अनुमान है।

देश के भीतर पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करना पड़ता है। अल्पावधिक उपाय के रूप में आई ओ सी जो नियंत्रक एजेंसी है, के अल्पावधिक विदेशी मुद्रा ऋणों की अधिकतम सीमा फरवरी, 1996 में 1.53 बिलियन अमेरीकी डालर से बढ़ाकर 2 बिलियन अमेरीकी डालर, नवम्बर, 1996 में 2.5 बिलियन अमेरीकी डालर और फरवरी, 1997 में 2.9 बिलियन अमेरीकी डालर की गई थी।

तेल पूल खाते की स्थिति की निगरानी सतत् आधार पर की जाती है तथा सरकार तेल पूल खाते के घाटे को नियंत्रित करने के विभिन्न विकल्पों का पता लगा रही है।

परमाणु विद्युत का उत्पादन

*170. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल विद्युत उत्पादन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान तथा कोयला खानों से दूर ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना तथा उनके संचालन में होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार निजी क्षेत्रों को आमंत्रित करते हुए परमाणु विद्युत उत्पादन पर विशेष बल देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस नीति तैयार की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है जिसके द्वारा परमाणु विद्युत को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी; और

(घ) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में परमाणु विद्युत उत्पादन के संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और इसकी अनुमानित लागत क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ग) सरकार अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने का विचार रखती है और निजी सहभागिता के कुछ विशिष्ट प्रस्तावों के लिए तैयार है। ऐसे प्रस्तावों के प्राप्त होने पर उन पर तकनीकी दृष्टि से उनके उपयुक्त होने, आर्थिक दृष्टि से आकर्षक होने और उससे जुड़ी शर्तों के आधार पर विचार किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में यथावश्यक संशोधन उस उचित समय पर करने पर विचार किया जाएगा जब निजी सहभागिता के एक वास्तविकता बन जाने की संभावना होगी।

(घ) IX वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों का विकास

*171. **श्री एन.जे. राठवा :**
श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु कोई योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार तथा वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) राज्यों द्वारा तथा विशेष रूप से गुजरात सरकार द्वारा आज तक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की गई अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इनमें से कितनी परियोजनाएं जनजातीय बहुल क्षेत्रों से संबंधित है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के बाद धन का आवंटन कब तक किया जायेगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (च) किसी क्षेत्र की आयोजना एवं विकास तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों का आबंटन मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। योजना आयोग समग्र रूप से राज्यों की योजना के

लिए केंद्रीय सहायता का आबंटन करता है और विशेष तथा क्षेत्रकीय आबंटन राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं। विद्युत तथा सिंचाई क्षेत्रकों को छोड़कर राज्य सरकारों की निजी स्कीमों/परियोजनाओं के लिए योजना आयोग का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है, बशर्ते कि चालू स्कीमों/परियोजनाओं को प्रभावित किए बिना इन स्कीमों का वित्तपोषण किया जा सके और उनके क्रियान्वयन के लिए अलग से निधियां उपलब्ध न करानी पड़े।

बहरहाल केन्द्र सरकार क्षेत्र कार्यक्रमों अर्थात् आदिवासी उपयोजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमान्त कार्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि के जरिये पिछड़े/आदिवासी क्षेत्रों के विकास की समस्याओं को दूर करने के लिए गुजरात सहित राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता पहुंचा रही है।

वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान विभिन्न राज्यों में आदिवासी लोगों के कल्याण तथा विकास के लिए राज्यों की योजनाओं में मंजूर की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1993-94 से 1995-96 तक विभिन्न राज्यों में आदिवासी/पिछड़े लोगों के कल्याण तथा विकास के लिए राज्यों की योजनाओं में मंजूर की गई राशि

(करोड़ रु० में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94 वास्तविक	1994-95 वास्तविक	1995-96 परिव्यय
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	78.47	91.67	144.81
2.	असम	7.65	8.79	12.75
3.	बिहार	24.80	26.00	40.52
4.	गोवा	0.59	0.65	0.65
5.	गुजरात	88.62	85.66	124.82
6.	हरियाणा	7.88	8.50	10.21
7.	हिमाचल प्रदेश	2.54	3.48	3.83
8.	जम्मू व कश्मीर	1.52	2.82	3.06
9.	कर्नाटक	111.36	144.63	107.68
10.	केरल	12.10	15.00	19.10
11.	मध्यप्रदेश	75.55	68.04	168.34
12.	महाराष्ट्र	42.52	43.65	120.76
13.	मणिपुर	1.62	1.83	2.70
14.	मेघालय	0.01	0.14	0.07
15.	उड़ीसा	27.91	42.21	49.90
16.	पंजाब	32.67	99.86	98.79
17.	राजस्थान	7.24	11.93	16.60
18.	सिक्किम	0.53	0.54	1.12
19.	तमिलनाडु	68.69	70.52	112.64
20.	त्रिपुरा	10.01	16.72	16.00
21.	उत्तर प्रदेश	21.23	37.67	119.19
22.	पश्चिम बंगाल	21.00	23.10	26.00
23.	अ. नि. द्विपसमूह	0.46	0.17	0.19
24.	चण्डीगढ़	0.40	0.41	1.49
25.	दादरा व नगर हवेली	0.15	1.00	0.20
26.	दमन व दीव	0.15	0.29	0.26
27.	दिल्ली	5.18	16.00	16.00
28.	पांडिचेरी	2.00	2.40	4.35

[हिन्दी]

पारेषण और वितरण हानि

*172. श्री मनोज कुमार सिन्हा :
श्री बी०एल० शंकर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड को वर्ष वार और राज्य वार पारेषण और वितरण में कितनी मात्रा में विद्युत की हानि हुई;

(ख) प्रत्येक बोर्ड की पारेषण और वितरण में कितने प्रतिशत विद्युत की हानि हुई; और

(ग) पारेषण और वितरण की हानियों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत विभाग के लिए 1992-93 से 1994-95 तक तीन वर्ष की अवधि में पारेषण तथा वितरण में हुई विद्युत हानियों की राज्य वार मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है। अनुवर्ती वर्षों के लिए पारेषण एवं वितरण हानियों के आंकड़े अभी समेकित नहीं किए गए हैं।

(ग) विद्युत वितरण का दायित्व राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों का है। पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाने की दृष्टि से केन्द्रीय विद्युतप्राधिकरणों ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं :-

– प्रचालन योल्टता का उन्नयन

- निम्न तनाव लाइनों की लंबाई में कमी
- भार केन्द्रों के निकट ट्रांसफार्मरों को अवस्थापना
- उपभोक्ता के परिसर में निम्न क्षमता ट्रांसफार्मरों को अपनाना
- शंट कैपेसिटरों की प्रतिष्ठापना
- निर्माण तथा प्रचालन तकनीकों में सुधार तथा
- दीर्घकालिक आधार पर वितरण प्रणाली की आयोजना तथा अभिकल्प के लिए प्रणालीबद्ध तथा सुव्यवस्थित दृष्टिकोण।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ऊर्जा लेखा-परीक्षा के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो ऊर्जा-परीक्षा अध्ययन करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। ये लेखा परीक्षा स्कीमों को तैयार करने तथा क्रियान्वित करने के लिए कार्य योजना हेतु तथा तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को अलग-अलग करने के लिए परिणामों के विश्लेषण का प्रावधान भी उपलब्ध करवाते हैं।

बिजली की चोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम 1910 में आवश्यक संशोधन भी किए गए हैं।

राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद दिसम्बर, 96 में जारी विद्युत के लिए न्यूनतम समान राष्ट्रीय कार्य योजना में पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं।

(i) सभी बड़े भरकों पर उप-केन्द्रों में आनिवार्य रूप से मीटर लगे हों।

(ii) सभी नए बिजली के कनेक्शनों को अनियार्यतः मीटर लगे हों। 10 अ.शा. से अधिक कृषि क्षेत्र को कनेक्शन कार्य भी दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाए।

(iii) सन् 2002 तक पूरी विद्युत आपूर्ति मीटर द्वारा हो।

(iv) बड़े उपभोक्ताओं अर्थात् 100 के.वी.ए. के उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से वार्षिक ऊर्जा लेखा-परीक्षा सुनिश्चित की जाए।

(v) बेहतर मांग प्रबंधन के लिए बड़े विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नियमित मीटरिंग लागू की जाए।

एक विधिक रूपरेखा अब तैयार कर ली गई है तथा संचारण को अब एक पृथक गतिविधि के रूप में पहचान लिया गया है। इससे संचारण परियोजनाओं में सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त क्षेत्रों का अधिक निवेश सुलभ होगा। इससे पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों में रूपांतरण पारेषण तथा वितरण हानियां (चोरी जैसी वाणिज्यिक हानियों समेत) का प्रतिशत

क्षेत्र	राज्य बिजली बोर्ड/ विद्युत विभाग	1992-93 (मात्रा) (मि.यू.)	1992-93 (%)	1993-94 (मात्रा) (मि.यू.)	1993-94 (%)	1994-95 (मात्रा) (मि.यू.)	1994-95 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी	1. हरियाणा	2965.99	26.78	2640.50	25.00	3420.13	30.80
क्षेत्र	2. हिमाचल प्रदेश	403.44	19.51	373.60	18.31	474.00	18.21
	3. जम्मू और कश्मीर	1383.54	48.28	1345.67	45.69	1593.17	48.74
	4. पंजाब	3403.31	19.24	3652.94	19.37	3287.04	16.70
	5. राजस्थान	3220.96	22.74	3775.55	25.00	3960.75	24.78
	6. उत्तर प्रदेश	7230.81	24.43	7564.08	24.08	7169.24	21.69
	7. चण्डीगढ़	165.12	26.21	169.16	27.27	201.70	28.44
	8. डेसू	2404.61	23.56	3492.33	31.79	4161.50	31.56
पश्चिमी	1. गुजरात	5219.59	22.03	5266.28	20.34	5389.54	20.02
क्षेत्र	2. मध्यप्रदेश	4522.40	21.35	4734.89	20.26	5062.25	19.61
	3. महाराष्ट्र	6719.32	17.83	6733.51	16.22	7360.93	16.33
	4. दादर और नगर हवेली	36.05	17.98	30.21	12.64	30.23	11.35
	5. गोवा	178.75	21.85	251.27	24.50	277.08	26.87
	6. दमन और दीव	18.85	15.67	37.40	22.34	33.15	16.90

1	2	3	4	5	6	7	8
दक्षिणी	1. आंध्र प्रदेश	4784.21	19.88	5291.63	19.91	5120.81	17.95
क्षेत्र	2. कर्नाटक	3149.39	19.55	3413.72	19.55	3830.60	19.41
	3. केरल	1624.40	21.95	1578.95	20.00	1784.45	20.05
	4. तमिलनाडु	4056.88	17.50	4229.04	17.18	4766.19	17.11
	5. लक्षद्वीप	2.11	18.72	2.12	16.99	2.41	17.84
	6. पाण्डिचेरी	125.86	15.31	132.01	15.80	146.42	15.00
पूर्वी	1. विहार	1612.54	22.00	1608.95	20.35	1623.45	19.76
क्षेत्र	2. उड़ीसा	1819.37	25.25	1807.84	22.43	2028.22	23.03
	3. सिक्किम	14.26	22.55	15.74	22.60	17.73	21.22
	4. पश्चिम बंगाल	2141.54	24.87	1949.51	20.82	2204.05	21.51
	5. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14.27	23.62	15.87	23.71	16.17	22.38
उत्तर-पूर्वी	1. असम	431.95	21.41	475.55	22.44	546.54	24.18
क्षेत्र	2. मणिपुर	57.10	22.35	68.08	23.92	72.39	25.30
	3. मेघालय	56.95	11.79	114.73	18.03	85.90	18.47
	4. नागालैंड	33.77	27.26	43.72	33.45	43.73	36.12
	5. त्रिपुरा	73.96	30.64	78.88	30.53	93.07	31.96
	6. अरूणाचल प्रदेश	23.27	32.32	44.39	42.04	51.18	45.30
	7. मिजोरम	26.77	29.04	35.57	31.89	36.46	29.76
अखिल भारत (यूटिलिटीज)		61564.76	21.80	65010.45	21.41	69568.56	21.13

[अनुवाद]

ऊर्जा संरक्षण संबंधी कानून

*173. **श्री भक्त चरण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू बजट सत्र के दौरान ऊर्जा संरक्षण संबंधी कानून लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं,

(ग) क्या प्रारूप विधेयक राज्य सरकारों को भेज दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) विद्युत मंत्रालय ऊर्जा संरक्षण पर एक विधेयक को संसद के चालू सत्र के दौरान विचारार्थ पेश करने के लिए प्रारूप तैयार कर रहा है।

(ख) प्रस्तावित विधेयक में अनिवार्यतः केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को ऊर्जा संरक्षण के लिए मानक तथा मानदंड स्थापित करके देश में कार्यक्षम ऊर्जा के उपयोग को सुलभ तथा लागू करने में समर्थवान बनाने तथा अन्य बातों के साथ-साथ शक्तियां प्रदत्त करना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) प्रस्तावित विधेयक की प्रारूप रूपरेखा सभी राज्य सरकारों तथा संघ-शासित क्षेत्रों के प्रशासन को उनकी टिप्पणियों के लिए परिपत्रित की गई थी। राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों जिनसे टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। उन्होंने इस प्रकार के विधेयक के लिए आवश्यकता पर प्रायः अपनी सहमति दी है।

फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाएं

*174. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :**
श्री येल्लैया नन्दी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक सरकार ने कितनी फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं का अनुमोदन किया है;

(ख) उनमें से प्रत्येक परियोजना के अनुमोदन और स्थान का ब्यौरा क्या है,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुमानित लागत क्षमता क्या है और प्रत्येक परियोजना द्वारा उत्पादित की गयी वास्तविक विद्युत कितनी है; और

(घ) ऐसी लम्बित परियोजनाएं कब तक मंजूर कर दी जाएगी और ये कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) ने सभी आठ फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। ब्यौरें संलग्न विवरण में दिए गए हैं उपलब्ध सूचना के अनुसार, में सूचीबद्ध परियोजनाएं जिन्होंने आंशिक उत्पादन शुरू कर दिया है निम्नवत हैं :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल क्षमता (मे.वा)	प्रचालित क्षमता (मे.वा.)
(i)	जेगुरूपाडु संयुक्त गैस टरबाईन	216	9x45.8
(ii)	गोदावरी संयुक्त गैस टरबाईन	216	45.8

(घ) सभी परियोजनाओं के लिए के.वि.प्रा. का तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। अपने विद्युत क्रय समझोते (पीपीए) तथा अन्य शर्तो को अंतिम रूप देने के पश्चात् इन परियोजनाओं को अपने निर्माण तथा प्रचालन से पूर्व वित्तीय संवरण प्राप्त करना होगा।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	निर्माण के दौरान ब्याज समेत अनुमानित लगात (के.वि.प्रा. द्वारा यथा अनुमोदित)
1.	विशाखापट्टनम टीपीसी, आंध्र प्रदेश क्षमता : 1040 मे.वा.	943.75 मिलियन यू.एस. डॉलर + 1324.993 करोड़ रुपये
2.	नेवैली (जीरो यूनिट), तमिलनाडु क्षमता : 250 मे.वा.	1325.11 करोड़ रुपये
3.	मंगलौर टीपीसी, कर्नाटक क्षमता 1000 मे.वा.	751.574 मिलियन अमरीकी डॉलर + 1580.89 करोड़ रुपये
4.	भद्रावती टीपीएस, महाराष्ट्र क्षमता : 1072 मे.वा.	5187.00 करोड़ रुपये
5.	इव वैलीं टीपीएस, यूनिट-3 और 4, उड़ीसा क्षमता : 216 मे.वा.	1993.63 करोड़ रुपये
6.	जेगुरूपाडु सीसीजीटी, आंध्र प्रदेश क्षमता : 216 मे.वा.	827.00 करोड़ रुपये
7.	गोदावरी सीसीजीटी, आंध्र प्रदेश क्षमता : 208 मे.वा.	748.43 करोड़ रुपये
8.	डाभोल सीसीजीटी, चरण-1, महाराष्ट्र क्षमता - 740 मे.वा.	2634 करोड़ रुपये

दृष्टिकोण पत्र

***175. डा० टी. सुब्बा रामी रेड्डी :**
श्री चित्त बसु :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने नौंवी योजना के दृष्टिकोण पत्र (एप्रोच पेपर) को अनुमोदित और स्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में उसकी विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री योजना में गरीबी पर विशेष ध्यान देने के पक्ष में है;

(घ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें कृषि विकास के लिए और देश में गरीबी दूर करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा;

(ङ) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के दौरान अनेक राज्यों ने अधिकाधिक धनराशि की मांग की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवाद ब्यौरा क्या है;

(छ) उस पर राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या निर्णय है; और

(ज) नौवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया कब शुरू की जायेगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी हाँ।

(ख) दिनांक 16.1.1997 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित नौवीं योजना (1997-2002) के दृष्टिकोण पत्र में नौंवी योजना अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7 प्रतिशत वार्षिक दिखायी गयी है जिसमें कृषि क्षेत्रक में 4.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर भी शामिल है। सरकार के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम प्राथमिक न्यूनतम सेवाओं पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन और विस्तृत परामर्श के दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा रखे गये सुझावों से उत्पन्न नौंवी योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

(i) पर्याप्त उत्पादक रोजगार उत्पन्न करने और गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता।

(ii) स्थायी मूल्यों के साथ अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को तेज करना।

(iii) सभी के लिए विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(iv) सभी को समयबद्ध तरीके से सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, देख रेख सुविधाओं, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, आवास एवं सम्पर्क की प्राथमिक न्यनतम सेवायें प्रदान करना।

(v) आबादी की वृद्धि दर को नियन्त्रित करना।

(vi) सामाजिक मेलजोल और सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी के माध्यम से विकास प्रक्रिया की पर्यावरणिक सक्षमता को सुनिश्चित करना।

(vii) सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन एवं विकास के माध्यमों के रूप में महिलाओं और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दूसरे पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को शक्तियाँ देना।

(viii) पंचायती राज संस्थाओं, सहकारिताओं और स्वयं सेवी वर्गों जैसे लोगों की भागीदारी वाली संस्थाओं को बढ़ावा देना और उनका विकास करना।

(ix) आत्मनिर्भरता बनाने के लिए प्रयत्नों को सुदृढ़ करना।

यद्यपि बृहद् आर्थिक व्यवस्था का निष्पादन आठवीं पंचवर्षीय योजना में उचित रूप से अच्छा रहा है, परन्तु कुछ बड़ी कमजोरियां भी उभरकर आयी हैं। विशेषकर, वृद्धि के पैटर्न से गरीबों और कमजोर वर्गों को लाभ नहीं पहुंचा है। नौवीं योजना को इस तरह से तैयार करने की आवश्यकता है कि यह इन कमजोरियों को इस तरीके से दूर करें, जिससे वृद्धि के लाभ गरीबों तक पहुंचने सुनिश्चित हो सके। आठवीं योजना के दौरान देश को अच्छे कृषि मौसम प्राप्त हुए हैं। परन्तु इसकी कृषि क्षमता को बढ़ावा नहीं मिला है। कृषि क्षेत्रक में निवेश, विशेषकर सिंचाई क्षमता को उत्पन्न करने की दिशा में, लक्ष्यों से कम रहे हैं।

नौवीं पंचवर्षीय योजना की वह स्थिति दूर करने के लिए गम्भीर प्रयत्न करने होंगे, जिसके लिए कृषि एवं ग्रामीण आय का स्तर बढ़ाने के लिए ठोस उपाय करने होगें ओर इन्हें उन कार्यक्रमों की दिशा में लक्षित करना होगा, जिनका लक्ष्य छोटे, मझौले और सीमान्त कृषक तथा भूमिहीन श्रमिक हैं। सिंचाई के लिए जल का प्रावधान, भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में व्यापक आधार पर निवेशों का प्रावधान, आधारसंरचना तैयार करने के लिए उचित नीति उपायों द्वारा इनका समर्थन सम्पूर्ण विकास कार्यक्रम के अति महत्वपूर्ण घटक होंगे।

कार्यकुशलता पूर्ण टैरिफ स्तरों को प्राप्त करने सहित आधारभूत आर्थिक सुधारों को तैयार किया जाएगा और प्रभावकारी रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। पूंजी खाता परिवर्तनीयता को प्राप्त करना होगा, जिसे ऐसी परिवर्तनीयता की पूर्वापेक्षाओं की प्राप्ति को सुनिश्चित करके प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा, किये गये पूंजी निवेशों से प्राप्त होने वाले प्रतिफल में सुधान लाने के लिए प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता की घरेलू रूकावटों को दृढ़ निश्चय के साथ दूर करना होगा। यह नीतियां वर्धमान पूंजी उत्पादन अनुपात को कम करेंगी। नौवीं योजना का लक्ष होगा—अर्थव्यवस्था के अवसरंचनात्मक पिछड़ेपन को दूर करना, इसके खेतिहर मजदूरों, छोटे और सीमान्त कृषकों और शिल्पकारों तथा ऐतिहासिक रूप से कमजोर वर्गों के आय स्तरों को निर्णायक रूप से बढ़ाना।

7 प्रतिशत की वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित निवेश दर सकल घरेलू उत्पाद का 28.6 प्रतिशत होगी, जो आधार लाइन में सकल घरेलू उत्पाद के 26.9 प्रतिशत की तुलना में है। यह आईसीओआर में 4.34 प्रतिशत से आधार लाइन परिदृश्य में 4.08 की गिरावट के बावजूद है। जो आठवीं योजना औसत की तुलना में काफी कम है। आईसीओआर में यह गिरावट 2 कारणों से है। पहला यह समझा जाएगा कि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी। इससे पुरानी प्रौद्योगिकी धीरे-धीरे क्रमिक रूप से कम किया जाएगा और औद्योगिक सेक्टरों में इसके फलस्वरूप ऊर्जा एवं सामग्री के संबंध में अधिक किफायत एवं कुशलता प्राप्त होगी। दूसरा सिंचाई, खनन, विद्युत, रेलवे और संचार जैसे पांच आधारभूत सेक्टरों की कार्यकुशलता और उत्पादकता महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेगी ऐसा समझा गया है।

नौवीं योजना में एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया भावी दृष्टिकोण प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत आर्थिक/जननांकीय परिदृश्य जननांकीय के लिए दीर्घकालिक योजनाएं, मानव संसाधन विकास, आधार संरचना, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेक्टर शामिल होगें। इनको सक्षम और जीवित बनाएं रखने की विचारणा महत्वपूर्ण होगी। प्राथमिक कार्य यह प्रदर्शित करता है कि खाद्य सुरक्षा, विविधीकृत घरेलू खाद्य मांग और कृषि निर्यातों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि उत्पादन का सम्पूर्ण विस्तार उत्पादकता के विस्तार से प्राप्त करना होता है, फसल प्रणाली की तीव्रता अथवा सघनता को इस तरीके से बढ़ाना होगा जो पहले कभी नहीं किया गया। इसके लिए आवश्यक भूमि और जल प्रबंध पद्धतियां उस प्रकार की हैं जो पूर्वी एशिया में ऐतिहासिक काल में विकसित की गई थी, जिन्हें हमारे देश में तुरन्त अंतर्राष्ट्रीय करना होगा। जल संसाधनों के लिए भावी योजना से संबंधित एक उच्चस्तरीय आयोग को परिचालन ब्यौरों की जानकारी लेने की आवश्यकता होगी। इसी तरह "विजन 2020" किस्म की प्रक्रियाओं का भी उल्लेख करना होगा। बढ़ते हुए व्यापार की प्राप्ति और जल एवं ऊर्जा जैसे दुर्लभ नवीकरण न करने योग्य संसाधनों पर सहयोग और संचार संरचना पर सहयोग के साथ-साथ इसके पूर्वी और इसकी पश्चिमी सीमाओं के संबंध में व्यापक क्षेत्रों के अंग के रूप में उभरते हुए बहुध्रुवीय विश्व के अंग के रूप में एक भारतीय दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता होगी।

(ग) और (घ) नौवी योजना का एक उद्देश्य पर्याप्त उत्पादक रोजगार उत्पन्न करने और गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना है। दृष्टिकोण पत्र में यह सुझाव दिया गया है कि स्व रोजगार एवं मजदूरी रोजगार वाले चालू कार्यक्रमों को पुनः तैयार किया जाए ताकि उन्हें गरीबी दूर करने के साधनों के रूप में अधिक प्रभावकारी बनाया जा सके और विभिन्न क्षेत्रकीय कार्यक्रमों और पंचायती राज संस्थाओं के संरक्षणाधीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के साथ उनका एकीकरण भी किया जा सके।

गरीबी की समस्या का एक निरन्तर और दीर्घकालिक समाधान विकास एवं आर्थिक वृद्धि के एक व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से पर्याप्त रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने पर निर्भर करता है। यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरूष कामगारों के मामले में श्रम समय बेरोजगारी की दर काफी अधिक बढ़ गई है। अत्यधिक गरीब व्यक्ति श्रम दिवसों के सन्दर्भ में उन्हें उपलब्ध बहुत कम कार्य के अवसरों पर अत्यधिक रूप से निर्भर है। यदि इसमें कमी आती है तो इसके परिणाम काफी गंभीर होते हैं।

जुलाई 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में एक समयबद्ध तरीके से सात प्राथमिक न्यूनतम सेवाओं के सम्पूर्ण कवरेज को प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया गया था। कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद इन कार्यक्रमों के लिए 15 प्रतिशत परिव्यय बढ़ाने की सहमति हुई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना प्रत्येक 5 वर्षों में वास्तविक रूप से इस वचनबद्धता को जारी रखेगी। जहां इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को पारस्परिक परामर्श की प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित किया गया है, वहीं प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्रक के लिए चरणवार लक्ष्य निर्धारित करने के लिए राज्यों को पूर्ण अवसर प्रदान किए गए हैं। इन लक्ष्यों की उपलब्धि की मानीटरिंग राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। यह प्रयास स्थानीय पहलों के साथ राष्ट्रीय वचनबद्धता का एक आदर्श मिश्रण है।

कृषि से सम्बन्धित अवसंरचना, सिंचाई एवं जल योजना, बिजली, रेलवे, संचार एवं आसूचना प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसी दूसरी अवसंरचनाओं के लिए योजना की पद्धति प्राथमिक न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के लिए विकसित पद्धतियों से भिन्न होगी। राज्यों के साथ विस्तृत परामर्श करके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित सुपरिभाषित लक्ष्य के साथ योजनाएं तैयार की जाएगी। निजी क्षेत्रक, सहकारिताओं एवं स्वैच्छिक संगठनों और अन्तराष्ट्रीय निजी निवेशों से अधिक निवेश प्रदान करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रक में नीतियों का पता लगाया जाएगा। फिर भी, इन चुने गए क्षेत्रकों में कमी को सरकारी निवेश के द्वारा पूरा किया जाएगा। उद्देश्यों को राष्ट्रीय रूप से परिभाषित किया जाएगा परन्तु कार्यक्रमों के विकल्प, स्कीमों की चरणवद्धता और समुचित वित्तीय साधन चुनने के लिए राज्यों और स्थानीय सरकारों को काफी अधिक स्वतंत्रता की जाएगी।

(ङ) से (ज) दिनांक 16.1.1997 को आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों ने यह विचार व्यक्त किया कि योजना के प्रभावकारी निष्पादन और विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्ता दी जानी चाहिए जिसके लिए राज्यों के नियन्त्रण में अधिक संसाधनों को रखने की आवश्यकता है। नौवीं योजना, जिसे इस समय योजना आयोग में तैयार किया जा रहा है, दृष्टिकोण पत्र में दी गयी रूपरेखा पर आधारित है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों के विचारों को ध्यान में रखा जा रहा है और इसमें स्कीमों के ब्यौरे और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा को शामिल किया जाएगा।

तारापुर परमाणु विद्युत परियोजनाओं हेतु भूमि

*176. **श्री राम नाईक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तारापुर परमाणु विद्युत परियोजनाओं हेतु भूमि के आंबटन तथा उस परिवार के एक व्यक्ति को जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, रोजगार प्रदान करने संबंधी नीति अपनाई है;

(ख) तारापुर परमाणु विद्युत प्राधिकारियों के पास परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से रोजगार प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन लंबित हैं;

(ग) उन्हें अब तक रोजगार प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे सभी आवेदनों के निपटान हेतु क्या समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा परियोजना हेतु अधिग्रहीत भूमि के परिप्रेक्ष्य में परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 और 4 के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की वजह से जिन व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से पुनर्वास पैकेज तैयार किया जा रहा है। प्रभावित व्यक्तियों को भूमि के बदले भूमि उपलब्ध कराने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। रोजगार के मामलें में विस्थापित परिवारों के पात्र सदस्यों को उनकी उपयुक्तता/योग्यता के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों की हद तक ही प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) से (घ) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने संयंत्र स्थल के लिए जिन सात परिवारों से 1.580 हेक्टेयर भूमि अपने कब्जे में ली है उनके सदस्यों से ग्यारह आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से तीन को रोजगार दे दिया गया है। इसके अलावा, 99 व्यक्तियों जिनकी भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है, को नौकरियाँ दी गई हैं। यद्यपि परियोजना संबंधी वित्तीय संस्वीकृति 1991 में जारी की गई थी, तथापि संयंत्र का निर्माण-कार्य वित्तीय कठिनाई की वजह से शुरू नहीं किया जा सका। शेष भूमि का कब्जा भी नहीं दिया गया है। इसके अलावा उन व्यक्तियों, जो भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित होंगे, को रोजगार देने का काम परियोजना का कार्य शुरू हो जाने के बाद किया जाएगा।

(ङ) इस परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ग "ग" और "घ" श्रेणियों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाती है, बशर्ते की वे पात्रता संबंधी आवश्यकता पूरी करते हों।

एफ.पी.आई. में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

*177. **श्री काशीराम राणा :**
श्री के० प्रधानी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में बहुत सी फास्ट फूड दुकानें खोलने हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देने की कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्वामित्व वाली फास्ट फूड की दुकानें अपने भोजन को सुस्वादु बनाने हेतु उनमें ऐसी चीजें मिला रही है जिन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक समझा जाता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में अब तक ऐसे मामलों

का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे कदाचारों की रोकथाम हेतु अपनाये गये सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ङ) 1991 के औद्योगिक नीति वक्तव्य में उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों जिनमें अन्यों के साथ-साथ प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद शामिल हैं, में विदेशी इक्विटी निवेश की अनुमति है। इस नीति के तहत, 1991 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुलग्नक-3 में दी सूची में दिए उद्योगों को 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी निवेश हेतु स्वतः अनुमोदन प्राप्त है और विदेशी निवेश के जो प्रस्ताव स्वतः अनुमोदन के पात्र नहीं हैं उन पर भी विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड नामक एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाता है तथा उपयुक्त सरकारी स्तर पर अनुमोदित किया जाता है। फास्ट फूड रेस्तराओं की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेश निवेश करने की अनुमति सरकार इसी नीति के तहत देती है। रेस्तराओं की इन शृंखलाओं को मौजूदा कानूनों के दायरे में काम करना होता है। ऐसी खाद्य वस्तुओं जिनमें हानिकारक चीजें मिलाई गई हैं, की बिक्री खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत दण्डनीय है। राज्यों और संघशासित प्रदेशों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता पर नजर रखें और उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करें।

भ्रष्टाचार के मामले

*178. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक कर्मचारियों (सिविल सर्वेन्ट्स) के भ्रष्टाचार में लिप्त होने तथा ज्ञात आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के कितने कर्मचारी इसमें शामिल हैं;

(ग) अखिल भारतीय सेवाओं के कितने अधिकारी भ्रष्टाचार तथा बेईमानी के मामलों में शामिल हैं;

(घ) 1995 तथा 1996 के दौरान क्रमशः ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली तथा सतर्कता द्वारा जांच की गयी और कितने मामलों में मुकदमा चलाने या उन पर विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी;

(ङ) क्या सरकार ने सरकारी कार्यालयों से संबद्ध सतर्कता अनुभागों की कार्यप्रणाली तथा उसकी शक्तियों की समीक्षा की हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (छ) विभिन्न सेवाओं से संबद्ध भारत सरकार के सिविल कर्मचारी, अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों, जो अभियोजन संबंधी कार्रवाई करने तथा अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, द्वारा नियंत्रित होते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, दो सेवाओं अर्थात् भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-I तथा उससे ऊपर) से संबंधित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में भ्रष्टाचार इत्यादि के आरोप की जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकार भी सक्षम है तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा इस मंत्रालय का परामर्श तब लिया जाता है जब मामला मुकदमें की अवस्था में पहुंच जाता है तथा भ्रष्टाचार निवारण-अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत, अपेक्षित मंजूरी लेने की आवश्यकता पड़ती है। आज तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-I तथा उससे ऊपर) के 03 अधिकारियों पर, भ्रष्टाचार-निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत, इस विभाग द्वारा प्रदान की गई मंजूरी के आधार पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-I तथा उससे ऊपर) के 4 अधिकारियों के विरूद्ध नियमित विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सतर्कता की वर्तमान योजना के अनुसार विभाग/संगठन में सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी बनाए रखने का दायित्व, प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव का है तथा सतर्कता-इकाइयां इस कार्य में सचिव की सहायता करती हैं। सचिव/संगठन के अध्यक्ष जब कभी आवश्यक समझते हैं, इन इकाइयों के कार्य की समीक्षा भी करते हैं।

मंत्रालयों का विलय

*179. **श्री के०पी० सिंह देव** :
श्री राम सागर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न विभागों का विलय कर के केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की संख्या कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो विलय किये जाने वाले मंत्रालयों/विभागों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या कुछ विभागों को राज्य सरकारों को अन्तरित किये जाने का प्रस्ताव है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रस्ताव के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, और

(च) इस मामले में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (च) मंत्रालयों के पुनर्गठन/विलय के संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं पड़ा हुआ है। तथापि, केन्द्रीय वेतन आयोग ने, अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव किया है कि कुछ विभागों

को बन्द करके या उनका विलय करके अथवा कुछ कार्य राज्य सरकारों को हस्तांतरित करके केन्द्रीय सरकार की पुनःसंरचना किये जाने की आवश्यकता है। विभागों के विलय के लिये आयोग ने कुछ प्रस्ताव किये हैं जिनका उद्देश्य केन्द्रीय सरकार में कार्य-कुशलता लाना तथा उसके आकार को इष्टतम बनाना है।

वार्षिक योजनाएं

*180. **श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान स्वीकृत की गई वार्षिक योजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

(ख) उपर्युक्त वार्षिक योजनाओं की राज्यवार, वर्ष-वार स्थिति क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जहां स्वीकृत की गई वार्षिक योजना का योजनानुसार कार्यान्वयन नहीं किया गया है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (घ) वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्ययों के राज्यवार ब्यौरे और उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। अधिकांश मामलों में प्रारम्भिक रूप से अनुमोदित परिव्यय की तुलना में संशोधित परिव्यय/व्यय के आंकड़ों का मुख्य कारण सम्बन्धित राज्य सरकारों के अनुमान के अनुसार अपने संसाधनों को जुटाने की उनकी असमर्थता है। राज्यों से इस बात पर जोर दिया गया है कि वे संसाधन उपलब्धता के वास्तविक अनुमान लगाए और योजना के अनुसार संसाधन बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयत्न करें। नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि केन्द्रीय सहायता के स्तर को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना के निर्धारण के लिए राज्य स्वतंत्र होंगे और योजना के आकार के बारे में योजना आयोग के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह आशा की जाती है कि उनके द्वारा निर्धारित योजना आकार को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के बेहतर उत्तरदायित्व और वचनबद्धता को इस प्रणाली से प्रोत्साहन मिलेगा।

विवरण

वार्षिक योजना 1994-95 से 1996-97 मूल रूप से अनुमोदित/संशोधित परिव्यय तथा वास्तविक व्यय—राज्यवार

(करोड़ रु०)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 1994-95			वार्षिक योजना 1995-96			वार्षिक योजना (1996-97)
		मूल रूप से अनु० परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	मूल रूप से अनु० परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2130.00	2170.00	2453.47	3159.00	2510.64	2719.78	2989.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	335.00	333.00	353.36	471.00	439.30	433.26	520.11
3.	असम	1051.00	997.20	1042.83	1418.32	1202.00	1200.15	1436.22
4.	बिहार	2400.00	900.00	916.18	2500.00	972.00	1024.27	2143.91
5.	गोवा	182.00	163.38	157.15	210.00	194.49	197.25	250.44
6.	गुजरात	2240.00	2240.83	2240.83 *	2610.00	2610.00	2610.00 **	3392.27
7.	हरियाणा	1025.00	1019.05	979.36	1250.00	1225.00	1120.06	1433.65
8.	हिमाचल प्रदेश	650.00	666.32	666.75	750.00	835.00	750.00	900.50
9.	जम्मू व कश्मीर	950.00	868.00	868.00 *	1050.00	1053.25	1023.72	1250.00
10.	कर्नाटक	3275.00	2800.00	3004.15	3575.00	3100.00	3100.01	4360.00
11.	केरल	1260.00	1260.60	1260.60 *	1550.00	1563.00	1563.00 **	2207.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	मध्य प्रदेश	2750.00	2253.29	2670.09	2900.00	2572.32	2560.23	3144.80
13.	महाराष्ट्र	4400.00	4758.00	5123.19	5907.00	6408.85	6708.40	8319.67
14.	मणिपुर	240.00	214.50	220.68	300.00	290.42	254.44	350.45
15.	मेघालय	281.00	232.12	179.33	306.52	255.67	231.55	370.40
16.	मिजोरम	207.66	202.53	202.15	227.00	234.00	234.00	281.34
17.	नागालैंड	220.00	84.39	85.85	240.00	195.00	195.00	290.24
18.	उड़ीसा	1951.00	1464.18	1474.47	1650.00	1520.00	1382.27	2205.50
19.	पंजाब	1450.00	1374.46	1419.17	1675.00	1501.83	1501.83	1857.05
20.	राजस्थान	2450.00	2450.00	2450.00 *	3200.00	3200.00	3162.42	3310.49
21.	सिक्किम	195.00	195.00	135.86	192.00	180.82	180.82 **	192.03
22.	तमिलनाडु	2750.00	2750.75	2845.70	3200.00	3200.00	3281.00	3719.05
23.	त्रिपुरा	310.00	244.57	244.57 *	350.00	298.39	298.39 **	370.39
24.	उत्तर प्रदेश	4562.00	3699.84	3699.84 *	5477.50	4027.40	4027.40 **	6549.03
25.	पश्चिम बंगाल	1706.00	1483.31	1483.31 *	2065.00	2082.00	2082.00 **	3158.63

*वास्तविक व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, संशोधित अनुमोदित परिव्यय के आंकड़े लिए गए हैं।

**अनुमानित व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, संशोधित अनुमोदित परिव्यय के आंकड़े लिए गए हैं।

टिप्पणी : 1995-96 तथा 1996-97 के लिए वास्तविक व्यय के आंकड़े सभी उपलब्ध नहीं हैं।

मास्टर प्लान का उल्लंघन

1750. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली मास्टर प्लान-2000 का उल्लंघन करके और दिल्ली शहरी कलां आयोग (डी०यू०ए०सी०) से परियोजना को स्वीकृति मिले बिना जनपथ, नई दिल्ली की अस्थायी दुकानों को दो मंजिला बनाने की अनुमति देने के संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से सूचना एकत्रित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

बिहार में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

1751. श्री आर०एल०पी० वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली पैदा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इनसे पैदा की जा रही बिजली के स्रोतों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली पैदा करने की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(घ) परियोजना-वार और स्रोत-वार तत्संबंध ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) बिहार में अब तक लगभग 228 किवा० सम्यग्र क्षमता के लगभग 14000 स्टेंडलोन और प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों तथा एक 10 किवा० बायोमास गैसीफायरों की स्थापना की जा चुकी है। ये प्रणालियां मुख्यतः रोशनी, जल-पंपन और अन्य विकेन्दीकृत

अनुप्रयोगों के लिए परिनियोजित की गई हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय बिहार सहित राज्यों को विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। बिहार राज्य में 2.45 मेवा० समग्र क्षमता की चार लघु पन विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। प्रत्येक 10 किवा० क्षमता के पांच पोर्टेबल माइक्रो-हाइडिल सैट भी स्थापनाधीन हैं। इसके अतिरिक्त 74 मेवा० की संभाव्यता वाली 56 लघु पन विद्युत परियोजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण और संभाव्यता अध्ययन प्रगति पर हैं। बिहार राज्य मंत्रालय की अग्रगामिनी पहाड़ी पन विद्युत परियोजना में भी भाग ले रहा है जिनको यूएनडीपी/जीईएफ द्वारा आंशिक सहायता दी जा रही है।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में विविधीकरण

1752. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम विद्युत क्षेत्र में विविधीकरण के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए पूर्वी क्षेत्र में किसी स्थल का चयन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (च) जी, हां। इंडियन आयल कारपोरेशन अपनी विविधीकरण योजना के भाग के रूप में रिफाइनरी के अवशेष और पैंदे में स्थिति उत्पादों पर आधारित कुछ विद्युत परियोजनाओं का विकास करने का विचार रखती है। यह योजना है कि इन परियोजनाओं का विकास ऐसे उपयुक्त भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम में किया जाएगा जिनके पास भारी अवशेष पर आधारित अपेक्षाकृत बड़ी परियोजनाओं के विकास की विशेष जानकारी और अनुभव हैं तथा जो विदेशी मुद्रा में पूंजी भी उपलब्ध करा सकेंगे। कुछ परियोजनाएं अध्ययनाधीन हैं परन्तु उन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

झुग्गी-झोपड़ी को हटाया जाना

1753. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 दिसम्बर, 1996 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "एच०सी०पुल्स अप डी०डी०ए० आरडर्स रिमोवल ऑफ टू स्लम कलस्टर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिल्ली नगरपरिषद ने सूचित किया है कि संदर्भित समाचार शीर्षक के मामले, ईस्ट ऑफ कैलाश रेसिडेंट्स वेलफेयर ऐशोशियेशन और अन्य बनाम दिल्ली नगर परिषद और अन्य द्वारा दायर सी डब्ल्यू सं० 632/96 और सी डब्ल्यू सं० 1365/96 से संबंधित है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र बाबत मामला निबटा दिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा दिनांक 14.12.1996 को उच्च न्यायालय के निर्देशन में सी डब्ल्यू सं० 632/96 के तहत तोड़-फोड़ कार्यक्रम किया गया था और अतिक्रमण हटा दिये गये थे। पुनः प्राप्त की गई जमीन पर घेराबंदी कर दी गई है और उस स्थान में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि का सूचना पट लगा दिया गया है। सी डब्ल्यू सं० 1365/96 के संदर्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि दिनांक 26.11.1996 को अन्य मिलती-जुलती रिट याचिका जो उच्च न्यायालय में लंबित है, के साथ इसे जोड़ने से संबंधित आदेश उच्च न्यायालय ने पारित किया था। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र

1754. श्री ललित उरांव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से बिहार में खाद्य प्रसंस्करण हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के केन्द्र स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आठवीं योजना अवधि के दौरान एक विकासात्मक योजना स्कीम चला रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने हेतु सहायता प्रदान करना है। स्कीम राज्यविशेष नहीं हैं। आठवीं योजना के पहले चार वर्षों में देश में 204 ऐसे केन्द्रों इनमें बिहार स्थित 19 केन्द्र शामिल हैं, को स्थापना हेतु सहायता प्रदान की गई है। देश में 58 खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों, इनमें बिहार स्थित 10 केन्द्र शामिल हैं, न पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय स्वयं इन केन्द्रों की स्थापना नहीं करता, बल्कि स्वयंसेवी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों समेत विभिन्न संगठनों को ऐसे केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना

1755. डा० प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाने का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) इसमें बीपीसीएल, आईबीपी तथा असम सरकार की कितनी-कितनी भागीदारी है;

(घ) क्या काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की वनस्पति और जीवजन्तुओं को नुकसान से बचान के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन संबंधी कोई अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां। रिफाइनरी की यांत्रिक पूर्णता दिसंबर 1998 में निर्धारित है।

(ग) एन आर एल में इक्विटी प्रतिभागिता निम्नानुसार है :-

बी पी सी एल	32 प्रतिशत
आई बी पी	19 प्रतिशत
असम सरकार	10 प्रतिशत
निजी शेयर/निजी निवेश	39 प्रतिशत

(घ) और (ङ) रिफाइनरी के लिए पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन मैसर्स राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान (नीरी) द्वारा किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर रिफाइनरी के प्रभाव के संबंध में नीरी द्वारा एक विशेष अध्ययन भी किया गया।

नीरी द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसचार नुमालीगढ़ में रिफाइनरी की स्थापना के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अभिधारण अधिकार

1756. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी के विभिन्न पुनर्वास रिहैबिलिटेशन बाजारों में दुकानों को स्थाई तौर पर अभिधारण अधिकार अंतरित करने के बारे में इस समय सरकार का क्या विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : पुनर्वास मार्किटों में पात्र दुकानदारों अधिकतर दुकानों को मालिकाना अधिकार प्रदत्त कर दिये गये हैं। शेष दुकानों बाबत जहां मालिकाना अधिकार नहीं दिये जा सके, यह निर्णय लिया गया है कि पात्र दुकानदारों को निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों पर मालिकाना अधिकार दे दिये जायें :-

(क) अन्तरण की वास्तविक तिथि के अनुसार परिकलित की गयी भूमि की कीमत आवेदन द्वारा अदा की जायेगी;

(ख) लागत वसूली हेतु केवल दुकान के नीचे की भूमि को लिया जायेगा, और

(ग) के०लो०नि०वि० के सूत्रानुसार ढांचें की लागत आजकल की कीमत में से अवमूल्यन घटाकर परिकलित की जायेगी।

जनसंख्या दबाव कम करना

1757. श्रीमती मीरा कुमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास हेतु दिल्ली में जनसंख्या के दबाव को कम करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड निम्नलिखित के लिए एन०सी०आर० योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के तहत गठित किया गया था।

(i) क्षेत्रीय विकास हेतु योजनाएं बनाने और इसके कार्यान्वयन हेतु समन्वय और मानिटरिंग हेतु तथा

(ii) भू-उपयोग के नियंत्रण हेतु संगत नीति विकसित करना और एन०सी०आर० में अवस्थापना का विकास करना ताकि उसका विकास अव्यवस्थित रूप से न हो।

दिल्ली में आबादी में अभूतपूर्व वृद्धि और जन सुविधाओं में अत्यधिक भार बढ़ जाने के कारण उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एन०सी०आर० योजना बोर्ड ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए 1989 में क्षेत्रीय योजना-2001 बनायी।

(i) दिल्ली में आबादी के दबाव को कम करने हेतु

(ii) अन्तर्राज्यीय क्षेत्र, जिसमें दिल्ली हरियाणा के 6 जिले, उत्तर प्रदेश के 3 जिले और राजस्थान के अलवर जिले का कुछ भाग आता है के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन०सी०आर०) के संतुलित और संगत विकास की उपलब्धि प्राप्त करने हेतु।

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए जिन तीन नीतिगत क्षेत्रों को चुना गया है इस प्रकार है :

(i) नियंत्रित संवृद्धि लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

(ii) संतुलित संवृद्धि हेतु दिल्ली महानगर क्षेत्र

(iii) संभावित संवृद्धि हेतु शेष एन०सी०आर० क्षेत्र क्षेत्रीय योजना के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एन०सी०आर० के उप क्षेत्रों के लिए उपक्षेत्रीय योजनाएं तैयार कर ली गयी हैं और दिल्ली तथा हरियाणा के लिए उप-क्षेत्रीय योजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने का कार्य प्रगति पर है।

क्षेत्रीय योजना की नीतियों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से एन०सी०आर० योजना बोर्ड ने जनवरी, 1997 तक 74 स्कीमों के लिए 274 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

(ख) योजना का कार्यान्वयन बहुक्षेत्रीय दीर्घावधि का कार्यक्रम होने के नाते इस स्थिति में उपलब्धि का अनुमान लगाना बहुत ही शीघ्रता होगी। तथापि, 1981 से 91 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आबादी में 1971-81 की 53% की तुलना में कुछ ही कम अर्थात 51.45% की वृद्धि हुई है।

व्हाइट हाउस का गिराया जाना

1758. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भगवान दास रोड, नई दिल्ली स्थित व्हाइट हाऊस को (31.1.97 को) कितना गिराया गया है;

(ख) क्या दिल्ली में और किसी ऊंचे भवन को अवैध घोषित किया गया है तथा उसे गिराने का आदेश दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) एन०डी० एम०सी० ने बताया है कि लिफ्ट कोर और जीना कक्ष को छोड़कर भवन की ऊपरी मंजिलों से लेकर 10 वें मंजिल तक गिरा दिया है। तथा 9वें तल के 4 बीम तथा 4 स्तम्भ भी नष्ट किए हैं।

(ख) और (ग) एन०डी०एम०सी० द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर एन०डी०एम०सी० क्षेत्र में किसी अन्य ऊंची इमारत को अवैध घोषित नहीं किया गया है।

डीडीए के अनुसार पाये गये सूचित अनधिकृत निर्माण के बारे में दिल्ली विकास अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है। तथापि, डीडीए के क्षेत्राधिकार में किसी क्षेत्र में भवना उपनियमों का व्हाइट हाऊस जैसा उल्लंघन नहीं पाया गया है।

एम०सी०डी० से सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

भूमि का आबंटन

1759. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उन सैन्य कर्मियों को भूमि आवंटित की गई थी जिन्होंने 1965 तथा 1971 में भारत-पाक युद्ध में हिस्सा लिया था;

(ख) दिल्ली में सैन्य कर्मियों को किस प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी तथा यह किन-किन क्षेत्रों में थी;

(ग) क्या भूमि आदेश के आवंटन में ऐसा कोई प्रावधान था कि इसे दूसरों के नाम बेचा अथवा हस्तान्तरित किया जा सके;

(घ) यदि नहीं तो कितने सैन्य कर्मियों को भूमि आवंटित की गई थी तथा उन में से कितनों ने इसे बेच दिया था;

(ङ) क्या जिस भूमि का उपयोग में परिवर्तन नहीं किया गया था नहीं हुआ था उस भूमि पर भवन बन गये हैं; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) वर्ष 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल हुए रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए भूमि आवंटन बाबत कोई नीति नहीं है।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का आवंटन

1760. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए और अधिक गैस आवंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को गैस की कम आपूर्ति किए जाने के कारण राज्य में विद्युत की भारी कमी उत्पन्न हो गई है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां आंध्र प्रदेश सरकार से काकीनाड़ा और जेगुरूपड़ में विद्युत संयंत्रों के लिए आबंटन करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) चूंकि गैस की अनुमानित उपलब्धता का पूर्णतः आबंटन किया जा चुका है इसलिए अतिरिक्त गैस का आवंटन करना व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

(ङ) और (च) गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को गैस की वर्तमान आपूर्तियां उनके लिए आवंटनों के अनुसार है।

अवैध निर्माण

1761. श्रीमती जयवंती नवीन चन्द्र मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संभ्रान्त बस्तियों अर्थात् ग्रेटर कैलाश, मस्जिद मोठ आदि से लगते गांवों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गांव-वार कितने मामलों का पता चला है;

(ग) वस्तुतः कितनी झुग्गी-झोंपड़ियों को हटाया गया है; और

(घ) ऐसे कितने मामले हैं जहां कार्रवाही लम्बित है तथा इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि ग्रेटर कैलाश-I से जुड़ा गांव नामतः जमरूदपुर है। जब कभी भी अवैध निर्माण का पता चलता है/सूचना प्राप्त होती है तो उस क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त अवैध निर्माण के तीन मामलों का भी पता चला है और दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई हेतु दर्ज कर लिए गए हैं। यह सूचना दी गई है कि मस्जिद मोठ के इलाके से जुड़ा कोई गांव नहीं है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1762. श्री टी० गोविन्दन : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण राशि स्वीकृत कर दी है;

(ख) केरल में इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गयी है और कितनी राशि अभी और स्वीकृत की जानी है; और

(ग) तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की तीन योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना नामक तीन योजनाओं के लिए रिलीज स्वीकृत और अब तक न की गई राशि इस प्रकार हैं :-

क्र० सं०	योजना का नाम	रिलीज की गई राशि 1995-96	1996-97	कुल	अब तक रिलीज न की गई राशि
(i)	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	354.55	561.55	619.10	790.97
(ii)	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	90.57	88.71	179.28	240.77
(ii)	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	64.88	9.59	74.47	224.73

(ग) निधियों की रिलीज पूर्व में रिलीज कुल निधियों के पर्याप्त उपयोग/खर्च (कम से कम 50 प्रतिशत) संबंधी राज्यों द्वारा सूचना देने पर निर्भर करता है। उक्त शर्त को पूरा नहीं करने के कारण राज्य के सभी जिलों को पूरी राशि रिलीज नहीं की जा सकी थी।

भारत-खाड़ी बिजली परियोजना

1763. श्री नारायण अठावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी, 1997 के समाचार पत्र "बिजनेस स्टैंडर्ड" में शीर्षक "इण्डोगल्फ पावर प्रोजेक्ट रन्स इन रफ वैदर" समाचार की और खींचा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(घ) इस मामले को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है, और

(ङ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ) जी, हां। वित्तपोषण संबंधी मामले का परियोजना प्रवर्तकों, मैसर्स इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन, जो उत्तर प्रदेश में रोजा ताप-विद्युत परियोजना (567 मे०वा०) का क्रियान्वयन कर रहे हैं, तथा उनके वित्तपोषकों के मध्य समाधान किया जाना है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) ने 11.12.96 और 24.2.97 को प्रवर्तकों के प्रस्ताव पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु विचार किया। प्रवर्तकों तथा राज्य सरकार से कुल निवेश प्राप्त न होने की वजह से परियोजना की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति आस्थागित हो गई थी।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत

1764. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत को पेट्रोलियम और तेल उत्पादों, विशेषकर पेट्रोल, डीजल मिट्टी के तेल और "एविशन टरबाइन फ्यूअल, की कीमतों के साथ किस प्रकार संबद्ध किया गया था;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय दर पर कच्चे तेल की लागत के संबंध में अवतरण मूल्य और स्वदेशी मूल्य पर तैयार उत्पादों की लागत का निर्धारण करने में किस मूल्य तंत्र का पालन किया गया;

(ग) क्या बन्दरगाह पर अवतरण मूल्य पर आधारित कच्चे तेल और तैयार उत्पादों की दोहरी मूल्य प्रणाली की तेल शोधन स्थल पर लागत मूल्य के बराबर किया जा रहा है ताकि ऊंची लागत वाले आयातित उत्पादों की तुलना में स्वदेशी उत्पादों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जा सके; और

(घ) क्या गत दो वर्षों के दौरान ऊपर उल्लिखित प्रणाली के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल मिट्टी के तेल और एविएशन टरबाइन फ्यूअल के लिए लाभ को उत्पादवार पूल खाने में अंतरित कर दिया गया था ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण, तेल लागत पुनरीक्षा समिति, 1984 द्वारा यथा संशोधित तेल मूल्य समिति, 1976 की सिफारिशों पर आधारित है। स्वदेशी तथा आयातित क्रूड के समामेलित एफओवी मूल्य से विभिन्न उत्पादों के मूल्यानुमान के लिए आधार तैयार होता है। वहनशुल्क, सीमा शुल्क, शोधन उपान्त इत्यादि को समामेलित एफ ओ वी मूल्य के साथ जोड़ा जाता है तथा उत्पादों के संबंध में अवधारण मूल्य पूर्वनियम सापेक्ष सूचियों के आधार पर आकलित किए जाते है। अवधारण मूल्यों का भारित औसत, तैयार उत्पादों के रिफाइनरीगत मूल्य प्रस्तुत करता है। भण्डार बिन्दुगत मूल्य, जो कि सभी प्राथमिक मूल्य निर्धारण बिन्दुओं पर एक जैसा होता है, को आकलित करने के लिए विपणन लाभ, लागत एवं भाड़े के प्रति अधिभारों तथा उत्पाद मूल्य समायोजकों को जोड़ा जाता है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य सरकार द्वारा पूल लेखा प्रक्रम के जरिए प्रशासित किए जाते हैं। मूल्य संरचना के अंतर्गत क्रूड के समामेलित एफ ओ बी मूल्य तथा आयातित एवं स्वदेशी क्रूड की वास्तविक लागत के बीच के अंतर को पूल लेखे में समायोजित किया जाता है। इसी प्रकार आयातित उत्पादों की उतराई लागत तथा संबंधित पेट्रोलियम उत्पादों के लिए रिफाइनरीगत मूल्य के बीच के अंतर को पूल लेखे के अंतर्गत समायोजित किया जाना है।

नये निर्माणों पर प्रतिबंध

1765. श्री ओ०पी० जिन्दल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "न्यूटीन बंगलों जोन" में किसी प्रकार का नया निर्माण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रतिबंधों की समीक्षा हेतु तथा इन प्रतिवंधों में संशोधन/परिवर्तन सुझाने हेतु मंत्रालय द्वारा किसी समिति का गठन किया गया था;

(ग) क्या इस समिति को पांच वर्ष पूर्व ही अपनी सिफारिश प्रस्तुत करनी थी परन्तु आज तक इसकी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार "न्यूटीन बंगलो जोन" और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में लागू वर्तमान उप-नियमों के अनुसार तथा उक्त जोन के परिसर में निर्माण की अनुमति देने का है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां। सरकार ने ल्यूटीन बंगला जोन के विलक्षण स्वरूप को बनाए रखने के लिए जिसमें आज भी हरित क्षेत्रों और बंगलों की भरमार है, 1988 में दिशा-निर्देश जारी किए थे।

(ख) सरकार ने ल्यूटीन बंगला जोन के सीमा चित्रांकन और विकास संबंधी मूद्दे को निपटाने के लिए सितम्बर, 1992 में मुख्य नियोजक, नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

(ग) समिति ने फरवरी, 1993 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जिन पर सरकार द्वारा विचार किया गया और अक्तूबर, 1993 में निर्णय लिया गया कि फरवरी, 1988 में जारी दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाये।

(घ) एन०डी०एम०सी०, डी०डी०ए० एवं एम०सी०डी० को निर्देश जारी किए गए हैं कि भवन क्षेत्र के भीतर ल्यूटीन बंगला जोन में निर्माण की अनुमति दी जाए क्योंकि दिशा-निर्देशों में कुर्सी क्षेत्र के बारे में कोई पाबंदी नहीं है बशर्ते कि दिशा-निर्देशों, मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी की जाएं।

[हिन्दी]

शुष्क टायलेटों को फ्लश वाले टायलेटों में बदलना

1766. श्री सुशील चन्द्र : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शुष्क टायलेटों को फ्लश वाले टायलेटों में बदलने में पर्याप्त सफलता न मिल पाने के कारणों का पता लगा लिया है;

(ख) ऋण और राज सहायता की सुविधा के बावजूद कोई सफलता न मिल पाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या 12 लाश शुष्क टायलेटों में से केवल 5 लाख टायलेंटों को ही आधुनिक टायलेटों में बदला जा सका है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक टायलेटों के निर्माण के लिए पूर्व में प्रदान की गई राज सहायता को केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तक ही सीमित कर दिया है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार राज सहायता की पुरानी योजना को पुनः बहाल करने का है ताकि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को आधुनिक टायलेटों की सुविधा का लाभ मिल सके ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने की स्थिति और प्रगति पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 5 अगस्त, 1996 को हुई बैठक में विचार विमर्श किया गया था। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई शौचालय नहीं है या उनकी संख्या बहुत ही कम है। शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलना केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है।

(घ) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

संवर्ग समीक्षा

1767. श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सिक्किम संवर्ग की भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा की तुरन्त समीक्षा करेगी;

(ख) सिक्किम राज्य में विगत में इस तरह की समीक्षा कब की गई थी;

(ग) क्या सरकार ने सिक्किम की जनता की ओर से तुरन्त संवर्ग समीक्षा किए जाने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है; और

(घ) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) सिक्किम संवर्ग की भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा की अंतिम संवर्ग समीक्षा क्रमशः 26.4.1993, 6.6.1991 तथा 28.10.1987 को अधिसूचित की गई थीं। साधारणतया संवर्ग नियमों के अंतर्गत संवर्ग समीक्षाएं प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में की जाती हैं।

तदनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा की संवर्ग समीक्षा अप्रैल, 1998 में ही होनी है। भारतीय पुलिस सेवा की संवर्ग समीक्षा जून, 1996 में की जानी थी परन्तु राज्य सरकार ने आगामी 5 वर्षों के लिए विद्यमान संवर्ग पद संख्या में कोई परिवर्तन करने से मना कर दिया है अतः कोई संवर्ग समीक्षा आवश्यक नहीं है। भारतीय वन सेवा की संवर्ग समीक्षा अक्तूबर, 1992 में की जानी थी तथा संवर्ग समीक्षा के प्रस्तावों पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कार्यवाही की जा रही है।

(ग) और (घ) इस संबंध में राज्य सरकार तथा संबंधित व्यक्तियों और एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं तथा सरकार द्वारा इन पर विचार किया जाता हैं

दुकानों का आवंटन

1768. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या प्रधान मंत्री दुकानों के आवंटन के बारे में 4 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1781 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमपुरी के सी०एस०सी० ब्लाक ए तथा बी और अन्य विपणन केन्द्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित खाली पड़ी प्रत्येक दुकानों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक दुकान का निर्धारित मूल्य क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित इन खाली पड़ी दुकानों को निर्धारित मूल्य पर अनुसूचित जाति/अनुसू० जनजाति के उन व्यक्तियों को प्रायमिकता के आधार पर आवंटित करने का है जिन्होंने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण ले रखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को निर्धारित कीमत पर आवंटित किए जाने के लिए पश्चिमपुरी के ब्लाक "ए" तथा "बी" के सी०एस०सी० में निम्नलिखित दुकानें रिक्त हैं :-

ब्लाक सं०	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों को आवंटित करने के लिए रिक्त दुकानों की सं०
ब्लाक "ए" जनता हाऊस	2 (5 व 10)
ब्लाक "बी"	6 (7, 8, 11, 14, 15 व 17)

प्रत्येक दुकान की पूर्व नियत कीमतें आवंटन के समय निर्धारित की जाती है।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की वर्तमान नीतियों के अनुसार दुकानें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों को पूर्व नियत निर्धारित कीमत पर आवंटित की जाती है।

अतिक्रमण

1769. श्री अमर राय प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित उन सरकारी कालोनियों के नाम क्या है जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा भूमि एवं विकास कार्यालय से भूमि खरीदकर धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया था;

(ख) ऐसी कालोनियों के नाम क्या हैं जिनमें सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से धार्मिक स्थलों और दुकानों का निर्माण किया गया था; और

(ग) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) भूमि तथा विकास कार्यालय ने निम्नलिखित सरकारी कालोनियों में धार्मिक स्थानों में भूमि आवंटित की है :- डी०आई०जैड० एरिया, आराम बाग, पिन्टो रोड, तिमारपुर, आर०के० पुरम, नेताजी नगर, सरोजिनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, किदवई नगर (पूर्वी), अलोनंज, लोदी रोड, त्यागराज नगर, श्रीनिवासपुरी और एम०बी० रोड।

(ख) जिन सरकारी कालोनियों में सरकारी भूमि पर धार्मिक स्थलों और दुकानों का अनधिकृत निर्माण किया गया है उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अतिक्रमणों को हटाना एक सतत प्रक्रिया है। लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

उन कालोनियों के नाम जिनमें धार्मिक स्थल और दुकानों का अनधिकृत रूप से निर्माण किया गया

1. बसंत विहार
2. मोहम्मद पुर
3. आर०के० पुरम
4. नानकपुरा
5. मोतीबाग
6. चाणक्यपुरी
7. नेताजी नगर
8. किदवई नगर
9. पूर्वी लक्ष्मीबाई नगर
10. अलीगंज
11. नारीजी नगर
12. सरोजनी नगर
13. पुष्प विहार
14. एन्ड्रुगंज
15. सादिकनगर
16. कस्तूरबा नगर
17. त्यागराज नगर
18. भारती नगर
19. एम०एस० अपार्टमेंट के०सी० मार्ग
20. गोल मार्किट/डी०आई०जैड क्षेत्र
21. तिमारपुर
22. देव नगर
23. मिन्टो रोड क्षेत्र
24. पीतमपुरा
25. मायापुरी
26. सेक्टर 4 डी०आई०जैड क्षेत्र
27. आराम बाग
28. लोदी रोड सी०जी०ओ० काम्पलैक्स
29. आई०एन०ए० कालोनी
30. नेहरू नगर
31. एम०बी० रोड
32. श्रीनिवासपुरी

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बिजली का संकट

1770. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति में नियमित रूप से कटौती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को लिफ्ट पम्पिंग स्टेशनों के बंद हो जाने के कारण इस क्षेत्र में पीने के पानी के संकट की जानकारी है, और

(घ) इस क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ) पहाड़ी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का है। इस राज्य में विद्युत उपलब्धता को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिनमें ये उपाय समाविष्ट हैं—विद्यमान क्षमता से उत्पादन को अधिकतम करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना तथा प्रभावी भार प्रबंधन।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा अधिनियम

1771. श्री मुख्तार अनीस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी फर्मों और विदेशी फर्मों द्वारा परमाणु विद्युत रिएक्टर की स्थापना की अनुमति देने हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम संशोधित करने का है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि परमाणु विद्युत रिएक्टरों की स्थापना दर विकासशील देशों में घटी है;

(ग) क्या परमाणु बिजली की उत्पादन लागत की तुलना पन बिजली की लागत से की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की मदद के क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) भारत सरकार परमाणु विद्युत क्षेत्र में निजी फर्मों, भारतीय अथवा विदेशी, द्वारा हिस्सा लेने के संबंध में विशिष्ट प्रस्तावों के लिए तैयार है। जब ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होंगे तब उन पर तकनीकी दृष्टि से उपयोगी होने, आर्थिक दृष्टि से आकर्षक होने और उससे जुड़ी शर्तों

के आधार पर विचार करना होगा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन करने के संबंध में उचित समय पर विचार किया जाएगा।

(ख) जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देश एक बड़े परमाणु विद्युत कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तथापि, संयुक्त राज्य अमरीका और पश्चिमी यूरोप में इसके विकास की गति मुख्यतः ऊर्जा की मांग में संतृप्ति आ जाने और ऊर्जा संरक्षण उपायों के कारण धीमी हो गई है। विश्व में परमाणु विद्युत की क्षमता में वृद्धि हो रही है विशेषकर एशियाई क्षेत्र के देशों में।

(ग) भारत में परमाणु विद्युत संयंत्रों से बिजली के उत्पादन पर आने वाली लागत की तुलना कोयले से चलने वाले उन ताप बिजलीघरों में उत्पादित बिजली की लागत से की जा सकती है जो कोयले की खानों के मुहानों से लगभग 1000-1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति हैं। परमाणु विद्युत संयंत्रों से होने वाले विद्युत-उत्पादन की लागत के संयंत्र के कार्य-काल की अवधि के बीतने के साथ-साथ ईंधन भरण की लागत के पर्याप्त रूप से कम हो जाने के कारण ताप-विद्युत संयंत्रों की उत्पादन लागत के साथ क्रमशः प्रतिस्पर्धात्मक होते जाने की आशा है। हाइडल उत्पादन की लागत परमाणु और ताप विद्युत उत्पादन की तुलना में कम है।

(घ) परमाणु विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश से दाबित भारी पानी रिएक्टर की प्रौद्योगिकी के अलावा अन्य नई प्रौद्योगिकियों के आने की सुविधा हो जाएगी और इससे इस क्षेत्र में विदेशों से धन जुटाने की संभावना भी हो जाएगी।

विस्तारयोग्य आवास योजना

1772. डा० अरविन्द शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने "विस्तारयोग्य आवास योजना, 1996" के अंतर्गत मकान आवंटित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन मकानों के आवंटन के लिए "ड्रा" कब तक किया जायेगा ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि विस्तारयोग्य आवास योजना, 1996 के अन्तर्गत मकानों के आवंटन के लिए ड्रा मार्च, 1997 में निकाले जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

1773. श्री जयसिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्थापित परमाणु ऊर्जा के संवर्द्धन के लिए कोई नया परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 के प्रस्तावों में रुसी परिसंघ के तकनीकी सहकार से कुडानकुलम (2x1000 मेगावाट) परियोजना के अलावा 500 मेगावाट के दो यूनिट तारापुर-3 और 4, 220 मेगावाट के दो यूनिट कैगा-3 और 4 का निर्माण-कार्य शुरू करने की परिकल्पना की गई है। नवीं योजना अवधि के अंत तक एक 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) का भी प्रारंभिक कार्य शुरू करना प्रस्तावित है। 300 मेगावाट की क्षमता वाले राजस्थान परमाणु बिजलीघर (आरएपीएस-1 और 2) जिसमें इस समय बड़े स्तर पर अनुरक्षण-कार्य किया जा रहा है, का प्रचालन 1997-98 के दौरान फिर से शुरू कर दिए जाने की आशा है। 880 मेगावाट की नई विद्युत उत्पादन क्षमता जिसमें 220 मेगावाट की क्षमता वाले दो यूनिट कर्नाटक में कैगा में और राजस्थान में रावतभाटा में, शामिल हैं, के 1998-99 के दौरान चालू हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

रसोई गैस का मूल्य

1774. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक उपयोग के लिए रसोई गैस का मूल्य निर्धारित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पूरे देश से रसोई गैस के वाणिज्यिक प्रयोक्ताओं से अपने निर्णय की समीक्षा करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार रसोई गैस के वाणिज्यिक प्रयोक्ताओं में असंतोष के कारण इसकी कीमतें कम करने पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) खाना पकाने वाली गैस (एलपीजी) का वाणिज्यिक उपयोग हेतु मूल्य, आयात समतामूल्यता आधार पर नियत किया जाता है। वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित एलपीजी के मूल्य में हुई हाल ही की वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी मूल्यों की वृद्धि के कारण है।

(घ) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विद्युत संयंत्र

1775. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन रिफाइनरी द्वारा 500 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) क्या इसे स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) सरकार ने केरल में एरनाकुलम जिलान्तर्गत अंबालामुगल में 500 मेगावाट क्षमता वाले विदयुत उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए 1.75 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा घटक सहित 2.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु कोचीन रिफाईनरीज लिमिटेड को 28.2.97 को प्रथम चरण का अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

तेलशोधक कारखानों में चोरी

1776. **श्री विजय पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बरौनी तेलशोधक कारखाने में विभिन्न स्तरों पर बड़ी मात्रा में तेल की चोरी होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इससे सरकार को कितनी राशि की हानि हो रही है; और

(ग) क्या सरकार का इस चोरी को रोकने हेतु तत्काल कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन के अनुसार बरौनी-रिफाइनरी से तेल की कोई चोरी नहीं हो रही है। इंडियन आयल कारपोरेशन के पास रिफाइनरी परिसरों से सभी पेट्रोलियम उत्पादों की लदान तथा प्रेषण की सघन निगरानी समेत जांचों और तौलों के संबंध में एक प्रभावी तरीका है। इसके अलावा चोरी की रोकथाम सहित सुरक्षा के लिए रिफाइनरी परिसरों में सीआईएसएफ कर्मचारियों का एक पूरा दस्ता काम पर लगाया जाता है।

यूरेनियम के भण्डारों की खोज

1777. **श्री सौम्य रंजन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिकों ने हाल ही में किन राज्यों में यूरेनियम के भण्डारों का पता लगाया है;

(ख) यूरेनियम का खोज कार्य किन-किन स्थानों पर शुरू हो गया है;

(ग) उनमें से अब तक कुल कितना यूरेनियम निकाला गया है;

(घ) क्या सरकार का यूरेनियम की खोज के लिए और अधिक आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) यूरेनियम भंडारों का पता लगाने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य पूरे देश में किया गया। हाल ही में जिन राज्यों और स्थलों पर यूरेनियम भंडारों के उपलब्ध होने के आशाजनक संकेत मिले हैं, वे ये हैं :-

1. मेघालय–जिला पश्चिमी खासी हिल्स में दोमियासियात के निकट।
2. आंध्र प्रदेश–नालगोंडा, गुन्टुर, कुड्डपा और चित्तूर जिलों के कुछ क्षेत्र।
3. उत्तर प्रदेश–सोनभद्र जिले में नक्तु-कुदार।
4. गुजरात–पंचमहल जिले में गारूमल।
5. राजस्थान–चित्तौड़गढ़ जिले में पुथोली।
6. कर्नाटक–गुलबर्गा जिले में गोगी।

(ग) से (ङ) इन क्षेत्रों में से कहीं से भी अभी तक यूरेनियम का दोहन नहीं किया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग पहले से ही यूरेनियम के पूर्वेक्षण हेतु उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों को काम में लाकर सुदूर संवेदन, वायुयान द्वारा लिए चित्रों के अध्ययन, वायुवाहित गामा-किरण और चुम्बकीय सर्वेक्षण आदि जैसी आधुनिक बहु-विषयक, तकनीकों को काम में ला रहा है। परमाणु खनिज प्रभाग की नौवीं पंचवर्षीय योजना में बेहतर उपस्करों जैसे कि वायुवाहित चुम्बकीय आंकड़े इकट्ठे करने के लिए सीजियम वाष्प चुम्बकत्वमापी, भू-तल सर्वेक्षणों के लिए अल्प-स्थाई इलैक्ट्रो चुम्बकत्वमापी, कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए सार्वभौम अवस्थिति निर्धारण प्रणाली आदि, के जरिए आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है।

चित्रों का प्रदर्शन

1778. **श्री परसराम भारद्वाज**
श्री छीतूभाई गामित :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर के न्यायालयों में और राष्ट्रीय महत्व वाले भवना में देश भक्तों के चित्रों का प्रदर्शन करने हेतु चयन करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश राज्यों अथवा केन्द्र सरकार का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय ने, जो इस विषय को देख रहा है, सूचित किया है कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रीय नेताओं के

चित्र/फोटाग्राफ लगाने के बारे में कोई अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। कार्यालय परिसरों/कमरों में कोई चित्र/फोटोग्राफ लगाया जाए या नहीं और यदि लगाया जाए तो किस नेता का यह करने संबंधी मसला विभागाध्यक्षों पर छोड़ दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन चित्रों को लगाने को लेकर कोई विवाद उत्पन्न न हो।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय नीति

1779. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :
डा० जी०आर० सरोदे :
श्री शरत पटनायक :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण संबंधी राष्ट्रीय नीति को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास सरकार की औद्योगिक नीति के व्यस्यक मानदंडों के अंतर्गत किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के त्वरित विकास हेतु विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए नए नीतिगत उपायों के विकास हेतु एक रूपरेखा तैयार की गई है। इस बारे में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी। इस पर आगे और कार्रवाई करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) और (घ) पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर 1991 की नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति समाप्त कर दी गई है जबकि चार्टर नीतियों को पहले ही क्रमिक आधार पर समाप्त किया जा रहा है। एक नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति तैयार करने हेतु भी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

[अनुवाद]

समान भाड़ा प्रणाली

1772. श्री बीर सिंह महतो :
श्री चित्त बसु :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि रेल की समान भाड़ा प्रणाली पूरे देश में लागू की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में इस्पात बनाने वाले कारखाने के इस्पात का रेल भाड़ा 1900 रुपये प्रति टन और महाराष्ट्र और गुजरात में केवल 900 रुपये प्रति टन है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इन विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है।

हाई रेंज कम्प्यूटरों की सप्लाई

1781. श्री तरित वरण तोपदार :
श्री बसुदेव आचार्य :
डा० असीम बाला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने संयुक्त राज्य अमरीका के मैसर्स के रिसर्च को मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए हाई रेंज कम्प्यूटरों की सप्लाई करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वदेशी कम्पनी को इसकी अनुमति न देने का क्या कारण है, और

(ग) स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या नीति है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) जी नहीं। विदेशी पूंजीनिवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने ग्राहकों को हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर सहायता प्रदान करने और अपने उत्पादों एवं सेवाओं को बढ़ावा देने के प्रयोजन से 35 लाख रुपए के पूंजीनिवेश से भारत में एक शत प्रतिशत सहायक कम्पनी स्थापित करने के लिए केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स के रिसर्च इन्कार्पोरेटेड के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

(ग) देश में इलेक्ट्रॉनिकी उद्यागों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए नीतिगत उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी संगठनों में सरकारी सहायता से उच्च कार्य क्षमता के कम्प्यूटरों का विकास स्वदेश में किया गया है, जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इन विकास कार्यों को समुचित नीतिगत उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित किए जाने का विचार है।

विवरण

इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. नीतिगत उपाय करके जैसा कि स्थापना-स्थल संबंधी सीमाओं से छूट देना, लाइसेंसिंग समाप्त करना, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम समाप्त करना तथा पूंजीनिवेश का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति (एमआरटीपी) अधिनियम में संशोधन करना।

2. आयातित पूंजीगत वस्तुएँ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए आयात-निर्यात नीति का उदारीकरण, मूल्य पर आधारित ऊन्नत लाइसेंसिंग योजना आदि।

3. वित्तीय एवं कर संबंधी नीति को विशेष रूप से शुल्क के ढांचें, निगमित कराधान आदि के क्षेत्र में तर्कसंगत बनाना।

4. सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना शुरू करना जो ऐसे लघु सॉफ्टवेयर गृहों को मूल संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराती है जो निर्यात बाजार में प्रवेश करने के इच्छुक हैं। इस योजना के अंतर्गत निजी एसटीपी भी स्थापित किए जा सकते हैं जो बड़ी कम्पनियों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के आयात आदि के लिए उपलब्ध कराई गई शुल्क मुक्त सुविधाओं का लाभ उठाते हुए किए जा सकते हैं।

5. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना (ईएचटीपी) शुरू करना जिसे विश्वव्यापी इलेक्ट्रानिकी सेक्टर की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तैयार किया गया है। इससे एक लचीली नीति का परिवेश उपलब्ध होगा, जिससे काफी सरलता से व्यापार किया जा सकेगा और विशाल भारतीय घरेलू बाजार का व्यावसायिक क्षमता का लाभ प्राप्त होगा, जो देश में निर्यात उत्पादन के लिए प्रोत्साहनदायक होगा।

6. पूंजीनिवेश तथा प्रौद्योगिकी के लिए विदेशी सहयोग को प्रोत्साहन देना। इसमें उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% की विदेशी साम्यापूंजी तक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन तथा ऐसे उद्योगों में भुगतानों की निश्चित उच्चतम सीमा सहित विदेशी प्रौद्योगिकी करारनामों के लिए स्वतः अनुमति शामिल है।

7. भारत में पूंजीनिवेश करने के लिए प्रवासी भारतीयों तथा मूलतः प्रवासी भारतीयों के स्वामित्वाधीन विदेशी कॉपोरेट निकायों को प्रोत्साहन देना। इसमें प्राथमिकता वाले उद्योगों में 100% तक साम्यापूंजी के लिए स्वतः अनुमोदन शामिल है।

8. भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं की गुणवत्ता में संवर्धन के लिए मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रसाणन (एसटीक्यूसी) कार्यक्रम नामक एक गुणवत्ता पूर्ण मूलसंरचनात्मक सुविधा कार्यक्रम का क्रार्यान्वयन।

9. देश में तथा विदेशों में सेमिनारों, प्रदर्शनियों, व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल आदि में भाग लेना तथा उन्हे प्रायोजित करना।

10. भारतीय सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए एक सॉफ्टवेयर सेवा सहयोग तथा शिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।

राज्य विद्युत बोर्डों को कोयले का आवंटन

1782. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री विजय पटेल :
श्री दिलीप संघानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों को कोयला आवंटित किए जाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा क्या मानदंड अपनाये जाते हैं, और

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अन्य कृत्य क्या हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) विद्युत संयंत्रों को कोयले के लिंकेजों का निर्धारण उत्पादन लक्ष्य के आधार पर किया जाता है। "भुगतान करो और ले जाओ" स्कीम के आरंभ के साथ, हो, किसी विद्युत संयंत्र को कोयले को वास्तविक आपूर्ति, कोयले की आपूर्ति और ढुलाई के लिए संबंधित कोयला-खानों तथा रेलवे को किए गए अग्रिम भुगतानों पर निर्भर करती हैं।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सभी तकनीकी, वित्तीय और आर्थिक मामलों में विद्युत मंत्रालय की सहायता करता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा निम्नवत् है :-

1. विद्युत विकास के लिए अल्पकालीन एवं संदर्शी योजनाएं तैयार करना तथा एक ठोस पर्याप्त और एक समान राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार करना और राष्ट्रीय विद्युत संसाधनों के समुपयोजन एवं नियंत्रण के संबंध में नियोजनकर्ता एजेंसियों के क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना।

2. राज्य सरकार या बोर्ड और लाइसेंसधारी या दूसरे व्यक्ति के मध्य उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, जैसाकि अधिनियम में प्रावधान किया गया है।

3. विद्युत के उत्पादन वितरण और समुपयोजन से संबंधित आंकड़ें एकत्रित करना और उनका रिकार्ड रखना और लागत, कार्यकुशलता, हानियों, लाभों तथा इसी प्रकार के मामलों के संबंध में अध्ययन कार्य करना।

4. अधिनियम के अंतर्गत जनता को समय-समय पर सूचनाओं से अवगत कराना तथा रिपोर्ट के प्रकाशन और जांच कार्य हेतु सूचनाएं उपलब्ध कराना।

5. विद्युत के उत्पादन या आपूर्ति में लगे हुए राज्य सरकार, बोर्ड दूसरी एजेंसी की विद्युत उत्पादक कंपनी को ऐसे मामलों में सलाह प्रदान करना जो इन सरकारों, बोर्ड, विद्युत उत्पादन कंपनी या एजेंसी को उन्नत तरीके से और जहां आवश्यक हो उसकी विद्युत प्रणाली पर नियंत्रण रखने वाली दूसरी एजेंसी के साथ समन्वयन स्थापित करके अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाली विद्युत प्रणाली का प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्य करने में सक्षम बनाएगी।

6. अधिनियम के अध्याय-5 के अंतर्गत स्कीमों को समय से पूरा करने में सहायता व प्रोत्साहन करना।

7. विद्युत उत्पादन और आपूर्ति में लगे हुए व्यक्तियों की कार्यकुशलता बढ़ाने की व्यवस्था करना।

8. विद्युत का उत्पादन या पारेषण करने के उद्देश्य से किसी प्रकार की जांच कार्य हेतु व्यवस्था या जांच कार्य करना।

9. विद्युत उत्पादन पारेषण और आपूर्ति को प्रभावित करने वाले मामलों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना।

10. केन्द्रीय सरकार को किसी भी मामले पर जिस संबंध में सलाह हेतु अनुरोध किया गया है, सलाह प्रदान करना या किसी भी मामले पर सरकार को सिफारिशें भेजना यदि प्राधिकरण के विचार में यह सिफारिशें विद्युत उत्पादन, वितरण तथा विद्युत समुपयोजन में सुधार लाने में सहायक होंगे।

11. ऐसे के अन्य कार्यों का निष्पादन करना जैसा भी प्राधिकरण को सौंपा जाए। अथवा किसी अन्य कानून के अंतर्गत सौंपे गए कार्य।

12. विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कार्य में कुछ और वृद्धि की है ये निम्न प्रकार हैं :-

(क) विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों के मध्य समन्वयन स्थापित करना।

(ख) धारा 5 के अंतर्गत गठित राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना और विद्युत उद्योग में टैरिफ ढांचे का विश्लेषण समेत विद्युत उद्योग के आर्थिक एवं वाणिज्यिक पहलुओं से संबंधित अध्ययन कार्य करना।

- विद्युत परियोजनाओं का तकनीकी, आर्थिक दृष्टि से अनुमोदन करना।
- अंतःराज्यीय तथा संयुक्त क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं का संवर्द्धन।

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निहित उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त के०वि०प्रा० स्वदेशी तकनीकी जानकारी को विकसित करने के उद्देश्य से विद्युत परियोजनाओं को डिजाइन एवं इंजिनियरी कार्य भी करता है तथा सहायता मांगने वाली राज्य बिजली बोर्डों, विद्युत उत्पादन कंपनियों एवं राज्य प्राधिकारियों को सहायता भी प्रदान करता है।

स्वच्छ पेयजल

1783. कर्नल सोना राम चौधरी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओवरहैड टैंकों, ग्राउंड लेवेल टैंकों, पानी की पाइपें बिछाने और अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करने पर करोड़ों रूपए खर्च करने के बाद भी, अभी तक अनेक गांवों और बस्तियों में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ख) क्या जल के कुछ पुराने स्रोत पानी की कमी/जल स्रोतों के सूख जाने की वजह से उपयोग योग्य नहीं रह गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य भूमिजल बोर्ड की सहायता से अतिरिक्त जल स्रोत बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के विचाराधीन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा जैसलमेर जिले में जल लाने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अब तक कितने गांवों को पर्याप्त स्वच्छ पेय जल उपलब्ध नहीं कराया गया है और राज्यवार सभी गांवों और बस्तियों को कब तक स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करा दिया जाएगा ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) देश भर की कुल 13.20 लाख बस्तियों में से कवर न की गई 53409 बस्तियों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराना बाकी है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने कवर न की गई बस्तियों में वैज्ञानिक स्रोत का पता लगाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान कर दी है। 13.2.97 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ हुई बैठक में राज्यों से कहा गया है कि वे केन्द्रीय भूजल बोर्ड की सहायता हासिल करें। इस कार्य के लिए राज्यों द्वारा अपने भूजल विभाग की सेवाएं भी ली जाएंगी।

(ङ) राजस्थान की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाडमेर नगर सहित जैसलमेर ओर बाडमेर नगर जिले के क्रमशः 147 एवं 411 गांवों को पेयजल मुहैया कराने हेतु बाडमेर लिफ्ट नामक एक लिफ्ट परियोजना लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई थी। हांलाकि गदरा रोड़ माइनर तथा नर्वदा परियोजना में जल की संभावित उपलब्धता को ताजा स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना में संशोधन किया जा रहा है।

(च) कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इनको सन् 2000 ईस्वी तक स्वच्छ पेयजल को सुविधा मुहैया करा दिए जाने की संभावना है।

विवरण

कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर न की गई बस्तियां	आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	15757
2.	अरूणाचल प्रदेश	790	1431
3.	असम	10918	23701
4.	बिहार	6816	19904
5.	गोवा	40	2
6.	गुजरात	436	7467

1	2	3	4
7.	हरियाणा	0	1299
8.	हिमाचल प्रदेश	4295	12311
9.	जम्मू व कश्मीर	727	9988
10.	कर्नाटक	4174	18139
11.	केरल	495	7052
12.	मध्य प्रदेश	2047	17464
13.	महाराष्ट्र	22	10566
14.	मणिपुर	268	846
15.	मेघालय	738	1874
16.	मिजोरम	10	148
17.	नागालैंड	354	732
18.	उड़ीसा	4500	7291
19.	पंजाब	5230	336
20.	राजस्थान	8334	16100
21.	सिक्किम	0	1022
22.	तमिलनाडु	130	32368
23.	त्रिपुरा	0	2500
24.	उत्तर प्रदेश	2946	91265
25.	पश्चिम बंगाल	0	24701
26.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	11	38
27.	दादर व नगरहवेली	128	298
28.	दमन व द्वीव	0	7
29.	दिल्ली	0	62
30.	लक्षद्वीप	0	5
31.	पांडिचेरी	0	90
32.	चण्डीगढ़	0	0
	कुल	53409*	317701

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पुष्टि होने तक अनंतिम।

सम्पर्क सड़कों का निर्माण

1784. श्री के०सी० कोंडय्या : क्या ग्रामीण क्षेत्र और राजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए विश्व वैंक की सहायता से एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित योजना के अंतर्गत कर्नाटक में तीन वर्षों के भीतर सभी गांवों में सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया जाएगा; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कमजोर वर्ग के लिए कार्यक्रम

1785. श्री सोहन वीर : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कमजोर वर्गों के लिए आरंभ किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश में उक्त योजनावधि के दौरान इन स्कीमों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) क्या यह धनराशि पर्याप्त थीं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार नौवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए और अधिक धन का आबंटन करेगी ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य कार्यक्रम हैं (1) जवाहर रोजगार योजना, (2) सुनिश्चित रोजगार योजना, (3) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (4) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, (5) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-93 से 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं के अन्तर्गत खर्च की गई राशियां निम्नलिखित है :-

उत्तर प्रदेश में उपयोग में लाई गई राशियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996.97 (दिस. 96 तक)
1	2	3	4	5	6
1. जवाहर रोजगार योजना	52257.00	71511.16*	74606.88*	83562.16*	25356.02*

*गहन जवाहर रोजगार योजना भी शामिल है।

1	2	3	4	5	6
2. सुनिश्चित रोजगार योजना	—	647.68	8909.28	16731.98	9503.30
3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	14395.38	20197.02	19335.12	19266.98	13613.41
4. ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम	862.21	1030.54	1183.19	1970.77	790.00
5. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	----------शुरू नहीं की गई----------			13356.53	3719.51 (जनवरी 97 तक)

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 के लिए निधियों के आवंटन में वृद्धि के लिए प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। नौवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में घोटाले

1786. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी अधिकारियों के अनेक घोटालों में शामिल होने के कारण उन पर अभियोजन चलाने हेतु अनुमति दिए जाने के केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कतिपय अनुरोध उत्तर प्रदेश प्रशासन के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरों के इन अनुरोधों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने और उससे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अवगत करा दिए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) इस मामले का मुख्यतः संबंध उत्तर प्रदेश सरकार से है। फिर भी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार, आयुर्वेदिक घोटाले से संबंधित मामला आर०सी० 32(ए)/96-एल०के०ओ० में पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 1.1.1997 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा छः लोकसेवको के विरूद्ध अभियोजन चलाने की मंजूरी हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रेषित की गई थी।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने अपने दिनांक 26.2.1997 के पत्र द्वारा दो लोकसेवकों के विरूद्ध अभियोजना चलाने की मंजूरी इस आधार पर देने से मना किया है कि रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री, जिसका केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विश्वास किया है, उससे इन अधिकारियों के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त प्रश्न (क) तथा (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ

1787. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सीमा विशेषकर जम्मू-कश्मीर सीमा के साथ जुड़े क्षेत्र में विभिन्न कैम्पों में बड़ी संख्या में रह रहे उग्रवादी छोटे-छोटे दलों में घुसपैठ कर रहे हैं :

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक वर्षवार कितने घुसपैठिये पकड़े गए; और

(ग) सरकार द्वारा सीमापार से होने वाली इस घुसपैठ को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) यह सही है कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे तत्वों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए शिविर चलाए जाते रहे हैं जिनकी आतंकवादी एवं अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य में घुसपैठ कराई जा रही है। तथापि, इस प्रकार घुसपैठ कराए गए व्यक्तियों की ठीक-ठीक संख्या बताना या इनका वर्ष वार ब्यौरा देना संभव नहीं है। राज्य के विभिन्न अन्य भागों में बड़ी संख्या में आतंकवादियों के मारे जाने और पकड़े जाने के अलावा 1990 से आगे की अवधि के दौरान नियंत्रण रेखा पर पकड़े या मारे गए उग्रवादियों की संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
पकड़े गए उग्रवादियों की संख्या	1303	362	57	297	199	171	45
मारे गए उग्रवादियों की संख्या	420	374	122	242	156	91	110

(ग) सीमा/नियंत्रण रेखा पर तथा भीतरी इलाकों में सुरक्षा बलों

द्वारा कड़ी चौकसी रखी जा रही है। इस उद्देश्य के लिए सघन गश्त, नाइट विजन डिवाइसिज आदि सहित निगरानी उपस्करों की उपलब्धता और प्रयोग, नियंत्रण रेखा/सीमा पर तथा भीतरी प्रदेश दोनों में स्थित सुभेद्य क्षेत्रों में दलों की तैनाती, सीमा के पास कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में ग्राम रक्षा समितियों की स्थापना, और समस्त संबंधित सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियों के बीच नजदीकी और सतत समन्वय आदि सहित विभिन्न प्रबन्ध किए गए हैं। इन प्रबन्धों की लगातार समीक्षा की जा रही है और जरूरी समझे जाने पर इन्हें सुदृढ़/सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भूतपूर्व राष्ट्रपति की विधवा को आवास

1788. **श्री जी०ए० चरण रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व राष्ट्रपति की विधवा श्रीमती नागरत्नम्मा को बेदखली नोटिस देकर बंगलौर में शैंकी रोड़ बंगला खाली करने के लिए मजबूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें कोई वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें इस संबंध में कोई उत्तर दिया है; और

(ङ) उन्हें आवास कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) पूर्व राष्ट्रपति स्व० श्री नीलम संजीव रेड्डी को कर्नाटक सरकार द्वारा बंगला नं० 29, शोक्य रोड, बंगलौर आबंटित किया गया था। और साधारण पूल से एक टाईप-V आवास राज्य सरकार को दिया गया था। स्व० श्री रेड्डी के देहान्त के बाद उक्त आवास राज्य सरकार द्वारा खाली करा लिया गया है।

(ग) श्रीमती रेड्डी ने बंगलौर में वैकल्पिक आवास के आबंटन हेतु अनुरोध किया है।

(घ) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार पद त्यागने के बाद राष्ट्रपति के देहान्त की स्थिति में उनकी पत्नी/पति केवल दिल्ली में टाईप-VII असुसज्जित आवास अपने जीवन काल में आबंटन हेतु पात्र होते हैं। चूंकि मौजूदा दिशा-निर्देशों में पूर्व राष्ट्रपति की विधवा को दिल्ली से बाहर आवास आवंटन का प्रावधान नहीं है। अतः श्रीमती रेड्डी को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

(ङ) श्रीमती रेड्डी की ओर से दिल्ली में साधारणपूल आवास आवंटन को कोई अनुरोध नहीं मिला है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सूखा

1789. **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सूखे के कारण रबी और खरीफ की फसलें प्रभावित हुई हैं और अधिकतर फसलें नष्ट हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसान जीविकोपार्जन के लिए मध्य प्रदेश से पलायन कर गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रयास कर रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से मिली सूचना के अनुसार 7 जिलों की 25 तहसीलों में विभिन्न दशाओं में सूखे का प्रभाव है। इससे 8.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल का नुकसान हुआ है।

(ख) राज्य सरकार ने सूखे की दशाओं के कारण किसानों के पलायन की कोई सूचना नहीं दी है।

(ग) राज्य सरकार परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए श्रम प्रधान कार्यों, रबी की फसल बोने के लिए बीजों का वितरण, सरकारी सहकारिता के बकाया और भू-राजस्वों की वसूली स्थागित करने सहित विभिन्न उपाय कर रही है। 1996-97 के दौरान सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं को दृष्टिगत करके राहत व पुनर्वास उपायों के लिए चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश के रूप में 58.31 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की है।

[अनुवाद]

भूमिहीन भारतीय

1790. **श्री आई०डी० स्वामी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 दिसम्बर, 1996 "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "37 पी०सी० रूरल इंडियन्स लैंडलैस" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, (एन०सी०ए०ई०आर०) जिसने 16 राज्यों में 33,000 ग्रामीण परिवारों में अध्ययन करने का दावा किया है और जिसने अपनी रिपोर्ट यू०एन०डी०पी० कार्यशाला में भोपाल में 30 नवम्बर, 1996 को जारी की, का हिन्दुस्तान टाइम्स

सहित मीडिया ने व्यापक प्रचार किया। एन०सी०ए०ई०आर० की उपर्युक्त रिपोर्ट-1994 अभी प्रकाशित होनी है और इसलिए सरकार के पास इस रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि उपर्युक्त अध्ययनों में यह बात किस आधार पर की गई है कि 37 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या भूमिहीन हैं। वर्ष 1991 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या 62,28,12,376 थी जिसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर 7,45,97,744 थे जो केवल 11.98 प्रतिशत होता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सर्वेक्षण के 48वें दौर के अनुसार तथा 1996 के प्रारम्भ में समेकित आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में ग्रामीण परिवारों की अनुमानित संख्या 116,405,800 है जिसमें से भूमिहिन परिवारों की संख्या केवल 13,088,900 हैं जो कि ग्रामीण परिवारों का 11.3 प्रतिशत बैठती है। उपरोक्त रिपोर्ट में भूमिहीन परिवारों का अर्थ है "भूमि न रखने वाले परिवार अथवा 0.002 हेक्टेयर से कम भूमि रखने वाले परिवार"।

(ग) तथापि, सरकार देश में बढ़ती हुई भूमिहीनता के बारे में पूर्णतया सजग और चिंतित है और इसलिए केन्द्रीय सरकार 26 नवम्बर, 1996 को आयोजित राजस्व सचिवों के सम्मेलन तथा 27 दिसम्बर, 1996 को आयोजित राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, भूदान भूमि और सरकारी बंजर भूमि के वितरण के लिए समयवद्ध कार्यक्रम शुरू करने और उनको कार्यान्वित करने पर बल देती रही है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त मामलों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

[हिन्दी]

सरकार तथा मछुआरों के बीच समझौता

1791. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष तटीय क्षेत्र के मछुआरों ने सरकार के साथ कोई समझौता किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त समझौते को क्रियान्वित करने में असफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने गहन समुद्री मत्स्यन नीति पर पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लेने और कार्यान्वयन हेतु मछुआरों के एक समूह को 13.8.96 को सिर्फ आश्वासन दिया था।

(ग) से (ङ) सरकार ने पुनरीक्षण समिति की सभी सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया है। फिर भी, संयुक्त उद्यम, चार्टर, लीज और टैस्ट फिशिंग, जलयानों द्वारा मत्स्यन हेतु जारी सभी परमिटों को जहां आवश्यक हो वहां कानूनी प्रक्रियाओं के तहत रद्द करने से संबंधित सिफारिश के बारे में यह निर्णय लिया गया है कि इन परमिटों को भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1981 या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश और/या दिए गए अनुमोदनों की शर्तों का उल्लंघन करने पर ही रद्द किया जा सकता है। ऐसे अनुमोदनों को रद्द करने अथवा अन्यथा के लिए कार्रवाई प्रत्येक मामले में विधि मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके की जाएगी। सिफारिशों के अनुसार नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति-1991 रद्द कर दी गई है। पुनरीक्षण समिति की अन्य सिफारिशों को कार्यान्वयन करने हेतु भी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

[अनुवाद]

फ्लैटों का आवंटन

1792. श्री देवी बक्स सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :
डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 31 दिसंबर 1996 तक विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आवंटित फ्लैटों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या शेष सभी आवेदन कर्ताओं को फ्लैट आवंटन करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) 2,44,392 फ्लैट।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि संबंधित एजेंसियों से अवस्थापना सुविधाओं और भूमि की उपलब्धता के प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

रोजगार

1793. प्रो० जितेन्द्र नाथदास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : शहरी रोजगार योजनाओं को किस हद तक कार्यान्वित किया गया है और इनके अंतर्गत राज्यवार कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : केन्द्र द्वारा देश में दो शहरी रोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके नाम हैं-नेहरू रोजगार (एन०आर०आई०) तथा प्रधान मंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी०एस०आई०यू०पी०ई०पी०) नेहरू रोजगार योजना का लक्ष्य निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले बेरोजगार तथा अन्य रोजगार शहरी निर्धनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अन्तर्गत दो प्रकार के रोजगार पर विचार किया गया : लघु उद्यमों की स्थापना द्वारा स्व-रोजगार तथा निम्न आय प्रतिदेशों में उपयोगी

सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के सृजन के माध्यम से वेतन रोजगार। लघु उद्यमों की स्थापना के लिए 31.1.97 तक सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या का राज्य-वार विवरण संलग्न है।

पी०एस०आई०यू०पी०ई०पी० के संबंध में, इस कार्यक्रम का एक घटक स्वरोजगार है जिनके अन्तर्गत बेरोजगार तथा अल्परोजगार शहरी निर्धिनों को अपनी आर्थिक स्थित मजबूत करने के लिए सेवा, छोटे व्यवसाय तथा उत्पादन सं संबंधित लघु उद्यम/उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अधिकांश राज्य अब तक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रारंभिक तथा प्राथमिक स्थिति जैसे घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना, स्थानिक मानचित्रण, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, सामुदायिक ढांचों का निर्माण इत्यादि में ही है। योजना के अंतर्गत 1999-2000 तक समाप्त होने वाली पंचवर्षीय कार्यक्रम अवधि के दौरान पांच मिलियन शहरी निर्धनों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना

31.1.97 तक लघु उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता प्राप्त व्यक्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	व्यक्तियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	97715
2.	अरूणाचल प्रदेश	853
3.	असम	17568
4.	विहार	22192
5.	गोवा	450
6.	गुजरात	15583
7.	हरियाणा	16943
8.	हिमाचल प्रदेश	2718
9.	जम्मू व कश्मीर	5661
10.	कर्नाटक	48588
11.	केरल	22727
12.	मध्य प्रदेश	114189
13.	महाराष्ट्र	68467
14.	मणिपुर	5186
15.	मेघालय	1961
16.	मिजोरम	650
17.	नागालैंड	—
18.	उड़ीसा	21796
19.	पंजाब	22357
20.	राजस्थान	49051
21.	सिक्किम	842
22.	तमिलनाडु	109500
23.	त्रिपुरा	575
24.	उत्तर प्रदेश	185846
25.	पश्चिम बंगाल	38934
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	608
27.	चण्डीगढ़	398
28.	दादरा व नगर हवेली	376
29.	दमन व द्वीव	174
30.	दिल्ली	1930
31.	पाण्डिचेरी	2323
	योग	876161

रसोई गैस की सप्लाई

1794. **प्रो० पी०जे० कुरियन :**
श्री संदीपान थोरात :
श्री दिनेश चन्द्र यादव
श्री के० प्रधानी :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री बी०एल० शंकर :
श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री सुधीर गिरी :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस की मांग और पूर्ति की राज्य-वार स्थिति तथा उपभोक्ता प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष तथा आगामी तीन वर्षों के दौरान सामान्य तौर पर राज्यवार तथा विशेषतौर पर केरल और महाराष्ट्र के लिए अनुमानित मांग का ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में कम्पनी-वार तथा जिले-वार कितने रसोई गैस डीलर हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उनको रसोई गैस की कितनी सप्लाई की गयी उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में उक्त अवधि के दौरान कतिपय डीलरों

को रसोई गैस का विशेष कौटा जारी किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे आवंटन का डीलरवार औचित्य बताते हुए तत्संबंधी ब्यौरा दें;

(च) क्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में जनजाति बहुत जिलों की उपेक्षा की जाती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और वन सरंक्षण हेतु जनजाति बहुल जिलों में गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) दिनांक 01 जनवरी, 1997 को देश में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास सूचीबद्ध एलपीजी ग्राहकों की संख्या लगभग 270.45 लाख थी जिसमें महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत लगभग 43.15 लाख तथा केरल राज्य में 9.96 लाख ग्राहक सम्मिलित थे। दिनांक 1 जनवरी, 1997 को देश में एलपीजी प्रतीक्षा सूची में लगभग 142.03 लाख ग्राहक थे जिसमें से महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत लगभग 19.05 लाख तथा केरल राज्य के 6.79 लाख ग्राहक सम्मिलित थे।

सरकारी तेल कंपनियों के ग्राहकों के संबंध में एलपीजी की वार्षिक मांग निम्नांकित के आधार पर अनुमानित की जाती है :-

1. सरकारी तेल कंपनियों के पास सूचीबद्ध विद्यमान एलपीजी ग्राहकों की आवश्यकता, तथा
2. आगामी वर्ष के दौरान सूचीबद्ध किए जाने के लिए योजनाबद्ध नए ग्राहकों की जरूरत।

चालू वर्ष तथा आगामी तीन वर्षों के लिए एलपीजी के मांग अनुमान निम्नवत हैं :-

वर्ष	अखिल भारतीय एलपीजी मांग (हजार मीट्रिक टन)
1996-97	4290
1997-98	4517
1998-99	5774
1999-2000	6605

दिनांक 1 जनवरी, 1997 को महाराष्ट्र में प्रचालन कर रहे इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या क्रमशः 94, 285 तथा 321 है।

(घ) जी, हां।

(ङ) महाराष्ट्र राज्य में 16 डिस्ट्रीब्यूटरों को विशेष कोटा के तहत 10700 कनेक्शन जारी किए गए थे।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त (च) के विचार से प्रश्न नहीं उठता। प्रमुख रूप से आदिवासी जिलों के अंतर्गत गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष योजना अथवा नीति नहीं हैं परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों तथा ताप ट्रेपेजियम क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रतीक्षा सूचीबद्ध लोगों को एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

नेहरू रोजगार योजना

1795. श्री छीतुभाई गामीत :
श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नेहरू रोजगार योजना के लिए गुजरात को वर्षवार कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ख) इस अवधि के दौरान इससे श्रेणीवार और वर्षवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान नेहरू रोजगार योजना (एन०आर०वाई०) के लिए गुजरात को दिया गया धन इस प्रकार है :-

(लाख रुपये में)

वर्ष	धनराशि
1993-94	212.52
1994-95	194.45
1995-96	215.90

(ख) सूचना इस प्रकार है :-

नेहरू रोजगार योजना

वर्ष	लघु उद्यम स्थापित करने के लिए लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या					सृजित श्रम दिवसों की संख्या (लाख में)	सुधार किये गये/सुधार किय जा रहे रिहायशी एककों की संख्या				
	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	महिला	योग		सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	महिला	योग
1993-94	1766	262	100	502	2630	1.31	149	79	—	43	271
1994-95	1722	139	25	483	1663	0.45	57	—	—	—	57
1995-96	1738	53	20	243	1349	0.63	—	—	—	—	—

[हिन्दी]

परियोजनाओं को स्वीकृति

1796. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास बिहार राज्य की कई परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ग) योजना आयोग में बिहार की कोई भी परियोजना निवेश स्वीकृति की कार्रवाई हेतु लम्बित नहीं है।

भूखंडों का आवंटन

1797. डा० जी०आर० सरोदे :
श्री एस०पी० जायसवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन सभी विस्थापित व्यक्तियों को जिनके 1976 के दौरान मोतिया खान परिसर में भवन गिरा दिए गए थे, को वैकल्पिक भूंखड आवंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने आवंटी हैं जिन्हें वैकल्पिक भूंखण्ड आवंटित किए गए है और आवंटित किए गए छोटे/बड़े आकार के भूंखड स्वीकार कर लिए हैं;

(ग) क्या इस मानदंड का कुछ मामलों में उल्लंघन हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) डीडीए ने बताया है कि उन सभी विस्थापित व्यक्तियों को वैकल्पिक प्लाट आवंटित किए गए हैं जो आवंटन के लिए पात्र हैं।

(ख) ऐसे आवंटियों की संख्या 1583 है तथा वैकल्पिक प्लाटों का आकार तय करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए थे :-

क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित क्षेत्र	आवंटन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र
1	2
50 वर्गगज तक	100 वर्ग गज
51 से 100 वर्ग गज तक	133 वर्ग गज
101 से 150 वर्ग गज तक	167 वर्ग गज
151 से 200 -वही-	290 -वही-
201 से 250 -वही-	250 -वही-
251 से 300 -वही-	300 -वही-
301 से 400 -वही-	400 -वही-
400 वर्गगज से अधिक	450 -वही-

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हैंडपम्प लगाना

1798. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपम्प लगाने हेतु बजट में कोई प्रावधान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) हैंड पम्प लगाने सहित विभिन्न ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि निम्नलिखित है :

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान		योग
	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	
1995-96	123.46	111.82	235.28
1996-97	128.00	122.78	250.78

कॉपार्ट के स्वैच्छिक संगठन

1799. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद (कॉपार्ट) के स्वैच्छिक संगठनों की संख्या कितनी है और उन्हें पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 1997 के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में "कापार्ट" के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों की संख्या कितनी हैं;

(ग) उन स्वैच्छिक संगठनों की संख्या कितनी है जिन्हें पहले और हाल ही में ब्लेक लिस्ट में शामिल किया गया है और उन संगठनों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने "कॉपार्ट" के अंतर्गत विकास संबंधी कार्य की पुनरीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) गत तीन वर्षो तथा वर्तमान वर्ष 1996-97 (दिसम्बर, 1997 तक) के दौरान कपार्ट से सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या और इन संगठनों को स्वीकृत राशि निम्नानुसार है :-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	स्वीकृत राशि
1993-94	1689	58.29
1994-95	1373	55.08
1995-96	704	98.12
1996-97	600	50.20

वर्ष 1993-94 और 1994-95 का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कपार्ट ने अब तक लगभग 5466 स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता दी है।

(ग) 31.12.1996 तक कपार्ट ने 247 स्वैच्छिक संगठनों को काली सूची में डाला है। इसके अतिरिक्त कपार्ट ने ऐसे 150 स्वैच्छिक संगठनों को भी काली सूची में डाला है जिनको अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा काली सूची में डाला गया था। कपार्ट ने 1.7.1996 से 31.12.1996 तक की अवधि के दौरान 13 स्वैच्छिक संगठनों को काली सूची में डाला है।

काली सूची में डाले गए संगठनों को अन्य अनुदान जारी करने पर कपार्ट द्वारा रोक लगाने के अतिरिक्त कपार्ट द्वारा की गई/प्रस्तावित अन्य कार्रवाई में दोषी संगठनों से निधियों की वसूली करना, कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करना, मामलों को पुलिस को सौंपना आदि शामिल है। कपार्ट ने 61 संगठनों के मामलों की आगे छानबीन करने के लिए इनको केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भी भेजा है।

(घ) और (ङ) कपार्ट के कार्यो की कार्यकारी समिति और कपार्ट की जनरल बाडी की बैठकों में समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, इसके कार्यकलाप को कारगर बनाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाल ही में कपार्ट को लोगों के निकट लाने और इसके तथा निचले स्तर के स्वैच्छिक संगठनों के बीच परस्पर घनिष्ठ संबंद्ध सुनिश्चित करने के लिए छह क्षेत्रीय समितियां स्थापित करके कपार्ट को कार्यो को विकेन्द्रीकृत किया गया है। क्षेत्रीय समितियां 5 लाख रुपए तक के परियोजना परिव्यय के परियोजना प्रस्तावों पर विचार करती हैं। ऐसी आशा है कि कपार्ट के विकेन्द्रीकरण से न केवल इसकी कार्यकुशलता और दक्षता में सुधार होगा बल्कि यह ग्रामीण विकास में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने में भी सफल होगा।

विवरण

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान कपार्ट से सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों और उनको स्वीकृत धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

राज्य का नाम	1993-94		1994-95	
	गैर सरकारी संगठनों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रु० में)	गैर सरकारी संगठनों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	195	5.93	162	6.16
2. अरूणाचल प्रदेश	1	0.01	1	0.04
3. अंडमान निकोबार	1	0.18	1	0.05
4. असम	11	0.33	9	0.22
5. बिहार	294	7.84	190	7.61
6. चंडीगढ़	—	—	—	—
7. दिल्ली	40	1.59	37	1.48
8. गोवा	2	0.05	—	—
9. गुजरात	26	3.16	22	2.83
10. हरियाण	26	1.35	30	1.13
11. हिमाचल प्रदेश	14	0.64	11	0.30
12. जम्मू व कश्मीर	3	0.29	5	0.20
13. कर्नाटक	48	1.78	29	1.37
14. केरल	40	1.12	14	0.52
15. मध्य प्रदेश	39	1.30	34	1.28
16. महाराष्ट्र	45	2.25	34	1.80
17. मणिपुर	74	3.69	54	1.78
18. मेघालय	1	0.02	—	—

1	2	3	4	5
19. मिजोरम	6	0.64	2	0.10
20. नागालैंड	9	0.96	12	0.41
21. उड़ीसा	80	2.79	100	3.41
22. पंजाब	1	0.01	2	0.04
23. राजस्थान	47	1.58	34	1.52
24. तमिलनाडु	119	4.04	88	2.87
25. त्रिपुरा	2	0.08	1	0.03
26. पांडिचेरी	7	—	—	—
27. उत्तर प्रदेश	344	8.45	299	10.05
28. पश्चिम बंगाल	222	8.41	200	9.76
कुल	1689	58.29	1373	55.08

रोजगार सम्बन्धी परियोजनाएं

1800. श्री डी०पी० यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए इस समय कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय चुनाव क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है;

(ग) यदि हां, ता इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1997-98 के लिए उक्त परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि आवंटित किये जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऐसे मुख्य रोजगार कार्यक्रम हैं, जिनका कार्यान्ययन उत्तर प्रदेश राज्य सहित समस्त देश के ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा किया जा रहा है।

(ख) और (ग) केन्द्र स्तर पर संसदीय चुनाव क्षेत्र-वार कोई सूचना नहीं रखी जा रही है।

(घ) 1997-98 के लिए निधियों के आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

रसोई गैस का विकल्प

1801. श्री एन०एस०वी० चित्यन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रसोई गैस के लिए ईंधन के विकल्प के रूप में शीरे का इस्तेमाल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में शीरे का दैनिक उत्पादन कितना है; और

(घ) रसोई गैस की तुलना में शीरे की लागत क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) जी, नहीं। एलपीजी के विकल्प के रूप में सीरों का उपयोग करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, चीनी निर्माण/आसवनी द्वारा उत्पादित एथानोल को पेट्रोल/डीजल के साथ मिश्रित करने की संभावना की समीक्षा करने के लिए सचिव (खाद्य) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

(ग) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के गन्ना मौसम के दौरान सीरों का औसत दैनिक उत्पादन क्रमशः 38018 टन और 40348 टन था।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस का आयात

1802. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने प्राकृतिक गैस का आयात करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या निर्णय दिया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उप बिजलीघरों की स्थापना

1803. श्री हरिवंश सहाय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) , उत्तर प्रदेश में स्ट्रान और वेंकटा स्थित उप बिजलीघरों का निर्माण कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं जब कि उक्त उप बिजलीघरों की स्थापना के संबंध में स्वीकृति दे दी गयी थी और इस कार्य के लिए धनराशि भी जारी कर दी गई थी;

(ख) इस कार्य को कब तक शुरू करने और पूरा करने की संभावना है, और

(ग) मधुबनी स्थित उप बिजली घर को कब तक स्वीकृति देने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि

निधियों को कमी के कारण उत्तर प्रदेश में सतरॉन और वेंकटा स्थित विद्युत उपकेन्द्रों में कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया जा सका है। सतरॉन उपकेन्द्र के लिए अपेक्षित निधियां 26.2.97 को ही जारी की गई है और कार्य को शीघ्र ही चालू हो जाने की संभावना है और इसके दिसम्बर, 1997 तक पूरा हो जाने की प्रत्याशा है। तथापि वेंकटा उपकेन्द्र के लिए निधियां जारी नहीं की गई हैं और इस प्रकार इसे पूरा करने की प्रत्याशित तिथि इंगित नहीं की जा सकती।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

असम तेल क्षेत्र

1804. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका :
डा० अरूण कुमार शर्मा :
श्री केशव महन्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में तेल और प्राकृतिक गैस निगम और आयल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत तेल क्षेत्रों में परीक्षित कुओं में मिश्रित और शुद्ध गैस के अनुमानित भण्डार का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) इन भण्डारों से वर्तमान और भविष्य की परियोजनाओं को किस प्रकार पूरा किया जा सकेगा;

(ग) वे परियोजनाएं कौन सी हैं जिनसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम और/अथवा आयल इंडिया लिमिटेड बढ़ी हुई मांग की पूर्ति नहीं कर पा रही है;

(घ) क्या सरकार की वर्तमान समय में दहन की जा रही मिश्रित गैस की उक्त अतिरिक्त मांग के कुछ भाग की पूर्ति करने के लिए सदुपयोग करने की योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का तेल और प्राकृतिक गैस निगम और आयल इंडिया लिमिटेड की वर्तमान और भविष्य की प्रस्तावित परियोजनाओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नौवीं योजना के दौरान असम तेल क्षेत्र में शुद्ध गैस का उत्पादन करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) असम में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन क्षेत्रों के अंतर्गत सिद्ध संबद्ध एवं मुक्त गैस के अनुमानित भण्डार क्रमशः 12370.8 मिलियन मीट्रिक घन मीटर तथा 1203.9 मिलियन मीट्रिक घन मीटर हैं। असम में आयल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रों के अंतर्गत संबद्ध गैस और मुक्त गैस के अनुमानित शेष निकासी योग्य भण्डार, क्रमशः 53,512 मिलियन मीट्रिक घन मीटर तथा 30,021 मिलियन मीट्रिक घन मीटर है।

(ख) असम में विभिन्न परियोजनाओं को गैस की 10 एम एम एस सी एम डी मात्रा आवंटित की गई है।

(ग) विद्यमान परियोजनाओं के लिए असम में 5.76 एम एम एस सी एम डी के आवंटन के प्रति गैस की वर्तमान उपलब्धता 3.33 एम एम एस सी एम डी है। एच एफ सी, नामरूप तथा ए एस ई बी, लाकवा से अतिरिक्त आपूर्ति के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) असम में फिलहाल गैस की 0.64 एम एम एस सी एम डी मात्रा का दहन किया जा रहा है। पाइपलाइनों तथा संपीडकों की स्थापना के जरिए गैस के दहन को कम करके तकनीकी रूप से न्यूनतम स्तर तक लाया जा रहा है।

(च) और (छ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन तथा आयल इंडिया लिमिटेड की 9वीं योजना के अंतर्गत मुक्त गैस की लगभग 2.91 एम एम एस सी एम डी मात्रा उत्पादित करने की योजना है।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना का गैर कार्यान्वयन

1805. श्री शिवराज सिंह :

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन राज्यों में जवाहर रोजगार योजना को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने और उक्त कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए उन पर पर्याप्त रूप से निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए है, और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल आवंटित धनराशि में से प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जवाहर रोजगार योजना चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) विभिन्न स्तरों अर्थात् राज्य/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तरों पर जवाहर रोजगार योजना के कार्यों को देखरेख करने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं ताकि जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में हुए आधुनिक विकास से कार्यान्वयन करने वाले स्टाफ/एजेंसी को अवगत कराया जा सके। कार्यक्रम को मासिक, तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों तथा जिलों/राज्य और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर दौरा करके सतत् रूप से निगरानी की जाती है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकारों को राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियां गठित करने के अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटित कुछ निधियों में से जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष इस्तेमाल की

गई निधियों की राशि नीचे दी गई है;

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आवंटन (केन्द्र+राज्य)	खर्च
1992-93*	3169.05	2709.59
1993-94*	4059.42	3878.71
1994-95*	4376.92	4268.33
1995-96*	4848.70	4466.91
1996-97	2236.79	1235.86 (दिसम्बर, 96 तक)

*इंदिरा आवास योजना और दस लाख कुओं की योजना सहित।

[अनुवाद]

निगरानी और सतर्कता समिति

1806. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न ग्रामीण रोजगार योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी और सतर्कता बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को खण्ड, जिला और राज्य स्तर पर एक निगरानी और सतर्कता समिति गठित करने के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निर्देशों का अब तक पालन करने वाले और पालन न करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इन समितियों में क्षेत्र के सांसदों और विधायकों को भी शामिल किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में नए निर्देश जारी करने का है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) मिजोरम, असम, केरल राज्य सरकारों तथा संघ राज्यें क्षेत्र दमण व द्वीव और दादरा व नगर हवेली ने सूचित किया है कि उन्होंने निगरानी और सतर्कता समितियों का गठन कर लिया है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन समितियों का गठन किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

गुजरात में पानी की कमी

1807. श्री पी०एस० गढ़वी :
श्री विजय पटेल :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जनवरी, 1997 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "गिव अस वाटर, और वी विल डाई" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है और क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात में पानी की कमी से प्रभावित क्षेत्रों में इस समस्या को गम्भीरता का आकलन करने हेतु कोई विशेषज्ञ दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस स्थिति का आकलन करने हेतु ऐसे किसी दल को भेजने का है, और

(घ) अब तक गुजरात में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। कोई विशेषज्ञ दल गुजरात नहीं भेजा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सामान्य त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान गुजरात सरकार को अभाव वाले और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए 40.395 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है। राज्य में जलापूर्ति अभाव की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने भी 98.00 करोड़ रुपए के स्कारसिटी मास्टर प्लान 1996-97 को मंजूरी दी है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में मार्ग निर्देश

1808. श्री बृज मोहन राम : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना" के बारे में संसद सदस्यों को दिए गए मार्ग निर्देशों को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या दसवीं लोक सभा के सदस्यों द्वारा संस्तुत निर्माण कार्यों को मार्ग निर्देशों के खण्ड 8.10 में उल्लिखित है तथा जिन्हें आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पूरा नहीं किया जा सका, को कब पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) ऐसी लंबित पड़ी योजनाओं का निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन योजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है, और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) दिनांक 15.2.1997 को सभी जिला कलेक्टरों को जारी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सां.स्था.क्षे.वि.यो.) संबंधी संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में उल्लेख है और जिनका अनुपालन आवश्यक है।

(ख) दसवीं लोक सभा के सदस्यों द्वारा अनुशासित जिन निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण नहीं हो पाया उन्हें संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पैरा 3.9 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निष्पादित करवाया जा सकता है।

(ग) से (ङ) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा ऐसी योजनाओं की ठीक-ठीक स्थितियों से संबंधित विवरण नहीं रखा जाता है।

विद्युत खरीद करार

1809. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश स्थित रौजा ताप विद्युत संयंत्र के बारे में किसी विद्युत खरीद करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) स्थापना कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राजय मंत्री (डा० एस वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रवर्तकों ने सूचित किया है कि उनके द्वारा सम्भवतः 1997 के अन्त तक वित्तीय समापन प्राप्त करने के पश्चात परियोजना पर कार्य शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

परीक्षा अथवा साक्षात्कार केन्द्र

1810. श्री बादल चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में परीक्षा अथवा साक्षात्कार केन्द्र नहीं खोले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में ऐसे केन्द्र खोलने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा केन्द्र सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में हैं। उम्मीदवारों आदि की संख्या को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों सहित विभिन्न केन्द्रों/स्थानों पर साक्षात्कार भी आयोजित किये जाते हैं। मौजूदा प्रबन्ध पर्याप्त समझे जाते हैं।

[हिन्दी]

राजनीतिक दलों को रिहायशी आवासों का आवंटन

1811. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :
डा० रमेश चन्द तोमर :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कार्यालयों में संसदीय दलों के कार्यरत कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल से रिहायशी आवासों के आवंटन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से कोई दिशा-निर्देश प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो उन राजनीतिक दलों के नाम क्या हैं जिनके रिहायशी आवासों के आवंटन संबंधी आवेदन पत्र गत तीन वर्षों से सरकार के पास इस तथ्य के बावजूद लंबित पड़े हैं कि उन्हें सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण उन्हें आवास आवंटित नहीं किये गये हैं;

(ग) संसदीय दलों के कोटा के अनुसार उनमें कार्यरत कर्मचारियों को कब तक रिहायशी आवास आवंटित किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए रिहायशी आवासों के आवंटन का कोटा एक तिहाई से बढ़ाकर शत-प्रतिशत कर देने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या प्रस्ताव है; और

(च) उन राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है जिन्हें आवास सुविधा देने से वंचित रखा गया है और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 25.12.96 के फैसले में निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टियों के रूप में मान्यता प्राप्त दलों को सरकारी आवास उपलब्ध कराए जाएं और इनकी संख्या के बारे में सरकार को लोक सभा अध्यक्ष तथा राज्य सभा के उपाध्यक्ष द्वारा दी जाने वाली सलाह माननी चाहिए।

(ख) भारतीय जनता पार्टी को अपने कर्मचारियों के लिए टाईप-III का एक और टाईप-II के 2 क्वार्टरों के आवंटन हेतु स्वीकृतियां 19.7.95 को जारी की गयी थी। भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 17.7.95 के अन्तरिम आदेश के कारण इन स्वीकृतियों को लागू नहीं किया गया है।

(ग) से (च) भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राजनैतिक दलों को रिहायशी वास के आवंटन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश बनाये जा रहे हैं। राजनैतिक दलों को आवंटित किए जाने वाले मकानों की संख्या लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा उपाध्यक्ष के परामर्श से निर्धारित की जाएगी।

पेट्रोलियम की मांग

1812. **प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों की लगातार बढ़ती मांग को रोकने के उपायों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया है जहां पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को कम किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों के क्या नाम हैं तथा इन क्षेत्रों में इन उत्पादों की मांग का प्रतिशत क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) पेट्रोलियम ईंधनों सहित ईंधन ऊर्जा के स्रोत हैं, जो विकास और सतत् आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अर्थ है--ऊर्जा की खपत में वृद्धि भारत में कुल ऊर्जा-मिश्रण में पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् तरल ईंधनों का हिस्सा विकसित देशों से कम है। चूंकि देश ने नौवीं योजना के दौरान 7 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की उच्चतर विकास दर अपनाई है, इसलिए पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में आनुपातिक वृद्धि अपरिहार्य है।

पेट्रोलियम उत्पादों का मांग प्रबंधन देश की आर्थिक वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। तथापि, चूंकि देश तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है और आयात पर बुरी तरह निर्भर है, इसलिए पेट्रोलियम उत्पादों के कुशल और इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना जरूरी है। ऐसा ईंधन प्रतिस्थापन को बढ़ावा देकर, मिट्टी तेल, एलपीजी और नाफ्था जैसे उत्पादों की नियंत्रित आपूर्ति, मूल्य निर्धारण की व्यवस्था द्वारा मांग को प्रभावित करके और संरक्षण उपायों द्वारा करना होगा।

[अनुवाद]

हाईड्रोकार्बन की खोज

1813. **श्री मंगत राम शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जम्मू और कश्मीर के निचले भागों में हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए ड्रिलिंग कार्य फिर से शुरू करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने "संयुक्त उद्यम खोज कार्य कार्यक्रम (1995)" के अंतर्गत कोई निविदाएं आमंत्रित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को कितने निविदाएं प्राप्त हुई हैं और बोलीदाताओं के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां। अन्वेषण के भाग के रूप में पुंछ-कालाकोट-राजौरी और नजोट-रामनगर क्षेत्रों में भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन किया गया है तथा पुंछ-कालोकोट-राजौरी क्षेत्र में 75 जीएल के नजोट-रामनगर में 46 एस एल के का अब तक पहले ही अर्जन किया जा चुका है। अब अर्जित किए जा रहे भूकंपीय आंकड़ों का निर्वचन अब तक प्राप्त किए गए सभी भूगर्भीय आंकड़ों के साथ मिलाकर किया जाएगा यदि कोई तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य संभावना प्रस्तुत होती है, तो उस पर अन्वेषणात्मक वेधन के लिए विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, हां। संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम (1995) के अन्तर्गत दो ब्लाकों जिनमें से एक पूर्ण रूप से तथा दूसरा आंशिक रूप से हिमालय की तराई में जम्मू और कश्मीर राज्य में पड़ते हैं अन्वेषण के लिए प्रस्तावित किये गये परन्तु उनके लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

[हिन्दी]

बिजली की कमी

1814. **श्री सुरेन्द्र यादव :**
श्री नवल किशोर राज्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 दिसम्बर, 1996 के "द आब्जर्वर" में "पावर शार्टेज में एक्यू स्पोज 4,50,000 करोड़ जी.डी.पी. लास" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) बिजली की कमी के कारण सरकार द्वारा आंकलित की गई हानि का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार द्वारा बिजली की कमी को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ) जी.डी.पी. की संवर्द्धन दर कई घटकों पर निर्भर करती है। विद्युत कमी अनेक घटकों में से एक घटक है जो जी.डी.पी. को संवर्द्धन दर को प्रभावित करता है। कापियां प्रतिवर्ष लगभग 1.5 प्रतिशत बढ़ रही हैं। वर्तमान में 13 प्रतिशत की ऊर्जा की कमी है तथा शिखर कमी 17 प्रतिशत है। सरकार विद्युत की मांग तथा आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने के लिए पूर्णतः अवगत है तथा संयंत्र भार गुणांक में वृद्धि करके बेहतर संयंत्र समुपयोजन की सहायता के साथ, विद्यमान यूनिटों का तेजी से नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करके तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम द्वारा उत्पादन को अधिकतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों ने विद्युत की कमी के कारण हुई हानियों को प्रक्षेपित नहीं किया है।

पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता

1815. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन उत्पादों के लिए कितनी राजसहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार 1996-97 के दौरान राजसहायता की राशि में कटौती करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 1996-97 के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रदान की गई अनुसूचित राजसहायता निम्नानुसार है :-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)
1993-94	6596
1994-95	6560
1995-96	9360
1996-97 (अनुमानित)	18440

(ग) और (घ) पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता तेल पूल लेखे की व्यवस्था के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिसमें इस समय 31.3.97 तक 15,500 करोड़ रुपए का अनुमानित घाटा है और सुधारात्मक उपायों के लिए इस लेखे की स्थिति की सतत् आधार पर निगरानी की जा रही है।

बेघरों को घर

1816. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री के०पी० सिंह देव :
श्री संतोष मोहन देव :
डा० टी सुब्बारामी रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975 में आवास मंत्रियों की कांफ्रेंस हुई थी तथा इसने कम कीमत पर आवास के लिए कई कदमों की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो 1975 के पश्चात कितनी कांफ्रेंस हुई है;

(ग) क्या आवास संबंधी कांफ्रेंस की सारी सिफारिशों को कार्यान्वित किया आना है;

(घ) यदि नहीं, तो उनके से कितनी सिफारिशों को अभी कार्यान्वित किया जाना है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरन कम आय वर्ग के लोगों हेतु राज्य-वार कुल कितने मकान बनाये गये हैं;

(च) इस कोटि के कितने लोगों के पास अभी भी आवास सुविधाएं नहीं हैं; और

(छ) नौवीं योजना अवधि के दौरान देश के लिए सरकार द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) अक्तूबर, 1995 में भोपाल में आयोजित राज्यों के आवास और शहरी विभाग मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ कम लागत आवास से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर सिफारिशें की गयी थी :-

1. सीमेंट लोहे जैसी अल्प मात्रा में उपलब्ध भवन सामग्री के उपयोग में मितव्यता-न्यूनतम तकनीकी मानक अपनाया।

2. ग्रामीण आवास निर्माण के लिए कृषिगत तथा बनों के कचरे से सस्ती तथा संशोधित भवन सामग्री के उत्पादन हेतु जांच; और

3. ग्रामीण आवास और पर्यावरण सुधार के साथ-साथ माडंल भावो की प्रदर्शनियां लगाना।

(ख) से (घ) 1975 के सम्मेलन के बाद राज्यों के आवास और शहरी विकास मंत्रियों के कई सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। इस प्रकार का अंतिम सम्मेलन अक्तूबर, 90 में हुआ था। इन सम्मेलनों की सिफारिशें से संघ तथा राज्य सरकारों की नीतियां बनाने में मदद मिली जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आवास नीति बनाई गई जिसे संसद द्वारा, 1994 में पारित किया गया।

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों के अनुसार विभिन्न सामाजिक आवास योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। जहां तक शहरी आवास का संबंध है केन्द्र सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत राज्यों में ई०डब्ल्यू०एस० तथा एल०आई०जी० आवास स्कीमों की प्रगति की निगरानी करती है। गत तीन वर्षों के दौरान निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए मकानों की संख्या संलग्न विवरण एक और दो में दर्शायी गयी है।

(च) शहरी आवास पर 9वीं पंचवर्षीय योजना कार्यदल ने अनुमान लगाया है कि 1997-98 से 2001 से 2002 तक की पंचवर्षीय अवधि के दौरान ई०डब्ल्यू०एस०/एल०आई०जी० श्रेणियों के लिए करीब 15-22 मिलियन मकानों की जरूरत होगी।

(छ) देश में निम्न आय वर्गों के लिए आवास सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

- हडको आवास बोर्डों, ग्रामीण आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, सुधार न्यासों, स्थानीय निकाय जैसे विभिन्न राज्य सरकार एजेंसियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण सहायता मुहैया कराता है।
- वार्षिक आवास ऋण की 55% राशि ई०डब्ल्यू०एस० तथा एल०आई०जी० श्रेणी परिवारों के आवास हेतु निर्धारित की जाती है।

– नेहरू रोजगार योजना तथा प्रधान मंत्री के शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय प्रवर्तित स्कीमें यथा पटरी वासियों के लिए रैन बसेरा तथा सफाई सुविधाएं और आश्रय सुधार परियोजनाएं चल रही हैं।

– राज्य सरकारों को सस्ती वैकल्पिक भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे मकानों की निर्माण लागत में बचत करने को कहा गया है।

– विकेन्द्रिकृत आधार पर सस्ती भवन सामग्री और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनागत स्कीम के रूप में निर्मिती केन्द्रों को एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाया गया है।

– भवन सामग्री तथा प्रोद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमपीटीपी) का गठन किया गया है और यह निकाय भारतीय मानक ब्यूरों के साथ सस्ती भवन सामग्री और प्रोद्योगिकियों के बारे में मानक तैयार किए हैं जिन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अधिसूचियों में शामिल किया गया है राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि अपने लोक निर्माण विभाग की अधिसूचियों में इन मानकों को शामिल करें।

– उड़न राख, फासफोजियम जैसे औद्योगिक कचरे से बनी भवन सामग्रियों सहित नई निर्माण सामग्री की लागत को कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सीमा तथा उत्पाद शुल्क में रियायतें दी गयी हैं।

विवरण

20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 14 (घ) के तहत शहरी क्षेत्रों में ई०डब्ल्यू०एस० के लिए गत तीन वर्षों के दौरान बनाए गए मकानों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	55424	48082	55033
2.	असम	294	1412	771
3.	बिहार	42	–	192
4.	गोवा	20	–	–
5.	गुजरात	2445	4383	2471
6.	हरियाणा	641	56	31
7.	हिमाचल प्रदेश	30	15	30
8.	जम्मू व कश्मीर	1	2	11
9.	कर्नाटक	7521	7846	4572
10.	केरल	22051	19526	30373
11.	मध्य प्रदेश	6013	5559	4254
12.	महाराष्ट्र	4410	4987	1500
13.	मेघालय	547	–	–
14.	मिजोरम	100	–	–
15.	उड़ीसा	2723	5539	477
16.	राजस्थान	1994	2911	1382
17.	सिक्किम	40	–	150
18.	पंजाब	421	–	388
19.	तमिलनाडु	9948	7676	7366
20.	त्रिपुरा	387	507	–
21.	उत्तर प्रदेश	5122	4553	3810
22.	पश्चिम बंगाल	25	2000	–
23.	दिल्ली	2686	1763	831
24.	अ० व नि० द्वीप समूह	–	–	–
25.	दमन व दीव	10	–	–

विवरण

20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 14 (च) के तहत शहरी क्षेत्रों में ई०डब्ल्यू०एस० के लिए गत तीन वर्षों के दौरान बनाए गए मकानों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1262	1240	1240
2.	असम	–	16	5
3.	बिहार	166	–	100
4.	गोवा	74	125	150
5.	गुजरात	2368	2100	2003
6.	हरियाणा	1086	1215	2500
7.	हिमाचल प्रदेश	175	213	112

1	2	3	4	5
8.	जम्मू व कश्मीर	–	–	35
9.	कर्नाटक	1349	1158	1098
10.	केरल	3948	1444	2590
11.	मध्य प्रदेश	3866	3441	3058
12.	महाराष्ट्र	18050	8190	4312
13.	मणिपुर	–	–	–
14.	मेघालय	61	–	–
15.	मिजोरम	305	300	130
16.	उड़ीसा	6058	6171	1942
17.	पंजाब	500	796	764
18.	राजस्थान	2162	2059	2160
19.	सिक्किम		–	–
20.	तमिलनाडु	9509	8575	7374
21.	त्रिपुरा	202	270	–
22.	उत्तर प्रदेश	1962	1595	1522
23.	पश्चिम बंगाल	32	580	–
	संघ राज्य क्षेत्र			
24.	अ० व नि० द्वीप समूह	3	–	–
25.	दमन व दीव	–	–	–
26.	दिल्ली	6520	610	2977
27.	दादरा व नगर हवेली	5	–	–

एनरॉन कारपोरेशन

1817. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी एनरॉन कारपोरेशन से देश में 10,000 मेगावाट तक विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे, और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्ताव प्रारंभिक है और इसमें पर्याप्त ब्यौरे नहीं दिए गए हैं। जिन विभिन्न स्थलों में प्रस्तावित गैस ज्वलित विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जानी हैं उनको इंगित नहीं किया गया है। सरकार विद्युत क्षेत्र में निवेश संबंधी प्रस्तावों का धीरे-धीरे स्वागत करती है।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन

1818. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आपातकालीन एकबारगी उपाय के रूप में लगभग 12,000 मेवा० विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए तरल ईंधन आवंटन हेतु अपने निर्णय की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित दिशा निर्देशों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों द्वारा पहले से प्रस्तावित ईंधन परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकारों को भी निदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

घरेलू तेल उत्पादन

1819. **श्री एल० रमना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान तेल क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या नीति बनाई गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार तेल खनन कम्पनियों से सेवा क्षेत्र को अलग करने का है ताकि वे तेल के उत्पादन पर अधिक ध्यान दे सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) मौजूदा तेल क्षेत्रों से उत्पादन निम्नलिखित उपायों द्वारा बढ़ाए जाने के प्रयास किए जाते हैं :-

– नई परियोजनाओं/योजनाओं को लागू करना और मौजूदा क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास करना।

– वर्धित तेल निकासी योजनाओं का क्रियान्वयन तथा कतिपय वर्धित तेल निकासी योजनाओं का प्रायोगिक स्तर से पूर्ण स्तरीय क्षेत्र अनुप्रयोग के लिए विस्तार करना।

ई आर डी, साइड ट्रेक, क्षैतिज तथा नालिका छिद्र वेधन जैसी विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का क्रियान्वयन।

– जहां कहीं आवश्यक समझा जाए वहां अंतराष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना।

– तेल कूपों का त्रिआयामी भूकम्पीय सर्वेक्षण।

– ऐसे रुग्ण कूपों, जिनमें अभी भी संभाव्यता है, को पुर्नजीवित करने के लिए प्रभावी वर्कओवरों, लंबे/छोटे ड्रिफ्ट साइड ट्रेक, नालिका छिद्र जैसी विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के प्रयोग जैसे सुधारात्मक उपायों की योजना बनाई गई है।

(ख) और (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पुनः रोजगार की अनुमति

1820. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सचिव के समकक्ष कुछ वरिष्ठ स्तर के तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य विशेषज्ञों ने अपनी सेवानिवृत्ति पर या त्यागपत्र देकर या सेवानिवृत्ति के पूर्व अवकाश ग्रहण कर रिलायंस ग्रुप में शामिल हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन्हें किस आधार पर यह अनुमति प्रदान की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के निमय 10 के अंतर्गत, यदि कोई सेवानिवृत्त समूह "क" अधिकारी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति से पहले वाणिज्यिक रोजगार हाथ में लेने की पेशकश करे तो इस सितसिले में उसके द्वारा पहले सरकार की मंजूरी ली जानी अपेक्षित है। ऐसे सभी अनुरोधों पर केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 10 के उप नियम (3) में समाविष्ट मानदण्डों के संदर्भ में विचार किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिन्होंने सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है, सरकार से पूर्व मंजूरी ली जानी आवश्यक नहीं है।

कार्मिक विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एक सेवानिवृत्त समूह "क" अधिकारी को, वर्ष 1994 में, मैसर्ज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में सेवानिवृत्ति के पश्चात् वाणिज्यिक रोजगार हाथ में लेने की अनुमति दी गई थी।

एलपीजी सिलेण्डर

1821. **श्री सुधीर गिरि :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के कितने एलपीजी बाटलिंग संयंत्र हैं और ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) वर्तमान में संयंत्र-वार उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इन कम्पनियों द्वारा नए बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो इन संयंत्रों को किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है;

(ङ) क्या गैस की मांग को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा संयंत्रों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) देश में 87 एलपीजी भरण संयंत्र प्रचालनरत हैं और उनकी क्षमता 3235 टी एम टी पी ए है।

(ग) जी, हां।

(घ) विवरण-I संलग्न है।

(ङ) जी, हां।

(च) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

आठवीं योजना के प्रस्तावों के अनुसार नए भरण संयंत्र

राज्य	भरण संयंत्रों की संख्या	क्षमता टीएमटीपीए में
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2	70
अरूणाचल प्रदेश	1	5
असम	2	44
बिहार	2	32
गोवा	2	22
गुजरात	4	178
जम्मू और कश्मीर	2	25
कर्नाटक	1	22
केरल	1	22
मध्य प्रदेश	3	42
महाराष्ट्र	3	84
मेघालय	1	5
मिजोरम	1	5
मणिपुर	1	10
नागालैंड	1	5

1	2	3
पंजाब	1	34
राजस्थान	1	22
त्रिपुरा	1	5
तमिलनाडु	9	182
उत्तर प्रदेश	6	82
पश्चिम बंगाल	4	86
अंडमान और निकोबार	1	5

विवरण-II

भरण क्षमता में वृद्धि का ब्यौरा

राज्य	वर्तमान भरण क्षमता टीएमटीपीए में	वर्धित भरण क्षमता टीएमटीपीए में
बिहार	44	88
हरियाणा	76	152
केरल	18	22
मध्य प्रदेश	44	88
राजस्थान	20	44
दिल्ली	25	88
उत्तर प्रदेश	61	116
महाराष्ट्र	44	88
जम्मू और कश्मीर	20	26
पंजाब	13	26

एच०बी०जे० पाइपलाइन

1822. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एच०बी०जे० पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति किए जाने वाले कई उर्वरक संयंत्रों को गैस के आवंटन में तीस प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उर्वरक संयंत्रों के लिए गैस के आबंटन में कटौती से उर्वरक उद्योग प्रभावित होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) एच०बी०जे० पाइपलाइन के समीप, गैस की उपलब्धता इसकी कुल मांग से कम है। तदनुसार आपूर्तियां समय समय पर तैयार की गई कार्य योजनाओं के जरिए व्यवस्थित की जाती हैं।

(ग) से (ङ) एच०बी०जे० पाइपलाइन के समीप स्थित उर्वरक संयंत्रों की फीडस्टाक जरूरतें पूरी की जा रही हैं। आपूर्तियों में आगे और वृद्धि करने के लिए भी कार्रवाई की गई है।

पेट्रोल पम्प मालिकों द्वारा भूमि का अतिक्रमण

1823. डा० बलिराम : क्या प्रधान मंत्री पेट्रोल पम्प मालिकों द्वारा भूमि का अतिक्रमण के बारे में 4 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1829 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन पेट्रोल पम्प मालिकों की भूमि जिन्होंने अनधिकृत निर्माण कर रखा था वापिस ले ली गई है अथवा अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है;

(ख) उन पेट्रोल पम्पों के क्या नाम है जहां अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया गया है;

(ग) उन पेट्रोल पम्पों के क्या नाम हैं जहां अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया जाना है;

(घ) अनधिकृत निर्माण को अब तक ध्वस्त न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) अनधिकृत निर्माण कब तक ध्वस्त कर दिया जायेगा ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गिराने की कार्रवाई हेतु दो पेट्रोल पंपों के संबंध में सील करने तथा गिराने के आदेश पारित किये गये। भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा 53 पेट्रोल पम्पों के संबंध में अंतिम कारण बताओं नोटिस जारी किये गये हैं। 17 मामलों में पुनः दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये हैं और लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत बेदखली की कार्रवाई हेतु अब सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में लंबित है।

विदेशी सहायता

1824. डा० एम० जगन्नाथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राजा मुंदरी सहित विभिन्न शहरों में जल आपूर्ति और भूमिगत निकासी व्यवस्था करने के लिए विदेशी सहायता हेतु एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश से अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अवैध निर्माण

1825. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुतुब के निकट किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि गत दो माह के दौरान विकास क्षेत्र सं० 174 में अनधिकृत निर्माण के 18 मामले दिल्ली विकास अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई के लिए दर्ज किए हैं। 17 मामलों में सक्षम अधिकारी ने पहले ही कानूनी प्रक्रिया के उपरान्त निर्माण गिराने के आदेश पारित कर दिए हैं।

रोजगार के अवसर

1826. **श्री टी० गोपाल कृष्ण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए मंत्रालय द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गत दो वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि खर्च की गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा शहरी रोजगार से संबंधित दो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके नाम हैं—नेहरू रोजगार योजना (एन०आर०वाई) तथा प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी०एम०आई०यू०पी०ई०पी०)।

नेहरू रोजगार योजना (एन०आर०वाई०) : अक्तूबर, 1989 में आरम्भ की गई थी जिसका लक्ष्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले बेरोजगार तथा अल्प रोजगार शहरी निर्धनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के रोजगार पर विचार किया गया है : लघु उद्यमों की स्थापना द्वारा स्वरोजगार तथा निम्न आय प्रतिवेशों में उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के सृजन के माध्यम से वेतन रोजगार। नेहरू रोजगार योजना देश के सभी राज्यों के सभी शहरी क्षेत्रों (छावनी बोर्डों के अलावा) में चलाई जा रही है।

पी०एम०आई०यू०पी०ई०पी० : नवम्बर, 1995 में आरंभी की गई थी। इसका लक्ष्य बहु-आयामी, समग्र नगर आधार पर छोटे कस्बों में शहरी निर्धनों की आर्थिक, सामाजिक और भौतिक स्थिति में सुधार करना है। यह कार्यक्रम 27 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 342 शहरी बस्तियों तथा 72 पर्वतीय जिला कस्बों में लागू है। रोजगार सृजन तथा दक्षता उन्नयन, आक्षय उन्नयन तथा पर्यावरणीय सुधार, सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति, समुदाय को अधिकार देना तथा दीर्घकालीन सहायता प्रणाली के माध्यम से जानकारी देना इत्यादि इस कार्यक्रम के लक्ष्य हैं।

(ग) **नेहरू रोजगार योजना** : नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान खर्च की गई कुल राशि तथा प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

योजना	1994-95 से 1995-96 के दौरान खर्च की गई धनराशी (रु० लाख में)	प्राप्ति उपलब्धियां: लघु उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थी (लाख में)	प्राप्ति उपलब्धियां: सृजित श्रम दिवसों की संख्या (लाख में)
शहरी लघु उद्यम योजना	6134.70	2.50	लागू नहीं
शहरी वेतन रोजगार योजना	7844.90	लागू नहीं	105.49

पी०एम०आई०यू०पी०ई०पी० : वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 105.80 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। अधिकांश राज्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रारंभिक स्थिति में हैं। राज्यों से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, वास्तविक प्रगति इस प्रकार है :

1. 213 नगरों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण का काम पूरा किया गया है
2. 217 नगरों में नगर-वार परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई हैं।
3. स्वःरोजगार घटक के अन्तर्गत बैंकों को 20775 आवेदन पत्र भेजे गये हैं जिनमें से 9080 मामले अनुमोदित किए गए हैं।
4. आक्षय उन्नयन घटक के अन्तर्गत 10386 आवेदनपत्र बैंकों/हडको को भेजे गये हैं जिनमें से 281 मामले अनुमोदित किए गए हैं।
5. 8382 प्रतिवास समूह (एन०एच०सी०) 1200 प्रतिवास समितियां (एन०डी०सी०) तथा 444 थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटियां गठित की गई हैं।

राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट

1827. श्री श्रीबल्लभ पाणिगृही : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी बुनियादी सुविधाओं के संबंध में राकेश मोहन समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) शहरी अवस्थापना पर राकेश मोहन समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ख) समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अब तक निम्नलिखित उपाय कि गए हैं : (i) किराया नियंत्रण अधिनियम से सम्पत्ति कर आधार को अलग करने सहित सम्पत्ति कर सुधारों हेतु दिशा-निर्देश बनाने के लिए मसौदा लेखन समिति गठित की गयी है; और (ii) नगरपालिकाओं में परियोजनाएं शुरू करने के लिए विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशि जुटाने के लिए राज्य सरकारों को शहरी विकास कोष/शहरी अवस्थापना वित्त निगम गठित करने को कहा गया है।

विवरण

शहरी अवस्थापना पर राकेश मोहन समिति रिपोर्ट की सिफारिशें

- फिलहाल सरकारी निजी साक्षेदारी की अवधारणा अपनायी जाये। अतः आपूर्ति परियोजनाओं में जल स्रोत निर्धारण, जल शोधन और व्यापक आपूर्ति का निजीकरण करना संभव नहीं है। पानी का थोक वितरण और मूल्य निर्धारण सरकारी सैक्टर के पास रहेगा। कूड़े-कचरे के निपटान की पूरी तरह निजीकरण किया जा सकता है। कम लागत की सफाई का सुलभ शौचालय के मॉडल पर पूरी तरह निजीकरण किया जा सकता है। सड़कों के अनुरक्षण का काम गुणवत्ता नियंत्रण की शर्त पर प्राइवेट सैक्टर को सौंपा जा सकता है।
- अलग-अलग उपयोगों के लिए पानी का अलग-अलग शोधन। घरेलू स्तर पर पानी के पुर्नशोधन के लिए लघु स्तरीय प्रणालियां बनाई जाने की जरूरत है। पानी की चोरी को रोकने के लिए मीटर लगाने चाहिए।
- कचरे की संग्रह, शोधन और निपटान लागत कम की जाये। विभिन्न प्रकार का कूड़ा-कचरा कूड़ेदान में डालने की ओर अधिक ध्यान देने से इसकी निपटान लागत कम होगी। परिवहन लागत में कमी करने के लिए जहां पर्यावरण की दृष्टि से संभव हो कूड़े-कचरे के निपटान को विकेन्द्रिकृत किया जा सकता है।
- परियोजना लागत में कमी और सहायता में सुधार करने के लिए समुचित पैकेज अर्थात जल आपूर्ति और जल विकास की योजनाओं को एक साथ जोड़ा जा सकता है।
- कूड़े-कचरे के निपटान के क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वालों को जुर्माना लगाने का सिद्धांत अपनाया जाये।
- सड़क सैक्टर में करारोपण/उपभोक्ता प्रभार और प्रभाव शुल्क के अलावा विज्ञापन अधिकार (के ओ चलाने की भांति), पेड़ों के दीर्घकालिक पट्टे और उन पर लगने वाले फलों का उपयोग करने का अधिकार देकर लागत की भरपाई की जाये।
- संपत्ति कर के आधार को किराया नियंत्रण अधिनियम से मुक्त किया जाये।
- शहरी क्षेत्र में सभी प्रकार की अवस्थापनाएं मुहैया कराने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को उत्तरदायी बनाया जाये। विभिन्न प्रकार की सेवाएं मुहैया कराने की प्रभारी अनेकों एजेन्सियों को शहरी स्थानीय निकाय में शामिल किया जाये।
- छोटी-छोटी नगरपालिकाओं को विभिन्न स्रोतों तथा विभिन्न कार्यक्रमों के तहत धनराशि जुटाने के लिए राज्य स्तरीय नोडल अवस्थापना वित्त निगम का गठन किया जाये।

बकाया ऋण

1828. श्री गुलाम रसूल कार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर पर केन्द्र सरकार की बकाया देय राशि कितनी है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने ऋण माफ कर देने के लिए कोई अभ्यावेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इस बकाया ऋण पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितने ब्याज का भुगतान किया जा रहा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय को बकाया देय सरकारी ऋण की राशि 2788.51 करोड़ रुपये थी।

(ख) जम्मू व कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री को 1275 करोड़ रुपये के बकाया केन्द्रीय ऋण को राशि छोड़ देने का अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन भेजा है ताकि चालू खाते में घाटे और शेष राशि के प्रबन्धन में सुधार लाया जा सके, और ऋणों के भुगतान के कारण निर्गम को प्रबन्धीय सीमाओं के अन्दर रखने के लिए रिशैड्यूलिंग किया जा सके।

(ग) प्रधानमंत्री ने 13-14 फरवरी, 1997 को अपने जम्मू और कश्मीर राज्य के दौरे के दौरान घोषणा की कि राज्य सरकार की 1275 रु० के केन्द्रीय ऋण की माफी की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार

किया जाएगा तथा उस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। इस बारे में चर्चा करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा जाएगा।

(घ) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 के लिए वित्त मंत्रालय को बकाया ऋणों पर ब्याज के रूप में दी जाने वाली राशि 258.97 करोड़ रुपये है।

योजना के लक्ष्य

1829. श्री एस०के० कारबींधन :
श्री सुब्रहम्ण्यम नेलावाला :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अपने प्रारूप पत्र (एप्रोच पेपर) में वार्षिक योजना आकार तथा परिव्यय के निर्धारण के मामले में राज्यों को और अधिक स्वायत्तता दिए जाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप राज्यों को केन्द्रीय सहायता को ध्यान में रखते हुए अपने योजना आकार को नियंत्रित करने की छूट होगी;

(ग) योजना आयोग द्वारा अन्य क्या सुझाव दिए गए हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या राज्य सरकारें प्रत्येक क्षेत्र के लिए निर्धारित धनराशि को अन्य मदों में लगाए बिना योजना परिव्यय को वित्त घोषित कर पायेगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को अधिक स्वायत्ता की अनुमति देने हेतु दृष्टिकोण पत्र में दिए गए अन्य सुझाव हैं :-

1. सिद्धान्त रूप में, केन्द्र रूप से प्रायोजित स्कीमें कतिपय क्षेत्रों तक सीमित रहनी चाहिए और शेष को केन्द्र और राज्य सरकारों के परामर्श से चरणबद्ध पद्धति से समनुरूप निधियों सहित राज्यों को स्थानांतरित कर दी जानी चाहिए।

2. बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के संबंध में अपनाया गया दृष्टिकोण कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए जिनमें पूर्व निर्दिष्ट लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए निधियों को निर्धारित किया जायेगा। यद्यपि राज्यों को इन क्षेत्रों में कार्यक्रम डिजाइन करने और उनके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त लोच दी जाएगी।

3. राज्यों के वार्षिक योजना दस्तावेजों की जांच पंचवर्षीय योजनाओं के विशुद्ध अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए। अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और अपनी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए राज्य क्षेत्रकीय/उपक्षेत्रकीय आवंटनों के वार्षिक चरणबद्धीकरण के लिए स्वतंत्र होने चाहिए।

4. परिव्यय का निर्धारण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संगत न्यूनतम मात्रा पर प्रतिबन्धित किए जाने चाहिए। लेकिन राज्य योजना आयोग के अनुमोदन के बिना निर्धारित क्षेत्रकों/स्कीमों से निधियों के विचलन के लिए स्वतन्त्र नहीं होंगे।

दृष्टिकोण पत्र के उपयुक्त सुझाव नौवी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में यथा-उपर्युक्त समाविष्ट किए जायेंगे और केन्द्र और राज्यों के परामर्श से योजना अवधि के दौरान कार्यानिवत किए जायेंगे।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार

1830. श्री भगवान शंकर रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में शहरी युवाओं के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) उत्तर प्रदेश सहित सारे देश में शहरी रोजगार से संबंधित दो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं चलाई जा रही हैं नामतः नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) तथा प्रधान मंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआई यूपीईपी), नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी लघु उद्योग योजना में शहरी निर्धन लाभार्थियों को स्थापित करने के लिए सब्सिडी तथा ऋण देकर सहायता की जाती है।

पी०एम०आई०यू०पी०ई०पी० : नवंबर, 1995 में आरंभ की गई थी जिसका लक्ष्य छोटे कस्बों में शहरी निर्धनों की समस्याओं को निपटाना तथा बहु-आयामी समन्वित आधार पर शहरी निर्धनों की आर्थिक, सामाजिक और भौतिक स्थिति में सुधार करना है। इस योजना का एक घटक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले शहरी निर्धन, जिन्हें नवीं कक्षा अथवा उससे कम शिक्षा प्राप्त है, को स्व-रोजगार उपलब्ध कराना है।

(ख) उत्तर प्रदेश में नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्व-रोजगार की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

वर्ष	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
1993-94	24813
1994-95	35852
1995-96	24893
1996-97 (31.1.97 तक)	15840

पी०एन०आई०यू०पी०ई०पी० अभी भी अतिकांशतः प्रारंभिक स्थिति में है।

[अनुवाद]

अनधिकृत निर्माण

1831. डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री संसद विहार में अनधिकृत निर्माण के बारे में 4 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं० 4234 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद विहार में अनधिकृत और अवैध निर्माण को गिराने के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी प्रगति की गई है;

(ख) क्या इस तरह के अनधिकृत निर्माण निकटवर्ती ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में भी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार ऐसी को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी है; और

(घ) उन सोसाइटियों के नाम क्या हैं जिन्होंने कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 16.9.1996 को संसद विहार में अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई की थी।

(ख) और (ग) जब कभी भी किसी अवैध निर्माण का पता चलता है/सूचना मिलती है तो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि निम्नलिखित कालोनियों के अतिरिक्त किसी अन्य सहकारी समूह आवास समिति ने पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है :-

1. लेकव्यू सी०जी०एच०एस० लि०, पश्चिमपुरी।
2. मंत्रिमण्डल सचिवालय, सी०जी०एच०एस० लि०, पंखा रोड।
3. पूर्ति सी०जी०एच०एस० लि०, बोडेसा।
4. स्वयं सिद्ध सी०जी०एच०एस० लि०, मादीपुर।
5. राजा एनक्लेव सी०जी०एच०एस०।
6. वायु जल सेना आवास बोर्ड सी०जी०एच०एस० पीतमपुरा।
7. कांगड़ा आर्दश सी०जी०एच०एस० लि०, वोडेला।
8. हमदर्द सी०जी०एच०एस० लि०, ओखला।
9. एक्स सी०जी०एच०एस० लि०, चिल्ली।
10. विदिशा सी०जी०एच०एस० लि०, पटपड़गंज।

कार्यबल

1832. श्री वी० प्रदीप देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शहरी-करण नीति के लिए जानकारी एकत्र करने हेतु गठित शहरी परिदृश्य और नीति संबंधी कार्यबल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय शहरी नीति के कब तक बनने का अनुमान है और इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शहरी विकास राज्य का विषय है इसलिए शहरीकरण के सन्दर्भ में नीतियां और कार्यक्रम राज्य विशेष कारकों यथा–शहरीकरण स्तर, आर्थिक विकास की अवस्था, औद्योगिकरण, ग्रामीण शहरी स्थानिक तथा कार्यात्मक सम्पर्कों की प्रकृति, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक घटकों आदि से प्रभावित होते हैं। राज्य स्तर पर शहरी कार्य की नीतियों/नीतियों और कार्यक्रमों को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण यह बताना संभव नहीं है कि राष्ट्रीय शहरी नीति कब तक तैयार कर ली जायेगी। इस नीति को बनाने में विलम्ब का मुख्य कारण, शहरी विकास पर राज्य सरकारों की अवधारणाओं संबंधी सूचनाएं पर्याप्त न होना है।

विद्रोह को दबाने हेतु अभियान

1833. श्री तारीक अनवर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में विद्रोह को दबाने संबंधी अभियानों के संबंध में सेना, अन्य सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस बल में उनकी भूमिका के संबंध में मतभेद पैदा हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या वहां लोकतांत्रिक सरकार बनने के बावजूद भी इसके परिणामस्वरूप आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सी०एस०आई०आर० संबंधी समिति

1834. श्री शरत पटनायक : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सी०एस०आई०आर० के अधीन कार्यरत सभी अनुसंधान संस्थाओं के कार्यकरण की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद

1835. श्री सुख लाल कुशवाहा :
श्री राम नाईक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का श्रेणी-वार प्रतिशत क्या है;

(ख) विभिन्न विभागों में 31 दिसम्बर, 1996 तक इन श्रेणियों के रिक्त पदों का राज्य-वार ब्यौरा क्या था; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित सूचना, जिसमें राज्य सरकारों इत्यादि की सूचना शामिल है, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, 1.1.1994 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) केन्द्रीय सरकार में भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियां विद्यमान अनुदेशों के अनुसार भरी जाती हैं। सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियां भरने के लिए 1989 से विशेष भर्ती अभियान भी चला रही है।

विवरण

1.1.1994 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

समूह	अनुसूचित जाति %	अनुसूचित जनजाति %
क	10.24	2.92
ख	12.06	2.81
ग	15.73	5.38
घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	20.46	6.15
सफाई कर्मचारी	49.06	6.90
कुल (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	16.90	5.48

[अनुवाद]

"आई०डी०एस०एम०टी०" योजना

1836. श्री अनंत कुमार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "आई०डी०एस०एम०टी०" योजना के अंतर्गत कर्नाटक में किन-किन नगरों/शहरों का चुनाव/विकास किया गया है तथा इनमें से प्रत्येक पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या इसके लिए कुछ अन्य देशों द्वारा भी सहायता दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) 1979-80 से 28.2.97 तक आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम के तहत कर्नाटक राज्य के 73 कस्बे शामिल कर लिए गए हैं और राज्य सरकार को 2065.86 लाख रुपये की धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की जा चुकी है। राज्य सरकार ने 1933.99 लाख रुपये के व्यय होने बावत सूचना दी है। ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आईडीएसएमटी स्कीम के तहत कर्नाटक राज्य में शामिल किए गए कस्बे, जारी केन्द्रीय सहायता और सूचनानुसार हुआ व्यय (1979-80 से 28.2.1997 तक)

क्र० सं०	कस्बे का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)	सूचनानुसार हुआ व्यय
1	2	3	4
1.	हसन	40.000	83.030
2.	चित्रदुर्गा	51.055	115.480
3.	तुमकुर	54.917	111.830
4.	रायचूर	36.280	58.330

1	2	3	4
5.	होस्पेट	24.800	29.870
6.	चन्नापटना	44.939	77.760
7.	कनक पुरा	35.980	55.320
8.	मगादी	32.480	81.030
9.	हुमनावाद	38.290	57.460
10.	होलनरसीपुर	36.500	66.480
11.	सागर	42.950	87.115
12.	साहपुर	53.550	148.826
13.	जाम खांडी	36.410	58.680
14.	खुशाल नगर	25.860	49.380
15.	गानी वेन्नूर	38.850	51.820
16.	करकला	23.500	33.480
17.	चिक्कावल्लापुर	33.000	55.220
18.	रामनगरम	46.000	51.110
19.	सिरसी	30.000	33.750
20.	हरिहर	36.000	21.180
21.	सिंधानुर	37.000	49.950
22.	रोलेगल	34.000	99.540
23.	गोकाक	22.000	36.030
24.	बरूयाकल्याण	15.000	10.470
25.	कोलार	18.000	25.520
26.	उडूपी	17.500	32.570
27.	शिकारी पुर	18.000	28.520
28.	मलावली	10.000	18.080
29.	रवाकीव वेनहटी	10.000	11.790
30.	डन्डेली	20.000	36.000
31.	चिन्ता मणि	46.000	82.610
32.	चिकमंगलूर	20.000	20.610
33.	तिपतूर	20.000	4.980
34.	गोरीविन्दनूर	20.000	26.650
35.	बदामी	28.000	38.530
36.	गुरूमितकल	16.000	18.980
37.	सौन्डत्ती	20.000	2.100
38.	व्यादगी	12.000	15.450
39.	करवाड	20.000	10.460
40.	विदार	17.000	3.350
41.	हवेरी	14.000	5.100
42.	वेल्लारी	85.000	57.140
43.	मधुगीरी	12.000	—
44.	के०आर० नगर	11.000	—
45.	इलकल	22.000	—
46.	निप्पानी	30.000	12.42
47.	डोडडावल्लापुर	25.000	—
48	वेलहोंगल	25.000	—
49.	मुदलगी	25.000	10.00
50.	मुलबागल	22.000	—
51.	लिंगासूगर	22.000	—
52.	मडया	57.000	—
53.	बीजापुर	41.000	—
54.	लक्ष्मेश्वर	20.000	—
55.	शिग गांव	10.000	—
56.	सवानूर	19.000	—
57.	गडगवलतगिरी	55.000	—
58.	कोटूर	12.000	9.00
59.	मालूर	24.000	—
60.	सोहापुर	19.000	—
61.	कुंडापुर	23.000	—
62.	सिदलघट्टा	10.000	—
63.	अरसिकेरी	27.000	—
64.	हुनसूर	28.000	—
65.	गजेन्द्र गढ़	30.000	—
66.	सिरा	30.000	—

1	2	3	4
67.	बंगारपेट	22.000	–
68.	कोप्पल	30.000	–
69.	कादूर	28.000	–
70.	होलनरसीपुर	30.000	–
71.	मुडेयहल	16.000	–
72.	डनककमईंस	30.000	–
73.	हरापनाहल्ली	30.000	–
	योग	2065.86	1933.99

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

1837. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का तेजी से विकास करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए कोई और योजना क्रियान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आबादी के दबाव को कम करने और आबादी तथा आर्थिक कार्यकलापों को फैलाते हुए समग्र एनसीआर के एक संतुलित संगत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनसीआर योजना बोर्ड द्वारा एक क्षेत्रीय योजना तैयार की गयी है। यह योजना, दिल्ली में प्रस्तावित भीड़-भाड़ कम करने को सुगम बनाने के लिए क्षेत्र में चुने गये कस्बों और परिसरों के विकास के उद्देश्य से नियत नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से एनसीआर के सहभागी राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नौंवी योजना अवधि के दौरान लगभग 26000 करोड़ रुपये के वांछित निवेश का अनुमान लगाया गया है। ये अनुमान योजना आयोग द्वारा गठित उप-दल द्वारा तैयार किये गये हैं, जो विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए समग्र आर्थिक नियोजन निष्पादन का पूर्वारंभ है और नौंवीं योजना के लिए इस पर अंतिम निर्णय योजना आयोग द्वारा लिया जाना है इसलिए एनसीआर के लिए अभी किसी अन्तिम नियतन बावत निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। एनसीआर के विकास हेतु अन्य योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

1838. डा० कृपासिंधु भोई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के परामर्श स्कंध को कोई अंतर्राष्ट्रीय टर्न-की संविदा प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक चालू किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के परादर्शी स्कंध द्वारा प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय टर्नकी संविदाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

संविदा का नाम	आर्डर की तिथि	ठेके की कीमत
1. मै० दुबई इलैक्ट्रिसिटी एण्ड वाटर अथोरिटी की दुबई स्थित 400/132 के०वी० पारेषण प्रणाली	जनवरी, 1991	17.756 मि० अमेरीकी डालर
2. मै० दुबई इलैक्ट्रिसिटी एण्ड वाटर अथोरिटी की दुबई स्थित 132 के०वी० वाले 2 जीआईएस उपकेन्द्र।	जनवरी, 1994	17.756 मि० यूएसई डी०एच०
3. मै० नेपाल इलैक्ट्रिसिटी अथोरिटी की नेपाल स्थित 132/66/33 के०वी० वाले 21 उपकेन्द्र	अक्टूबर, 1993	5.317 मि० अमरीकी डालर† 60.30 मिलियन नेपाली रुपया

(ग) प्रथम दो परियोजनाओं को चालू किया जा चुका है। जहां तक तीसरे अनुबंध का संबंध है, 21 में से 18 उपकेन्द्रों को पहले ही चालू किया जा चुका है। शेष तीन को जून, 1997 तक चालू किए जाने की संभावना है।

पाइपलाइन परियोजना

1839. श्री अनंत गुढ़े : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1997 के "द इकनामिक टाइम्स" में "एस आर, रिलायंस पेट्रो ज्वाइन हैड्स फार पाइपलाइन प्रोजेक्ट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का विचार इस परियोजना पर कब तक कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) वाडीनार और कांडला के बीच उत्पाद पाइपलाइन

बिछाने के लिए समाचार के संबंध में, आईओसी का एक प्रस्ताव प्रथम चरण के अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है।

कोचीन हाई में तेल की खोज

1840. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोचीन हाई में तेल की खोज हेतु कदम उठाया गया है, और

(ख) कोचीन हाई में तेल निकालने के कार्य में क्या प्रगति हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) कोचीन हाई में अन्वेषण क्रियाकलाप चलता रहा है। एक अन्वेषी कूप (सीएस-1-1) के जरिए इस क्षेत्र का परीक्षण वेधन किया गया है। तथापि, परिणाम उत्साहवर्द्धक नहीं रहे हैं। एक अन्य अन्वेषी स्थान (सी एच-2-1) उपलब्ध है। अन्वेषण वरीयता की अभिपुष्टि के लिए समीपवर्ती संरचनाओं के आंकड़ों के साथ इस क्षेत्र के आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।

राजसहायता संबंधी नीति

1841. श्री अन्नासाहित एम०के० पाटिल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की कृषि, उर्वरकों, बिजली, पानी और कीटनाशकों इत्यादि के संबंध में राजसहायता संबंधी नीति क्या है और तत्संबंधी प्राक्कलन क्या है और अगले पांच वर्षों के लिए मंत्रालय-वार उनका अनुमान क्या है;

(ख) क्या विश्व व्यापार संगठन में दिए गए भारतीय व्यापार समझौते के अनुसार 1986-87 से 1988-89 तक 24,442 करोड़ रुपये तक की मूल्य की वस्तुओं के लिए भारतीय किसानों को नकारात्मक उत्पाद विनिर्दिष्ट राजसहायता मिलती थी और निर्यात व्यापार पर प्रतिबंध लगा होने के कारण कृषि आय में 24,442 करोड़ रुपये की कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो नकारात्मक राजसहायता की गणना करने में किन-किन फसलों को शामिल किया गया है और कुल कृषि उत्पादन का नकारात्मक राजसहायता का अनुमान क्या है; और

(घ) उदारीकरण के युग में विशेष रूप से कृषि के लिए राज-सहायता समाप्त करने के संबंध में, किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की भावी मूल्य निर्धारण नीति क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी रिपोर्टों का प्रकाशन

1842. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी प्रकाशक विभिन्न सरकारी समितियों तथा आयोगों की रिपोर्टों का प्रकाशन कर ऊंची कीमतों पर बाजार में उनकी बिक्री करते हैं और इस प्रकार सरकारी कार्य पर भारी मुनाफा कमा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं क्योंकि सरकार इन समितियों/आयोगों के गठन पर करोड़ों रुपया व्यय करती है;

(ग) क्या इस संबंध में हाल ही में कोई जांच करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) इस मंत्रालय के प्रकाशन विभाग को विभिन्न सरकारी समितियों और आयोगों की रिपोर्टों के प्रकाशन से संबंधित सरकारी प्रकाशन के प्रकाशकों द्वारा कापीराइट अधिनियम, 1957 के उल्लंघन बाबत कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति और आयोग की रिपोर्ट को पुनः तैयार करने अथवा प्रकाशन करने पर यदि ऐसी रिपोर्ट विधान मंडल के पटल पर रखी गई हो कापीराइट के उल्लंघन का मामला वहां बनता है या जब तक कि ऐसी रिपोर्ट को पुनः तैयार करने का अथवा प्रकाशन का सरकार द्वारा निषेध न किया गया हो।

डी०डी०ए० फ्लैटों का आवंटन

1843. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में डी०डी०ए० द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किए गए मनमाने और भेदभावपूर्ण ढंग से आवंटनों की जांच करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) डी०डी०ए० फ्लैटों के बिना बारी आवंटन संबंधी प्रावधान, विकलांगों, युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं, आतंकवादी गतिविधियों के शिकार व्यक्तियों जैसे वाजिब और जटिल मामलों को मदद करने के लिए बनाए गए हैं। बिना बारी आवंटन का कोटा डी०डी०ए० की प्रत्येक स्कीम के तहत निर्मित फ्लैटों का केवल 2½ प्रतिशत है। इन आवंटनों का अनुमोदन एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाता है। जिसमें शहरी कार्य और रोजगार मंत्री तथा दिल्ली के राज्यपाल शामिल हैं। अतः डी०डी०ए० फ्लैटों के मनमाने अथवा पक्षपातपूर्ण आवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जिला ग्रामीण विकास एंजेसियां

1844. श्री एन०जे० राठवा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की संरचना और कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को भंग करके जिला पंचायतें स्थापित करने का है जिनका मुख्य उद्देश्य जिले के अंतर्गत आने वाले गांवों का विकास करना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा वर्षवार, राज्यवार, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई और इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां रहीं ?

ग्रमीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां वर्ष 1980 में बनाई गई, जय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को देश के सभी विकास खंडों में लागू किया गया था। उन जिलों, जिन जिलों में छोटे किसान विकास एजेंसियां और सूखा बहुल क्षेत्र विकास की एजेंसियां विद्यमान थीं वहां उनका विलय कर दिया गया और उसे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के रूप में पुनर्नामित किया गया अन्य जिलों, जहां ऐसी एजेंसियां विद्यमान नही थी, वहां नई जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां बनाई गई इन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को इस मंत्रालय के सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी बनाया गया।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियां हैं, एजेंसी के प्रशासन के लिए इसकी अपना उप विधियां हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की संरचना को संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ख) और (ग) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, संविधान के 73वें संशोधन के परिणामस्वरूप राज्यों को सलाह दी गई है कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां जिला परिषद के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगी। जिला परिषद् का अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी निकाय का पदेन अध्यक्ष होगा और वह इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

तथापि, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपयुक्त के पास होंगी, जिन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया जाए। दोनों संस्थानों के बीच अधिक समेकन लाने के विचार से जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जहां ये पद जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों/डिप्टी कमिश्नरों द्वारा पदेन रूप से धारित नहीं है, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी निकाय का सदस्य सचिव होगा। परंतु जिला परिपद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के रैंक के नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी निकाय की संरचना

(निदर्शी)

अध्यक्ष

1. अध्यक्ष जिला परिषद
2. जिले के सभी सांसद, विधायक और विधान परिषद के सदस्य
3. प्रत्येक वर्ष के लिए वर्णानुक्रम से बारी-बारी से दो भूतपूर्व सांसद
4. प्रत्येक वर्ष के लिए वर्णानुक्रम से बारी-बारी से दो भूतपूर्व विधायक
5. पंचायत समिति के एक तिहाई अध्यक्षों को प्रत्येक वर्ष की अवधि के लिए वर्णानुक्रम से बारी-बारी से नामित किया जाए जिनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित और एक महिला होनी चाहिए।
6. जिला परिषद की स्थायी समितियों का अध्यक्ष
7. कलेक्टर/जिला मजिस्टेट/डिप्टी कलेक्टर-मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी निदेशक
8. जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष
9. अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
10. जिला लीड बैंक अधिकारी
11. जिला स्तर पर नाबार्डे का प्रतिनिधि।
12. महाप्रबंधक डी०आई०सी०
13. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रतिनिधि।
14. परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रभारी जिला अधिकारी।
15. जिला कृषि अधिकारी।
16. जिला पशुचिकित्सा अधिकारी।
17. जिला मछली पालन अधिकारी।
18. जिला रोजगार अधिकारी।
19. परियोजना अधिकारी आई०टी०डी०पी०
20. जिला वन्य अधिकारी।
21. क्षेत्रीय/जिला अधिकारी, अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त निगम।
22. जिला ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता अधिकारी

23. सहायक परियोजना अधिकारी (महिलाओं का विकास)

24. ग्रामीण गरीबों को संगठित करने में अनुभव रखने वाली एक महिला कार्यकर्त्ता/आयोजक (जिसे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए)

25. लैंड मार्टगेज बैंक का जिला स्तरीय अध्यक्ष।

26. जिला दूध संघ का प्रतिनिधि (जिसे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए)

27. कमजोर वर्गों के दो प्रतिनिधि, उनमें से एक अनुसूचित जाति तथा जनजाति में से लिया जाना चाहिए। ये प्रतिनिधि कार्यक्रम के लाभार्थी हो सकते हैं (जिसे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए)

28. ग्रामीण महिलाओं का एक प्रतिनिधि मुख्यतया वह लाभार्थी हो (जिसे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए)

29. अल्प संख्यक समुदाय से संबंधित एक सदस्य (जिसे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए)

30. मुख्य कार्यकारी अधिकारी-जिला परिषद-सदस्य सचिव।

31. परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी।

32. ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।

[अनुवाद]

निजी विद्युत परियोजनाएं

1845. श्रीमती मीरा कुमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों/विदेशी एजेंसियों द्वारा भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त किए बगैर केवल अपने वित्तीय संसाधनों द्वारा देश में विद्युत परियोजनाओं का विकास/क्रियान्वयन किया जा रहा है; और

(ख) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन और इन्हें चलाने हेतु क्या शर्त निर्धारित की गई हैं।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) बिना भारतीय वित्त-पोषण के पूर्णतः अपने निजी वित्तीय संसाधनों के साथ निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विदेशी निवेशकों से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल की फिजूल खर्ची

1846. श्री कृष्णलाल वर्मा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अद्यतन आकलनों के अनुसार दिल्ली में विभिन्न चौराहों पर बत्ती की प्रतीक्षा करते समय वाहनों द्वारा प्रतिदिन 3.2 लाख लीटर पेट्रोल तथा एक लाख टन लीटर डीजल बर्बाद किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने इस तरह के अपव्यय को कम करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) पेट्रोलिसम संरक्षण अनुसंधान संघ (पी०सी०आर०ए०) के कहने पर केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी०आर०आर०आई०) द्वारा किए गए अध्ययन में दिल्ली में विभिन्न चौराहों पर वाहनों के रूकने के कारण प्रतिदिन 3.22 लाख लीटर पेट्रोल और 1.01 जाख लीटर डीजल बर्बाद होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) दिल्ली सरकार ने यातायात की भीड़ भाड़ कम करने, प्रदूषण और दुर्घटनाओं को घटाने तथा दिल्ली की सड़कों पर यातायात के सुरक्षित और निर्विघन प्रवाह की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न कदम उठाने की योजना बनाई है। इसमें दिल्ली के मुख्य मार्गों पर ट्रेफिक-सिगनलों का सामयिकीकरण, कम्प्यूटरीकृत क्षेत्र ट्रेफिक नियंत्रण प्रणाली की शुरूआज करने की योजना बनाना और वाहन चालित ट्रेफिक सिगनलों की स्थापना आदि शामिल है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले फल/सब्जियां

1847. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उत्पादित उन फलों/सब्जियों का ब्यौरा क्या है जिनका इस्तेमाल खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा किया जाता है; और

(ख) ऐसे फलों/सब्जियों का वार्षिक कितनी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ख) भारत शीतोषण, उप-उष्णकटिबंधी एवं उष्णकटिबंधी जलवायु में उगानें वाले सभी प्रकार के फल एवं सब्जियों का उत्पादन करता है। इस समय आम, पपीता, अमरूद, अनानास, संतरा और सेब ऐसे मुख्य फल और टमाटर, मटर और प्याज ऐसी मुख्य सब्जियां हैं जिनका प्रसंस्करण किया जाता हैं। प्रत्येक फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण के संबंध में अलग से आकड़ें नहीं रखे जाते। लेकिन अनुमान है कि वर्ष 1996 के दौरान कुल मिलाकर 19.20 लाख टन फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण किया गया था।

विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी

1848. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अक्तूबर, 1996 को "द हिन्दुस्तान टाईम्स" में "दी पैराटाईट पैक्ट आल्टरनेटिव रिजेक्टिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने निजी विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के बीच हुए त्रिपक्षीय करार को अस्वीकृत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में किसी विकल्प का सुझाव दिया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रतिगारंटी संबंधी अंतिम निर्णय के कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) केन्द्रीय सरकार स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई०पी०पी०) के प्रति संबंधित राज्य बिजली बोर्ड की भुगतान देयताओं के लिए राज्य गारंटी के संबंध में भारत सरकार की प्रतिगारंटी के निम्नलिखित विकल्पों को अपनाने हेतु राज्य सरकार को पहले ही सुझाव दे चुकी है।

(अ) स्वंतत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा उच्च मनाय उपभोक्ताओं को विद्युत की सीधी आपूर्ति

(ब) एक एस्त्रो खाता का खोला जाना, जिसमें अभिशत उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले भुगतान राशियों को जमा किया जाएगा तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को किए जाने वाले भुगतान देयता के लिए प्रथमतः निकाली जाएगी।

(स) विद्युत उत्पादन को वितरण से जोड़ना।

भारत सरकार कुछ अन्य विकल्पों की भी जांच कर रही है।

सम्पत्ति का जब्त किया जाना

1849. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन बोलोनाइजरों/भूमि माफियाओं की सम्पत्ति जब्त करने का कोई प्रस्ताव है जिन्होंने दिल्ली में उन निर्दोष लोगो को सरकारी और ग्राम सभा की भूमि को बेचा है और जिनके घरों को अब गिरा दिया गया है अथवा गिराये जाने की प्रक्रिया में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संगत अधिनियमों के तहत सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और इस पर अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई भू-स्वामित्व वाली एजेन्सियों और स्थानीय निकायों/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की जाती है।

एन०टी०पी०सी०

1850. श्री नारायण अठावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1997 के "बिजनेस स्टेडर्ड" में "एनटीपीसी" वांट्स रिवर्ज बैंक ऑफ इंडिया गारंटी फॉर एग्रीमेंट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की तथा भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) एन०टी०पी०सी० के हितों की रक्षा के लिए किए प्रस्ताव और नीति की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) राज्य बिजली बोर्डों को की गई विद्युत आपूर्ति का भुगतान प्राप्त करने के लिए एनटीपीसी ने राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता निष्पन्न करने का प्रस्ताव किया है ताकि राज्य बिजली बोर्ड द्वारा चूक किए जाने की दशा में राज्य द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में खोले गए खाते से एनटीपीसी की बकाया राशियों को वसूल किया जा सके। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था का समर्थन नहीं किया है। एनटीपीसी संबंधित राज्य सरकारों/रा०बि० बोर्डों के साथ उनकी भुगतान देयताओं को पूरा करने के लिए उनके द्वारा एनटी पीसी के पक्ष में साख-पत्र खोले जाने, जिसे राज्य सरकार की गारंटी सहायता प्राप्त हो, के आधार पर विद्युत क्रय समझौता निष्पन्न करता रहा है।

[हिन्दी]

हुडको द्वारा धनराशि जुटाना

1851. श्री सुशील चन्द्र क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बाण्ड जारी कर हुडको द्वारा बाजार से कितनी धनराशि जुटायी गयी; और

(ख) हुडको द्वारा राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं को दी गयी धनराशि सें से कितनी प्रतिशत की वसूली की गयो है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान हुडको द्वारा जारी बंध. पत्रों (बांडों) ऋण पत्रों के माध्यम से जुटायी गई निधियां इस प्रकार हैं:—

रु० करोड़ों में

वर्ष	कर योग्य बंधपत्र (बांड)	कर मुक्त बंधपत्र (बांड)	ऋण पत्र
1993-94	204.50	195.50	30.00
1994-95	174.00	—	40.00
1995-96	273.50	—	20.00

(ख) हुडको द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.12.96 तक 92.63% ऋण राशि वापस प्राप्त हो गई है जो वसूली के लिए देय थी। विवरण इस प्रकार है :–

	करोड़ रुपये में
जारी संचयी ऋण	9126
देय संचयी पुनर्भुगतान	9153
प्राप्त संचयी पुनर्भुगतान	8483

[अनुवाद]

रोजगार गारंटी योजनाएं

1852. श्री टी० गोविन्दन : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रोजगार गांरटी योजना कार्यक्रम का सुदूर पश्चिमी घाट के अनुसूचित जन जाति बहुल 16 प्रखंडों में विस्तार करने संबंधी केरल सरकार के अनुरोध पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) केरल के शेष सभी गैर – सुनिश्चित रोजगार योजना के विकास खण्ड 1997-98 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कवर कर लिए जाएगें।

भूखंड का आबंटन

1853 श्री ओ०पी० जिन्दल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचशील सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड के सदस्यों को मोहाली (चंडीगढ़) पंजाब में आवासीय भूखंड आवंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इन आबंटितों को कब तक भूखंडों का कब्जा दे दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) से (ग) पंजाब सरकार ने सूचना दी है कि पंचशील सहकारी आवास निर्माण समिति लि० के भूखांड के आवंटन के लिए राज्य सरकार से अनुरोध नहीं किया है। तथापि, समिति ने एक कालोनी बनाने के लिए आवेदन किया है लेकिन प्रस्तावित भूमि पंजाब सरकार परिसम्पत्ति विनियमन अधिनियम के तहत "लिबंत्रित क्षेत्र" में पड़ती है।

कालोनी बनाने के लिए समिति को लाइसेंस देने से पूर्व इसे प्रोत्साहक के रूप में पंजीकृत होना अपेक्षित है। यह कार्रवाई इसके द्वारा अब तक नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

अनूपूरक जवाहर रोजगार योजना समाप्त करना

1854. श्री बची सिंह रावत "बचदा" क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में अनुपूरक जवाहर रोजगार योजना समाप्त किए जाने के क्या कारण है;

(ख) इस योजना को समाप्त किए जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का सामना करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने हेतु यह योजना फिर से शुरू करने का है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) पूरक जवाहर रोजगार योजना नामक कोई भी योजना चालू नहीं थी। तथापि, देश के 120 पिछड़े जिलों में कार्यान्वित की जा रही गहन जवाहर रोजगार योजना को 1.1.1996 से सुनिश्चित रोजगार योजना में मिला दिया गया था। सुनिश्चित रोजगार योजना मांग पर आधारित योजना है जिसके अंतर्गत जिले उपपलब्ध निधियों का 50% या अधिक का उपयोग करने के बाद जिलों द्वारा अगली किस्त के लिए आवेदन दिया जा सकता है। इससे जिले में बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है।

[अनुवाद]

नौकरशाही का पूर्ण रूप से विफल होना

1856. श्री रामसागर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 नवम्बर, 1996 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "ब्यूरोक्रेसी ए फिआस्कोः के चीफ सेक्रेट्री काल फार द रिवेंम्प" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्याा है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) और (ग) दिनांक 21.11.96 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "ब्यूरोक्रेसी ए फिआस्कोः चीफ सैक्रेट्रीज काल फार इट्स रिवैम्प" शीर्षक से प्रकाशित समाचार, दिनांक 20.11.96 को हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन के निष्कर्षों पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट से सम्बन्धित है।

मुख्य सचिवों के सम्मेलन की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

(I) कार्य-पद्धतियों को पुनः व्यवस्थित करने, निचले स्तर तक शक्तियों को प्रत्यायोजन करने तथा सभी के लिये सुलभ प्रभावी प्रबन्ध सूचना-प्रणाली तैयार करने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही सार्वजनिक सेवाओं को उपयुक्त आकार में लाने सम्बन्धित उपाय भी आवश्यक हैं।

(II) लोक सेवा में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि इसकी रोकथाम, निगरानी तथा निवारक अभियोजना पर ध्यान दिया जाए और अपराधियों एवं अनैतिक तत्वों के बीच गठ-बंध के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

(III) भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सिविल सेवा के लिये एक नैतिक चार्टर तथा सिविल सेवा संहिता तैयार की जानी चाहिए।

(Iv) राज्य सरकारों से अनुरोध किया जायेगा कि वे एक उच्च शक्ति प्राप्त सिविल सेवा बोर्ड सहित उचित तंत्र बनाएं तथा सभी स्तरों के कर्मचारियों की तैनाती, पदोन्नति और स्थानान्तरण संबंधी मामलों पर पारदर्शी निर्णयों के लिये संबंधित नियमों को संशोधित करें।

(v) यह आवश्यक है कि सरकार और लोक निकायों के कार्य-निष्पादन में अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता लाई जाए।

(vI) जनता की संतुष्टि और सेवाओं की उत्तरदायित्वपूर्ण डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिये जवाबदेही को एक व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिये। इस उद्देश्य के लिये, जितने भी सेवा संस्थानों के लिये संभव हों, एक चरण-बद्ध तरीके से नागरिक चार्टर लागू करने पर विचार किया जा सकता है।

सम्मेलन की सिफारिशों का व्यापक प्रचार किया गया है तथा उन पर शीघ्र कार्रवाई के लिये केन्द्रीय सरकार के भीतर और राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न नागरिक समूहों तथा राज्य सरकारों के विचारों को समेकित करने के बाद, शीघ्र ही मुख्य मंत्रियों से सम्मेलन में एक कार्य योजना प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है।

बिक्री कर की अदायगी

1857. **श्री सनत मेहता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी विमान कंपनियां विभिन्न तेल कंपनियों को विमानन टरबाइन ईंधन पर बिक्री कर और अन्य राज्य करों की अदायगी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन विदेशी विमान कंपनियों के नाम क्या है;

(ग) प्रत्येक एयरलाइन द्वारा तेल कंपनियों को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि कितनी है;

(घ) क्या एयर इंडिया ने भी विदेशी विमान कंपनियों की तरह बिक्रीकर के भुगतान से छूट देने के लिए अनुरोध किया है;

(ङ) क्या इस मामले का समाधान करने के लिए अंतर-मंत्रालय स्तर पर बैठक का आयोजन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो उस बैठक के क्या परिणाम रहे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) 31.1.97 की स्थिति के अनुसार एयरलाइनों और उनसे बिक्री कर के तौर पर अनुमानित बकाया धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) सरकार ने सुधारात्मक उपायों के लिए मामले पर विचार किया है।

विवरण

विदेशी एयरलाइनों से बिक्री कर के तौर पर बकाया धनराशि

लाख रुपए

	31.1.97 की स्थिति के अनुसार (अनंतिम)			
	आईओसी	बीपीसीएल	एचसीपीएल	योग
1	2	3	4	5
एयर फ्रांस	1031.99			1031.99
लुफथांसा	2362.33			2362.33
कुवैत एयरवेज	165.68			165.68
सउदीया	361.82			361.82
एल आल इजराईल	452.49			452.49
रोयल जोर्डन	290.54			290.54
सीरियन एयर	7.04			7.04
थाई एयरवेज	220.23			220.23
एस ए एस	101.11			101.11
युनाइटेड एयर	230.79			230.79
ऐरोफ्लोट	15.27		6.60	21.87
के एल एम	131.66	1054.18		1185.84
ब्रिटिश एयरवेज		2230.05		2230.05

1	2	3	4	5
विमान एयर		1485.72		1485.72
अलाइटालिया		544.96		544.96
कोरिया एयर		661.83		661.83
अजबेकिस्तान एयरवेज		92.68		92.68
एयर मारिशस		102.89		102.89
केनया एयरवेज		100.57		100.57
डेल्टा एयरलाईन्स		48.33	528.00	576.33
मिस्र एयर		49.43		49.43
ऑल निप्पन एयरलाईन्स		40.23		40.23
एयर कनाडा		67.84		67.84
अमीरात		20.89		20.89
मार्टिन एयर		.62		.62
गल्फ एयर		9.47		9.47
योग	5370.95	6509.69	534.60	12415.24

डोप्पलर राडार

1858. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, दिल्ली ने डोप्पलर राडार को खरीदने के बारे में विचार करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा दूसरे तटवर्ती राज्यों के पास यदि डोप्पलर राडार होते तो तूफान से होने वाली त्रासदियों को रोका जा सकता था;

(ग) इस समिति के मुख्य कार्य क्या हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी तूफान प्रवण तटवर्ती राज्यों में वर्तमान तकनीक के स्थान पर डोप्पलर राडार लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ग) डॉप्लर राडारों की खरीद, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के माध्यम से की जा रही हैं। इसरो भी एक स्वदेशी मौसम डॉप्लर राडार विकसित कर रहा है।

(ख) राडार, चक्रवातों की स्थिति का पता लगाने तथा उनके पथ पर निगरानी रखने वाले कई यंत्रों में एक है। यह चक्रवातीय तूफानों को न तो रोक सकता है, न ही उनके रास्ते को बदल सकता है और न ही उनकी तीव्रता कम कर सकता है।

(घ) और (ङ) सरकार ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवात का पता लगाने वाले नेटवर्क में से दो राडारों को डॉप्लर राडारों द्वारा बदलने का निर्णय लिया है। इसका विचार नौंवी योजना में और अधिक डॉप्लर राडार लगाने का है।

[हिन्दी]

पवन चक्की

1859. श्रीमती केतकी देवी सिंह :
प्रो० ओम पाल सिंह "निडर" :
श्री पंकज चौधरी :
श्री के० प्रधानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में पवन चक्कियों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या इस संबंध में राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(घ) क्या निजी उद्यमियों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के उद्यमियों को पवनचक्कियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में चालू पंचवर्षीय योजना में क्या उपलब्धि रही;

(च) इस बारे में नौवीं योजना में क्या प्रस्ताव किए गए हैं; और

(छ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) विद्युत उत्पादन हेतु पवन मिलों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों में एक विस्तृत पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम; प्रदर्शन परियोजनाएं; स्थानीय उद्योग का विकास; तथा वाणिज्यिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार और राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा राजकोषीय तथा संवर्धनात्मक प्रोत्साहन शामिल हैं।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सहित 25 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एक पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब तक 9 राज्यों में 98 स्थलों की पहचान की गई है जो पवन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की संस्थापना के योग्य हैं। उत्तर प्रदेश में किसी संभाव्यता स्थल की पहचान नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) देश में अब तक कुछ 833 मेवा० की पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई है जिसमें से अब तक आठवीं योजना

अवधि के दौरान 793 मेवा० को जोड़ा गया है। इसमें 16 मेवा० की प्रदर्शन परियोजनाएं तथा 777 मेवा० की वाणिज्यिक परियोजनाएं शामिल हैं।

(च) और (छ) नौंवी योजना हेतु अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के कार्यदल ने नौंवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 2000 मेवा० पवन विद्युत क्षमता के जोड़ने की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

अतिक्रमण

1860 श्री आई०डी० स्वामी :
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने एकड़ भुमि "रिज क्षेत्र" के अन्तर्गत आती है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें से कितने प्रतिशत भूमि विभिन्न प्रकार के अतिक्रमणों के अधीन है;

(घ) अतिक्रंमण हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई हैं;

(ङ) क्या दक्षिण रिज क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कुछ भूमि को पट्टे पर दे दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या यह सच है कि दिल्ली के उपायुक्त ने जानबूझकर दक्षिणी रिज क्षेत्र की भूमि के पट्टे की उस अधिसूचना की परिधि से बाहर रखा है जो उनके द्वारा कुछ समय पर्व जारी की गई थी; और

(ज) उसका क्या औचित्य है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) 7777 हेक्टेयर।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :–

उत्तरी रिज	–	87 हैक्टेयर
मध्यवर्ती रिज	–	864 "
दक्षिण-मध्यवर्ती रिज	–	626 "
दक्षिणी रिज	–	6200 "
कुल :		7777 है०

(ग) दिल्ली विकास, प्राधिकरण, बन संरक्षक दिल्ली तथा दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि उनके नियंत्रणाधीन क्रमशः 3.5%, 9.5% और 7.42% रिजी क्षेत्र पर अतिक्रमण है।

(घ) बन संरक्षक, उपायुक्त, दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा यथा सूचित स्थिति इस प्रकार है :–

बन संरक्षक

वन्य जीवन अभ्यारण अस्तोला में, देवली में 1.0 एकड़ तथा तुगलकाबाद (निकट बब्बर खलासा) में 1.5 एकड़ भूमि पर वर्ष 1996-97 के दौरान अनधिकृत ढ़ाचे गिराकर अतिक्रमण हटाया गया/शेष अतिक्रमणों को हटाने के लिके बन संरक्षक पहले ही इस मामलों में मुस्तैदी से जुटा हुआ है।

उपायुक्त-दक्षिण पश्चिम जिला

गत एक वर्ष में गांव सभा भूमि को छुड़ाने के लिए देवली, खानपुर, तेदुलाजाब, अरोला, खजाकारीं और भट्टी में अनधिकृत ढ़ांचे गिराये गये हैं।

दिल्ली नगर निगम

12 एकड़ में से लगभग 7 एकड़ भूमि अवैध निर्माण गिराकर/अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमण मुक्त की गयी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

रिज क्षेत्र से निर्धारित अतिक्रमण हटाये गये है।

भूमि तथा विकास कार्यालय

के०लो०नि०वि० द्वारा अतिक्रमण हटाये गये और भूमि तथा विकास कार्यालय ने भी अवैध निर्माणों की गिराने के कार्यक्रम में भाग दिया।

(ङ) से (ज) उपयुक्त, दक्षिण पश्चिम जिला, दिल्ली ने बताया है कि दक्षिण रिज ने डी०एल०आई०डी०सी० को खनन के लिए पट्टे पर दी गयी भूमि का भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के तहत 24.5.94 को अधिसूचना जारी करने के बाद नवीकरण नहीं किया गया जिसके द्वारा रिज क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया था। बलवीर नगर, संजय नगर तथा इंदिरा नगर के निवासियों को तत्कालीन गांव सभा द्वारा पट्टा दिया गया था गांव सभा भूमि पर कुछ पट्टे एम०सी०डी०, डेयू तथा अन्य सरकारी और अर्धसरकारी शैक्षिक और धमार्थ संस्थानों को आवश्यक सुविधाओं के रख-रखाव के लिए भी दिए गए थे।

पावर ग्रिड कारपोरेशन

1861. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया के वर्तमान निदेशक मंडल का ब्यौरा तथा उसके संरचना क्या है;

(ख) क्या मंडल के कुछ सदस्यों को अनियमितताओं संबंधी गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उन्हें मंडल के सदस्य बने रहने की अनुमति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) इस समय, पावरग्रिड के निदेशक-मंडल में तीन पूर्ण-कालिक कार्यकारी निदेशक और दो अंशकालिक निदेशक शामिल हैं। पूर्ण-कालिक निदेशक हैं श्री आर०पी० सिंह, निदेशक (कार्मिक), श्री ए०एल०जग्गी, निदेशक (प्रचालन) तथा श्री आर०के०मदान, निदेशक (परियोजना)। अंशकालिक निदेशक हैं श्री जे० वासुदेवन तथा श्री एस०आर० शिवरेन, जो विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं।

(ख) से (ङ) पावरग्रिड के बोर्ड के एक निदेशक श्री ए०एल०जग्गी को जनवरी, 1997 में मुख्य दंड कार्रवाई आरंभ करने के लिए आरोप-पत्र किया गया था। पावरगिड के बोर्ड में निदेशक बने रहने संबंधी निर्णय विभागीय कार्रवाई के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा।

लघु और मध्यम पन बिजली परियोजनाएं

1862. डा० असीम बाला :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश मे कुछ लघु/मध्यम पन-बिजली परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए जुटाए जाने वाले संसाधनों और प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) 23 राज्यों में 141 मेवा० समग्र क्षमता की लघु पन बिजली परियोजनाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं और 25 राज्यों में 242 मेवा० क्षमता निर्माणाधीन है। 3 मेवा० स्टेशन क्षमता तक की इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 2000 मेवा० की कुल संभाव्यता वाले लगभग 2700 स्थलों की अब तक पहचान की जा चुकी है।

(घ) अब तक मंजूर की गई परियोजनाएं मुख्यतया राज्य क्षेत्र में हैं। संसाधनों को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा नई परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। उपकरणों की आपूर्ति, सामान्यतया, घरेलू विनिर्माताओं द्वारा की जा रही है।

विवरण

*3 मेवा० क्षमता ** तक की संस्थापित/चल रही लघु पन बिजली परियोजनाओं की राज्यवार सूची*

क्रमसं०	राज्य	संस्थापित परियोजनाएं		निर्माणधीन परियोजनाएं	
		सं०	क्षमता (मेवा०)	सं०	क्षमता (मेवा०)
1.	आंध्र प्रदेश	7	7.01	36	42.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	30	20.15	12	20.60
3.	असम	2	2.20	—	—
4.	बिहार	—	—	4	2.45
5.	गोवा	—	—	2	2.90
6.	गुजरात	1	2.00	2	2.60
7.	हरियाणा	1	0.20	1	0.10
8.	हिमाचल प्रदेश	14	9.47	4	11.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	11	4.35	9	11.19
10.	कर्नाटक	6	7.50	22	30.64
11.	करेल	4	3.52	6	14.00
12.	मध्य प्रदेश	5	3.25	8	14.40
13.	महाराष्ट्र	4	4.32	5	8.70
14.	मणिपुर	6	4.10	4	3.50
15.	मेघालय	1	1.51	2	0.20
16.	मिजोरम	9	5.36	9	8.80
17.	नागालैंड	5	3.17	4	5.50
18.	उड़ीसा	3	1.26	7	9.92
19.	पंजाब	4	3.90	8	9.50
20.	राजस्थान	5	4.30	2	1.04
21.	सिक्किम	8	9.25	2	3.20
22.	तमिलनाडु	3	4.75	4	6.40
23.	त्रिपुरा	2	1.01	1	0.10
24.	उत्तर प्रदेश	51	30.72	24	21.40
25.	पश्चिम बंगाल	6	7.96	4	9.20
26.	अंडमान एवं निकोबार	—	—	1	2.25
	कुल	188	141.26	183	241.69

** विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य एजेंसियों से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार।

ओवरसीज डेवलपमेंट सहायता

1863. श्रीमती शारदा राडीपारथी :
डा० एम० जगन्नाथ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार और ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओडीए) के बीच मतभेद के कारण राज्य में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में विलम्ब हो गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और इस पर संघटक-वार कितनी धनराशि खर्च की जायेगी; और

(घ) इस कार्यक्रम के कब तक आरम्भ होने और समाप्त होने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 225 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक परियोजना के लिए प्रस्ताव सहायता के लिए ओवरसीज डवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यू०के०) को भेजा गया है जिसमें 23 जिला मुख्यालय, कस्बे तथा तेजी से विकास कर रहे शहरी केन्द्र शामिल हैं। इस परियोजना का लाभ 1016 स्लमों में रहने वाले 2,80,786 स्लम परिवारों को मिलेगा और इससे स्लमों में रहने वाले लगभग 14,55,000 लोग लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने बाद में राज्य के श्रेणी 1 के 32 कस्बे शामिल करने के लिए परियोजना प्रस्ताव में संशोधित किया था। ओ०डी०ए० ने आधा दर्जन कस्बों में प्रायोगिक आधार पर परियोजना प्रारम्भ करने का सुझाव दिया है जबकि भारत सरकार श्रेणी 1 के सभी 32 कस्बों ने एक साथ परियोजना आरम्भ करना चाहती है।

(घ) कार्यक्रम अनुसूची तथा इसके प्रारम्भ और पूरा करने का समय अभी निश्चित किया जाना है।

पेट्रोल की चोरी

1864. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान तेल भंडारण डिपो में से और डिपो से पेट्रोल पंपों को पेट्रोल ले जाते समय पेट्रोल की चोरी की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी चोरियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) तेल भंडारण डिपुओं से चोरी और पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की कमियों के कुछ मामलों की रिपोर्ट पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई थी। जिन मामलों में पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल की प्राप्ति पर पेट्रोल की कमी ध्यान में आती है उन मामलों में संबंधित परिवहनकर्ताओं से पेट्रोल की मात्रा के समतुल्य धनराशि वसूल की जाती है।

(ग) तेल भंडारण डिपुओं में और पेट्रोल पम्पों तक परिवहन करने के दौरान चोरी रोकने के लिए भंडारण स्थलों पर उत्पादों का समुचित लेखाजोखा करने, पी०डी० मीटरों द्वारा टैंक लारिया भरने, टैंक लारियों में छेड़छाड़ मुक्त सीलों का उपयोग करने, टैंक लारियों का औचक निरीक्षण करने आदि जैसे उपाय किए जाते हैं।

दोषी परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध परिवहन अनुशासन संबंधी उद्योग दिशा निर्देशों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण संबंधी पाठ्यक्रम

1865. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर स्थित सी०एफ०टी०आर०आई० में खाद्य प्रसंस्करण और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की संख्या क्या है;

(ख) क्या और अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए उपाधियां प्रदान कर रहा है;

(ग) क्या मैसूर विश्वविद्यालय सी०एफ०टी०आर०आई० द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों के लिए उपाधियां प्रदान कर रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस इंस्टीट्यूट को मानित विश्वविद्यालय घोषित करने और इसे उपाधि प्रदान करने की अनुमति देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) सी०एफ०टी०आर०आई० मैसूर में दो पाठ्यक्रमों में कुल 50 सीटें अर्थात् एम०एससी (खाद्य प्रौद्योगिकी) और फ्लोर मिलिंग टैकनोलॉजी सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रत्येक में 25-25 सीटें हैं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) एम० एससी (खाद्य प्रौद्योगिकी) की डिग्री मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है।

(घ) मैसूर विश्वविद्यालय की वर्तमान व्यवस्था भली भांति कार्य कर रही है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जल की अत्यधिक कमी

1866. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री दिलीप संघानी :
श्री विजय पटेल :
श्री जयसिंह चौहान :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 दिसम्बर, 1996 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "एक्यूट वाटर शोर्टेज इन सौराष्ट्र डिस्ट्रीक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से सम्पर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस क्षेत्र की दूरगामी समस्याओं को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि सौराष्ट्र और कच्छ में विशिष्ट भौगोलिक और भूजल वैज्ञानिक प्रस्थितियों, अत्याधिक फलोराइड, खारेपन, आवधिक अपर्याप्त वर्षा, राममात्र भूजल रिचार्ज और भूजल स्रोतें के स्थायी तौर पर उपलब्ध न होने जैसी पेयजल को गुणवत्ता को समस्याओं के कारण क्षेत्र काफी समय से पेयजल की समस्या का सामना कर रहा है।

(घ) राज्य सरकार ने सौराष्ट्र और कच्छ के 8215 गांवों और 195 शहरी केन्द्रों की नर्मदा नहर नेटवर्क से जल आपूर्ति करने की एक योजना बनाई है। राज्य सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के उप-मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बाह्य और केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए भी योजनाएं बनाकर भेजी हैं। योजनाओं की तकनीकी संवीक्षा अलग-अलग चरणों में है।

सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित गैर-सरकारी संगठन

1867.श्री चिन्तामन वानगा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर गैर-सरकारी संगठन चलाने पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अखिल भरतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा राज्य-वार कितने गैर-सरकारी संगठन चलाए जाते हैं;

(घ) क्या सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के आचरण नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) से (ङ) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण, पदोन्नति, प्रबन्ध तथा अन्य गतिविधियों में संलिप्त होने की अनुमति न दी जाएं उनके परिवार के सदस्यों के संबंध में आगे यह प्रस्ताव किया गया है कि उन्हें ऐसे किसी संगठन में शामिल होने से पहले सरकार का पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक होगा। इस समय इस मामले पर राज्य सरकार के साथ परामर्श चल रहा है। इस संबंध में उनकी टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

(ग) चुंकि इस समय ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारें सक्षम हैं अतः इस संबंध में ब्यौरे केन्द्रीकृत रूप से मॉनीटर नहीं किए जाते हैं।

केरल को विद्युत का आवंटन

1869.श्री रमेश चेन्नित्तला :
श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा केरल को मिलने वाले विद्युत के हिस्से में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल के हिस्से से कटौती की गई विद्युत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार कर्नाटक में विद्युत की आपूर्ति की पूर्वस्थिति को बहाल करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य में और अधिक विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने तथा इसकी विद्युत परियोजनाओं को नामथा की समुचित आपूर्ति करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (च) 1.10.96 से दक्षिण क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों की 15% अनावंटित विद्युत में से आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का हिस्सा नीचे दर्शाया गया है। विद्यमान विद्युत आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए ही संघटक राज्यों को यह आबंटन किया गया है :–

राज्य	1.10.96 से हिस्सा (%)	हिस्सा (%)	
		1.1.1997	10.2.1997
आंध्र प्रदेश	30	25	30
कर्नाटक	30	40	40
केरल 30	25	25	
तमिलनाडु	10	10	3

(छ) और (च) अनावंटित हिस्से में से केरल के हिस्से को 10.2.97 से 25% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है।

(छ) और (ज) केन्द्र सरकार ने सितंबर, 1996 में करेल में नापथा पर आधारित कार्यकुलम संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (350 मे०वा०) को अनुमोदित कर दिया। इस समय यह परियोजना क्रियान्वयाधीन है तथा परियोजना का क्रियान्वयन कार्यक्रम निम्नवत है :–

प्रथम गैस टरवाईन यूनिट :– मार्च, 1999

द्वितीय गैस टरबाईन यूनिट :– मई, 1999

भाप टरबाईन यूनिट :– मार्च, 2000

केरल सरकार सहित संबंधित राज्यों को, अपने-अपने राज्यों को आबंटित क्षमता (मे०वा० में) के भीतर नापथा/तरल ईंधन लिंकेज के लिए परियोजनाओं की सिफारिश किए जाने हेतु विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं केरल की आबंटित क्षमता 660 मे०वा० है। केरल के संबंध में सिफारिश अंभी प्राप्त नहीं हुई है।

त्वरित जलापूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए धनराशि

1869. श्री संदीपान थोरात : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने और त्वारित जलापूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार को कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में पृथक-पृथक उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के लिए कितनी धनराशि की मांग की गई और कितनी धनराशि स्वीकृत हुई, और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कितने नए प्रस्ताव भेजे गए और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

ग्रामीण क्षेत्र रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जानकारी नीचे दी गई है:–

वर्ष	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई राशि (रुपये लाख में)	कवर किए गए गांवों/बसावटों की संख्या	लाभान्वित जनसंख्या (लाख में)
1993-94	5488.00	1373	15.640
1994-95	6182.00	6828	323.377
1995-96	7474.88	6273	34.096

(ग) और (घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने चालू वर्ष 1996-97 के लिए 112.81 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसमें से 88.10 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार को ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना बनाने और कार्यान्वित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

पेयजल के लिए आंबटन

1870. श्री छीतूभाई गामीत : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान पेयजल के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा अब तक जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात राज्य द्वारा सूखे की स्थिति को देखते हुए पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु राज्य को सहायता देने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन और जारी की गई राशियां

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	जारी की गई राशियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6618.00	6572.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	1200.00	1200.00
3.	असम	2026.00	2353.57
4.	बिहार	7795.00	3113.00
5.	गोआ	189.00	550.35
6.	गुजरात	4197.00	4039.50
7.	हरियाणा	2441.00	2550.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1331.00	1823.13
9.	जम्मू व कश्मीर	3588.00	3705.00
10.	कर्नाटक	6087.00	6470.74
11.	केरल	3095.00	3263.70
12.	मध्य प्रदेश	7327.00	7313.61
13.	महाराष्ट्र	8810.00	8810.00
14.	मणिपुर	440.00	478.56

1	2	3	4
15.	मेघालय	472.00	572.00
16.	मिजोरम	337.00	428.91
17.	नागालैंड	422.00	211.00
18.	उड़ीसा	9468.00	9993.83
19.	पंजाब	1105.00	1289.00
20.	राजस्थान	10387.00	11587.00
21.	सिक्किम	372.00	472.00
22.	तमिलनाडु	5247.00	5393.00
23.	त्रिपुरा	418.00	850.00
24.	उत्तर प्रदेश	12278.00	11728.19
25.	पश्चिम बंगाल	4740.00	3781.25
26.	अंडमान व निको०द्वीपसमूह	25.00	0.00
27.	दादर व नगर हवेली	15.00	3.00
28.	दमन व द्वीव	10.00	0.00
29.	दिल्ली	30.00	0.00
30.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
31.	पांडिचेरी	20.00	10.00
	कुल	94590.00	92502.52

"दस लाख कूप" योजना

1871.श्री के० प्रधानी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "दस लाख कूप" (एम०डब्ल्यू०एस०) योजना किस वर्ष शुरू की गई थी;

(ख) यह योजना किन-किन राज्यों में शुरू की गई है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत किसानों को अब तक कितने सिंचाई कूप उपलब्ध कराए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य गंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) दस लाख कुंओं की योजना वर्ष 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप योजना के रूप में शुरू की गई थी। इसे जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में जारी रखा गया जिसे 1.4.1989 को शुरू किया गया था। दस लाख कुंओं की योजना को 1.1.1996 से जवाहर रोजगार योजना से अलग कर दिया गया है और एक स्वतंत्र योजना बना दिया गया है तथा इसे सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। दस लाख कुंओं की योजना के शुरू होने से लेकर दिसम्बर, 1996 तक 10,65,274 ओपन डग वैलों का निर्माण किया गया है।

बिजली की कमी

1872.श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 1997 के "पाइनियर" में "ए मिड-समर नाइटमेयर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1980 से 1993 के बीच राजाध्यक्ष समिति से लेकर पवार समिति तक अनेक समितियों द्वारा किए गए अनेक अध्ययनों के बावजूद बिजली संकट को दूर करने के लिए कोई व्यावहारिक फार्मूला तैयार न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य बिजली बोर्डों को सुव्यवस्थित करने तथा कायाकल्प करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस०वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षा अनुरूप राज्य विद्युत बोर्ड का कार्यनिष्पादन न होने के पीछे जो मुख्य कारण हैं वह हैं अन्य बातों के साथ-साथ विषयेतर कारणों से अलाभकारी टैरिफ निर्धारण, विद्यमान क्षमता का निम्न समुपयोजन, उच्च पारेषण एवं वितरण हानियों, इत्यादि।

(ग) राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य निष्पादन के आवधिक प्रबोधन के फलस्वरूपप राज्य क्षेत्र के संयंत्र भारत गुणांक में वृद्धि हुई जो 1990-91 में 51.3% से बढ़कर 1995-96 में 58% हो गई तथा पारेषण हानियां जो 1990-91 में 22.89% थी घटकर 1994-95 में 20.85% हो गई है। हाल ही में, सरकार ने राज्यों के मतैक्य के साथ विद्युत के लिए एक न्यूनतम साझा कार्य योजना तैयार की है जो अन्य बातों के साथ-साथ स्वतंत्र केन्द्री तथा राज्य नियामक आयोगों के सृजन, राज्य विद्युत बोर्डों को स्वायत्तता प्रदान करने, टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाने, राज्य विद्युत बोर्डों के प्रबंधन को सुधारने तथा एक समयबद्ध तरीके से भौतिक प्रचालनों को और सुधारने से संबंधित है।

[हिन्दी]

रसोई गैस की आपूर्ति

1873.श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस की आपूर्ति के लिए देश में इस समय कार्य कर रही निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सार्वजनिक रसोई गैस कंपनियों, साथ ही साथ निजी कंपनियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के एकाधिकार को बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) एल०पी०जी० के समानान्तर विपणन के अंतर्गत क्रियाकलापों के संचालन के लिए 96 पक्षकारों ने श्रेणीकरण प्राप्त किया है। तथापि 31.1.1997 की स्थिति के अनुसार केवल 17 निजी पक्षकारों ने थोक में एल०पी०जी० का आयात किया है और दो पक्षकारों ने पैक्ड एल०पी०जी० का आयात किया है।

(ख) से (घ) फरवरी, 1993 के दौरान सरकार ने समानान्तर विपणन योजना के अंतर्गत निजी उद्यमियों को अपनी स्वयं की शर्तों के अधीन बाजार निर्धारित मूल्यों पर एल०पी०जी० का आयात और विपणन करने की अनुमति दे दी थी। इस योजना के अंतर्गत क्रियाकलापों के संचालनार्थ निजी पक्षकारों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कोई लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। परन्तु, उन्हें संबंधित अधिनियमों और यथा लागू सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण आदि संबंधी नियमों के अंतर्गत अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करनी होती है। अब निजी पक्षकारों को किसी एक अधिकृत श्रेणीकर्त्ता एजेंसी से अपना श्रेणीकरण भी करना होता है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं अन्य संबंधितों को श्रेणीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। संचयी रूप में 31.1.1997 तक 17 निजी पक्षकारों ने लगभग 190 टी०एम०टी० बल्क एल०पी०जी० का आयात किया है तथा 2 पक्षकारों ने लगभग 0.19 टी०एम०टी० पैक्ड एल०पी०जी० का आयात किया है।

एल०पी०जी० की समानान्तर विपणन योजना के शुरू किए जाने के परिणामस्वरूप एल०पी०जी० विपणन में कोई एकाधिकार नहीं रहा है। आशा है कि एकाधिकार के समाप्त हो जाने और प्रतिस्पधर्दा के कारण ग्राहक सेवा में सुधार होगा।

[अनुवाद]

अवरोध मुक्त वातावरण

1874.श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र आर्थिक तथा सामाजिक आयोग द्वारा विकलांगों तथा वयोवृद्ध लोगों को अवरोध मुक्त पर्यावरण प्रदान करने के लिए प्रयोजित कोई परियोजना शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना के लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है क्या पूरे देश में ऐसी परियोजनाएं रखने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) विकलांग और वृद्ध लोगों के लिए परिसरगत रूकावटमुक्त माहौल विकसित करने हेतु एशिया और पैसिसफिक देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र-आर्थिक और सामाजिक आयोग (एस्केप) की सहायता से हाल ही में एक पायलट परियोजना लामतः "नई दिल्ली पायलट परियोजना आरम्भ की गई है। इस परियोजना में विकलांग और वृद्ध लोगो के लिए रुकावट मुक्त आवाजाही मुहैया कराने के लिए, नई दिल्ली क्षेत्र में इन्द्र' प्रस्थ एस्टेट स्थित 5 चुनिंन्दा भवनों तथा निर्माण भवनों और शास्त्री भवन में स्थित क्रमशः शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय में सुविधाएं जुटाने पर विचार किया गया है। इन परियोजना का प्रदर्शन-महत्वपूर्ण होने की आशा है। इसका उद्देश्य है समुचित डिजायनों से एक ऐसा नमूना विकसित करना जिसका अनुसरण भारत के अन्य शहरों में हो सकें।

(ग) इस परियोजना के लाभार्थियों में विभिन्न श्रेणियों के विकलांग व्यक्ति जेसे शारिरिक रूप से विकलांग, दृष्टिहीन विकलांग आदि तथा वृद्ध व्यक्ति शामिल होंगे। इस प्रकार की परियोजनाओं को समग्र देश के आधार परविकसित करने की दृष्टि से, भवनों में विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों की रूकावट मुक्त आवाजाही सुगम बनाने हेतु प्रावधान जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा आदर्श भवन उप नियम प्रारूप बनाया गया है और उसे राज्य सरकारों में परिचालित किया गया है।

[हिन्दी]

विशिष्ट रोजगार योजनाएं

1875.श्री हरिवंश सहाय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 और 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों में विशिष्ट रोजगार योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या ये निधियां अन्य शीर्षे के अन्तर्गत खर्च की जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) 1995-96 और 1996-97 के दौरान रोजगार योजनाओं जैसे जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया और देवरिया जिले के लिए आवंटित निधियों की राशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

	1995-96		1996-97	
	बलिया	देवरिया	बलिया	देवरिया
जवाहर रोजगार योजना	885.09	340.89	842.25	353.79
सुनिश्चित रोजगार योजना*	340.00	300.00	520.00	150.00
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	345.99	329.94	345.99	329.94
ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण	29.32	29.88	29.32	29.88

*आंकड़े रिलीज की गई निधियों को दर्शाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसियां

1876. श्री अमर रायप्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की नीति है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर रसोई गैस एजेंसियां सहकारी समितियों को दी गई है;

(ग) क्या व्यक्तिगत रसोई गैस एजेंसियों की तुलना में सहकारी समितियों को दी गई रसोई गैस एजेंसियों की संख्या अधिक है; और

(घ) सरकार का इस क्षेत्र में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) विद्यमान नीति के मुताबिक, सहकारी समितियां एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने हेतु सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए अर्हताप्राप्त हैं। इस सामान्य श्रेणी के अंतर्गत, अन्य बातों के समान रहते, उपभोक्ता सहकारी समितियों को अन्य आवेदकों के ऊपर वरीयता प्रदान की जाती है।

(ख) उपर्युक्त नीति के आधार पर तेल विपणन कंपनियों ने सहकारी समितियों को 100 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें दी हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त के अतिरिक्त तेल कंपनियां ऐसी परियोजनागत सहकारी समितियों को सीधे डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आवंटित कर सकती है जो अपनी संबंधित कालोनियों में केवल परियोजना के कर्मचारियों की एल०पी०जी० की जरूरतों को पूरा करती है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1877. श्री भक्त चरण दास : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को कब से कार्यान्वित किया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस कार्य के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिये क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(घ) उड़ीसा राज्य विशेषकर कालांदी और नुपाडा जिलों के लिये अलग-अलग अब तक लाभ प्राप्त व्यक्तियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को विशेषकर इन दोनों जिलों के लिये वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा) : (क) उड़ीसा में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15.8.1995 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :–

(1) गरीब परिवारों को वृद्धावस्था, आजाविका कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु और मातृत्व के मामले में सामाजिक लाभ प्रदान करना।

(2) राज्यों द्वारा इस समय दिये जा रहे अथवा भविष्य में दिये जाने वाले लाभों के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना।

(3) गरीबी उपशमन और बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान के योजनाओं के साथ सामाजिक सहायता योजनाओं को जोड़ने के अवसर प्रदान करना।

(ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तीन घटक है; अर्थात्

(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना।

(2) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना।

(3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना।

प्रत्येक घटक के लिए विशिष्ट मानदंड निम्नानुसार हैं :

(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाः राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता नीचे दिए गए मानदंडों के अधीन उपलब्ध है :–

(क) आवेदक की आयु (पुरुष अथवा महिला) 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

(ख) आवेदक को निराश्रित होना चाहिए अर्थात उसके अपने आय के स्रोतों से अथवा परिवार के सदस्यों अथवा अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के रूप में जीवित रहने के नियमित साधन कोई न हों अथवा बहुत कम हों राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के शुरू होने से पूर्व निराश्रितता निर्धारित करने के उद्देश्य से यदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए मानदंड केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक उदार हैं, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें इन मानदंडों को अपनाने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) वृद्धावस्था पेंशन की राशि प्रति माह 75% रुपये होगी।

(घ) वृद्धावस्था पेशन की कुल संख्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) राष्ट्रीय परिवार लाभ्या योजनाः राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सहायता शोकसंतप्त परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर गरीबी की रेखा से नीचे

बसर करने वाली परिवारों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा होने पर दी जाती है:–

(क) मुख्य जीविकोपार्जक उस परिवार का सदस्य-पुरुष अथवा महिला- है कुल पारिवारिक आय में जो सबसे अधिक कमाता हो।

(ख) ऐसे मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु ऐसे समय हुई हो जब वह 18 से 64 वर्ष के आयु समूह में हो अर्थात वह 18 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम आयु का हो।

(ग) शेकसंतप्त परिवार भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे हो।

(घ) केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अधिकतम सीमा प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर प्रति व्यक्ति 5000/- रुपए और दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये होगी।

(ङ) ऐसे मामलों की संख्या निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर होनी चाहिए।

(3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजनाः इस योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों की महिलाओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन एक मुश्त नकद सहायता के रूप में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है :

(क) मातृत्व लाभ गर्भवती महिलाओं के लिए पहले दो जीवित बच्चों तक ही सीमित होगा बशर्ते कि उनकी आयु 19 वर्ष या इससे अधिक हो।

(ख) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडी के अनुसार लाभार्थियों को गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार का होना चाहिए।

(ग) लाभ की अधिकतम राशि 300/-रुपये है।

(घ) ऐसे मामलों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर होनी चाहिए।

(घ) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है:–

योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या		
	सारे राज्य में	कालाहांडी में	नौपादा में
1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	251982	10123	4202
2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	2632	90	50
3. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	46422	1765	586

(ङ) कालाहांडी और नौपादा के दो जिलों और राज्य को जारी की गई धनराशियां निम्नानुसार है :–

(रुपये लाख में)

योजना का नाम	के दौरान जारी की गई धनराशियां		
	1995-96	1996-97	कुल
राज्य : उड़ीसा			
1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	784.08	2290.13	3074.21
2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	510.69	146.50	657.16
3. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	240.08	395.30	635.38
जिला : कालाहांडी			
1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	28.00	91.06	119.06
2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	18.23	22.69	40.92
3. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	8.58	14.12	22.70
जिला : नौपादा			
1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	11.63	37.74	49.37
2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	7.57	–	7.57
3. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	3.56	5.87	9.43

राज्यों का विशेष अनुदान

1878. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भारी संख्या में राज्य में बाहर से आ कर बसने वाले लोगों की समस्या से निपटने हेतु योजना आयोग से एक हजार करोड़ रुपये की विशेष अनुदान सहायता की मांग की है;

(ख) क्या सरकार उक्त अनुदान प्रदान करने के लिए सहमत हो गयी है; और

(ग) क्या सरकार भारी संख्या में बाहर से आए व्यक्तियों तथा विदेशी घुसपैठ से प्रभावित ऐसे अन्य राज्यों को भी विशेष अनुदान देने पर विचार कर रही है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार से कोई विशेष प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि उपाध्यक्ष योजना आयोग तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बीच 29.1.1997 को हुई बैठक में मुम्बई की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए 1 हजार करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का मुद्दा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण

1879. श्री शिवराज सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री आर०एल०पी० वर्मा :
श्री बी०एल० शंकर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा आज तक किए गए विद्युतीकरण का वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान विद्युतीकरण का निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय किया गया है;

(घ) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण का अनुपात क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में विद्युतीकरण प्रणाली के निजीकरण का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राजय मंत्री (डॉ०एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों अर्थात 1993-94, 1994-95 और 1995-96 तथा दिसंबर, 1996 तक गांवों के राज्य-वार विद्युतीकरण का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धियां भी संलग्न विवरण में है।

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए जिसमें गांवों का विद्युतीकरण, पंपसेट ऊर्जन, प्रणाली सुधार आदि शामिल है, 1993-94 से जनवरी, 1997 का राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों/ग्रामीण विद्युत सहकारिताओं को ग्रामीण विद्युतीकरण द्वारा दी गई वित्तीय सहायता 2801.88 करोड़ रुपये है।

(घ) देश में सभी 4029 नगरों का विद्युतीकरण कर लिया गया है। जबकि देश में 579132 गांवों में से, दिसम्बर, 1996 के अंत तक 5,02,771 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है।

(ङ) और (च) सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार, निजी क्षेत्र भागीदारी को विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्रों में अनुमति प्रदान की गई है।

विवरण

ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97 12/96 तक	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य***	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	–	@	–	@	–	@	–	@
2.	अरुणाचल प्रदेश	150	80	140	310	120	121	95	10
3.	असम	110	14	100	170	900	222	280	–
4.	बिहार	250	205	200	59	400	43	325	17
5.	गोवा	–	@	–	@	–	@	–	@
6.	गुजरात	–	@	–	@	–	@	–	@
7.	हरियाणा	–	@	–	@	–	@	–	@
8.	हिमाचल प्रदेश	–	@	–	@	–	@	–	@

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	जम्मू और कश्मीर	10	6	5	50	65	43	30	5
10.	कर्नाटक	–	@	–	@	–	@	–	@
11.	केरल	–	@	–	@	–	@	–	@
12.	मध्य प्रदेश	250	751	250	1019	350	503	470	154
13.	महाराष्ट्र	–	@	–	@	–	@	–	@
14.	मणिपुर	115	85	100	71	75	163	75	22
15.	मेघालय	70	23	100	शूरू	60	शूरू	40	60
16.	मिजोरम	50	50	50	65	45	45	15	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	@
18.	उड़ीसा	235	226	223	223	220	740	250	416
19.	पंजाब	–	@	–	@	–	@	–	@
20.	राजस्थान	650	711	750	699	750	750	550	188
21.	सिक्किम	–	@	–	@	–	@	–	@
22.	तमिलनाडु	–	@	–	@	–	@	–	@
23.	त्रिपुरा	320	200	220	150	20	15	20	3
24.	उत्तर प्रदेश	650	650	300	428	800	1305	480	26
25.	पश्चिम बंगाल	350	351	462	310	520	89	370	39
	जोड़ (राज्य)	3210	3352	2897	3554	4325	4039	3000	940
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	–	@	–	–	–	@	–	@
	जोड़ (अखिल भारत)	3210	3352	2897	3554	4325	4039	3000	940

(C) संचयी

(@) शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण

*** आरईसी वित्त पोषित कार्यक्रम के अंतर्गत।

नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित राशि

1880. **श्री ब्रज मोहन राम :**
श्री अशोक अर्गल

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों द्वारा आवंटित राशि के उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य वार धनराशि नियतन का ब्यौरा विवरण I के रूप में सलग्न है।

(ग) और (घ) वर्षवार और राज्यवार उपयोग किये गये धन का ब्यौरा विवरण II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों बाबत नियत किये गये केन्द्रीय धन-राशि

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	679.53	506.90	463.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.75	45.09	57.20
3.	असम	89.49	184.72	147.20
4.	बिहार	359.40	429.95	471.45
5.	गोवा	17.85	18.25	18.30
6.	गुजरात	212.52	194.45	215.90
7.	हरियाणा	123.29	122.72	111.99
8.	हिमाचल प्रदेश	56.19	64.75	66.15
9.	जम्मू व कश्मीर	87.48	73.68	77.88
10.	कर्नाटक	440.17	398.25	252.06
11.	केरल	234.82	241.58	154.60
12.	मध्य प्रदेश	684.48	595.03	508.25
13.	महाराष्ट्र	669.60	494.85	521.33
14.	मणिपुर	43.33	66.41	62.91
15.	मेघालय	24.10	22.27	31.80
16.	मिजोरम	21.74	29.06	27.58
17.	नागालैंड	15.70	21.95	3.50
18.	उड़ीसा	219.30	168.50	156.60
19.	पंजाब	216.47	196.12	105.60
20.	राजस्थान	379.60	361.55	330.37
21.	सिक्किम	29.68	29.15	28.46
22.	तमिलनाडु	765.58	631.76	563.49
23.	त्रिपुरा	25.60	28.81	26.41
24.	उत्तर प्रदेश	1711.54	1549.54	1198.89
25.	पश्चिम बंगाल	259.00	392.18	441.00
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	13.53	21.21	16.70
27.	चण्डीगढ़	13.86	15.79	12.03
28.	दादर और नगर हवेली	11.05	10.35	9.65
29.	दमन और द्वीव	18.25	13.82	22.60
30.	दिल्ली	22.00	22.00	22.00
31.	पांड़ीचेरी	11.70	27.30	18.60
	योग	7477.00	6980.00	6084.00

विवरण-II

वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उपयोग किया गया केन्द्रीय धन-राशि

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1026.83	799.37	728.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.88	34.59	49.70
3.	असम	0.56	328.24	324.18
4.	बिहार	311.75	2.00	772.20
5.	गोवा	32.15	30.50	41.45
6.	गुजरात	346.23	144.37	149.33
7.	हरियाणा	231.32	159.28	176.98
8.	हिमाचल प्रदेश	7.39	—	55.69
9.	जम्मू और कश्मीर	90.83	—	106.74
10.	कर्नाटक	398.41	191.99	322.93
11.	केरल	735.03	338.04	123.90
12.	मध्य प्रदेश	1797.04	485.94	1866.28
13.	महाराष्ट्र	103.78	405.12	708.90
14.	मणिपुर	153.54	39.13	156.84
15.	मेघालय	1.61	—	111.68
16.	मिजोरम	27.49	155.17	57.13
17.	नागालैण्ड	—	—	—
18.	उड़ीसा	227.29	—	273.85

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	317.66	315.30	213.98
20.	राजस्थान	843.12	520.37	545.72
21.	सिक्किम	42.03	—	93.63
22.	तमिलनाडु	759.99	602.70	301.27
23.	त्रिपुरा	18.87	42.68	47.18
24.	उत्तर प्रदेश	3115.75	1838.09	1820.04
25.	पश्चिम बंगाल	223.82	979.69	1283.02
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	18.71	4.02	9.42
27.	चण्डीगढ़	7.58	33.84	(-) 12.33
28.	दादर और नगर हवेली	6.18	3.72	3.06
29.	दमन और द्वीव	1.89	—	99.28
30.	दिल्ली	65.58	7.70	—
31.	पंडीचेरी	6.66	14.55	16.52
	योग	10925.97	7476.40	10486.47

नोट :– व्यय में राज्य अंश के विवरण भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए निजी प्रस्ताव

1881. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु विद्युत निर्माण में निजी प्रविष्टि हेतु अनेक प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

मुद्रा संकट

1882. श्री आर० साम्बासिवा राव :
श्री तारीक अनवर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम को आर्थिक संकट से उबारने के प्रयास ने तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के समक्ष मुद्रा-संकट खड़ा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम को अपने पूर्णअवधि ऋण के लिए बाजार दर पर 1600 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करना पड़ेगा और इस प्रकार कच्चे तेल की निकासी करने वाली राज्य सरकारों और केन्द्र को रायल्टी का भुगतान करेगा;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम ने छोटी अवधि के विदेशी व्यवसायिक ऋण प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) आई०ओ०सी० और ओ०एन०जी०सी० ने एक वाणिज्यिक समझौता किया है जिसके अंतर्गत ओ०एन०जी०सी० कच्चे तेल और एल०पी०जी० की आपूर्ति के लिए छः माह की बढ़ी हुई ऋण अवधि उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है।

(ख) ओ०एन०जी०सी० लगभग 900 से 1000 करोड़ रुपये की अपनी धन संबंधी जरूरतों का वित्तपोषण मार्च, 1997 तक अल्पावधि ऋण के माध्यम से करने की योजना बना रही है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

पूर्वोत्तर राज्यों में जवाहर रोजगार योजना और रोजगार गारंटी योजना हेतु धन

1883. श्री बादल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1995-97 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार गारंटी योजना और जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि मंजूर की गई (प्रत्येक राज्य के योजना-वार आंकड़े) है;

(ख) इस क्षेत्र के इन राज्यों में इन दो परियोजनाओं हेतु 31 जनवरी, 1997 तक कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) कार्ड धारी श्रमिक को 100 दिन तक के लिए काम देने हेतु राज्य-वार कुल कितने धन की आवश्यकता है; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्रों की मांग पूरी करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 (31 जनवरी, 1997 तक (के दौरान प्रत्येक उत्तर-पूर्वी राज्य को सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सुनिश्चित रोजगार योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत ऐसे सभी व्यक्तियों, जिनको रोजगार की आवश्यकता है और

जो रोजगार चाहते हैं, को अपना नाम ग्राम पंचायत में पंजीकृत कराना होता है और उनको पारिवारिक कार्ड जारी किए जाते हैं। पारिवारिक कार्ड धारकों को जब भी रोजगार की जरूरत होती है और रोजगार मांगते हैं तो उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाता हैं सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार चालने के लिए जरूरतमंद लोगों को स्थानीय पंचायत में लिखित में आवेदन करना होता है और जब कभी गैर कृषि मौसम के दौरान कम से कम 20 व्यक्ति रोजगार की मांग करते हैं, तो उनको किसी चालू विभागीय/सुनिश्चित रोजगार योजना कार्यों अथवा क्षेत्र में नए कार्य शुरू करके अकुशल शारीरिक रोजगार उपलब्ध कराना होता है। पारिवारिक कार्ड धारकों के कार्य देने के लिए अपेक्षित कुल राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि रोजगार केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कार्य की मांग करते हैं। तथापि, वर्ष 1996-97 से सुनिश्चित रोजगार योजना जो कि एक मांग आधारित योजना है के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी राज्यों में सभी विकास खंडों को शामिल कर लिया गया है। कोई भी जिला उन विकास खंडों के लिए निधियों की अगली/बार की किस्तों हेतु अनुरोध कर सकता है जिन्होंने उपलब्ध निधियों का 50% अथवा उससे अधिक का उपयोग कर लिया हो।

विवरण

उत्तर-पूर्वी राज्यों को जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय निधियां

(रुपये लाख में)

क्रमांक	राज्य	जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय निधियां		सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय निधियां	
		1995-96	1996-97*	1995-96	1996-97*
1.	अरुणाचल प्रदेश	243.58	71.32	1859.00	1090.00
2.	असम	7719.76	2287.27	8020.00	1520.00
3.	मणिपुर	275.83	91.41	900.00	630.00
4.	मेघालय	332.20	106.95	250.00	490.00
5.	मिजोरम	183.20	114.66	2080.00	950.00
6.	नागालैंड	599.49	114.66	2080.00	950.00
7.	त्रिपुरा	671.68	229.91	1560.00	720.00
	कुल :	10025.74	2985.73	15869.00	6080.00

*31 जनवरी, 1997 तक जारी निधियां

संपीड़ित प्राकृतिक गैस

1884. श्री परसराम भारद्वाज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में संपीड़ित प्राकृतिक गैस को इस्तेमाल किए जाने के बारे में वाहन चालक बहुत कम रूचि ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) संपीड़ित प्राकृतिक गैस के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां। आंशिक रूप से संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी०एन०जी०) के रूपांतरण किट के अधिक मूल्य तथा आंशिक रूप से कुछ एक तकनीकी एवं प्रचालन संबंधी समस्याओं के कारण, दिल्ली में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी०एन०जी०) के उपयोग पर निजी वाहन मालिकों की प्रतिक्रिया मामूली रही है। तथापि, लगभग 800 सरकारी कारें संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी०एन०जी०) के उपयोग के लिए रूपांतरित की गई है और कुछ एक क्षेत्रों में इस संबंध में प्रतिक्रिया अच्छी है।

(ग) सरकार ने संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी०एन०जी०) किट पर सीमा शुल्क कम करने के लिए कदम उठाए हैं तथा दिल्ली में गैस पाइपलाइन के साथ-साथ आनलाइन संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी०एन०जी०) वितरण सुविधायें स्थापित करने की योजना बनाई है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पाद

1885. श्री नीतीश कुमार :
डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में कराए गए तक सर्वेक्षण के अनुसार 80 प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पादों और उप उत्पादों की खपत सरकारी क्षेत्र के एककों में होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एककों को इन उत्पादों की पूर्ति आम लोगों को बेचे जाने वाली दरों से कम दरों पर की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका कारण और औचित्य क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) और (घ) प्रशासित पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण स्थल पर मूल्य (उत्पाद शुल्क के बिना) सभी उपभोक्ताओं के लिए देश में सारे मूल्य निर्धारण स्थानों पर समान हैं।

[अनुवाद]

विद्युत का उत्पादन

1886. डॉ० मुरली मनोहर जोशी :
श्री के०एच० मुनियप्पा :
श्री दिलीप सिंह भूरिया :
डॉ० लक्ष्मीनारायण पांडेय :
श्री अनंत कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा बोर्ड-वार तथा वर्ष-वार कुल कितने रुपयों को हानि उठायी गयी;

(ख) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक क्रमशः वास्तविक उपलब्धि सहित विद्युत उत्पादन का लक्ष्य क्या था;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में वास्तविक निजी निवेश कितना था;

(घ) विद्युत को वर्तमान मांग तथा सन् 2000 तक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों को अपने विभिन्न कार्यों विद्युत के उत्पादन और वितरण और निजीकरण करने की सलाह दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) कुछ राज्यों विद्युत बोर्डों के लेखों के अंतिम रूप न दिए जाने के कारण वर्ष 1995-96 के लिए सभी राज्य विद्युत बोर्डों के अधिशेष/घाटे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1992-93 तथा 1994-95 के वर्षों के लिए लेखों में यथा प्रावधान के ग्राम विद्युतीकरण आर्थिक सहायता के साथ-साथ तथा इसके विना राज्यविद्युत बोर्डों के अधिशेष/घाटे के आंकड़े क्रमशः विवरण-I व II में सलंग्न हैं।

(ख) सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंत तक (जनवरी, 1997 तक) विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों के साथ वास्तविक उपलब्धि निम्नवत है :–

अवधि	लक्ष्य	उपलब्धि
सातवीं योजना के अंत तक	251.3 बि०यू०	245.4 बि०यू०
आठवीं योजना (जनवरी, 97 तक)	330.7 बि०यू०	326.4 बि०यू०

(ग) निजी क्षेत्र के लिए परियोजनाओं के संबंध में लगे पूंजी निवेश की मात्रा का निर्धारण केवल तभी किया जा सकता है जब ये परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी।

(घ) सन् 2000 तक विद्युत की वर्तमान तथा प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों अन्य बातों के साथ-साथ ये समाविष्ट हैं :- अतिरिक्त क्षमता का सृजन, बेहतर मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण उपाय, विद्यमान संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना तथा अंतः-क्षेत्रीय लिंकों के माध्यम से अधिशेष वाले क्षेत्रों से विद्युत का अंतरण करके उत्पादन का प्रभावी समुपयोजन, इत्यादि।

(ङ) और (च) राज्यों के मुख्य मंत्री 16 अक्तूबर तथा 3 दिसम्बर, 1996 को एकत्र हुए तथा इस बात पर गौर किया कि विद्युत उद्योग के भावी विस्तार तथा सुधार की अपेक्षाओं को केवल सार्वजनिक संसाधनों से ही पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता है तथा यह अनिवार्य हो जाता है कि उत्पादन, संचारण एवं वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।

विवरण-I

1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 वर्षों के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों का अधिशेष घाटा (लेखे में तथा प्रावधान की ग्राम विद्युतीकरण सहायता को लेखे में दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु०)

क्र० सं०	राज्य विद्युत बोर्ड का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	79.45	86.99	87.25
2.	बिहार	191.19	442.65	−80.32
3.	गुजरात	89.79	92.96	105.94
4.	हरियाणा	−395.66	−410.90	16.16
5.	हिमाचल प्रदेश	11.82	14.61	18.56
6.	कर्नाटक	32.21	33.87	43.06
7.	केरल	18.42	24.12	21.88
8.	मध्य प्रदेश	101.01	118.24	132.40
9	महाराष्ट्र	272.16	288.90	320.78
10.	उड़ीसा	25.94	29.98	24.90
11.	पंजाब	−117.53	−117.91	−5.53
12.	राजस्थान	68.04	70.12	77.07
13.	तमिलनाडु	225.10	225.54	347.75
14.	उत्तर प्रदेश	213.86	61.23	258.44
15.	पश्चिम बंगाल	−28.35	17.81	18.47
16.	असम	−70.68	144.73	−269.81
17.	मेघालय	−8.27	−4.79	−20.18
	जोड़	765.50	117.45	1096.82

विवरण-II

1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 वर्षों के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों का अधिशेष घाटा (लेखे में तथा प्रावधान की ग्राम विद्युतीकरण आर्थिक सहायता को बिना लेखे में लिए) दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु०)

क्र० सं०	राज्य विद्युत बोर्ड का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	79.37	86.86	−828.96
2.	बिहार	−242.41	280.65	−300.11
3.	गुजरात	−537.93	−492.35	−550.28
4.	हरियाणा	−370.90	−482.68	−98.92
5.	हिमाचल प्रदेश	11.82	14.61	17.67
6.	कर्नाटक	−19.49	−1.89	−164.18
7.	केरल	18.40	24.12	18.32
8.	मध्य प्रदेश	−279.04	−297.01	−382.40
9	महाराष्ट्र	272.00	288.89	320.75
10.	उड़ीसा	23.49	−196.05	−136.08
11.	पंजाब	−60.73	−499.35	−427.48
12.	राजस्थान	−221.43	−354.82	−411.05
13.	तमिलनाडु	−231.96	−301.56	−2.31
14.	उत्तर प्रदेश	−691.46	−1090.20	−978.25
15.	प० बंगाल	−96.42	−55.38	−78.66
16.	असम	−134.75	−329.60	−269.85
17.	मेघालय	−12.46	−12.97	−17.58
		−2893.90	−3418.74	−4294.37

[हिन्दी]

विकास योजनाओं के लिए बकाया राशि

1887. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या योजना और कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुछ धनराशि केन्द्र सरकार के पास बकाया है;

(ख) यदि हां, तो योजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक योजनाओं के संबंध में कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को मंजूर की गई योजनाओं के लिए तुरंत धनराशि प्रदान करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) इस संबंध में देरी के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ अन्य राज्यों की विभिन्न योजनाओं की धनराशि भी केन्द्र सरकार के पास बकाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वार्षिक योजना 1996-97 के लिए केन्द्रीय सहायता 263.69 करोड़ रुपये थी जिसमें 9 करोड़ रुपये बुनियादी न्यूनतम सेवाओं (बीएमएस) तथा 12.94 करोड़ रु० मलिन बस्तियों के विकास के लिए शामिल थे। इसके अलावा, गृह मंत्रालय की योजना में दिल्ली पुलिस के लिए 28.25 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। योजना आयोग केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में अथवा किसी अन्य राज्य को आवंटित राशि को रोक नहीं रहा है।

[अनुवाद]

आवास की समस्या

1888. श्री के०पी० सिंह देव :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री वी० प्रदीप देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में, विशेषकर दिल्ली में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को आवास की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) विभिन्न श्रेणियों में स्थान-वार कितने फ्लैट खाली पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) महानगरों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमानित कितने मकानों की कमी है;

(घ) आवास समस्या को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) दिल्ली तथा अन्य महानगरों में आज तक प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवास की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(च) अगले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली तथा देश के अन्य नगरों में सरकार द्वारा कितने मकान बनाने का विचार है और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) और (ङ) विवरण-II संलग्न है।

(घ) और (च) 1997-98 से आरम्भ हो रहा नौवीं योजना प्रस्तावों में साधारण पूल रिहायशी वास स्कीम के लिए 500 करोड रुपये की धनराशि निर्दिष्ट करना प्रस्तावित है और इस अवधि में भारत के विभिन्न शहरों में लगभग 10,000 मकानों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसमें से लगभग 2000 दिल्ली में होंगे। पहले तीन वर्षों में निर्माण, इन वर्षों के लिए योजनागत परिव्यय के आधार पर होगा।

विवरण-I

(ख) खाली पड़े फ्लैटों की संख्या

स्टेशन	टाइप	खाली फ्लैट	कारण
मुम्बई	II	185	नये आवेदनों को आमं-
चण्डीगढ़	I	70	त्रित करने के लिए
	III	55	उच्चतम न्यायालय से
	IV	36	मिलने के पश्चात् ही
फरीदाबाद	I	1	आवेदन आमंत्रित करना
	IV	3	अपेक्षित होगा।
गाजियाबाद	III	5	
राजकोट	I	8	
दिल्ली	IV	94	
	IV (विशेष)	90	
	Vवी (डी-I)	3	

विवरण-II

स्टेशन	टाइप	मांग	उपलब्धता	भण्डारण
मुम्बई	I	10380	3271	7109
	II	18370	3642	14728
	III	9000	1293	7705
	IV	3000	553	2446
	V	800	214	583
	VI	230	90	139
कलकत्ता	I	2434	1688	764
	II	3755	2441	1311
	III	1897	1344	545
	IV	401	185	215
	V	360	117	243
	VI	117	101	16
मद्रास	I	805	450	355
	II	1900	880	1020
	III	1550	435	1114
	IV	385	326	55
	V	150	85	64
	VI	23	16	7
दिल्ली	I	22293	16613	5680
	II	34925	23614	11311
	III	26711	149565	11746
	IV	9116	5019	4097
	IV (स्पेशल)	1130	482	648
	V-ए	2352	1241	1111
	V-बी	845	409	436
	VI	1360	591	769
	VII	317	102	215
	VIII	299	114	185

अपतटीय कार्य

1889. श्री एल० रमना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने अपने अपतटीय कार्यों के लिए कितने गोताखोर लगाए हुए हैं;

(ख) इन गोताखोरों के कौन-कौन से कार्य हैं;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने हाल ही में भारतीय गोताखोरों को दिए जा रहे वेतन से बहुत अधिक वेतन पर बहुत से विदेशी गोताखोरों को अनुबंधित किया है; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी गोताखोरों को अनुबंधित करने और उन्हें अधिक वेतन देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) ओएनजीसी लिमिटेड ने अपनी अपतटीय प्रचालनों के लिए किसी भी गोताखोर को सीधे काम पर नहीं लगाया है। कारपोरेशन, केवल आवश्यकता के आधार पर, विख्यात और अनुभवी गोताखोर एजेंसियों की सेवाएं ठेके पर प्राप्त करता है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड

1890. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स बात की जानकारी है कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने विद्युत की खरीद हेतु निजी उद्यमों के साथ नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में जल विद्युत परियोजना को स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) केरल राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने केरल में निम्नलिखित नौ प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों के स्थापना के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

परियोजना	क्षमता	प्रवर्तक का नाम
चीमैनी टीपीटी	500 मे०वा०	बीपीएल ग्रुप
कांजीकोड डीजीपीपी	100 मे०वा०	डब्ल्यू.आई. सर्विस एंड एस्टेट लि०
कन्नूर सीसीजीटी	500 मे०वा०	केपीपी नाम्बियार एंड एसोसियट्स
कसारगोड	500 मे०वा०	फिनोलेक्स एनर्जी कार्पोरेशन लि०
कसारगोड	60 मे०वा०	कसारगाड़ पावर कार्पोरेशन लि०
कसारगोड टीपीसी	500 मे०वा०	कसारगोड पावर कार्पोरेशन लि०
कोट्टयकल	348 मे०वा०	कुमारर्स एनर्जी कार्पोरेशन लि०
पलाक्कड	344 मे०वा०	पलाक्कड पावर जेनरेटिंग कंपनी
विप्पीन	650 मे०वा०	सियासिन एनर्जी प्रा०लि०, यू०एस०ए०

(ग) विद्युत मंत्रालय केवल उन निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं की मानिटरिंग करता है जिनके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति अपेक्षित होती है। केरल की जिन परियोजनाओं की मानिटरिंग की जा रही है उनमें कोई भी जल विद्युत परियोजना नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं

1891. डा० बलिराम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में स्वास्थिकी, पेय जल की आपूर्ति और गन्दी बस्तियों के विकास से सम्बन्धित कितनी परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई और उन परियोजनाओं तथा शहरों के नाम क्या है जिनके लिए यह राशि प्रदान की गई;

(ग) क्या वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश की किसी परियोजना को स्वीकृति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) उत्तर प्रदेश में स्लम बस्तियों की सफाई और विकास के लिए केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु कोई परियोजना लम्बित नहीं है। जहां तक पेय जल की आपूर्ति का सवाल है त्वरित शहरी जल आपूर्ति के केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम के तहत 2 स्कीमें मंजूर नहीं की गयी है क्योकि आठवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 1756.19 लाख रुपये के सैद्धान्तिक अन्त की तुलना में 5858.67 लाख रु० की परियोजना लागत की 69 स्कीमें पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं।

(ख) से (घ) 1991 की जनसंख्या के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले शहरों पर लागू त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत गत तीन वर्षों के दौरान 5858.67 लाख रु० की कुल परियोजना लागत दत 69 स्कीमें मंजूर की गयी हैं आर 1978.62 लाख रु० का केन्द्रीय अंश जारी किया गया है। इनमें से 27 स्कीमें 1995-96 में मंजूर की गयी थी। एक विवरण संलग्न है।

सिर पर मैला ढ़ोने की कुप्रथा से मुक्ति के लिए कम लागत की सफाई कार्यक्रम के तहत गत तीन वर्षों के दौरान 9836.16 लाख रु० की कुल परियोजना लागत पर 6 स्कीमें मंजूर की गयी है। राज्य सरकार को 504.35 लाख रु० सब्सीडी के रूप में भी जारी किए गए

हैं। सभी 6 स्कीमों 1996-97 के दौरान मंजूर की गयी थी।

उपर्युक्त के अलावा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी शहरों में जल आपूर्ति सुविधाओं के सुधार हेतु 1996-97 के दौरान 4533 लाख रु० की परियोजना लागत पर एक प्रस्ताव भी अनुदान सहायता हेतु 10वें वित्त आयोग को मिला था। इस प्रस्ताव की मंत्रालय द्वारा तकनीकी दृष्टि से जांच की गयी, और 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय सहायता हेतु इसकी वित्त मंत्रालय को सिफारिश की गयी है जिसें अब मंजूरी दे दी गयी है।

विवरण-I

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमें

क्र० सं०	कस्बे का नाम	स्वीकृति तिथि माह/वर्ष	परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	करहल	मार्च; 94	106.90
2.	हस्तिनापुर	"	116.35
3.	जलाली	"	77.25
4.	जट्टारी	"	100.60
5.	हरदुआगंज	"	57.30
6.	खेरागढ़	"	75.20
7.	हलदौरा	"	91.00
8.	उमरीकलां	"	66.70
9.	नधावलीकला	"	36.00
10.	राया	"	78.00
11.	मरेहरा	"	34.90
12.	अचनेरा	"	67.90
13.	ससनी	"	75.55
14.	घिवोर	"	57.65
15.	तुलसीपुर	"	97.50
16.	गोलाबाजार	"	54.40
17.	मेहनगर	"	78.50
18.	जियानापुर	"	56.10
19.	अजमतगढ़	"	48.00
20.	धुधुली	"	79.20
21.	रेवती	"	77.50
22.	सिंकदरपुर	"	86.70
23.	करारी	मार्च; 94	83.34
24.	बासडीह	"	83.00
25.	चन्दावली	"	85.00
26.	बकेवार	"	63.60
27.	लखना	"	43.80
28.	कुलपहार	"	81.80
29.	झिंझक	"	81.20
30.	बिठुर	"	46.20
31.	नारायणी	"	54.50
32.	तिखागंज	"	71.20
33.	तालग्राम	"	53.30
34.	नवावगंज	"	18.50
35.	नौतीनी	"	5.70
36.	मोहन	"	49.20
37.	सन्दी	"	65.00
38.	पाली	"	59.20
39.	इस्लामपुर	"	68.40
40.	सिंघाई बरोरा	"	86.50
41.	कतरा	"	103.00
42.	बाजपुर	"	86.20
43.	बिल्लारियागंज	जनवरी, 96	64.70
44.	रामनगर	"	75.70
45.	शंकरगढ़	"	157.80
46.	घोरावल	"	87.60
47.	सिधौर	"	58.80
48.	चोपन	मार्च, 96	133.50
49.	बी०बी० नगर	"	68.30
50.	दौरला	"	74.60
51.	फरीदपुर	"	59.50
52.	उषावन	"	72.50
53.	सीरिक	"	81.00

1	2	3	4
54.	हरिया	मार्च, 96	62.40
55.	हरिहरपुर	"	63.00
56.	बंशगांव	"	81.20
57.	बिकापुर	"	101.50
58.	सरायअकील	"	98.98
59.	दुधी	"	156.70
60.	पाली	"	63.80
61.	ओरन	"	59.00
62.	रसिया बाजार	"	86.15
63.	नरेन्द्र नगर	"	240.50
64.	चम्बा	"	537.80
65.	झालू	"	80.50
66.	अदरी	"	60.30
67.	कलाडुगीं	"	121.90
68.	अत्सु	"	79.80
69.	हरगांव	"	83.30
	योग		5858.67

कम लागत के स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत स्कीमें

(लाख रुपये)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत
1.	बाँदा	17.7.96	565.20
2.	बदायूं	17.7.96	382.97
3.	मुरादाबाद	30.6.96	1298.43
4.	मथुरा	30.6.96	1386.11
5.	आगरा	10.6.96	5295.18
6.	मुज्जफरनगर	10.6.96	910.27
	योग		9836.16

[अनुवाद]

बड़ी परियोजनाएं हेतु प्रोत्साहन

1892. डा० एम० जगन्नाथ : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इंगित बड़ी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो बड़ी परियोजनाओं की पहचान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ग) दिनांक 16.1.1997 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कुछ मुख्य-मंत्रियों ने अपनी वक्तव्यों में विभिन्न राज्यों द्वारा दिए जा रहे विशेष प्रोत्साहनों का उल्लेख किया। 1000 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक की लागतवाली सभी केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं को मेगा परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मेगा परियोजनाओं के लिए राज्यों को विशेष प्रोत्साहन देने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि

1893. श्री सोहन वीर : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने अपनी ग्रामीण विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग करते हुए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996 के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों को कितनी अतिरिक्त धनराशि आबंटित की है, और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रमुख ग्रामीण विकास और रोजगार कार्यक्रम हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देशभर में केन्द्र द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 3119 लाख रुपए और 2372.71 लाख रुपए की अतिरिक्त निधियों की उनकी मांग की तुलना में क्रमशः 2414 लाख रुपए और 1446.22 लाख रुपए की अतिरिक्त निधियों आबंटित की गई थी। इसी प्रकार, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1996 के दौरान उत्तर प्रदेश को 1200 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई थी। तथापि, 1996 के दौरान मध्य प्रदेश से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। इसी प्रकार, न तो उत्तर प्रदेश अथवा न ही मध्य प्रदेश ने जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों के लिए मांग की थी।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान इन कार्यक्रमों की वास्तविक उपलब्धि निम्नानुसार है :-

कार्यक्रम	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या)	355916	210692
जवाहर रोजगार योजना (सृजित रोजगार योजना)	1408.13	618.65
त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (कवर की गई जनसंख्या लाख में)	55.55	22.25

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना

1894. श्री टी० गोपाल कृष्ण : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत कितने आवास आबंटित करने का लक्ष्य था;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने आवास आबंटित किए गए;

(ग) इस संबंध में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और राज्य सरकारों द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई, और

(घ) इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए आवासों के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण-I में दिए अनुसार है।

(ख) वर्ष 1996-97 के लिए इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा बनाए जाने वाले आवासों का लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिए अनुसार है।

(ग) और (घ) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत और उपयोग की गई कुल निधियां संलग्न विवरण-III और IV में दिए अनुसार हैं।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए लक्ष्य

राज्य का नाम	लक्ष्य
1	2
आंध्र प्रदेश	87642
अरूणाचल प्रदेश	797
असम	25560
बिहार	217292
गोवा	861
गुजरात	34501
हरियाणा	10846
हिमाचल प्रदेश	2736
जम्मू व कश्मीर	10561
कर्नाटक	52133
केरल	24624
मध्य प्रदेश	113384
महाराष्ट्र	89776
मणिपुर	1022
मेघालय	1195
मिजोरम	504
नागालैंड	1281
उड़ीसा	62986
पंजाब	7047
राजस्थान	50875
सिक्किम	1491
तमिलनाडु	74205
त्रिपुरा	1327
उत्तर प्रदेश	204003
पश्चिम बंगाल	69579
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	377
दादर व नगर हवेली	205
दमन व द्वीव	121
लक्षद्वीप	189
पांडिचेरी	369
कुल	1147489

विवरण-II

वर्ष 1996-97 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकानों का लक्ष्य

राज्य/संघ का नाम	लक्ष्य
1	2
आंध्र प्रदेश	84640
अरूणाचल प्रदेश	631
असम	29197
बिहार	151453
गोवा	1796
गुजरात	33633
हरियाणा	6983
हिमाचल प्रदेश	2165
जम्मू व कश्मीर	5347
कर्नाटक	53181
केरल	18554
मध्य प्रदेश	147902
महाराष्ट्र	81120
मणिपुर	808
मेघालय	946
मिजोरम	998
नागालैंड	1014
उड़ीसा	62248
पंजाब	4966
राजस्थान	50325
सिक्किम	369
तमिलनाडु	71598
त्रिपुरा	1051
उत्तर प्रदेश	241251
पश्चिम बंगाल	70979
अंडमान व निकोबर द्वीप समूह	337
दादर व नगर हवेली	278
दमन व द्वीय	120
लक्षद्वीप	0
पांडिचेरी	330
कुल	1123560

विवरण-III

राज्य का नाम	आवंटन (1995-96)			उपयोग की गई निधियां (1995-96) (रुपए लाख में)
	केन्द्र	राज्य	कुल	
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	8764.21	2191.05	10955.26	6317.95
अरूणाचल प्रदेश	79.71	19.93	99.64	56.00
असम	2555.95	638.99	3194.94	3381.71
बिहार	17079.21	4269.80	21349.01	19168.71
गोवा	86.12	21.53	107.65	31.51
गुजरात	3450.09	862.52	4312.61	3669.28
हरियाणा	1084.63	271.16	1355.79	1233.81
हिमाचल प्रदेश	273.65	68.41	342.06	244.55
जम्मू व कश्मीर	1056.07	264.02	1320.09	543.04

1	2	3	4	5
कर्नाटक	5213.33	1303.33	6516.66	5812.80
केरल	1896.68	474.17	2370.85	4864.14
मध्य प्रदेश	11338.99	2834.60	14172.99	11807.75
महाराष्ट्र	9064.06	2266.02	11330.08	10606.35
मणिपुर	102.16	25.54	127.70	141.18
मेघालय	119.54	29.89	149.43	30.01
मिजोरम	50.36	12.59	62.95	87.68
नागालैंड	128.13	32.03	160.16	74.26
उड़ीसा	6298.60	1574.65	7873.25	7494.88
पंजाब	486.85	121.71	608.56	96.50
राजस्थान	5087.49	1271.87	6359.36	4701.44
सिक्किम	166.65	41.66	208.31	163.76
तमिलनाडु	7468.73	1867.18	9335.91	14398.41
त्रिपुरा	132.69	33.17	165.86	144.77
उत्तर प्रदेश	20400.14	5100.04	25500.18	17039.77
पश्चिम बंगाल	6957.87	1739.47	8697.34	4468.87
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	47.17	0.00	47.17	15.98
दादर व नगर हवेली	25.61	0.00	25.61	1.19
दमन व द्वीव	15.08	0.00	15.08	9.25
लक्षद्वीप	23.65	0.00	23.65	5.18
पांडिचेरी	46.18	0.00	46.18	25.74
कुल	109499.00	27335.33	136834.33	116636.44

विवरण-IV

राज्य का नाम	केन्द्रीय आवंटन (रुपए लाख में)	राज्य का अंश (रुपए लाख में)	कुल (रुपए लाख में)	जनवरी 97 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार उपयोग की गई निधियां (रुपए लाख में)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	8870.30	2217.58	11087.88	2175.36
अरूणाचल प्रदेश	79.71	19.93	99.64	8.36
असम	2919.68	729.92	3649.60	567.75
बिहार	17398.92	4349.73	21748.65	9884.04

1	2	3	4	5
गोवा	86.12	21.52	107.65	49.04
गुजरात	3255.70	813.93	4069.63	2318.63
हरियाणा	782.14	195.54	977.68	757.65
हिमाचल प्रदेश	273.65	68.41	342.06	245.30
जम्मू व कश्मीर	556.07	139.02	695.09	851.34
कर्नाटक	5956.29	1489.07	7445.36	3328.50
केरल	2167.06	541.77	2708.83	1476.19
मध्य प्रदेश	11240.56	2810.14	14050.70	3193.99
महाराष्ट्र	9669.47	2417.37	12086.84	4125.85
मणिपुर	102.16	25.54	127.70	47.09
मेघालय	119.54	29.89	149.43	34.58
मिजोरम	50.36	12.59	62.95	45.61
नागालैंड	128.13	22.03	160.16	0.00
उड़ीसा	7195.91	1798.98	8994.89	4728.20
पंजाब	556.24	139.06	695.30	213.98
राजस्थान	4670.13	1167.53	5837.66	2150.73
सिक्किम	46.65	11.66	58.31	100.70
तमिलनाडु	8018.92	2004.73	10023.65	4961.49
त्रिपुरा	132.82	33.21	166.03	228.00
उत्तर प्रदेश	21616.12	5404.03	27020.15	11831.65
पश्चिम बंगाल	7949.67	1987.42	9937.09	2264.62
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	47.17	0.00	47.17	2.38
दादर व नगर हवेली	25.61	0.00	25.61	7.45
दमन व द्वीव	15.10	0.00	15.10	0.58
लक्षद्वीप	23.65	0.00	23.65	2.42
पांडिचेरी	46.15	0.00	46.15	14.39
कुल	114000.00	28460.58	142460.58	57615.87

कानपुर में बिजली की कमी

1895. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कानपुर नगर में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में गड़बड़ी श्रमिकों की हड़ताल तथा समय पर आवश्यक कल-पुर्जो की अनुपलब्धता इत्यादि के कारण वर्षों से विद्युत आपूर्ति अनियमित, अपर्याप्त तथा घंटों तक नही रहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कानपुर में विद्युत को सुचारू रूप से आपूर्ति

बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) कानपुर नगर को विद्युत की आपूर्ति करना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार/उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यूपीएसईबी) के विशेष क्षेत्राधिकार में आता है।

(ग) उत्तर प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के विभिन्न उपायों में विद्यमान क्षमता से उत्पादन अधिकतम करना, नवीरकण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी भार प्रबंधन एवं ऊर्जा संरक्षण उपाय करना तथा पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से सहायता प्राप्त करना शामिल है।

पेट्रोल की कीमत

1896. श्री के०सी० कोंडय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में, विशेषरूप से बंगलौर शहर में पेट्रोल और डीजल की प्रति लीटर क्या कीमत निर्धारित की गई है;

(ख) चेन्नई, मुम्बई और दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की प्रतिलीटर कीमत कितनी है;

(ग) कर्नाटक में विशेषरूप से बंगलौर में पेट्रोल और डीजल की अधिक दरें निर्धारित करने के क्या कारण है, और

(घ) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण देश में इन पेट्रोलियम उत्पादों की एक समान-दरें निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) बंगलौर, चेन्नई, मुम्बई और दिल्ली में पेट्रोल (एमएस-87) और डीजल (एचएसडी) के खुदरा बिक्री मूल्य निम्नानुसार है :-

	रुपये प्रति लीटर	
	एम एस-87	एच एस डी
बंगलौर	24.97	9.33
चेन्नई	24.93	8.87
मुम्बई	24.03	9.00
दिल्ली	21.13	8.02

(ग) और (घ) सभी रिफाइनरियों में पेट्रोल और डीजल का भण्डारण स्थल पर मूल्य एक समान स्तर पर निर्धारित किया जाता है। परिवहन लागत, विभिन्न राज्यों/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए राज्य बिक्री कर, चुंगी भिन्न-भिन्न होते हैं और ये विभिन्न राज्यों में पेट्रोल एवं डीजल के अन्तिम बिक्री मूल्य को प्रभावित करते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पेय जल परियोजनाएं

1897. श्री भगवान शंकर रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में पेय जल की आपूर्ति हेतु मंजूर की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना को लागू करने हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गयी है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) विगत 2 वर्षों के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति के केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न शहरों के लिए 27 जल आपूर्ति योजनाएं मंजूर की गयी है। शहरों के नाम और उनकी परियोजना लागत संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में है। कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय अंश के रूप में कुल 1978.92 लाख रुपये जारी किए गए हैं जिसमें गत वर्षों के दौरान मंजूर 32 अन्य योजनाओं की राशि शामिल है।

उपर्युक्त के अलावा सहायता मंजूर करने बावत 4533 लाख रुपये की परियोजना लागत पर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी शहरों में जल आपूर्ति में वृद्धि करने सम्बन्धी प्रस्ताव भी 10वें वित्त आयोग को मिला था। इस प्रस्ताव की इस मंत्रालय द्वारा तकनीकी तौर पर जांच करके 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय को सिफारिश की है जिसे अब मंजूर कर दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	कस्बे का नाम	स्वीकृत तिथि माह/वर्ष	परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	बिलारीयागंज	जनवरी, 96	64.70
2.	रामनगर	"	75.70
3.	शंकरगढ़	"	157.80
4.	धोरावल	"	87.60
5.	सिधौर	"	58.80
6.	चोपन	मार्च, 96	133.50
7.	बी०बी० नगर	"	68.30
8.	दुरौला	"	74.60
9.	फरीदपुर	"	59.50
10.	ऊयावन	"	72.50

1	2	3	4
11.	सौरिक	मार्च, 96	81.00
12.	हररीया	"	62.40
13.	हरिहर पुर	"	63.00
14.	बंश गांव	"	81.20
15.	वीकापुर	"	101.50
16.	सरिया अकील	"	98.98
17.	दूधी	"	156.70
18.	पाली	"	63.80
19.	ओरन	"	59.00
20.	रिसिया बाजर	"	86.15
21.	नरेन्द्र नगर	"	240.50
22.	चम्बा	"	537.80
23.	झालू	"	80.50
24.	अद्री	"	60.30
25.	कालादुंगी	"	121.90
26.	अत्सु	"	79.80
27.	हरगांव	"	83.80
	योग		1896.83

[अनुवाद]

परमाणु विद्युत संयंत्रों का कार्य निष्पादन

1898. प्रो० अजीत कुमार मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के परमाणु विद्युत संयंत्रों का कार्य-निष्पादन उनके अभिकल्पित भार कारक (डिजाइन्ड लोड फैक्टर) के अनुसार नहीं रहा है और यह कि परमाणु विद्युत उत्पादन प्रणाली विश्वसनीय नहीं पायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए शुल्क-दर नियत करने हेतु माना गया मानकीय संयंत्र-भार गुणक 62.8% है। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चालू बिजलीघरों ने वर्ष 1995-96 के दौरान कुल मिला कर 60% वार्षिक संयंत्र-भार गुणक हासिल किया। चालू वित्त-वर्ष में जनवरी, 1997 के अंत तक उन बिजलीघरों ने जो काम कर रहे हैं, कुल मिलाकर 64% संयंत्र-भार गुणक हासिल किया। आशा है कि यह पूरे वर्ष के लिए 66% तक पहुंच जाएगा। बावजूद इस तथ्य के कि तारापुर यूनिट-I और मद्रास यूनिट-I जैसे पुराने बिजलीघर अनिवार्य सेवाकालीन निरीक्षणों के लिए काफी लम्बे समय तक बंद रहे। नए उत्पादक यूनिट, नामतः, ककरापार और नरोरा परमाणु बिजलीघरों ने चालू वित्त-वर्ष के दौरान क्रमशः 84% और 68% संयंत्र-भार गुणक हासिल किया है। 100 मेगावाट की क्षमता वाले राजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट-I को; उसके अति दाब मोचन युक्ति में हुए रिसाव को बंद करने के लिए फरवरी, 1994 से बंद किया हुआ है। इस रिसाव को हाल ही में बंद किया गया है और आशा है कि इस यूनिट को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अनुमोदन मिलने के बाद 1997 के शुरू में फिर से चालू कर दिया जाएगा। 200 मेगावाट की क्षमता वाले राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट को भी एक साथ शीतलक चैनल बदलने और प्रणालियों को उपग्रेड करने के कार्य जिनमें संतोषजनक रूप से प्रगति हो रही है, के लिए अगस्त 1994 से बंद किया हुआ है। राजस्थान परमाणु बिजली घर-2 के 1997-98 के अंत तक फिर से काम शुरू कर देने की आशा है।

(ग) चालू विद्युत संयंत्रों के संयंत्र-भार गुणक और उपलब्धता गुणक को बेहतर बनाने के प्रयासों में परिस्थिति मानीटरन और निवारक एवं प्रागुक्तिपरक अनुरक्षण को सुदृढ़ करना, आउटेज प्रबंधन को बेहतर, बनाना, अनुरक्षण तथा प्रचालन स्टाफ को गहन प्रशिक्षण, विशेषकर सिमुलेटरों का उपयोग किए जाने में, देना, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए गए टर्बो-जनित्रों में किए गए सुधार कार्य, ग्रिड के आवृत्ति नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों के साथ समन्वय, चालू बिजलीघरों में तत्काल कार्रवाई कर सकने के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार का विकेन्द्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के जरिए तकनीकी जानकारी और अनुभव का आदान-प्रदान शामिल है।

पेट्रोल पम्प

1899. श्री बी०एल० शंकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में मंत्रालय द्वारा, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और विकलांग सैनिकों को पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेंसियां आवंटित किए जाने के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या उपरोक्त सभी मामलों में आवंटन किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) विद्यमान नीति के अनुसार तेल चयन बोर्डों के माध्यम से आवंटित 7½ प्रतिशत डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रतिरक्षा श्रेणी के लिए आरक्षित है। मृत्योपरांत बहादुरी पुरस्कार विजेताओं की विधवाओं और युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों के आश्रितजनों की प्रतिरक्षा

श्रेणी के अंतर्गत वरीयता दी जाती है। तदनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात 1993-94 से 1995-96 के दौरान तेल चयन बोर्डों ने "प्रतिरक्षा" श्रेणी के अंतर्गत 99 खुदरा बिक्री केन्द्रों ओर 71 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों हेतु चयन किया गया था 73 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और 95 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के मामले में तेल चयन बोर्डों द्वारा चयन नहीं किया गया है क्योंकि तेल चयन बोर्ड अप्रैल, 1996 से कार्यरत नहीं है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

1900. श्री तारीक अनवर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उसकी शक्तियों से वंचित किए जाने के बारे में निदेश दिए जाने की संभावना है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की संरचना और भूमिका संबंधी एक अध्ययन कार्य भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज (एएससीआई), हैदराबाद को सौंप दिया गया है। एएससीआई की सिफारिशें अंतिम रूप से उपलब्ध हो जाने के पश्चात ही सरकार कोई विचार प्रकट करेगी।

अंतरिक्ष अनुसंधान

1901. श्री शरत पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में अमरीका के साथ सहयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अमरीका के साथ सहयोग के मुख्य क्षेत्र क्या हैं और उनसे क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ग) अन्तरिक्ष के क्षेत्र में हमारे देश के संयुक्त राज्य अमरीका के साथ चिरकालिक सहयोगी और वाणिज्यिक संबंध रहे हैं। अमरीका के लैण्डसैट और राष्ट्रीय समुद्री तथा वायुमंडलीय प्रशासन (एन०ओ०ए०ए०) उपग्रहों से देश में आंकड़ों का अभिग्रहण और उपयोग किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका की एस०आई०-इयोसैट कम्पनी भारतीय आई०आर०एस० उपग्रह आंकड़ों के विश्वभर में विपणन के लिए उत्तरदायी है।

भारत सरकार के अन्तरिक्ष विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन (एन०ओ०ए०ए०) ने पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में संभावित वैज्ञानिक सहयोग और संबद्ध आंकड़ों के विनिमय के बारे में विचार-विमर्श किया है। इन विचार-विमर्शों के आधार पर संबंधित सरकारों के विचार के लिए विशिष्ट वैज्ञानिक और संबद्ध आंकड़ों के विनिमय हेतु सहकारी करारों का प्रतिपादन करने का विचार है।

कर्नाटक को विद्युत का आवंटन

1902. श्री अनंत कुमार :
श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में विद्युत की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो कृषि संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) राज्य में कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं चल रही है और उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाता है;

(घ) दक्षिणी ग्रिड तथा संयुक्त जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा अलग-अलग राज्य को कितनी विद्युत की आपूर्ति की जा रही है;

(ङ) निजी क्षेत्र में अब तक किन-किन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है और कितने प्रस्ताय विचाराधीन हैं, और

(च) इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) कर्नाटक में कितनी विद्युत का उत्पादन होने का अनुमान है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) अप्रैल, 96–जनवरी, 97 की अवधि के दौरान कर्नाटक में ऊर्जा की आवश्यकता 20230 मि०यू० थी जिसकी तुलना में उपलब्धता 14944 मि०यू० थी जो 26.1 कमी की द्योतक है।

(ख) कर्नाटक में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना, क्षमता अभिवृद्धि करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, बेहतर मांग प्रबंधन का क्रियान्वयन करना, ऊर्जा संवर्धन उपाय करना तथा पड़ोसी प्रणालियों से सहायता का प्रबंध करना इत्यादि शामिल है। इस समय, कृषि उपभोक्ता प्रतिदिन आठ घंटे की न्यूनतम आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादकों के 15% अनाबंटित कोटे में से 40% हिस्से का आवंटन किया गया है।

(ग) 1996-97 (जनवरी, 97 तक) के दौरान कर्नाटक में स्टेशन-वार ऊर्जा का उत्पादन निम्नवत है :-

ऐजेंसी का नाम	स्टेशन	ऊर्जा उत्पादन (मि०यू०) (1996-97) (जनवरी, 1997 तक)
1	2	3
कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लि०	रायचूर	4170
	शरावती	2915
	काली नदी	1567
	सुप्रा बांध	199

1	2	3
	भन्द्रा	11
	लिंगानमक	120
	वराही	674
	धा०प्रभा	77
	मल्लापुर	1
	मनी डीपीएच	9
	जोड़	9743
कर्नाटक विद्युत बोर्ड	जोग	102
	शिवसमुन्द्रम	83
	शिमशापुर	76
	मुनीराबाद	58
	जोड़	319
भोरूका पावर कार्पोरेशन लि० जोड़ कर्नाटक	शिवपुर	45
जोड़ कर्नाटक	ताप विद्युत	4170
	जल विद्युत	5937
	जोड़	10107

(घ) अप्रैल, 96 से जनवरी, 97 की अवधि के दौरान, दक्षिणी ग्रिड से 3784.5 मि०यू० की हकदारी की तुलना में कर्नाटक द्वारा वास्तविक आहरण 4756.2 मि०यू० था। अप्रैल, 96 से जनवरी 97 के दौरान कर्नाटक की महाराष्ट्र से 618.6 मि०यू० की सहायता प्राप्त हुई।

(ङ) और (च) कर्नाटक में निजी विद्युत प्रस्तावों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

1. गंगलौर टीपीएस 1000 मे०वा०
2. तोरेंगुल्लू टीपीएस 260 मे०वा०

मैसर्स कर्नाटक विद्युत बोर्ड द्वारा 2x23.4=46.8 मे०वा० की येलाहंका डीजीपीपी ही केवल एक ऐसी परियोजना है जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांचाधीन है।

पेट्रोल की कीमत में वृद्धि

1903. श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में पिछले तीन वर्षों में तथा आज की तिथि में पेट्रोल की कीमत संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या है ओर राष्ट्रीय बाजार में इसके अधिक होने के क्या कारण है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अपतटीय दोहन में भारी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान अपतट में वेधित कूपों और मीटरेज का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

1993-94	359702	162
1994-95	204116	89
1995-96	163086	79

(घ) वेधन क्रियाकलापों की मात्रा अनुमोदित क्षेत्र विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन, बेसिन के विश्लेषण और मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा सृजित नई संभावना, अन्वेषात्मक और रूपरेखा वेधन के परिणामों और अन्वेषण रकबों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

नगर भूमि अधिनियम में संशोधन

1904. श्री मोहन रावले :
श्री राम नाईक :
श्री सुशील चन्द्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नगर भूमि अधिनियम, 1976 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इन संशोधनों को संसद के समक्ष कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) भारत सरकार शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन)" अधिनियम, 1976 को और अधिक कारगर और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अधिनियम के संशोधन के संदर्भ में उनके सुझाव देने बावत राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। अधिनियम के संशोधन के लिए सिफारिश हेतु एक समिति भी गठित की गई है।

(ग) एक निश्चित समय सीमा बताना कठिन है क्योंकि सांविधानिक अपेक्षा के अनुसार सरकार द्वारा अनुमोदन हो जाने पर कम से कम दो राज्यों की विधान सभाओं द्वारा जहां शहरी भूमि (परिसीमन और नियमन) अधिनियम लागू है, संविधान की धारा 252(2) के अंतर्गत इससे सहमत होने तथा संकल्प पात करने के पश्चात ही इसे संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।

आवास क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देना

1905. श्री वी० प्रदीप देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास निर्माण क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिए जाने की निरंतर मांग की जाती रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) आवास सेक्टर के लिए संस्थागत निधि को बढ़ाने की मांग के संदर्भ में आवास निर्माण को उद्योग के रूप में घोषित करने की मांग पहले ही उठायी गयी है। यह नोट किया गया कि केवल आवास निर्माण का सेवा संस्थागत निधि सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है क्योंकि भवन सामग्री का उत्पादन पहले से ही उद्योग के कार्यक्षेत्र में था।

राष्ट्रीय आवास बैंक और देश के विभिन्न भागों में आवास वित्त संस्थानों की श्रृंखला के स्थापित हो जाने के साथ आवास क्षेत्र के लिए संस्थागत वित्त व्यवस्था की आवश्यकता महत्वपूर्ण रूप से पूरी हुई है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक वित्तीय संस्थानों नामतः आई०डी०बी०आई० और आई०सी०आई०सी०आई० से पुनवित्त व्यवस्था भी आवास निर्माण को उद्योग धोपित किये विना 5 करोड़ रु० से अधिक लागत वाली आवास परियोजना के लिए मामला दर मामला आधार पर अब उपलब्ध है।

उपर्युक्त के आलोक में आवास क्षेत्र के लिए निधियों के संस्थागत, प्रवाह में धीरे-धीरे वृद्धि हो गई है और आवास निर्माण को उद्योग के रूप में घोपित करने की मांग-शात हो गई है।

स्थानीय खरीद

1906. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इसके दिल्ली तथा बाहर स्थित कार्यालयों को स्टेशनरी तथा अन्य सामानों की स्थानीय खरीद केन्द्रीय भण्डार सुपर वाजार तथा नेशनल कन्ज्यूमर को-आपरेटिव फेडरेशन से करने हेतु कोई निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे आदेश जारी करने के क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त संस्थाओं से की गई खरीद के संवंध में कितने अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आए हैं तथा इनका ब्यौरा क्या है;

(घ) उनपर क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या 1981 में जारी किये गये आदेश में यह विनिर्दिष्ट है कि आपूर्ति विभाग शहरी विकास तथा केन्द्रीय भण्डार से लिए गये एक-एक सदस्य से गठित समिति वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करेंगी तथा इन्हें सरकार के सभी विभागों में परिचालित किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो क्या मूल्य निर्धारित करने हेतु ऐसी कोई समिति गठित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) सरकार ने अनुदेश जारी किए हैं कि दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित, सरकार द्वारा वित्त-पोषित और/या नियंत्रित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय और अन्य संगठन अपने लिए अपेक्षित लेखन सामग्री और अन्य वस्तुओं की सारी स्थानीय खरीद केन्द्रीय भण्डार या सुपर बाजार या नेशनल को-ऑपरेटिव कन्ज्यूमर फैडरेशन ऑफ इण्डिया (एन०सी०सी०एफ०) या खादी और ग्राम-उद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) से (केवल फाइल कवर सम्बन्धी खरीद) ही करें और दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालय ऐसी सारी स्थानीय खरीद वहां पर स्थित स्थानीय केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता सहकारी समितियों और केन्द्रीय भण्डार/नेशनल कन्ज्यूमर को-आपरेटिव फैडरेशन की शाखाओं से ही करें। जब वे किसी वस्तु-विशेष की आपूर्ति ना कर पाएं, केवल तभी उनसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात, नियमानुसार ऐसी खरीद अन्य स्रोतों से की जानी चाहिए। उपभोक्ता सहकारी समितियां, वस्तुओं की उचित और युक्ति-संगत दामों पर आपूर्ति के लिए उपयुक्त एजेंसियां समझी जाती हैं। केन्द्रीय भण्डार, सुपर बाजार और नेशनल कन्ज्यूमर को-आपरेटिव फेडरेशन, सरकार द्वारा प्रायोजित सहकारी संस्थाएं हैं और उपर्युक्त अनुदेश, उक्त नीति के अनुसरण में जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) यद्यपि केन्द्रीय भण्डार तथा नेशनल कन्ज्यूमर को-आपरेटिव फेडरेशन द्वारा की गई खरीद में ऐसी अनियमितता का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है, तथापि उपभोक्ताओं की शिकायतों तथा सुझावों, जिनमें किसी खेप-विशेष में खराबियों संबंधी शिकायतें और सुझाव भी शामिल हैं, पर उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाती है तथा सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। सुपर बाजार भी विभिन्न शिकायतों/अनियमितताओं के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करता रहा है। फिर भी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली सरकार को घटिया किस्म के इस्पात के ट्रंक की आपूर्ति करने से संबंधित एक मामला सुपर बाजार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दिया है।

(ङ) और (च) मामले की जांच की जा रही है।

बेरोजगारी

1907. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े राज्यों में उन ग्रामीण क्षेत्रों का पता लगाया है जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार हैं, और

(ख) क्या सरकार का विचार इन पिछड़े राज्यों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु कोई विशेष कार्यक्रम लागू करने का है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने वाले मुख्य कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास

कार्यक्रम हैं जिनको पिछड़े राज्यों सहित ऐसे सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार की बहुलता है। जवाहर रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे राज्यों को अधिक निधियां आवंटित की जाती हैं जिनमें ग्रामीण गरीबों की संख्या अधिक है अर्थात् देश में कुल ग्रामीण गरीबी की तुलना में राज्यों में ग्रमीण गरीबों के अनुपात के आधार पर। इसके अलावा सुनिश्चित रोजगार योजना मांग आधारित योजना है और जिले द्वारा जैसे ही उपलब्ध निधियों का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो राज्य निधियों की बाद की किस्तों की मांग कर सकते हैं। जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियों के आवंटन जारी करने के सिद्धांत में पिछड़े राज्यों को अधिक निधियों का आवंटन करने का सुनिश्चिय किया गया है।

[हिन्दी]

जड़ीबूटियां

1908. श्री आर०एल०पी० वर्मा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बिहार के वनांचल क्षेत्र में कई लाख एकड़ भूमि में वन्य पहाड़ियां है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में जड़ीबूटियों की उपलब्धता के बारे में कोई अनुसंधान कार्य किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और केन्द्रीय औषधीय और संगच पौचा संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जड़ी-बूटियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार गिरडही और कोडरमा के किसानों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें जड़ी बूटियों की खेती करने के बारे में प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से "केन्द्रीय औषधीय और संगच पौचा संस्थान" की एक शाखा लखनऊ में खोलने का है; और

(ङ) यदि हां तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिक दक्षिण बिहार के वनांचल क्षेत्र के पादपों पर अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न है।

(ग) सीएसआइआर का घटक संगठन सिमैप औषधीय तथा संगधीय पादपों के संपूर्ण विकास तथा लाभदायक उपयोग में केन्द्रीय भूमिका निभा रहा है। इस संस्थान ने कई संगधीय तथा औषधीय पादपों के लिए कृषि तथा प्रक्रमण प्रौद्योगिकियों का विकास किया है। सिमैप ने इन पादपों की कई किस्मों का विकास भी किया है। इन प्रयासों के फलस्वरूप औषधीय तथा संगधीय पादप सामग्री का उत्पादन न सिर्फ आंतरिक उपभोग के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी बढ़ा है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में गिरडही और कोडरमा में सिमैप की शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्थानीय एजेंसियों के अनुरोध पर सिमैप कृषकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने की स्थिति में होगा।

[अनुवाद]

सरकारी रिपोर्टों पर रायल्टी

1909. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी प्रकाशकों द्वारा सरकारी रिपोर्टों और प्रकाशनों का पुनर्मुद्रण करने और उनके अंशों को उद्धृत करने पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा विभिन्न आयागों और सरकार द्वारा नियुक्त की गई समितियों की रिपोर्टों में अन्तर्विष्ट सामग्री को प्रकाशित करने के लिए कोई रायल्टी या शुल्क वसूल किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इसे प्रतिलिप्याधिकार के अन्तर्गत लाने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) सरकारी रिपोर्टों और प्रकाशनों का पुनः प्रकाशन या पुनः मुद्रण केवल कोपीराइट स्वामी की अनुमति से ही किया जा सकता है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन प्रकाशन विभाग को सरकारी दस्तावेजों का प्रकाशन करता है कोई रायल्टी नहीं लेता।

(ङ) और (च) किसी समिति, आयोग, परिषद, बोर्ड अथवा सरकार द्वारा नियुक्त अन्य निकाय की रिपोर्ट का पुनः प्रकाशन कोपीराइट का उल्लंघन नहीं है बशर्ते कि यह रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखी गई हो और इस रिपोर्ट के पुनः प्रकाशन को सरकार द्वारा निषेध घोषित न किया गया हों।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के खाली फ्लैट

1910. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 दिसम्बर, 1996 के "दैनिक जागरण" में "डी०डी०ए० के 10,000 फ्लैट चार वर्षों से खाली पड़े" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) पानी और बिजली कनेक्शन के अभाव में डी०डी०ए० के कितने फ्लैट खाली पड़े हैं और नई पैटर्न योजना, 1979 के पंजीयक को आवंटित किया जाना है ऐसे फ्लैट जो आवास के लिए उपयुक्त नहीं हैं, के आवंटन के कारणों सहित ऐसे फ्लैटों की संख्या कितनी है;

(घ) खाली फ्लैटों में विजली और पानी कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिये जाएंगे; और

(ङ) क्या सेवानिवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को फ्लैटों की प्राथमिकता आवंटन योजना प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) डी०डी०ए० ने बताया है कि 17,276 फ्लैट बिजली के अभाव में खाली पड़े है। इनमें से 10,699 फ्लैट न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979 सहित विभिन्न स्कीमों के पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित कर दिए गए हैं। ये आवंटन इस उम्मीद से किए गए थे कि डेसु द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी।

इन सभी फ्लैटों के ब्यौरे तथा डेसु द्वारा दिए गए बिजली का सम्भावित कार्यक्रम संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी नहीं।

विवरण

क्र० सं०	स्कीम का नाम	फ्लैट की संख्या	वे सुविधाए जो उपलब्ध नहीं है।	बिजली देने के लिए डेसु द्वारा की गयी लक्ष्य तारीख
1	- 2	3	4	5
1.	कोंडली घरोली में 976 एस०एफ०एस०	784	बिजली उपलब्ध नहीं	3/97
2.	कोंडली घरोली में 216 एल०आई०जी०/576 जनता रिहायशी मकान	792	-वही-	4/97
3.	कोंडली घरोली में एम०आई०जी०	1124	-वही-	7/97
4.	गाजीपुर में 189 एस०एफ०एस०	189	-वही-	8/97
5.	मयूर विहार फैकैट-II/फेज-I में एम०आई०जी०/एल०आई०जी० हाऊस	248	-वही-	6/97
6.	पूर्वी लोनी रोड (i)	196	-वही-	3/97
	(ii)	256	-वही-	6/97
7.	सेक्टर ए-9 नरेला	616	-वही-	4/97
8.	सेक्टर ए-10 नरेला-II	672	672 ए-10 नरेला में 60 फ्लैटों में शहरी बिजली का काम पूरा शेष फ्लैटों में बिजली नहीं	3/97
9.	सेक्टर ए-10 नरेला	1040	-वही-	3/97
10.	सेक्टर वी-4, नरेला	666	बिजली उपलब्ध नहीं	3/97
11.	सेक्टर बी-4 नरेला	666	-वही-	3/97
12.	मोतिया खान	42	-वही-	3/97
13.	बसन्त कुंज के सेक्टर-डी पाकेट 7 तथा 8 में 201 एम०आई०जी०	201	-वही-	डेसु द्वारा इन फ्लैटों में बिजली देने हेतु कोई निश्चित तारीख नही दी गयी है।
14.	पीरागढ़ी के निकट	148	-वही-	-वही-

1	2	3	4	5
15.	फेज-III सेक्टर 21 रोहिणी	608	-वही-	6/97
16.	फेज-III सेक्टर 21 रोहिणी	16	-वही-	6/97
17.	रोहिणी सेक्टर-22	598	-वही-	4/97
18.	रोहिणी सेक्टर-22	160	-वही-	4/97
19.	रोहिणी सेक्टर-23	864	-वही-	4/97
20.	रोहिणी सेक्टर-24	1455	-वही-	4/97
21.	रोहिणी सेक्टर-24	324	पावर उपलब्ध नहीं	4/97
22.	रोहिणी सेक्टर-25	534	-वही-	4/97
23.	रोहिणी फेज-III सेक्टर 21 पोकिट 7	270	-वही-	4/97
24.	रोहिणी फेज-III सेक्टर 24 पोकिट 4	45	-वही-	4/97
25.	रोहिणी सेक्टर 23 पोकिट 6	288	-वही-	डेसु द्वारा इन फ्लैटों में बिजली देने हेतु कोई तारीख निश्चित नहीं है।
26.	रोहिणी सेक्टर 23 पोकिट 7	128	-वही-	-वही-
27.	द्वारका फेज-I सेक्टर 7	292	-वही-	7/97
28.	द्वारका फेज-I नसीर पुर पोकेट 9	242	-वही-	डेसु द्वारा इन फ्लैटों में बिजली देने हुत कोई तारीख निश्चित नहीं है।
29.	द्वारका फेज-I सेक्टर 1 पोकेट 3	56	-वही-	-वही-
30.	द्वारका नसीरपुर पोकेट 6	328	-वही-	-वही-
31.	द्वारका	2268	-वही-	-वही-
32.	सेक्टर 13 द्वारका	628	-वही-	-वही-
33.	सेक्टर 14 द्वारका	360	-वही-	-वही-
34.	सेक्टर 17 द्वारका	292	-वही-	-वही-
		17336		
	कुल संख्या 8 और 9 को छोड़कर =	60		
	सकल योग	17276		

विद्युत उत्पादन में वृद्धि

1911. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 सितम्बर, 1996 को "इकोनोमिक टाइम्स" में "पावर जैनरेशन ग्रोथ 51 पर्सेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ग) जी, हां। अप्रैल से जुलाई, 1996 के दौरान विद्युत उत्पादन 128.420 बि०यू० के लक्ष्य की तुलना में 127.979 बि०यू० था। वर्ष 1995 में इसी अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन 124.896 बि०यू० था।

अप्रैल से जुलाई, 1996 की अवधि के दौरान वास्तविक अखिल भारतीय संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पूर्व वर्ष की उसी अवधि में 62.6% के पीएलएफ की तुलना में 64.1% था। 16 सितम्बर, 1996 के इकोनोमिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार में दर्शाए गए 84.449 बि०यू० के लक्ष्य में एनटीपीसी, एनएलसी, बीबीएमबी तथा एनएचपीसी के विद्युत उत्पादन संबंधी लक्ष्य शामिल नहीं थे।

वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रतिबंध

1912. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित वाणिज्यिक परिसरों को खरीदने वाला कोई नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा में आवासीय कालोनियों में वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) सर्वोच्च न्यायालय का फैसला केवल आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक गति विधियों से सम्बन्धित है। तथापि, जब भी आवासीय सम्पत्ति के किसी दुरूपयोग का पता चलता है तो, आबंटी/दुरूपयोग करने वाले के विरूद्ध दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जाती है।

कम्प्यूटरों का निर्माण

1913. श्री सुशील चन्द्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में लोगों को एक न्यूनतम गुणवत्ता और विनिर्देशन वाले कम्प्यूटर उपलब्ध हो, केन्द सरकार देश में कम्प्यूटरों के निर्माण पर निगरानी रख रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्स बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में बेचे जा रहे कम्प्यूटरों में आयातित संघटक कितने प्रतिशत होते हैं;

(घ) देश में सभी कम्प्यूटर-संघटकों का निर्माण करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) देश में कितनी मात्रा में सिलिकन चिप्स का उत्पादन किया जा रहा है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अंतर्गत मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय ने उद्योग संघों, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय कम्प्यूटर संस्था आदि के सहयोग से वैयक्तिक कम्प्यूटरों तथा पेरिफरलों के लिए विशिष्टियां तैयार की हैं। एसटीक्यूसी निदेशालय ने सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों सहित इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों के लिए विभिन्न परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की है, जिससे वे किसी भी विशिष्ट के अनुसार अपने उत्पादों का परीक्षण करा सकें।

(ग) देश में बेचे जा रहे कम्प्यूटर में आयातित संघटक-पुर्जों की प्रतिशतता अलग-अलग संरचना के लिए अलग-अलग होती है। वैयक्तिक कम्प्यूटरों में आपात की औसत मात्रा कारखाना-बाह्य मूल्य का लगभग 45% होती है।

(घ) कम्प्यूटर उद्योग के स्वदेशीकरण के लिए प्रोत्साहन मुख्यतः समुचित वित्तीय एवं कर संबंधी नीतिगत उपायों के जरिए उपलब्ध करायी जाती है।

(ङ) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1995 के दौरान भारत में उत्पादित सिलिकन एकीकृत परिपथों की संख्या लगभग 35.68 मिलियन रही (जिसमें 13.46 मिलियन संकर एकीकृत परिपथ शामिल हैं) तथा वर्ष 1996 के दौरान 57% वृद्धि दर का अनुमान है।

[हिन्दी]

रसोई गैस सिलेंडर

1914. श्री एन०जे० राठवा :
श्री आई०डी० स्वामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस उपभोक्ताओं द्वारा दुबारा भरे गए सिलेंडर हेतु बुकिंग कराने पर विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा 21 दिन बाद सिलेंडर उपलब्ध किए जाते हैं;

(ख) क्या विभिन्न तेल कंपनियों ने चार हजार रुपए जमा कराने पर तत्काल रसोई गैस कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे मौजूदा रसोई गैस उपभोक्ताओं के प्रभावित होने की संभावना है जिन्हें बुकिंग कराने के 21 दिन बाद सिलेंडर उपलब्ध कराए जानते हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का बुकिंग कराने के एक सप्ताह के अंतर्गत दुबारा भरे गए रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां। तेल कंपनियों द्वारा ग्राहकों को बुकिंग की तारीख अथवा पिछली सुपुर्दगी से 21 दिन के पहले एलपीजी रिफिलों की आपूर्ति नहीं की जाती है।

(ख) जी, हां। 20 फरवरी, 1997 से तत्काल योजना के तहत, एलपीजी के उपयोग के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को उससे उधार दिए गए उपस्करों के लिए देय सामान्य प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त एक बार 4000/- रुपए का एक मुश्त अप्रतिदेय भुगतान वसूलने के पश्चात् 7 दिन के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन जारी किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं। तत्काल योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन जारी करने से विद्यमान एलपीजी उपभोक्ताओं को की जाने वाली रिफिल आपूर्तियां प्रभावित नहीं होगी। विद्यमान तथा नए ग्राहकों को रिफिलों की आपूर्ति एक जैसी शर्तों पर होगी।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए लागू नहीं होगा।

(ङ) और (च) सामान्यतया बुकिंग जबकि यह पिछली सुपुर्दगी के 21 दिन से पहले नहीं है, के पश्चात् 24 घन्टे के अंतर्गत रिफिल की आपूर्ति कर दी जाती है। सामान्यतया एलपीजी सिलिन्डर 21 दिन से ज्यादा चलता है।

[अनुवाद]

कच्चे तेल का आयात

1915. श्री डा० असीम बाला :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री उधव बर्मन :
श्री मोहन रावले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इराक से कच्चा तेल आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मात्रा और मूल्य क्या होगा;

(ग) क्या यह कीमत हमारे देश के लिए उपयुक्त होगी, और

(घ) यदि हां, तो इराक को संयुक्त राज्य अमेरीका द्वारा तेल आयात करने की अनुमति दिए जाने के समय की कीमत तथा वर्तमान कीमत में क्या अंतर है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) कच्चे तेल के आयात के लिए नियंत्रक एजेन्सी, इंडियन आयल कारपोरेशन लि० ने 10 मार्च, 1997 से 07 जून, 1997 तक की अवधि के दौरान बसरा हल्के कच्चे तेल की लगभग 0.5 मिलियन मीट्रिक टन मात्रा के आयात के लिए दिनांक 17 फरवरी, 1997 को इराक की सोमो के साथ एक संविदा की है। इराक से कच्चे तेल के आयातों के लिए लागू मूल्य सुदूर पूर्व के ग्राहकों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित मूल्य निर्धारण पर आधारित है। मूल्य बाजार सापेक्ष है तथा प्लैट्स क्रूड आयल मार्केटवायर द्वारा प्रकाशित दुबई एवं ओमान की दैनिक मूल्य दरों से जुड़ा हुआ है।

कच्चे तेल के समस्त आयात बाजार सापेक्ष मूल्यों पर किए जाते है।

"इंडियन मार्केट डेमोग्रेफिक्स-द कंज्यूमर क्लास"

1916. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की "इंडियन मार्केट डेमोग्रेफिक्स-द कंज्यूमर क्लास" शीर्षांकित रिपोर्ट का अध्ययन किया है और क्या वह उसके निष्कर्षों से सहमत हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार को इस रिपोर्ट के किन-किन निष्कर्षों पर आपत्ति है, विशेषकर देश में आय वितरण के मामले में ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा आयोजित "भारतीय बाजार जनसांख्यिकी–उपभोक्ता वर्ग" संबंधी अध्ययन परिवारों के बाजार सूचना सर्वेक्षण पर आधारित है। यह आय, स्वामित्व तथा चुनिंदा स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के जरिये वर्गीकृत परिवारों के बारे में जनसांख्यिकी सूचना उपलब्ध कराता है।

योजना आयोग गरीबी की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन के पंचवार्षिक घरेलू, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का उपयोग करता है। यद्यपि आकड़ों के लिए दोनों सेट तुलनीय नहीं है, (क्योंकि एनसीएईआर) आंकड़े खपत से संबंधित राष्ट्रीय प्रतिवर्श सर्वेक्षण आंकड़ों तथा आय से संबंधित हैं) असमानता के निम्नलिखित मुद्दे नोट किये जाते हैं :

1. एनसीएईआर अध्ययन 1993-94 में 916 मिलियन जनसंख्या का अनुमान लगाता है जबकि योजना आयोग का जनसंख्या अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल पर आधारित जनसंख्या अनुमान 891 मिलियन है।

2. दोनों अध्ययनों में परिवारों के आकार में भी भिन्नता है। एनसीएईआर अध्ययन निम्न आय वर्ग के लिए औसतन छः सदस्यों के परिवार को उपयोग में लाता है जबकि राष्ट्रीय प्रतिवर्श सर्वेक्षण संगठन में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग की परिवार का आकार 5.43 तथा 5.67 के बीच और शहरी क्षेत्रों में 5.64 और 5.82 के बीच है।

(3) अध्ययन, सम्पूर्ण जनसंख्या को वार्षिक परिवार आय के साथ पांच व्यापक आय वर्गों में निम्नानुसार विभाजित करता है :

(क)	निम्न	:	20,000 रु० तक
(ख)	निम्न मध्यम	:	20,001 रु० से 40,000 रु०
(ग)	मध्यम	:	40,001 से 62,000 रु०
(घ)	उच्च मध्यम	:	62,001 से 86,000 रु०
(ङ)	उच्च	:	86,000 रु० से ऊपर

अध्ययन से आय वर्ग निर्धारण का आधार पता नहीं चलता है। बहरहाल, निम्न आय वर्ग की आय सीमा कार्य बल तथा विशेषज्ञ दल द्वारा स्वीकार की गई गरीबी रेखा के अनुरूप नहीं है, जिन्हें ग्रामीण

क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसतन 2400 कैलोरी क्षमता तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2100 कैलोरी क्षमता को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रति व्यक्ति खपत व्यय के अर्थों में विनिर्दिष्ट किया जाता है। ये गरीबी रेखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में 2788 रु० और शहरी क्षेत्रों में 3217 रु० वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय के अनुरूप है। एनसीएई आर अध्ययन में 20,000 रु० की वार्षिक परिवार आय 3333 रु० वार्षिक प्रति व्यक्ति आय के समकक्ष है। अतएव गरीबी की सामान्य रूप से स्वीकार की गई परिभाषा के अनुसार निम्न आय श्रेणी में सभी परिवार गरीब नहीं हैं। इसके अलावा अध्ययन में ऐसा कुछ नहीं है जिससे पता चले कि निम्न आय सीमा किसी परिभाषित गरीबी रेखा के अनुरूप है।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी

1917. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की तुलना में आई०ए०एस० अधिकारियों को प्रोन्नति आदि में अधिक अधिमान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या आई०ए०एस० सेवा से इतर सेवाओं के अधिकारियों ने इस परम्परा का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, नहीं। अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की तुलना में आई०ए० एस० अधिकारियों को पदोन्नति आदि में अधिक अधिमान नहीं दिया जाता। विभिन्न ग्रेडों में उनकी पदोन्नति सांविधिक नियमावली तथा भली-भांति निर्धारित कार्यकारी अनुदेशों द्वारा शासित की जाती है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

1918. श्री संदीपान थोरात : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी धनराशि की मांग की गयी तथा कितने धन के लिए स्वीकृति दी गई है; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा भेजे गये नए प्रस्ताव कौन-कौन से हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) महाराष्ट्र सरकार को वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर की गई 10 जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन बाबत कुल 214.16 लाख रु० की राशि जारी की गई।

(ख) दिनांक 31.3.96 को प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने 28.38 लाख रु० के व्यय की सूचना दी है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य द्वारा चालू वित्त वर्ष में विशेष अनुरोध नहीं किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपने 214.16 लाख रु० के समान अंश की तुलना में मात्र 100 लाख रु० रिलीज किए। तथापि कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को पहले ही 85 लाख रु० की अतिरिक्त राशि जारी की गई।

(घ) महाराष्ट्र राज्य से, 18 कस्बों की जल आपूर्ति स्कीम हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई। इनमें से एक भी जांच की गई और राज्य सरकार को टिप्पणी भेज दी गई है। अन्य स्कीमों का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा रिलीज किये गये समान अंश तथा पूर्व स्वीकृत स्कीम के व्यय और तिथि की उपलब्धता की शत पर होगी।

मास्टर प्लान

1919. श्री के० प्रधानी :
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विधान मंडल की समिति ने यह माना है कि दिल्ली मास्टर प्लान पुराना पड़ गया है तथा यह व्यावहारिक की अपेक्षा कहीं अधिक सैद्धान्तिक है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की टिप्पणियों के प्रकाश में मास्टर प्लान की समीक्षा तथा संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है;

(ग) क्या दिल्ली की भवन उप-विधियों में भी संशोधन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान में कतिपय परिवर्तनों का सुझाव दिया है; और

(च) यदि हां, तो सुझाव शामिल करने अथवा शामिल न करने के संबंध में सरकार के प्रस्ताव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) मास्टर प्लान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए योजना की लगातार मोनीटरिंग तथा समीक्षा की जाती है। दिल्ली मास्टर प्लान-2001 की भी समीक्षा की जा रही है। मास्टर प्लान की समीक्षा

में मार्गदर्शन करने और इसकी कारगरता में वृद्धि करने बाबत सुझाव देने के लिए दिल्ली नगर कला आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में अगस्त, 1994 में एक संचालन समिति गठित की गई थी। संचालन समिति ने सितम्बर, 1996 में अपनी रिपोर्ट तैयार की। संचालन समिति की सिफारिशों के आलोक में दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को अद्यतन बनाये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जी, हां। दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 27.5.92 के आदेश के अनुसरण में, जिसके द्वारा केन्द्र सरकार को भवन उप नियम, 1983 नये सिरे से बनाने का निर्देश दिया गया था, सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में गठित एक उच्चाधिकार प्रदत्त समिति ने उप नियमों की समीक्षा की तथा संशोधित भवन उप नियमों का मसौदा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इसी दौरान, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन करके उप नियम बनाने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने का अधिकार स्थानीय निकायों की बजाय केन्द्र सरकार को दिया गया। अन्तिम आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 10.2.95 को पारित किए गए जिसके द्वारा केन्द्र सरकार को यथाशीघ्र नये भवन उपनियमों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया। इन आदेशों के अनुसरण में, मसौदा उप नियमों की प्रतियां, दिल्ली नगर निगम अधिनियम; 1957 और नई दिल्ली नगर पालिका अधिनियम, 1994 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित उपनियमों के प्रावधानों के बारे में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने हेतु नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम को भेजी गई। सार्वजनिक नोटिस अब जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने आपत्तियों/सुझावों की जांच करने के लिए सांसद प्रो०वी०के० मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति इन उप-नियमों को अन्तिम रूप देने जा रही है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (ख) के अनुसार।

[हिन्दी]

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में जासूसी का मामला

1920. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में जासूसी के मामलें की जांच कर ली गई है;

(ख) इसके निष्कर्षों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ग) भारतीय अनुसंधान संगठन में तथाकथित जासूसी के मामले की जांच पूरा करने के बाद, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) ने मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट (सी०जे०एम०), एर्नाकुलम के सम्मुख अन्तिम रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें सभी छः अभियुक्त बनाए गए व्यक्तियों को मुक्त करने का अनुरोध किया था, क्योंकि इस मामले में कोई जासूसी क्रियाकलाप शामिल नहीं था। मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट ने सी०बी०आई० की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए दिनांक 2.5.1996 के अपने आदेश से सभी छः अभियुक्त बनाए गए व्यक्तियों को मुक्त कर दिया।

तद्नुपरान्त, केरल सरकार ने तथाकथित जासूसी मामले की जांच के लिए सी०बी०आई० को प्रदत्त सहमति वापिस लेने के संबंध में अधिसूचना जारी की तथा केरल पुलिस द्वारा मामले की आगे जांच करने के लिए आदेश दिया। इस मामले की आगे जांच के लिए केरल सरकार के निर्णय को केरल उच्च न्यायालय ने कायम रखा।

सी०बी०आई० और इस मामले में अभियुक्त बनाए गए तीन व्यक्तियों ने केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पृथक से विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इस समय यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

तरल प्राकृतिक गैस बेस

1921. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य के समुद्र-तट पर तरल प्राकृतिक गैस बेस स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं

1922. श्री हरिवंश सहाय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग का विचार क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजभाषा (हिन्दी) में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को वरीयता दी जाएगी; और

(ग) क्या गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के उम्मीदवारां को कुल अंकों का कुछ अतिरिक्त प्रतिशत दिया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं को लागू किए जाने के प्रश्न की सतीश चन्द्र समिति द्वारा जांच की गई थीं इसकी सिफारिशों की अभी भी जांच की जा रही है। चूंकि ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं तथा इनकी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं हुई हैं, अतः सरकार इस पर मतैक्य बनाने का प्रयास कर रही है।

(ख) और (ग), (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कापार्ट

1923. श्री भक्त चरण दास : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों से उड़ीसा में कापार्ट के अन्तर्गत चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा कितनी धनराशि वास्तव में जारी की गई; और

(ग) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) विगत दो वर्षों अर्थात 1994-95 और 1995-96 के दौरान कापार्ट ने उड़ीसा में स्वैच्छिक संगठनों के लिए 211 परियोजनाएं मंजूर की है। जिनके अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण विकास में स्वैच्छक कार्रवाई का संवर्धन, लाभार्थियों का संगठन, इन्दिरा आवास योजना और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना के कार्यक्रमों/योजनाओं को शामिल किया गया है। इस अवधि के दौरान कापार्ट द्वारा उड़ीसा में स्वैच्छिक संगठनों के लिए मंजूर की गई राशि और जारी की गई राशि क्रमशः 791.80 करोड़ रुपए तथा 504.00 करोड़ रुपए थी। स्वीकृत परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

संयुक्त उद्यम विद्युत परियोजना

1924. डा० टी सुब्बारामी रेड्डी :
श्री एन० सुब्रह्मण्यम नेलावाला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सहायता से संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में 500 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता और इस विद्युत परियोजना को स्थापित करने में कुल कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या यह परियोजना विशाखापत्तनम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड इकाई से ईंधन के रूप में अवशिष्ट उत्पाद पर आधारित होगी, और

(घ) यह परियोजना कब तक शुरू हो जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता 500 मेगावाट है। परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् परियोजना की कुल लागत ज्ञात की जा सकेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) परियोजना द्वारा आवश्यक सांविधिक और गैर-सांविधिक स्वीकृतियां/निवेश प्राप्त करने तथा वित्तीय समापन प्राप्त करने के पश्चात् परियोजना चालू करने के समय का पता लगा सकेगा।

तेल क्षेत्र में निवेश

1925. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "अपस्ट्रीम" तेल कंपनियों को पर्याप्त स्वायत्ता देने का है और निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम तथा आयल इंडिया लिमिटेड के बोर्डों को पूर्ण स्वायत्ता देने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सरकारी प्रस्ताव से सहमत है;

(ग) इसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार द्वारा इस पर अपना अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) सरकार ने ओ एन जी सी और ओ आई एल को निवेश निर्णय लेने के लिए पूर्ण स्वायत्तता देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

विद्युत उत्पादन

1926. श्री बादल चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्वी विद्युत निगम सौंपी गई विद्युत परियोजनाओं को धनराशि के अभाव के कारण योजना बजट के अनुसार पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय उस क्षेत्र में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तथा विद्युत की मांग कितनी है, और

(घ) क्षेत्र में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम द्वारा अपनी विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए निधियों की आवश्यकता की पूरी तरह से पूर्ति की जा रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बजटीय सहायता का आबंटन तथा नीपको को वास्तविक रूप से प्रदान की गई निधियां नीचे दर्शाई गई हैं :-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	निपको को सकल बजटीय सहायता का आवंटन	वास्तविक रूप से प्रदान की गई राशि
1992-93	100.00	128.00
1993-94	225.00	287.60
1994-95	381.01	467.51
1995-96	350.12	366.82
1996-97	141.40	171.40 (प्रस्तावित)

नीपको में गत दो वर्षों के दौरान कैथलगुड़ी में असम गैस आधारित विद्युत परियोजना की छः यूनिटों (200 मे०वा) तथा असम में कोपिली जल-विद्युत परियोजना प्रथम चरण विस्तार की एक यूनिट (50 मे०वा०) को चालू किया है।

(ग) और (घ) अप्रैल, 1996 से जनवरी, 1997 की अवधि के दौरान, सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों की 4033 मिलियन यूनिट की आवश्यकता की तुलना में ऊर्जा उपलब्धता 3583 मिलियन यूनिट की जो 11.2% कमी का द्योतक हैं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इस अंतर को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान क्षमता से उत्पादन को अधिकतम करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, कुशल मांग प्रबंधन और ऊर्जा संवर्धन उपाय तथा पूर्वी क्षेत्र से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सहायता प्रदान करना शामिल है। लगभग 1030 मे०वा० क्षमता-अभिवृद्धि की अनुमोदित स्कीमें इस समय उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही हैं तथा इन स्कीमों के पूरे लाभ नौवीं योजना अवधि के दौरान उपलब्ध होने की संभावना है।

सेवा अवधि की गणना

1927. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारी द्वारा सरकारी सेवा में शामिल होने पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई सेवा को पेंशन तथा अन्य लाभ देते समय शामिल किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, में की गई सेवा को पेंशन तथा अन्य लाभ देते समय शामिल नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारी द्वारा विगत में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में की गई सेवा को पेंशन के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार की सेवा के साथ नहीं गिना जाता है। पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 29.8.84 के परिपत्र के उपबंधों के तहत केन्द्र सरकार के कर्मचारी द्वारा विगत में सरकारी स्वायत्त निकायों में की गई सेवा को गिने जाने की प्रसुविधा की अनुमति दी गई है। केन्द्रीय स्वायत्त निकाय में केन्द्रीय सांविधिक निकाय अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय शामिल होते हैं किंतु इसमें सार्वजनिक उपक्रम शामिल नहीं होते। केन्द्रीय स्वायत्त निकाय की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करते हुए उसे एक मुनाफा न कमाने वाला संगठन बताया गया है, जो पूर्ण या पर्याप्त रूप से उपकर या केन्द्रीय सरकार के अनुदान द्वारा वित्त-पोषित होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राष्ट्रीयकृत बैंक उपर्युक्त परिभाषा में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के अपने कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय पेंशन प्रसुविधाओं के संबंध में कुछ अपने अलग विनिमय हो सकते हैं। सरकार ने उपर्युक्त स्थिति को अपने दिनांक 30 मई, 1995 और 13 सितंबर, 1996 के परिपत्रों में और अधिक स्पष्ट कर दिया है।

पेट्रोलियम शोधनशाला

1928. श्री मुख्तार अनीस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम शोधनशाला की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इनका क्षमता उपयोग कितना रहा;

(ख) इन शोधनशालाओं का निर्माण कहां-कहां किया जा रहा है, और

(ग) वर्तमान तथा निर्माणाधीन शोधनशालाओं के लिए पेट्रोलियम आपूर्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) देश में रिफाइनरियों की कुल स्थापित क्षमता और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी समग्र क्षमता का उपयोग निम्नानुसार है:-

वर्ष	स्थापित क्षमता (एमएमटीपीए)	क्षमता उपयोग
1993-94	52.75	103
1994-95	53.40	106
1995-96	56.40	104

(ख) मौजूदा रिफाइनरियों के अलावा कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/संयुक्त उद्यम कंपनियों, ग्रासरूट रिफाइनरी परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

रिफाइनरी	स्थान
पानीपत रिफाइनरी	पानीपत, हरियाणा
नुमालीगढ़ रिफाइनरी	नुमालीगढ़, असम
भारत ओमान रिफाइनरी	बीना, मध्य प्रदेश

(ग) डिग्बोई, गुवाहाटी, बोंगाईगांव की रिफाइनरियों में केवल स्वदेशी असम क्रूड, ही संसाधित किया जाता है। मुम्बई, कोचीन, विशाख, बरौनी, गुजरात, मथुरा, हल्दिया, मद्रास और नारीमनम की रिफाइनरियों में स्वदेशी और आयातित क्रूट संसाधित किए जाते हैं। मंगलौर रिफाइनरी केवल आयातित क्रूडों का संसाधन करती है।

जहां तक निर्माणाधीन रिफाइनरियों का संबंध है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी को स्वदेशी असम क्रूड को संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है तथा पानीपत रिफाइनरी को आयातित और स्वदेशी दोनों क्रूडों को संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। बीना रिफाइनरी में आयातित क्रूडों को संसाधित करने की योजना है।

परमाणु विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

1929. श्री सोहन बीर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान परमाणु विद्युत परियोजनाओं हेतु सरकार ने कितनी धनराशि आबंटित की है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु विद्युत परियोजनाओं हेतु क्या वित्तीय प्रावधान किये गये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) आठवीं योजना के दौरान परमाणु विद्युत के उत्पादन का संचयी लक्ष्य 37070 मिलियन यूनिट था। फरवरी और मार्च, 1997 के दौरान लगभग 1800 मिलियन यूनिट बिजली के अनुमानित उत्पादन के साथ आठवीं योजना अर्थात् 1992-97 के दौरान परमाणु विद्युत संयंत्रों से लगभग 35,000 मिलियन यूनिट बिजली का कुल उत्पादन होगा। आठवीं योजना अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन में लगभग 2300 मिलियन यूनिट की गिरावट आएगी।

(ग) VIIIवीं योजना अवधि के परमाणु विद्युत क्षेत्र के लिए 761 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता के साथ अनुमोदित परिव्यय 4,261 करोड़ रुपए था। इस अवधि के दौरान वास्तविक रूप में प्राप्त बजटीय सहायता 1,418 करोड़ रुपए है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

1930. श्री नारायण अठावले : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कया सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में से कुछ योजनाएं संसाधनों सहित राज्यों को हस्तान्तरित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि, हां तो हस्तान्तरित की जा रही योजनाओं और उनके अन्तर्गत राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र को दी जा रही राशि सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) धनराशि जारी किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और संबंधित कार्य के कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 16.1.1997 को आयोजित इसकी बैठक में अनुमोदित नौवीं योजना (1997-2002) के दृष्टिकोण पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि "केन्द्र प्रायोजित स्कीमें एक अन्तर-राज्यीय स्वरूप की स्कीमों, राष्ट्रीय सुरक्षा से टकराव वाले मामलों, प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य केन्द्रीय पर्यवेक्षण वाली चुनिंदा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और प्रचालन कारणों से आवश्यक केन्द्रीय समन्वय वाली बहुराज्यीय बाहरी सहायता वाली परियोजनाओं तक सीमित होनी चाहिए ऐसी स्कीमों के अलावा सभी अन्य स्कीमों को सम्बन्धित निधियों के साथ राज्यों को हस्तान्तरित किया जाना चाहिए। इस तरह हस्तांतरित की जा सकने वाली स्कीमों के सही ब्यौरे केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार करने होंगे।

प्रस्ताव के क्रियान्वयन का कार्य इस समय योजना आयोग में चल रहा है और इसे नौंवी योजना में शामिल कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

कस्बों का विकास

1931. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा हाऊसिंग और शहरी विकास निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में छोटे और मध्यम शहरों के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1995-96 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई और वस्तुतः इसमें से कितनी राशि खर्च की गई ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) छोटे एवं मध्यम दर्जे के कस्बों के समन्वित विकास की योजना (आई०डी०एस० एम०टी०) के तहत 1979-80 से अब तक उत्तर प्रदेश के 76 कस्बे शामिल किए गए हैं तथा 23.43 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है। योजनाओं में बाजार तथा विपणन केन्द्र, मार्ग, नालियों का निर्माण, स्थल तथा सेवाएं, बस-स्टैंड तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।

(ख) आई०डी०एस०एम०टी० के अन्तर्गत 1995-96 के लिए उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय अनुदान के रूप में 3.10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी तथा आवंटित की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को

मार्च, 1996 में दी गई थी। इसके अतिरिक्त, 1995-96 से पूर्व आई०डी०एस०एम०टी० की पुरानी योजना के तहत अनुमोदित की गई चालू परियोजनाओं के लिए 1995-96 के दौरान केन्द्रीय सहायता (ऋण) के रूप में 0.43 करोड़ रुपये की राशि भी रिलीज की गई थी। 1995-96 के लिए धनराशि उस वर्ष के अन्त में रिलीज की गई थी, अतः उसके व्यय से संबंधित ब्यौरे अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, योजना के प्रारंभ से अब तक आई०डी०एस०एम०टी० परियोजनाओं पर (केन्द्रीय अंश + राज्य अंश + अन्य स्रोतों के रूप में) कुल 28.06 करोड़ रुपये की राशि खर्च किए जाने की सूचना मिली है।

[अनुवाद]

गंदी बस्तियों का विकास

1932. **श्री वी० प्रदीप देव :**
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता से गंदी बस्तियों का विकास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तथा शहर/कस्बा वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में चलायी जा रही गंदी बस्ती सुधार परियोजनाएं कौन-कौन सी है और उन पर कितना धन व्यय किया गया; और

(घ) 1996-97 के दौरान (31 दिसंबर, 1996 तक) कितनी परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) से (ग) ब्यौरे विवरण एक और दो संलग्न है।

(घ) 1996-97 के दौरान कोई भी परियोजना पूर्ण नहीं हुई है।

विवरण-एक

विदेशी सहायता से स्लम सुधार परियोजना

विदेशी विकास प्रशासन (ओ०डी०ए०) – ब्रिटेन से सहायता प्राप्त परियोजना

1. **आन्ध्र प्रदेश**
   - (क) हैदराबाद, हैबीटाट सुधार परियोजना
   - (ख) विशाखपट्टनम हैबीटाट सुधार परियोजना
   - (ग) विजयवाड़ा स्लम सुधार परियोजना
2. **केरल**
   - (क) कोचीन शहरी गरीबी घटाव परियोजना
3. **मध्य प्रदेश**
   - (क) इन्दौर हैबीटाट सुधार परियोजना
4. **उड़ीसा**
   - (क) कटक हैबीटाट सुधार परियोजना
5. **पश्चिमी बंगाल**
   - (क) कलकत्ता स्लम सुधार परियोजना

डच (नीदरलैण्ड) सहायता प्राप्त परियोजना

1. **कर्नाटक**
   - (क) बंगलौर शहरी गरीबी उपशमन परियोजना

विवरण-दो

विदेशी सहायता से कार्यान्वित स्लम सुधार परियोजनाओं की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम व कार्यान्वयन एजेन्सी	परियोजना की अवधि	परियोजना की कुल स्थीकृत लागत (करोड़ रुपये में)	शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित स्लमों की संख्या	खर्च (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	हैदराबाद स्लम सुधार परियोजना हैदराबाद नगर निगम	1989-90 से 12.12.96	42.75	900	42.00 (दिसम्बर 95 तक)
2.	विशाखापट्टनम स्लम सुधार परियोजना विशाखापट्टनम नगर निगम	1988-89 से 31.3.96	28.59	190	29.28 (मार्च, 96 तक)
3.	*चिनगदाली	1993-94 से 31.3.98	6.95		5.36 (मार्च, 96 तक)

1	2	3	4	5	6
4.	विजयवाड़ा स्लम सुधार परियोजना विजयवाड़ा नगर निगम	1990-91 से 30.6.97	49.15	136	39.01 (दिसम्बर, 96 तक)
5.	इन्दौर हैबीटाट सुधार परियोजना इन्दौर विकास प्राधिकरण	1990-91 से 31.3.97	60.50	183	50.36 (दिसम्बर, 96 तक)
6.	कलकत्ता स्लम सुधार परियोजना सी०एम०डी०ए०	1990-91 से 31.3.98	46.19	167	33.77 (जुलाई, 96 तक)
7.	कटक शहरी गरीबी घटाव परियोजना, फेज-I कटक नगर निगम एवं सी०डी०ए०	1995	25.70	49	0.68** (अक्तूबर, 1996 तक)
8.	कोचीन शहरी गरीबी घटाव परियोजना फेज-I कोचिन निगम	1995	30.00	152	0.88** (अक्तबूर, 96 तक)
9.	बंगलौर शहरी गरीबी उपशमन परियोजना फेज-I	नवम्बर, 95** से मार्च, 97	1.50**	14** (3700 हाउस होल्ड)	0.78** (अप्रैल, 96 तक)

* यह विशाखापट्टनम स्लम सुधार परियोजना के विस्तार के रूप में किया जा रहा है और एक पुनर्वास परियोजना है।

** केवल फेज-I के लिए

राज्यों द्वारा अंशदान न दिया जाना

1933. श्री आई०डी० स्वामी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकतर राज्य सरकारें केन्द्र द्वारा प्रायोजित कल्याण तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में अपना अंशदान नहीं देती है जिसके परिणामस्वरूप निर्धन व्यक्तियों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार केन्द द्वारा प्रायोजित योजनाओ में प्रतिवर्ष अंशदान न करने वाले कौन-कौन से राज्य है; और

(ग) केन्द्र सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) राज्य सरकारें कुल मिलाकर केन्द्र प्रायोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अपने राज्य हिस्से का अंशदान देती हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन राज्यों के नाम जिन्होंने केन्द्र प्रायोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में अपना राज्य हिस्सा नहीं दिया है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार अपने समनुरूप हिस्सों को समय पर जारी करने के लिए राज्यों को अनुस्मारक भेजती है जो राज्य अपना हिस्सा नहीं देते हैं उन्हें केन्द्रीय निधि की परवर्ती किस्ते जारी नहीं की जाती है। उन राज्यों, जिन्होंने राज्य का पूरा हिस्सा जारी नहीं किया है, को केन्द्रीय हिस्सा जारी करते समय आवश्यक कटौतियां की जाती हैं इसके अलावा अदायगी न करने वाले राज्यों के लिए जो सकारात्मक उत्तर नहीं देते, आवंटित निधियां अच्छे निष्पादन वाले राज्यों को स्थानांतरित कर दी जाती हैं।

विवरण

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए केन्द्रीय हिस्से के मुकाबले सभी राज्य सरकारें अपना समानुरूप हिस्सा दे रहे हैं। (बहरहाल नागालैंड ने 1994-95 के लिए राज्य द्वारा जारी राशि के आंकड़े नहीं दिये हैं)।

जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई)

जेआरवाई के केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए केन्द्रीय हिस्से के मुकाबले सभी राज्य सरकारें अपना समनुरूप हिस्सा दे रही हैं।

रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस)

जम्मू व कश्मीर को वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के लिए राज्य हिस्सा देने से मुक्त कर दिया गया था। असम सरकार ने वर्ष 1995-96 के लिए ई ए एस की दूसरी किस्त का पूरा राज्य हिस्सा जारी नहीं किया है।

नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई)

नागालैंड ने 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में एन आर वाई के अंतर्गत अपना समनुरूप हिस्सा नहीं दिया।

गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यू बी एस पी)

तीन राज्यों अर्थात् अरूणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तथा नागालैंड ने 1992-93 से कोई समरूप राज्य हिस्सा नहीं दिया है।

प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी एम आई यू पी ई पी)

यह स्कीम नवम्बर, 1995 में आरम्भ की गई थी। असम, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, अरूणाचल प्रदेश, तथा पांडिचेरी से राज्य हिस्सा प्रावधान की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। गोवा, जम्मू व कश्मीर, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा मेघालय राज्यों ने वर्ष 1995-96 के लिए अपने राज्य हिस्से का केवल आंशिक हिस्सा जारी किया है। जबकि मणिपुर तथा हिमाचल प्रदेश ने राज्य हिस्से का बड़ा भाग जारी किया है। अदायगी न करने वाले राज्यों को वर्ष 1995-96 के लिए राज्य हिस्सा जारी के लिए कहा गया है ताकि वे वर्ष 1996-97 के लिए पी एम आई यू पी के अंतर्गत केन्द्रीय हिस्से के पात्र हो सके।

विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

1934. श्री के०पी० सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के पास अनेक विद्युत परियोजनाएं लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) 31.1.97 की स्थितिनुसार कुल 672.8 मे०वा० क्षमता के लिए 5 राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं और कुल 3486 मे०वा० क्षमता के लिए 8 निजी क्षेत्र की परियोजनाएं वर्तमान में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) में जांच किए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। परियोजना प्राधिकारियों से विभिन्न निवेशों के अभाव में, जिसमें राज्य और केन्द्रीय अभिकरणों से सांविधिक और अन्य स्वीकृतियां, परियोजना लागतों और वित्तीय पैकेजों के संबंध में अतिरिक्त सूचनाएं, ईंधन और अन्य लिंकेज, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा परियोजना प्रवर्तकों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शामिल है, इन परियोजनाओं के लिए के वि०प्रा० की तकनीकी आर्थिकी स्वीकृति लम्बित है।

विवरण

उन विद्युत परियोजनाओं की सूची को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के जांचाधीन हैं।

क्र०सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)
1	2	3
	राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें (31.1.1997 की स्थितिनुसार)	
	जल-विद्युत	
	जम्मू एवं कश्मीर	
1.	उड़ी जल विद्युत परियोजना चरण-II (फेस-I) (पीडीसी, जम्मू और कश्मीर सरकार) (बारामूला)	4x70 = 280
	उत्तर प्रदेश	
2.	धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना (मध्यवर्ती) एन०एच०पी०सी०	3x70 = 210
	मिजोरम	
3.	तुईरियल जल विद्युत परियोजना (नीपको)	2x30 = 60
	कुल	550
	ताप-विद्युत	
	कर्नाटक	
4.	येलाहंका डीजीपीपी एक्स० (के०ई०बी०)	2x23.4 = 46.8
	मणिपुर	
5.	मणिपुर हैवी फ्यूल ऑयल टीपीएस (मणिपुर राज्य विद्युत विभाग)	6x6 = 36.0
	कुल	82.8
	कुल जोड़	632.8
	निजी क्षेत्र की स्कीमें (जिसके संबंध में 31.1.1997 की स्थितिनुसार डी०पी०आर० प्राप्त की जा चुकी हैं)	
	जल-विद्युत	
	हिमाचल प्रदेश	
1.	मलना जल विद्युत परियोजना (मैसर्स राजस्थान स्पीनिंग एंड वैविंग मिल) (कुल्लू)	2x43 = 86
	उत्तर प्रदेश	
2.	विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना (मैसर्स जी०आई०एल०) (चमोली)	4x100 = 400
3.	श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (मैसर्स डंक्नस इंडस्ट्रीज लि०) (पौड़ी गढ़वाल)	5x66 = 330
	कुल	816
	ताप-विद्युत	
	उत्तर प्रदेश	
4.	रोसा टीपीपी (फेस-I) (मैसर्स इंडो-गल्फ फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स कारपोरेशन लि०) (शाहजहाँपुर)	2x283.5 = 567
	गुजरात	
5.	जामनगर टीपीपी (फेस-I) (मै० रिलायंस पावर लि०)	2x250 = 500

1	2	3
मध्य प्रदेश		
6. बीना टीपीएस (मै० बीना पावर सप्लाई कम्पनी लि०)	2x289	= 578
तमिलनाडु		
7. तूतीकोरीन टीपीपी-I (मै० एस०पी०आई०सी० इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०)	1x525	= 525
उड़ीसा		
8. डुबरी टीपीपी (मैसर्स कैलिंग पावर कारपोरेशन	2x250	= 500
	कुल	2670
	कुल जोड़	3486

पेट्रोलियम उत्पाद

1935. **श्री तारीक अनवर :**
श्री सी० नरसिम्हन :
श्री विजय पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल की खोज तथा उत्पादन का और अधिक निजीकरण करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी कंपनियों सहित निजी कंपनियों को कच्चे तेल तथा गैस की खोज करने उसका दोहन करने और उसे बेचने की अनुमति देने की शर्तें क्या है;

(ग) देश में 1.1.1997 को कुल ज्ञात तेल सुरक्षित भंडारों की संख्या कितनी थी; और

(घ) कुल तेल क्षेत्र/समुद्री तेल क्षेत्र कितना है तथा वर्तमान में कितने तेल क्षेत्र से दोहन किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति की घोषणा की है। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

- वर्तमान बोली दौरों के अलावा अन्वेषण रकबों की मुक्त उपलब्धता की नीति अपनाना।
- ओ एन जी सी और ओ आई एल अन्य निजी क्षेत्र कंपनियों के साथ-साथ प्रतियोगी आधार पर अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्द्धा करेगी।
- निजी कंपनियों के लिए उपलब्ध राजकोषीय और संविदात्मक शर्तों के समान शर्तें उपलब्ध कराते हुए ओ एन जी सी और ओ आई एल को समान स्तरीय कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराना।
- गहरे समुद्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष सुविधाएं।
- घरेलू बाजार में कच्चे तेल और गैस का विपणन करने के लिए ठेकेदारों को स्वतंत्रता प्रदान करना।
- पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस शुल्क/क्षेत्रगत किराया राशियों के भुगतान से छूट।
- ओ एन जी सी और ओ आई एल के माध्यम से राजकीय भागीदारी की कोई अनिवार्यता नहीं।

(ग) हाईड्रोकार्बन भण्डारों का अनुमान प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एक बार लगाया जाता है। 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार तेल और कन्डेन्सेट के अनुमानित निकासी योग्य भण्डार 745.65 एम एम टी हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पुनःप्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रम

1936. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नवीं पंचवर्षीय योजना में पुनः प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रमों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की जानी हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों में सोलर कुकर काफी लोकप्रिय हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी विशिष्ट योजनाएं हैं जिन्हें उस योजनावधि में सोलर कुकर को और अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु लागू किया जाना है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के पर्याप्त रूप से विस्तार के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। तथापि, नवीं योजना के लिए योजनाओं के लक्ष्य और ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी हां। सौर कुकरों को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रचार अभियान चलाने, बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने और प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनों के आयोजन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी जारी रखे जाने का प्रस्ताव है। कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के माध्यम से उपयोगकर्त्ताओं को ब्याज-मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। जबकि बैंकों द्वारा व्यक्तियों

को ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे, इरेडा द्वारा बड़े विक्रेताओं, जैसे निगम और सहकारी निकायों, को वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। पूंजीगत उपकरणों के वित्त पोषण के लिए विनिर्माताओं को उदार ऋण भी उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। सौर कुकरों की आसानी से उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा शोरूमों एवं बिक्री केन्द्रों की स्थापना कार्य को सहायता दी जा रही है।

[हिन्दी]

रसोई गैस की मांग

1937. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में रसोई गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग और वास्तविक आपूर्ति कितनी रही;

(ख) रसोई गैस, मिट्टी के तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कितनी है और दिल्ली में इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा तैयार की गई विपणन संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के लिए दिल्ली में रसोई गैस, मिट्टी के तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का उपक्रम-वार विपणन योजना क्या है, और

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान नई डीलरशिप के चयन को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में तेल चयन बोर्ड का पुनः गठन किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास एल पी जी उपभोक्ताओं की मांग कमोबेश पूर्णतया पूरी की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में एलपीजी की आपूर्ति नीचे दी गई है :-

	(आंकड़े टीएमटी में)
1993-94	259
1994-95	277
1995-96	309

मिट्टी तेल एक आवंटित उत्पाद है और पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में इसका आवंटन और निर्गम नीचे दर्शाया गया है :-

	(आंकड़े टीएमटी में)	
वर्ष	आवंटन	निर्गम
1993-94	239	240
1994-95	239	240
1995-96	241	242

पेट्रोल और डीजल आवंटित उत्पाद नहीं है और मांग पूर्णतया पूरी की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान दिल्ली में पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

	(आंकड़े टीएमटी में)	
वर्ष	पेट्रोल (अनंतिम)	डीजल (अनंतिम)
1993-94	375	839
1994-95	408	925
1995-96	496	1153

1.10.1996 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में 280 खुदरा बिक्री केन्द्र, 107 एस के ओ/एल डी ओ और 220 एल पी जी डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें उपभोक्ताओं की वर्तमान मांग को पूरा कर रही हैं। उपर्युक्त के अलावा 21 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें दिल्ली के लिए 1994-96 की एल पी जी की विपणन योजना में शामिल कर ली गई हैं, जिनमें बीपीसीएल की 9 और आई ओ सी की 12 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें हैं।

निजी क्षेत्र की कंपनियों की विपणन योजनाओं का मंत्रालय द्वारा विनियमन और रखरखाव नहीं किया जाता।

(घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

मास्टर प्लान का उल्लंघन

1938. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट आन होटल पार्क रायेल रो : मास्टर प्लान वायलेशन्स इंडिकेटेड" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि नेहरू प्लेस में पार्क रॉयल होटल का कब्जा प्रमाण पत्र (पूर्णता प्रमाण पत्र) आपत्तियों को दूर करने पर तथा सम्पूर्ण शुल्क जमा करने के बाद दिया गया है।

विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

1939. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्तूबर, 1996 को "इंडियन

एक्सप्रेस'' में ''यू०एस० सीक्स स्पीडी क्लियरेंस फार पावर प्रोजेक्ट्स'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस समय सरकार के पास अमरीका की कुल कितनी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित हैं,

(घ) इन परियोजनाओं में कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(ङ) ये परियोजनाएं किन-किन राज्यों में स्थापित किए जाने की संभावना है, और

(च) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार रिपोर्ट में उधृत दो परियोजनाओं में से 250 मेगावाट एकल यूनिट लिग्नाइट आधारित ताप-विद्युत परियोजना को तमिलनाडु में नेवेली में मैसर्स एसटी-सीएमएस द्वारा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रवर्तकों ने 20.11.96 को तमिलनाडु बिजली बोर्ड (टीएनईबी) के साथ एक विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर भी हस्ताक्षर किए हैं तथा पीपीए के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा भारत सरकार को प्रतिगारंटी प्राप्त करने से पहले कुछ और शर्तों की पूर्ति किया जाना आवश्यक है। टीएनईबी ने सूचित किया है कि यूएसए के मै० इंटरजेन ने पिलाईपन्मलनल्लूर में एक 330.05 मेगावाट गैस टरबाइन विद्युत परियोजना की स्थापना करने के अपने प्रस्ताव को वापिस ले लिया है।

(ग) से (च) अभी तक विद्युत मंत्रालय 73,263.14 करोड़ रुपए को अनुमानित लागत पर, यूएसए से निवेश सहित निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू)/आशय-पत्र (एलओआई) इत्यादि माध्यम पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली माध्यम पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 33 प्रस्तावों की मानिटरिंग कर रहा है। इनमें से 10 प्रस्तावों को के०वि०प्रा० की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति 22 प्रस्तावों को सिद्धांत रूप में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा एक प्रस्ताव को प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है। उन सभी प्रस्तावों द्वारा, जिन्हें ''सिद्धांत रूप में'' स्वीकृति दी गई है, के०वि०प्रा० की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, 31.3.97 तक अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। जिन राज्यों में इन परियोजनाओं की स्थापना की जानी है वे हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

बीयर का उत्पादन

1940. श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री शरत पटनायक :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीयर तथा गैर-अल्कोहल वाली बीयरों का उत्पादन करने वाली कंपनियों की संख्या क्या है तथा इन में से प्रत्येक कंपनी की अधिष्ठापित क्षमता क्या है;

(ख) क्या ये कंपनियां अपनी लाइसेंस क्षमता से कहीं ज्यादा उत्पादन कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन कंपनियों पर कोई निर्यात संबंधी दायित्व लगाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रधान मंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

1941. श्री एस०डी०एन०आर० जाडियार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने के विचार से शहरी बस्तियों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक में ऐसी किसी शहरी बस्ती को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इसके लिए कर्नाटक को कितनी राशि का आवंटन किया गया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी हां।

(ख) योजना में 345 शहरी क्षेत्र तथा 72 पर्वतीय कस्बे शामिल किए गए हैं जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए केन्द्रीय अंश 634.59 लाख रुपए हैं तथा 1996-97 के लिए 560.52 लाख रुपए का केन्द्रीय अंश निर्धारित किया गया है।

विवरण

प्रधानमंत्री के समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी) के अन्तर्गत शामिल 417 शहरी दोनों की राज्य-वार सूची।

आंध्र प्रदेश

1. श्रीकाकुलम

2. ताड़ेपलीगुडम
3. नूरसराओपेस
4. नालगोहा
5. अनकापल्ली
6. अदीलाबाद
7. चिलाकालुरीपत
8. धरमावरम
9. मडनापल्ली
10. ताडीपटरी
11. जागीतिअल
12. वेल्लमपल्ली
13. मंडामरी
14. कावली
15. मिरयलगुडा
16. येम्मीगनूर
17. वोधन
18. कादीरी
19. तनुकु
20. बापाटला
21. श्रीकलाहस्ती
22. सूर्यपत
23. निर्मल
24. कागजनगर
25. पालाकोल
26. नरसापुर
27. गुडुर
28. पोन्नुरू
29. सिदीपत
30. पालवाछा
31. मनछेरियाल
32. मंगलागिरि
33. संगारेड्डी
34. सिरीसिला

असम

1. नागोन
2. तिनसुकिया
3. दबरी
4. तेजपुर

बिहार

1. ससाराम
2. हजारी बाग
3. देहरी
4. बेत्तिया
5. हाजीपुर
6. जमाल पुर
7. देदधर
8. वेगुसराय
9. मोती हारी
10. सिवान
11. रामगढ़
12. सहरसा
13. गिरीदीह
14. सीमामुडी
15. बगाहा
16. किशनगंज
17. बरोनी
18. मोकामें
19. समस्तीपुर
20. गुमिया
21. छबासा
22. दालतोगंज
23. बक्सर
24. मधुबनी
25. झुमरी तलैयूया
26. लखी सराय
27. नवादा
28. जेहानाबाद

गोवा

1. मरम गांव
2. पणजी
3. मार्गो

गुजरात

1. पाटन
2. दोहाद
3. जेतपुर
4. कालोल

गुजरात

5. पालनपुर
6. खम्बात
7. गोडल
8. धोरजी
9. अंकलेश्वर
10. अमरेली
11. सवारकुंडला
12. बोताड
13. महुवा
14. दीसा
15. विजनगर
16. धरानगधरा
17. ढोलका
18. उपलेता
19. सिद्धपुर
20. हिम्मत नगर
21. अन्जार
22. बिलीमोरा
23. ऊंआ
24. कादी
25. वीरमगाम
26. दभोई
27. केशोड़

हरियाणा

1. जीन्द
2. थानेसाह
3. रेवाड़ी
4. केथल
5. पंचकुला यू० एस्टेट
6. झांसी
7. पलवल
8. बहादुर गढ़
9. नारनोल

कर्नाटक

1. कोलार
2. गंगावती
3. बागलकोट

कर्नाटक

4. रानी बेन्नूर
5. हरीहर
6. चिकमंगलूर
7. रबकावी-बानहट्टी
8. चन्नापटना
9. दोद बेलापुर
10. डाडिली
11. शाहाबाद
12. गोकक
13. निपानी
14. अरवर
15. सिरसी
16. रामनगरम
17. चिंतामणी

केरल

1. कोडंगल्लूर
2. कयमक्कम
3. चित्तूर थार्थामम
4. पाचान्नूर
5. तार्लीपरम्बा
6. थिरूवल्ला
7. छगनासेरी
8. पोन्नानी
9. केसरागोड

मध्य प्रदेश

1. छींदबाड़ा
2. मन्दसौर
3. चिखली कलां-परसिया
4. विदिशा
5. नीमच
6. रायगढ़
7. इटारसी
8. जगदलपुर
9. सरनी
10. महू केन्ट
11. बुरहार-धानपुरी
12. नागदा

मध्य प्रदेश

13. छतरपुर
14. सिहोरा
15. कुरासैया
16. होशंगाबाद
17. धामतारी
18. बालाघाट
19. खारगोंन
20. सिओनी
21. दातिया
22. बेतूल
23. शहडौल
24. धार
25. जाओरा
26. दल्ली-रझारा
27. टीकमगढ़
28. अम्बिका पुर
29. बीना इटावा

महाराष्ट्र

1. अचलपुर
2. सतारा
3. बल्लारपुर
4. वारशी
5. बसाय
6. पधारपुर
7. श्रीरामपुर
8. हींगनघाट
9. नन्दरबार
10. चालीस गांव
11. अमानेर
12. खामगांव
13. पारली
14. भंड़ारा
15. उदगीर
16. उस्मानाबाद
17. नलसोपारा
18. अकोट
19. मनमाड

महाराष्ट्र

20. पनवेल
21. वीरार
22. अेपीजोगई
23. कराड़
24. रत्नागिरी
25. पुसाड़
26. हिंगोली
27. बुलडाना
28. मलकापुर

नागालैंड

1. दीमापुर
2. कोहिमा

उड़ीसा

1. भदरक
2. बालनगीर
3. ब्रजारनजागर
4. बारीपाड़ा
5. जेपुर
6. झारसुगुडा
7. सुनाबेड़ा
8. बारगढ़
9. भवानल पटना
10. जतानी

पंजाब

1. मालेरकोटला
2. फगवाड़ा
3. फिरोजपुर
4. एस०ए०एस०
5. बरनाला
6. खन्ना
7. राजपुरा
8. मुक्तसर
9. कपूरथला
10. कोट कपूरा
11. फरीद कोट
12. फाजलका
13. मलौट

पंजाब

14. संगरूर
15. मनसा
16. गुरदास पुर
17. नाभा
18. फिरोज पुर छावनी

राजस्थान

1. चुरू
2. हनुमानगढ़
3. किशनगढ़
4. सवाई माधोपुर
5. छंनझुनू
6. चित्तौड़ गढ़
7. सुजान गढ़
8. गंगापुर सिटी
9. बरमी
10. धोलपुर
11. नागोर
12. सरदार शहर
13. बांसवाड़ा
14. मकराना
15. फतेहपुर
16. बूंदी
17. हिंडौन
18. बरान
19. रतन गढ़
20. नवलगढ़

तमिलनाडु

1. नागापट्टीनम
2. पुडुकोट्टई
3. भवानी
4. विनियाम्बदी
5. गुडुईवट्टम
6. विल्लूपुरम
7. उधगमण्डलम
8. अरूप्पुकोट्टई
9. कोविल पट्टी
10. मईलादुथुरई

तमिलनाडु

11. पालानी
12. अम्बूर
13. तिरूवन्दूर
14. रापमक्कुडई
15. अरक्कोनम
16. वीरूदुनगर
17. कंडईयनल्लूर
18. श्रीविल्लीपुट्टूर
19. चिदम्बरम
20. बोडीनयक्कनुर
21. थेनी अली नगरम
22. मेतुपल्लयम
23. तिरूछन्गोडु
24. तिदीवनम
25. कृष्णागिरी
26. अम्बासमुदरम
27. धरमापुरी
28. उदुलमलई पेट्टई
29. पटुकोटई
30. देवारशोला
31. मन्नारगुडी
32. अत्तूर
33. तिरूपट्टूर
34. तेनकासी
35. अरनी
36. बेगलपट्टू
37. पुलियानगुडी
38. रामानाथ पुरम
39. वेदाह्यचलम
40. कम्बाम
41. पररूति

उत्तर प्रदेश

1. ओरई
2. बांदा
3. गोंडा
4. मुगल सराय
5. रूड़की

उत्तर प्रदेश

6. हरदोई
7. बस्ती
8. बलिया
9. चंदौसी
10. देवरिया
11. खुरजा
12. लखीमपुर
13. ललित पुर
14. आजमगढ़
15. ईटा
16. वाराबंकी
17. मैनपुरी
18. गाजीपुर
19. सुलतानपुर
20. काशगंज
21. बिजनौर
22. ऋषिकेश
23. शामली
24. टांडा
25. काशीपुर
26. बड़ौत
27. नजीबाबाद
28. देवबंद
29. बेला प्रताप गढ़
30. भड़ोही
31. शिकोहाबाद
32. मुबारकपुर
33. रूद्रपुर
34. सिकंदराबाद
35. बलरामपुर
36. कन्नौज
37. नगीना (कुल योग : श्रेणी II के 345 कस्बे)
38. महोबा
39. कजराना
40. चांदपुर
41. शाहबाद
42. मवाना
43. सहसवान

उत्तर प्रदेश

44. औरेया
45. गंगा घाट
46. पिलखवा

पश्चिम बंगाल

1. कोछ बिहार
2. पुरूलिया
3. बीरनगर
4. राजपुर
5. बेनगांव
6. चकदाह
7. दार्जिलिंग

पी०एम०आई०यू०पी०ई०पी० के अंतर्गत शामिल 72 पर्वतीय कस्बे

अरूणाचल प्रदेश

1. डोडमिला टाउन (वेस्ट केमंग)
2. ईटानगर (निचला सुबन्सिवी)
3. एलोग टाउन (वेस्ट सियांग)
4. पासीघाट (ईस्ट सियांग)
5. रोईंग टाउन (दीमांग घाट)
6. तेजू टाउन (लोहित)
7. खोंसा टाउन (तीरप)

असम

1. कोकराझाड़
2. बोगई गांव
3. गोआलपाड़ा
4. बारपेटा
5. नलबाड़ी
6. मंगोलदोई (दारंग)
7. लखीमपुर
8. मरी गांव
9. गोलाघाट
10. सिवसागर
11. दिपू (कारबी-अगलोंग)
12. हैलाकाडी
13. कटीमगंज
14. हैलाकांडी
15. धीमाजी

हिमाचल प्रदेश

1. चम्बा
2. धर्मशाला (कांगड़ा)
3. हमीरपुर
4. उन्ना
5. विलासपुर
6. मंडी
7. कुल्लू
8. सोलन
9. नहान (सिरमौर)

जम्मू और कश्मीर

1. लेह
2. कारजिल
3. वारामुल्ला
4. कुपवाड़ा
5. वारगांव
6. अन्तनांग
7. पुलवामा
8. कढवा
9. दोदरा
10. उद्यम पुर
11. राजोरी
12. पूंछ

मणिपुर

1. चूरचांदपुर
2. मोरेह (चंदेल)
3. थावल
4. विष्णुपुर
5. लिलोंग

मेघालय

1. जोवाई
2. नोगस्टोइन
3. विलियम नगर
4. तूरा

मिजोरम

1. लंगलेई
2. सैहा (छिम्तुईपुई)

नागालैंड

1. जुनलेबोटो
2. योखा
3. मोकोकचुंग
4. तुएनसांग
5. मोन

सिक्किम

1. मोंगन
2. गंगटोक
3. नामची
4. गेजिंग

त्रिपुरा

1. धर्म नगर (त्रिपुरा)
2. उदय पुर (दक्षिण त्रिपुरा)

गढ़वाल तथा कुमाऊं

1. टिहरी
2. चमोली
3. अलमोड़ा
4. नैनीताल
5. पिथौड़ा गढ़
6. टिहरी गढवाल
7. उत्तर काशी

तेल चयन बोर्ड

1942. *श्री पी०सी० थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या बहुत से क्षेत्रों में रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पंप के तेल चयन बोर्ड कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) ऐसे क्षेत्र साथ ही कार्य बंद करने की तिथि का भी ब्यौरा दें जहां इस तरह के चयन बोर्ड कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) क्या इन राज्यों में नये चयन बोर्डों की नियुक्ति कर दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां रसोई गैस कनेक्शनों हेतु व्यक्तियों को आवेदन करने के अवसर से भी वंचित रखा जाता है, और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी शिकायतें को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1996 में लोक सभा के आम चुनाव की घोषणा से ही सभी 17 तेल चयन बोर्डों का प्रचालन अभी भी आस्थगित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास एलपीजी कनेक्शन बुक करा सकता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरी बंगाल मास्टर प्लान

1945. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बंगाल के मास्टर प्लान के संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसकी अनुमानित लागत क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ग) इसके पूरा होने की लक्षित अवधि क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में आ रही समस्याओं के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्व अर्जित करने वाले गांव

1944. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राजस्व अर्जित करने वाले गांवों की कुल कितनी संख्या है; और

(ख) ऐसे राजस्व अर्जित करने वाले गांवों की राज्य वार संख्या कितनी है जहां अब तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा सका है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में निगरानी अब ग्रामीण बसावट को इकाई मान कर की जाती है। बसावटों की कुल संख्या और उन बसावटों की संख्या जिनकी पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कुल और कवर न की गई बसावटों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल बसावटें	कवर न की गई बसावटें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	67684	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	4178	790
3.	असम	70669	10918
4.	बिहार	205436	6816
5.	गोवा	405	40
6.	गुजरात	30269	496
7.	हरियाणा	6484	0
8.	हिमाचल प्रदेश	43781	4295
9.	जम्मू व कश्मीर	7763	727
10.	कर्नाटक	56682	4174
11.	केरल	9719	495
12.	मध्य प्रदेश	127083	2047
13.	महाराष्ट्र	77124	22
14.	मणिपुर	2815	268
15.	मेघालय	7876	738
16.	मिजोरम	919	10
17.	नागालैंड	1304	354
18.	उड़ीसा	74231	4500
19.	पंजाब	12797	5230
20.	राजस्थान	81773	8334
21.	सिक्किम	1679	0
22.	तमिलनाडु	66631	190
23.	त्रिपुरा	7412	0
24.	उत्तर प्रदेश	274641	2946
25.	पश्चिम बंगाल	80377	0
26.	अंडमान निकोबर	504	11
27.	दादर व नगर हवेली	516	128
28.	दमन व दीव	29	0

1	2	3	4
29.	दिल्ली	200	0
30.	लक्षद्वीप	11	0
31.	पांडिचेरी	276	0
32.	चंडीगढ़	25	0
	कुल	1321293	53409*

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभिपुष्टि के आधार पर अनतिम

ट्राइसेम के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

1945. श्री जी०ए० चरण रेड्डी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०आर०डी०ए० ने सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश के निजामाबाद जिला में पांच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है,

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का निजामाबाद जिले के पिछड़े के व्यक्तियों को किस तकनीकी कुशल प्रशिक्षण देने का है; और

(घ) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश विशेष तौर पर निजामाबाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्राइससेम कार्यक्रम के अन्तर्गत युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए राज्य के प्रयासों को पर्याप्त मात्रा में धन देकर सहायता देगी ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) इस मंत्रालय को आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य सरकार को वर्ष 1995-96 के लिए आंध प्रदेश में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 49.07 लाख रुपए का केन्द्रीय अंश जारी किया गया है जिसमें निजामाबाद जिले के लिए 5.45 लाख रुपए शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 1996-97 के 1999-2000 तक चरणबद्ध ढंग से राज्य में 100 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लगाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। जिसमें 5 संस्थान निजामाबाद जिले के लिए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर इस मंत्रालय ने उन विकास खण्डों में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में लोकप्रिय विशेष ट्राइसेम प्रशिक्षण संस्थानों को लगाने की शुरूआत की थी, जहां ट्राइसेम प्रशिक्षण ढांचे के अंतर्गत कोई प्रशिक्षण ढांचा विद्यमान नहीं है। राज्य सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर जल्द ही निर्णय ले लिए जाने की संभावना है।

इसरो

1946. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के त्रिवेन्द्रम में स्थापित इसरो के विस्तार के लिए नयी योजना लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस केन्द्र द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) तिरूवनन्तपुरम में इसरो के तीन केन्द्र/यूनिटें हैं, अर्थात विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (बी०एस०एस०सी०), द्रव मोदन प्रणाली केन्द्र (एल०पी०एस०सी०) और इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट (आई०आई०एस०यू०)। प्रमोचक राकेट प्रौद्योगिकी विकास के लिए विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र एक अग्रणी केन्द्र है। इस समय वी०एस०एस०सी० में चल रहे कार्यक्रमों में ध्रवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी०एस०एल०वी० का उत्पादन, भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक् राकेट (जी०एस०एल०वी०) का विकास और भविष्य के लिए अपेक्षित उन्नत अनुसंधान तथा विकास कार्य शामिल हैं। उपर्युक्त प्रमोचक राकेट कार्यक्रमों के लिए द्रव चरणों को प्रदान करने के अलावा, एल०पी०एस०सी० इस समय जी०एस०एल०वी० के लिए स्वदेशी क्रायो ऊपरी चरण (सी०यू०एस०) के विकास में लगा हुआ है। आई०आई०एस०यू० प्रमोचक राकेटों और अन्तरिक्षयानों के लिए जड़त्वीय प्रणालियों के विकास हेतु एक प्रमुख यूनिट है।

इन कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित विविध क्रियाकलापों की पुनर्संरचना तथा विविध सुविधाओं का उपयुक्त संवर्धन/आधुनिकीकरण का कार्य सतत् आधार पर किया जाता है। जब कभी भी जरूरत होती है तो इनके लिए आवश्यक निधि प्रदान की जाती है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, विरूवनन्तपुरम में स्थित केन्द्रों/यूनिटों की मुख्य उपलब्धियों में ए०एस०एल०वी० कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करना 3 पी०एस०एल०वी० राकेटों का विकास और उड़ान जांच, जी०एस०एल०वी० की प्रणाली की अर्हता में उल्लेखनीय प्रगति तथा उप पैमाने के 1 टन के क्रायोजेनिक इंजिन जांच कार्यक्रम को सफततापूर्वक पूरा करना, शामिल है।

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को आवास

1947. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय ने राजधानी में दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को आवास आवंटित किये जाने के कारण क्या हैं जबकि वे केवल दिल्ली पुलिस के स्वामित्व वाले विविन्न थानों में आवास तथा आवासीय परिसरों के हकदार हैं; और

(ग) सरकार का उन आवासों को कब तक खाली कराये जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) सम्पदा निदेशालय से साधारणपूल वास के आवंटन हेतु दिल्ली पुलिस के केवल राजपत्रित कार्मिक ही पात्र हैं। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, दिल्ली पुलिस के पात्र कार्मिकों को 21 डी-II टाइप, 4 डी-I और 2 सी-II टाइप के क्वार्टर आवंटित किये जाने हैं।

(ग) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता।

उग्रवादियों का पुनर्वास

1948. श्री छीतुभाई गामीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जम्मू और कश्मीर में हुए विधान सभा चुनावों के बाद कुछ उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) चुनावों के बाद 227 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है जिनमें से 194 ने मुख्य मंत्री के समक्ष और अन्यों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया।

(ग) और (घ) जम्मू एवं कश्मीर की सरकार ने 15 अगस्त, 1995 को राज्य में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और उनके पुनर्वास के लिए एक आत्मसमर्पण नीति की घोषणा की थी। इस नीति की प्रमुख बातें इस प्रकार है :-

(i) आत्मसमर्पणकारियों को सबसे पहले एक ट्रांजिट कैम्प में रखा जाता है जहां से, पुनर्वास केन्द्र में ठहरने के इच्छुक उग्रवादियों को पुनर्वास केन्द्र में स्थानांतरित किया जाता है। पुनर्वास केन्द्र में उन्हें चार से छह महीने तक रखा जाता है, यह अवधि आठ महीने तक बढाई जा सकती है।

(ii) आत्मसमर्पणकारियों को समर्पित हथियारों के बदले निर्धारित स्केल पर नकद इनाम दिया जाता है। उन्हें पुनर्वास केन्द्र में उनके ठहरने की अवधि के दौरान 1500/- रु० प्रतिमाह (भोजन के लिए 500/- रु० तथा नकद 1,000/- रु०) की वृत्तिका का भुगतान किया जाता है।

(ii) जहां तक संभव होता है और उनकी योग्यताओं पर निर्भर करते हुए उन्हें रक्षा बलों, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस, सार्वजनिक उपक्रमों अथवा यहां तक कि निजी क्षेत्र में भी नौकरी दिलाने के प्रयास किए जाते हैं बशर्ते कि वे निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हों।

(iv) पुर्नवास केन्द्र में उन्हें व्यवसायों जैसे फिटर, इलैक्ट्रिशियन, वैल्डर स्टेनोग्राफर, कटिंग एवं टेलरिंग में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हें उनकी पसन्द एवं अभिरूचि के अनुसार केन्द्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के अधीन या तो उचित नौकरी या फिर स्वरोजगार उपलब्ध कराके उनका पनुर्वास करने के प्रयास किए जाते हैं।

(v) यद्यपि, यह नीति उन आत्मसमर्पणकारियों पर लागू नहीं होती जो हत्या, बलात्कार, अपहरण और अन्य ऐसे ही जघन्य अपराधों में संलिप्त होते हैं, उन पर कानून की उचित प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई होगी और आत्मसमर्पण से उन्हें क्षमादान नहीं मिल जाएगा।

जवाहर रोजगार योजना तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1949. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जवाहर रोजगार योजना तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम राज्य सरकार को सौंपने का है, और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) राज्य सरकार को जवाहर रोजगार योजना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं को सौंपने का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

कापार्ट में भ्रष्टाचार

1950. श्री आर०पी०एल० वर्मा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कापार्ट" में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1997 तक ब्लैक लिस्ट किए गए स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से उन संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनकी जांच के लिए सी०बी०आई० से कहा गया है; और

(घ) उनके विरूद्ध की नई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) कपार्ट में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं है। 31.1.1997 तक कपार्ट ने 248 स्वैच्छिक संगठनों को काली सूची में डाल दिया है। इसके अलावा, कपार्ट ने उन 150 स्वैच्छिक संगठनों की भी काली सूची बनाई है जिन्हें अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा काली सूची में रखा गया था।

(ग) कपार्ट ने सूचना दी है कि उसने 61 संगठनों के मामले आगे जांच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दिये हैं।

(घ) इन संगठनों को आगे और धनराशियां देना बन्द कर दिया गया है। संलिप्त अधिकारी, यदि कोई हों के खिलाफ कार्रवाई सहित आगे कार्रवाई केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट मिलने पर की जाएगी।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाना

1951. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 सितम्बर, 1996 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "फंड यूज सर्टिफिकेट फार रुपिज 9533 करोड़ पेंडिग एन जी ओज़ आऊट स्मार्ट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्ष 1990 तथा इसके बाद अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में ब्यौरा क्या है जिन्होंने इसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या अनुदान गत वर्ष जारी किए गए अनुदानों की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् जारी किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो और अनुदान जारी किए जाने के क्या कारण है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (च) जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में सूखा

1952. डा० कृपांसिन्धु भोई : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा राज्य में विशेषतः पश्चिमी उड़ीसा में विद्यमान सूखे की स्थिति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी उड़ीसा में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए स्थायी उपाय करने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) इस संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु क्या विशेष उपाए किए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) उड़ीसा सरकार की ओर से मिली रिपोर्टों के अनुसार फसल कटाई के अनुभवों के आधार पर 18 जिलों में 15,818 गांवों में 50% या उससे अधिक फसल का नुकसान हुआ है। उड़ीसा राहत संहिता के उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकार इन गांवों को "सूखा प्रभावित" घोषित करने का प्रस्ताव करती है।

(ख) और (ग) सूखे के विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए उड़ीसा के 8 जिलों में सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रहेगा।

रसायनिक हथियार जब्त किया जाना

1953. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा बल द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कश्मीर घाटी में जब्त किये गये रासायनिक हथियारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये घाटी में किस प्रकार पहुंच; और

(ग) भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार ने क्या कार्ययोजना तैयार की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार सीमा सुरक्षा बल द्वारा 12 जनवरी, 1997 को नूरान गांव में एक कंटेनर/हथगोला बरामद किया गया था, जिसका रासायनिक हथगोला होने को संदेह था। बाद में विशेषज्ञों द्वारा जांच करने पर यह पाया गया था कि वह एक देशी निर्मित हथगोला था, न कि रासायनिक हथगोला। जम्मू व कश्मीर में रासायनिक हथियारों को बरामद करने/जब्त किए जाने संबंधी अन्य कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सीमा पार से राज्य में हथियारों इत्यादि की तस्करी अथवा चोरी छिपे लाए जाने की संभावनाओं को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत की मांग और पूर्ति

1954. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 से 96 के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता, आपूर्ति तथा मांग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1995-96 से अब तक विद्युत की मांग और पूर्ति के बीच कितना अंतर था, और

(ग) विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 से 1996-97 (जनवरी, 1997 तक) की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में अधिष्ठापित क्षमता और विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	आवश्यकता (मि.यू.) (मे.वा.)	उपलब्धता (मि.यू.) (मे.वा.)	कमी (मि.यू.)	%
1993-94	5579.74	33735	30476	3259	9.7
1994-95	6074.74	37195	32652	4543	12.2
1995-96	6074.74	38690	34279	4411	11.4
1996-97	6074.74	34155	29605	4550	13.3

(जनवरी, 97 तक)

(ग) उत्तर प्रदेश में विद्युत की उपलब्ध में सुधार लाने के विभिन्न उपायों में विद्यमान क्षमता से उत्पादन अधिकतम करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी भार प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण उपाय करना तथा पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से सहायता प्राप्त करना शामिल है।

बिहार में बेरोजगारी

1955. श्री ललित उरांव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में बढ़ती हुई बेरोजगार की समस्या की जानकारी है;

(ख) क्या बेरोजगार व्यक्तियों को जो अधिकतर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से है, को अन्य राज्यों जैसे पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश असम तथा पश्चिमी बंगाल में मजबूरन जाना पड़ता है जहां उनका आर्थिक शोषण किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस पलायन को रोकने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 48वें में दौर (जनवरी-दिसम्बर, 1992) और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 50वें दौर (जुलाई, 1993-जून, 1994) के अनुसार मोटे तौर पर सैद्धांतिक स्थिति द्वारा बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 बरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 5 और 7 है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है। तदनुसार, ग्रामीण गरीबों के लाभ के लिए बिहार सहित देश में रोजगार और गरीबी उन्मूलन के प्रमुख कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना जो मजदूरी रोजगार कार्यक्रम हैं तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम और कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति, जो स्वरोजगार कार्यक्रम हैं, शामिल है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने के लिए इन कार्यक्रमों में विशेष लक्ष्य उपलब्ध कराए जाते हैं, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गांवों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है जिससे उनको रोजगार की तलाश में अन्य जिलों और अन्य राज्यों में पलायन न करना पड़े। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ऐसे लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए उनको आय का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराना भी है। इसीलिए विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रो में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए और यह देखने के लिए कि इनका आर्थिक रूप से शोषण न हो, सरकार हर संभव उपाय कर रही है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत नई योजनाएं

1956. श्री डी०पी० यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में सम्अल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घरों का निर्माण करने और ग्रामीण विकास के लिए नई परियोजनाएं/कार्यक्रम तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मुख्यतया अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुवा मजदूरों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण हेतु निधियों का आवंटन कर रही है। किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए चालू क्षेत्र वर्ष के दौरान ग्रामीण आवास की कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है।

[अनुवाद]

विद्युत का उत्पादन

1957. श्री एन०एस०वी० चित्यन :
डा० कृपासिन्धु भोई :
श्री अनंत कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कुछ और पन तथा ताप विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार पन और ताप विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(घ) इस संबंध में देश में विद्युत की कुल कितनी मांग और पूर्ति है; और

(ङ) मांग और पूर्ति के अंतर को पूरा करने और देश में टी०एण्ड०टी० प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये ताप विद्युत और जल विद्युत परियोजना की स्थापना किए जाने संबंधी प्रस्ताव वर्तमान में जांचाधीन है और इन्हें सरकार द्वारा अभी अंतिम रूप प्रदान किया जाना है। प्रत्याशित अतिरिक्त क्षमता परियोजना की तैयारी, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और ईंधन लिंकेज आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करेगी।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित कुल विद्युत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अप्रैल, 1996 से जनवरी, 1997 की अवधि के दौरान देश में विद्युत की उपलब्धता 304709 मि०यू० की आवश्यकता की तुलना में 302907 मि०यू० थी।

(ङ) प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षमता अभिवृद्धि, विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागेदारी को प्रोत्साहित करना, बेहतर मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा सरंक्षण उपाय, विद्यमान संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी तथा अंतः क्षेत्रीय लिंकों के माध्यम से आधिक्य वाले क्षेत्रों से, यदि कोई हो तो कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत का अंतरण करके विद्युत उत्पादन का प्रभावी समुपयोजन करना शामिल है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संगठन का नाम	विद्युत उत्पादन (मि०यू०) 1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	2550	2524	2485
2.	हरियाणा	3133	3425	3200
3.	हिमाचल प्रदेश	957	1116	1265
4.	जम्मू और कश्मीर	786	870	798
5.	पंजाब	11419	11505	113841
6.	राजस्थान	5664	5749	6637
7.	उत्तर प्रदेश	19854	21670	22802
8.	गुजरात	21238	23056	24169
9.	मध्य प्रदेश	14930	17066	18200
10.	महाराष्ट्र	33999	37988	39337
11.	आंध्र प्रदेश	20216	21394	22776
12.	कर्नाटक	14154	16341	14861
13.	केरल	5823	6572	6666
14.	तमिलनाडु	17599	19887	21951
15.	बिहार	2987	2699	2292
16.	उड़ीसा	5117	5561	5748
17.	सिक्किम	34	65	49
18.	पश्चिम बंगाल	9972	10464	10307
19.	अरूणाचल प्रदेश	—	20	15
20.	असम	908	1255	1434
21.	मणिपुर	617	515	480
22.	मेघालय	584	381	539
23.	त्रिपुरा	145	166	195
	संयुक्त क्षेत्र समेत केन्दीय क्षेत्र			
24.	एनटीपीसी	80923	89605	90482
25.	एनएवपीसी	2970	5574	5673
26.	डीवीसी	6918	6915	6857
27.	बीबीएमबी	10657	12232	12004
28.	नीपको	906	860	1052
29.	एनएलसी	9997	10890	12264
30.	न्यूक्लीय	5999	5646	7965
	निजी क्षेत्र	13686	15034	18122
	जोड़ अखिल भारत	323531	351025	330084

[हिन्दी]

रसोई गैस का आयात

1958. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा उन देशों के नाम क्या है जहां से इसे आयात किया जा रहा है; और

(ग) प्रत्येक वर्ष इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) प्रमुखतः सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात से जुटाई जाती है। 1993-94 से एलपीजी का आयात और इसका मूल्य निम्नानुसार हैं :-

एलपीजी का आयात

वर्ष	मात्रा (हजार टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1993-94	414	241.77
1994-95	594	419.77
1995-96*	678	530.54
1996-97* (अप्रैल-दिसम्बर)	624	590.11

*अनंतिम

[अनुवाद]

सोलर फोटो वाल्टिक पंपिंग सिस्टम

1959. श्री अमर राम प्रधान : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के कुछ जनजातीय/पिछड़े क्षेत्रों में जलापूर्ति सोलर फोटो वाल्टिक पंपिंग सिस्टम माध्यम से होती है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर शुद्ध पेयजल वैज्ञानिक तथा तकनीकी माध्यम से आपूर्ति किया जाता है, और

(ग) यदि हां, तो अब तक किन स्थानों पर इस तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) उन स्थानों के नाम जहां पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एसपीवी पम्पिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं, नीचे दिए गए हैं :-

- सजनेखाली 1 और 2
- रंगाबेलिया 1 और 2
- बरखोली 1,2,3 और 4
- सागर द्वीप समूह

विस्थापित व्यक्तियों की स्थिति

1960. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कश्मीरी पंडितों को आन्तरिक रूप से विस्थापित समझे जाने संबंधी उनकी मांग के बारे में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग से कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या अधिकांश कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में अपने मूल निवास स्थान पर लौटने के बारे में आशंकित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) जम्मू व कश्मीर सरकार, कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुनर्वास के लिए कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया में है जिसे अन्तिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि इस मामले को राजनैतिक-आर्थिक आधार पर निपटाया जाना है। राज्य सरकार की योजना, प्रवासियों की सुरक्षा अपेक्षाओं और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखेगी।

गंगा कल्याण योजना

1961. श्री आर० साम्बासिवा राव
श्री नारायण अठावले :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गंगा कल्याण योजना बनायी गई है,

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके लिये चालू वर्ष में राज्यवार कितना धन आवंटित किया गया है;

(ग) इसके निर्धारित लक्ष्य क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को कितना धन आवंटित किया गया है; और

(घ) प्रत्येक योजना के अंतर्गत की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। सरकार ने गंगा कल्याण योजना नामक एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना बनाई है।

(ख) और (ग) गंगा कल्याण योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-

1. गरीबी की रेखा से नीचे के छोटे और सीमान्त किसानों के लाभार्थी समूहों और अलग-अलग लाभार्थियों को भू-जल (बोर-वैल और ट्यूब वैल) का उपयोग करके सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना।
2. अलग-अलग लाभार्थियों/समूहों को सरकार द्वारा सबसिडी और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मियादी ऋण देकर सहायता दी जानी है।

3. कम से कम 50% निधियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए निर्धारित की गई हैं।

4. लाभार्थियों का चयन संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में आम सभा की बैठक में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

5. योजना के अधीन 80% निधियां केन्द्रीय सरकार द्वारा और 20% निधियां राज्य सरकारों द्वारा वहन की जायेगी।

6. यह योजना जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/ जिसका परिषदों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

7. योजना के अधीन अनुसूचित जातियों/जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांगों के समूहों के लिए 75% सबसिडी और अन्य के लिए 50% दी जाती है। प्रति समूह सबसिडी की अधिकतम सीमा 40000 रुपये है। अलग-अलग लाभार्थियों के मामले में सबसिडी की राशि योजना के अन्तर्गत प्रति एकड़ भूमि के लिए 5000 रुपये है, जिसकी अधिकतम राशि प्रति लाभार्थी 12500 रुपये होगी।

8. परियोजना लागत और स्वीकार्य सबसिडी के बीच अन्तर को वित्तीय संस्थाओं या एस सी/एस टी/बी वित्त और विकास निगमों से मियादी ऋण से पूरा किया जाना है।

9. गंगा कल्याण योजना में एस सी/एस टी/ शारीरिक रूप से विकलांगों के समूहों के लिए कार्य संचालन और रखरखाव को लागत तीन वर्ष के लिए अतिरिक्त सबसिडी के रूप में मिलेगी जिसकी अधिकतम सीमा परियोजना लागत के 5 प्रतिशत प्रति वर्ष तक होगी। अन्य समूहों के लिए और अलग-अलग योजनाओं के लिए कार्य संचालन और रखरखाव के लिए कोई सबसिडी नहीं मिलेगी।

1996-97 के दौरान गंगा कल्याण योजना के लिए कुल 90.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चालू वर्ष 1996-97 के लिए निधियों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार आवंटन और मंत्रालय द्वारा जारी की गई राशियां संलग्न विवरण में दी जाती हैं।

(घ) गंगा कल्याण योजना 1 फरवरी, 1997 से कार्यान्वित कर दी गई है। इस प्रकार राज्यों से प्रगति की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य राज्य	केन्द्रीय आवंटन	जी०के० वाई के अन्तर्गत जारी राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6.83	6.83
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.51	–
3.	असम	2.25	2.25
4.	बिहार	13.28	–
5.	गोवा	0.12	–
6.	गुजरात	2.51	2.51
7.	हरियाणा	0.60	0.60
8.	हिमाचल प्रदेश	0.20	–
9.	जम्मू व कश्मीर	0.82	–
10.	कर्नाटक	4.58	4.58
11.	केरल	1.67	1.67
12.	मध्य प्रदेश	8.65	8.65
13.	महाराष्ट्र	7.44	–
14.	मणिपुर	0.37	0.37
15.	मेघालय	0.99	–
16.	मिजोरम	0.17	–
17.	नागालैंड	0.27	0.27
18.	उड़ीसा	5.54	–
19.	पंजाब	0.43	0.43
20.	राजस्थान	3.59	–
21.	सिक्किम	0.05	–
22.	तमिलनाडु	6.17	–
23.	त्रिपुरा	0.53	0.53
24.	उत्तर प्रदेश	16.64	16.64
25.	पश्चिम बंगाल	6.12	6.12
26.	अंडमान-निकोबार	0.12	–
27.	दादरा व नगर हवेली	0.02	–
28.	दमन व द्वीप	0.05	–
29.	लक्षद्वीव	0.01	–
30.	पांडिचेरी	0.09	–
	अखिल भारत	90.00	51.45

[हिन्दी]

आई०एस०आई० की गतिविधियां

1962. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान की सतर्कता एजेंसी, आई०एस०आई० और पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों दौरान गत तीन वर्षों के दौरान आज तक जम्मू और कश्मीर में चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो और सुरक्षा बलों द्वारा पाकिस्तान की सतर्कता एजेंसी आई०एस०आई० और पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों को न रोक पाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तानी आई०एस०आई०, जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी क्रियाकलापों को प्रायोजित करने, भड़काने, उनमें मदद करने और उकसाने में लगातार लगी हुई है। शरणगाह तथा संभारतंत्रीय समर्थन प्रदान करने के साथ-साथ ऐसे तत्वों को पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में दीक्षित करके और हथियारों के प्रयोग में प्रशिक्षित करके, राज्य में सशस्त्र बलों की घुसपैठ कराके, वित्तीय सहायता की व्यवस्था करके, रणनीतिक मार्गदर्शन देकर और अन्य बातों के साथ-साथ आतंकवादी एवं अलगाववादी क्रियाकलापों में संलिप्त तत्वों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने के दुष्प्रचार एवं भ्रामक सूचना अभियान चलाकर, ऐसा किया जा रहा है। सरकार और सुरक्षा बलों तथा एजेंसियों द्वारा आतंकवादियों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आई०एस०आई० के मंसूबों तथा क्रियाकलापों को रोकने की दृष्टि से सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का "साउंड स्टाफ"

1963. श्री के०पी० सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए मानदण्डों का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के "साऊंड स्टाफ" के मामले में अनुसरण नहीं किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है;

(ग) कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये मानदण्डों का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के "साउण्ड स्टाफ" के सभी मामले में कड़ाई से अनुसरण किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) कुछ "साउण्ड स्टाफ" ने अपनी वरीयता के संदर्भ में अधीक्षक इंजीनियर (समन्वय) (विद्युत) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली को अभ्यावेदन दिये हैं। के०लो० निर्माण विभाग ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है।

[हिन्दी]

कापार्ट के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना

1964. श्री आर०एल०पी० वर्मा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कापार्ट के और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो बिहार और चंडीगढ़ में कोई और क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा, और

(ग) यदि हां, तो इन कार्यालयों को कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) कपार्ट ने देश में और आर्थिक क्षेत्रीय समितियां गठित करने का निर्णय लिया है।

(ख) कपार्ट का बिहार और चंडीगढ़ में क्षेत्रीय समितियां गठित करने का प्रस्ताव है।

(ग) कपार्ट प्रस्तावित नई क्षेत्रीय समितियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पदों आदि के सृजन हेतु मामले में कार्रवाई कर रहा है। औपचारिकताएं पूरी होते ही नई क्षेत्रीय समिति शीघ्र ही गठित कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता

1965. श्री के०सी० कोंडय्या : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास मकान नहीं हैं या मकान बनाने के लिये जगह नहीं है;

(ख) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास जगह तो है लेकिन मकान बनाने के लिये उन्हें सहायता की आवश्यकता है;

(ग) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अब तक कर्नाटक को 1996-97 के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या उपरोक्त योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सहायता में वृद्धि की मांग की है, और

(ङ) यदि हां, तो इंदिरा आवास योजना प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में 426,915 आवासों की कमी है।

(ख) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के बाद सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत कर्नाटक को 1996-97 में अब तक कुल 50.67 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने के कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया परन्तु इसपर सहमती नहीं हो सकी।

सूखा संभाव्य प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

1966. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा संभाव्य प्रवण क्षेत्र कार्यक्रमों डी०पी०ए०पी० को विभिन्न राज्यों में शुरू किया गया है।

(ख) इन राज्यों में सूखा संभाव्य प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सूखा संभाव्य प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को वर्तमान में धनराशि किस प्रकार दी जाती है;

(घ) क्या गैर सरकारी संगठनों को भी सूखा संभाव्य प्रवण क्षेत्र कार्यक्रमों में शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर-सरकारी संगठनों तथा सरकार द्वारा क्या कार्य किए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम 13 राज्यों में 155 जिलों के 947 खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों के नाम और प्रत्येक राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए जिलों और विकास खण्डों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का वहन केन्द्र और राज्य के बीच 50 : 50 के आधार पर किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र विकास का कार्य 1995-96 से लागू वाटरशेड विकास के नये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत वाटरशेड के आधार पर चलाया जा रहा है।

1995-96 में शुरू की गई और 1998-99 में पूरी होने वाली वाटरशेड परियोजनाओं की आयोजना और विकास के लिए कुछ राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों का चयन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में किया गया है।

विवरण

	राज्य	जिलों की संख्या		खण्डों की संख्या	
		सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम	मरूभूमि विकास कार्यक्रम	सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम	मरूभूमि विकास कार्यक्रम
	1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11	1	94	16
2.	बिहार	16	—	121	—
3.	गुजरात	10	6	52	47
4.	हरियाणा	—	6	—	44
5.	हिमाचल प्रदेश	3	2	9	3
6.	जम्मू व कश्मीर	2	2	22	10
7.	कर्नाटक	11	3	81	22
8.	मध्य प्रदेश	25	—	134	—
9.	महाराष्ट्र	22	—	148	—
10.	उड़ीसा	8	—	47	—
11.	राजस्थान	10	16	32	85
12.	तमिलनाडु	15	—	80	—
13.	उत्तर प्रदेश	18	—	91	—
14.	पश्चिम बंगाल	4	—	36	—
	कुल	155	36	947	227

आंध्र प्रदेश में पेयजल योजना हेतु विश्व बैंक से सहायता

1967. श्री जी०ए० चरण रेड्डी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार से अधिक फ्लोरीन तथा खारेपन से प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विश्व बैंक से 2500 करोड़ रुपये तक की सहायता का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत शामिल जिले और खण्ड कौन से है तथा इसकी निर्धारित अवधि क्या है; और

(घ) उक्त योजना के लिए विश्व बैंक से प्रस्ताव की शीघ्रति शीघ्र मंजूरी तथा धनराशि प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) परियोजना रिपोर्ट 25.2.97 को प्राप्त हुई है। इसकी जांच की जानी है और विचार के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत की जानी है। इसका अनुमोदन बैंक द्वारा परियोजना के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

कश्मीरी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट

1968. जस्टिस गुमान मल लोढा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 1997 में शामिल हो रहे कश्मीरी अभ्यार्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को ऐसी छूट न दिये जाने के कारण क्या हैं;

(ग) सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रति सौतेला व्यवहार किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सिविल सेवा परीक्षा, 1997 में शामिल हो रहे अन्य राज्यों के अभ्यार्थियों को भी ऐसी छूट देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस आशय की घोषणा कब तक किये जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ङ) चूंकि कुछ ही अरसे पहले कश्मीर में अंशातिपूर्ण स्थिति ने शैक्षणिक संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था और उसके परिणामस्वरूप रोजगार के आकांक्षी उम्मीदवारों को प्रतिकूलतः प्रभावित किया था, अतः उन सभी व्यक्तियों को, जो 1.1.80 से 31.12.89 की अवधि के दौरान सामान्यतः जम्मू और कश्मीर राज्य में निवास कर रहे थे, सभी केन्द्रीय सिविल सेवाओं के पदों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य माध्यम द्वारा भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अन्य राज्यों में चल रही स्थिति से, मूल रूप से उन अन्य राज्यों के रहने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में ऐसी छूट दिए जाने का औचित्य सिद्ध नहीं होता।

अप्राधिकृत कालोनियों को नियमित करना

1969. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली सरकार से दिल्ली में अप्राधिकृत कालोनियों से नियमित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उन मालिकों का ब्यौरा क्या है जिनकी जमीन पर अप्राधिकृत निर्माण किए गए हैं;

(घ) क्या दिल्ली सरकार ने भी केन्द्र सरकार को ग्राम सभा भूमि के उपयोग जिस पर 31 मार्च, 1993 से पूर्व निर्माण किया जा चुका है के संबंध में भी एक प्रस्ताव भेजा है ताकि इन अवैध कालोनियों को नियमित किया जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : जी, हां।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका सं० 4771/93 में भारत संघ सहित प्रतिवादियों पर दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के बारे में आगामी आदेशों तक कोई निर्णय या कार्रवाई करने बाबत रोक लगाई है। मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कालोनियों की भूमि की स्थिति का सत्यापन करने के लिए एक समिति गठित की थी। दिल्ली सरकार के अनुसार इस समिति द्वारा यथा सूचित संलग्न विवरण के अनुसार है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1.	नियमित करने हेतु भारत सरकार को भेजी गयी कालोनियों की सं०	1071
2.	भूमि स्थिति के मूल्यांकन हेतु उपायुक्त दिल्ली को भेजी गयी कालोनियां	509
3.	गांव सभा की मूल भूमि पर बसी कालोनियां	80
4.	वे कालोनियां जिनकी भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी हैं अथवा अधिग्रहण कार्यवाही चल रही है।	99
5.	कृषि भूमि पर बसी कालोनियां	143
6.	वे कालोनियां जो आंधी निजी भूमि पर और आधी सरकारी भूमि अथवा गांव सभा भूमि पर बसी है।	247
7.	डी०डी०ए० के विकास क्षेत्र के अधीन आने वाली कालोनियां	495
8.	वे कालोनियां जिनमें सत्यापन कार्य विचाराधीन है।	67

[अनुवाद]

"मेमोरी पिल"

1970. श्री माधव राव सिंधिया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा जड़ी बूटी (ब्राह्मी) से एक औषधि विकसित की गयी है;

(ख) यदि हां तो क्या इस औषधि की बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव से यादाश्त बढ़ाने संबंधी इसके विशेष गुणों की जांच की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस औषधि के वाणिज्यिक उत्पादन हेतु कोई कदम उठाया गया है;

(घ) क्या इस औषधि की वर्तमान मूल्य आम आदमी के पहुंच के बाहर है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे आम आदमी की पहुंच में लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) मानकीकृत ब्राह्मी के सत्त वाली जड़ी-बूटी औषधि का लगभग तीन वर्षों तक वैज्ञानिक एवं व्यापक तौर पर परीक्षण किया गया है तथा ज्ञान के संवर्धन, यादाश्त के प्रत्यास्मरण व संचयन के लिए जीवों पर किए गए परीक्षण में इसे प्रभावी माना गया है। इस औषधि का विषाक्तता के दृष्टिकोण से भी परीक्षण किया गया हैं तथा इसे सुरक्षित पाया गया है। जड़ी-बूटी औषधियों पर किए जाने वाले इस प्रकार के परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य है।

(घ) और (ङ) सीएसआइआर द्वारा इस जड़ी-बूटी औषधि के उत्पादन तथा विपणन का लाइसेंस चेन्नई स्थित एक भारतीय फर्म को दिया गया है। इस औषधि का विपणन तथा मूल्य निर्धारण एक वाणिज्यिक मामला है तथा यह सीएसआइआर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

लोगों का पलायन

1971. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीने के पानी की अनुपलब्धता के कारण कुछ लोग पश्चिमी राजस्थान छोड़कर राजस्थान के अन्य भागों, गुजरात और मध्य प्रदेश में चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) "आई०जी०एन० लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट" से पीने का पानी प्राप्त करने सहित जल संसाधनों के विकास के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय भूतल बोर्ड 1164 गांवों में वैज्ञानिक स्रोत का पता लगाने का कार्य शुरू करेगा। राज्य भूतल विभाग, राजस्थान सरकार भू-भौतकीय सर्वेक्षण भी करा रहा है और पेयजल योजनाओं के लिए अनेक स्रोत भी विकसित किए गए हैं। आई जी एन पी में पेयजल और अन्य प्रयोग के लिए 1200 क्यूसेस जल रखा गया है। वर्तमान में जोधपुर जल आपूर्ति लिफ्ट नहर परियोजना में 2158 गांवों को पानी देने का प्रावधान किया गया है।

गरीबी उन्मूलन हेतु प्राप्त किए गए लक्ष्य

1972. श्री टी० गोपाल कृष्ण : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों के दौरान देश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करने हेतु राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) देश में कार्यान्वित की जा रही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं और प्रधान मंत्री समेकित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम प्रमुख गरीबी उपशमन योजनाएं हैं। जबकि पहले तीन कार्यक्रम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं और शेष तीन शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम हैं। विगत दो वर्षों (अर्थात 1994-95 और 1995-96) के दौरान इन छह कायक्रमों के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार, योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना नामक ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन इन कार्यक्रमों के मार्गदर्शी सिद्धांतों में बनाए गए प्रावधानों के अनुरूप की जाती है। सरकार, केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति, राज्य स्तरीय समन्वय समिति और जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के शासी निकाय के माध्यम से विभिन्न राज्यों में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और समीक्षा करती है। इन कार्यक्रमों की मुख्य सूचकांकों के आधार पर राज्यों की नियमित प्रगति रिपोर्टों और केन्द्र, राज्य और कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण की गहन व्यवस्था की माफत भी समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा भी वास्तविक प्रगति की निगरानी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय अपनी प्रमुख योजनाओं का आवधिक समवर्ती मूल्यांकन करवाता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की विशेष समीक्षा भी विशेषज्ञ समितियों द्वारा की जाती है।

सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक और क्षेत्र के दौरे की मार्फत नेहरू रोजगार योजना नामक प्रमुख शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, शहरी लघु उद्यमों की योजना के लिए संस्थागत ऋण सहायता संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति और आवास तथा झोपड़ी में सुधार की योजना संबंधी अधिकार प्राप्त समिति भी नेहरू रोजगार योजना की इन उप-योजनाओं की समीक्षा करने के लिए बनाई गई है। योजना आयोग ने नेहरू रोजगार योजना के "प्रबंध और संगठनात्मक पहलुओं संबंधी अध्ययन" पर ओ०आर०जी० द्वारा एक अध्ययन भी प्रायोजित किया था।

(ग) राज्य सरकारें विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अलग-अलग नीतियों का अनुपालन करती है। तथापि, इन लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में राज्यों को निधियों की समय पर रीलीज और उनके साथ कार्यक्रमों की सतत् निगरानी और समीक्षा करना शामिल है। समय-समय पर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों पर समुचित रूप से जोर डाला जाता है।

विवरण

विगत दो वर्षों (अर्थात 1994-95 और 1995-96) के दौरान प्रमुख ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

कार्यक्रम	1994-95 (अनंतिम)		1995-96 अनंतिम)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (लाख परिवार)	21.15	22.14	**	20.90
जवाहर रोजगार योजना (लाख श्रमदिन)	7997.37	7435.59	8042.80	7955.89
गहन जवाहर रोजगार योजना## (लाख श्रमदिन)	1868.08	2063.48	437.25	1002.36
सुनिश्चित रोजगार योजना (लाख श्रमदिन)	*	2739.56	*	3435.59

*सुनिश्चित रोजगार योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है क्योंकि यह एक मांग आधारित कार्यक्रम है।

##गहन जवाहर रोजगार योजना को 1.1.1996 से समाप्त कर दिया गया है और सुनिश्चित रोजगार योजना में उसका विलय कर दिया गया है।

**समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्यों को 1995-96 से समाप्त कर दिया गया है।

विगत दो वर्षों (अर्थात 1994-95 और 1995-96) के दौरान प्रमुख ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

कार्यक्रम	1994-95 (अनंतिम)		1995-96 अनंतिम)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5
(क) नेहरू रोजगार योजना				
एस०यू०एम०ई० (सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या)	102190	124595	116807	125308
एस०यू०डब्ल्यू०ई (सृजित कार्य का श्रम दिवस लाख में)	41.12	50.85	36.22	54.64
एस०एच०ए० एस०यू० (सुधारी गई आवास इकाईयां)	160024	62066	14970	22768
(ख) गरीबों के लिए (शहरी बुनियादी सेवाएं) : 31.10.1996 तक				
चयनित नगरों की संख्या				319

1	2	3	4	5
झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली कुल जनसंख्या ('000)				23458
शामिल करने हेतु चयनित झुग्गी-झोपड़ियों क्षेत्रों की सं०				4690
इन झुग्गी झोंपडी क्षेत्रों में शामिल लाभार्थियों की संख्या (000)				7514

(ग) प्रधान मंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

प्रधान मंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नवम्बर, 1995 के दौरान लागू किया गया । कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बन्द करना

1973. श्री डी०पी० यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बंद किया गया;

(ख) उत्तर प्रदेश में सम्भत निर्वाचन क्षेत्र में कितने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान नौवीं पंचवर्षीय योजना में कितने ऐसे कार्यक्रमों को बंद किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं, जिनका कार्यान्वयन आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सहित सारे देश में किया जा रहा है। केन्द्र स्तर पर चुनाव क्षेत्र-वार जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि, आठवीं योजना के दौरान किसी कार्यक्रम को बन्द नहीं किया गया था। इसके अलावा, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन कार्यक्रमों में से किसी भी कार्यक्रम को बन्द करने का फिलहाल कोई विचार नहीं हैं।

रियायती ब्याज दर पर ऋण

1974. श्री शिवराज सिंह :
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने मकान निर्माण हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रबंध किये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्यवार कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आवास ऋण के संबंध में केन्द्र सरकार को कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) केन्द्र सरकार मकान बनाने के लिए ऋण मुहैया नहीं करातीं। तथापि हडको द्वारा विभिन्न राज्य स्तरीय एजेन्सियों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गो के परिवारों के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता। इन श्रेणियों के लिए हडको द्वारा प्रभारित ब्याज दरें इस प्रकार हैं :-

ई०डब्ल्यू०एस० 9%

एल०आई०जी० 12-13%

(ख) 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान विभिन्न आय वर्गों के आवास हेतु हडको द्वारा स्वीकृत ऋण के राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ग) हडको द्वारा दिए गए ऋणों के बारे में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान हडको द्वारा स्वीकृत आवास ऋण के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	स्वीकृत ऋण		
	1993-94	1994-95	1995-96
		(रुपये करोड़ में)	
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	75.56	63.73	76.63
अरूणाचल प्रदेश	1.82	0.00	0.00
असम	8.31	23.74	35.65
बिहार	40.70	11.75	26.32
गोवा	48.40	9.00	0.42
गुजरात	21.74	57.38	46.00

1	2	3	4
हरियाणा	3.14	19.38	56.07
हिमाचल प्रदेश	7.34	5.74	34.00
जम्मू तथा कश्मीर	50.26	1.30	13.67
कर्नाटक	53.51	82.47	92.84
केरल	51.48	69.89	118.52
मध्य प्रदेश	51.18	60.04	74.64
महाराष्ट्र	5.72	73.92	38.17
मणिपुर	6.99	6.06	5.77
मिजोरम	5.09	0.00	5.26
मेघालय	5.79	13.49	0.94
नागालैण्ड	29.53	5.77	—
उड़ीसा	20.97	37.83	18.74
पंजाब	46.80	21.96	8.21
राजस्थान	7.43	55.57	75.10
सिक्किम	128.44	9.48	6.50
तमिलनाडु	1.78	121.48	159.88
त्रिपुरा	79.61	0.27	0.73
उत्तर प्रदेश	44.74	66.77	57.57
पश्चिम बंगाल	0.16	36.04	38.30
अ०नि० द्वीपसमूह	4.79	0.00	1.40
चण्डीगढ़	0.00	0.00	—
दादर तथा नगर हवेली	0.00	0.00	—
दिल्ली	0.00	0.00	—
लक्षद्वीप	0.00	0.00	—
पाण्डिचेरी	0.00	0.00	—
दमन व द्वीप	—	—	—
योग	800.68	859.96	994.50

[अनुवाद]

डी०डी०ए० फ्लैट्स

1975. श्री राधा मोहन सिंह :
डा० रमेश चन्द तोमर :
श्री मुख्तार अनीस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1996 तक दिल्ली में डी०डी०ए० द्वारा कितने फ्लैट बनाये गये;

(ख) 1 जनवरी, 1997 को निर्माणाधीन फ्लैटों की संख्या कितनी थी;

(ग) 31 दिसंबर, 1996 तक कितने फ्लैट आवंटित किये गये थे;

(घ) 1 जनवरी, 1997 को अनावंटित फ्लैटों की संख्या कितनी थी तथा उन्हें आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) ऐसे आवेदनों की संख्या कितनी हैं जिन्हें 1 जनवरी, 1997 तक फ्लैट आवंटित नहीं किए गए थे; और

(च) अतिरिक्त फ्लैटों की संख्या कितनी है जिनके लिए डी०डी०ए० ने जनवरी, 1997 से आवेदन आमंत्रित किये हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) 2,51,773 फ्लैट।

(ख) 16,802 फ्लैट।

(ग) 31 दिसम्बर, 1996 को 2,44,992 फ्लैट।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि बिजली उपलब्ध न होने के कारण 1 जनवरी, 1997 को आवंटित न किये जा सके 7,981 फ्लैट खाली पड़े थे।

(ङ) 57,484 फ्लैट।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनवरी, 1997 से कोई नई स्कीम प्रारम्भ नहीं की है।

रोजगार गारंटी योजना

1976. श्री टी० गोपालकृष्ण : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कौन-कौन से डिवीजन चुने गये हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि, बांटी गयी धनराशि/बांटी जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत डीवीजनों के चयन का मानदंड क्या है तथा सरकार स्वीकृत धनराशि के उपयोग पर किस तरह निगरानी रखती है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) सुनिश्चित रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खण्डवार कार्यान्वित की जाती है। सुनिश्चित रोजगार योजना राज्य के 22 जिलों के 280 विकास खण्डों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) आंध्र प्रदेश को जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है। अधिक निधियां जारी की जा सकती है बशर्ते कि राज्य सरकार उन खण्डों, जिन्होंने उपलब्ध निधियों का 50% से अधिक इस्तेमाल कर लिया हो, के लिए अधिक निधियां जारी करने के प्रस्ताव आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ भेजें।

(ग) इस योजना के अंतर्गत डिविजनों के चयन के लिए अपनाए गए मानदंड का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सुनिश्चित रोजगार योजना का खण्डवार विस्तार किया गया है। सरकार द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना की मासिक प्रगति रिपोर्टों, अर्द्ध वार्षिक रिपोर्टें और राज्य ग्रामीण विकास सचिवों की समीक्षा बैठकों के जरिए निगरानी की जाती है।

विवरण

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत 1996-97 के दौरान आंध्र प्रदेश को जारी सहायता का केन्द्रीय अंश

जिल का नाम	खण्डों की संख्या	जारी निधियां (रुपए लाख में)
1	2	3
1. आदिलाबाद	11	680.00
2. अनंतपुर	16	1020.00
3. चित्तूर	20	720.00
4. कुड्डप्पा	12	540.00
5. पूर्वी गोदावरी	20	1080.00
6. गुंटूर	6	120.00
7. करीम नगर	14	320.00
8. खम्माम	13	760.00
9. कृष्णा	5	100.00
10. कुरनूल	13	840.00
11. मेडक	10	420.00
12. महबूबनगर	16	1020.00
13. नालगोंडा	15	860.00
14. नैल्लूर	10	200.00
15. निजामाबाद	5	100.00
16. प्रकाशम	17	960.00
17. रंगा रेड्डी	8	460.00
18. श्रीकाकुलम	16	660.00
19. विशाखापट्टनम	19	600.00
20. विजयानगरम	14	440.00
21. वारंगल	14	780.00
22. पश्चिम गोदावरी	6	160.00
कुल	280	12,840.00

उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजनाएं

1977. श्री भगवान शंकर रावत : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हेतु स्वीकृत की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना में रोजगार हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

परियोजना	राशि
37 जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना।	पहली किस्त के रूप में 37.00 लाख रुपए जारी किए गए।
त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 15 योजनाएं	118.96 लाख रुपए
झांसी जिले के 14 गांवों के लिए जल आपूर्ति योजना के 6 समूह	164.00 लाख रुपए

जनवरी 1995 से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को अनुमोदित करने की सारी शक्ति राज्य को प्रत्यायोजित कर दी गई है।

(ख) ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना में रोजगार सृजन का अलग से निर्धारण नहीं किया गया है इस लिए इसके लिए अलग से राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

पर्याप्त पेय जल

1978. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने गांवों को पर्याप्त पेय जल उपलब्ध कराया गया; और

(ख) उन गांवों की संख्या कितनी है जहां पेय जल की व्यवस्था है और सभी गांवों के लिये पेयजल की व्यवस्था करने के संबंध में चलाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। शेष कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों को सन् 2000 तक स्वच्छ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

विवरण

पूर्णतः/आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल की गयी बसावटें
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	67684
2.	अरूणाचल प्रदेश	3388
3.	असम	59751
4.	बिहार	198620
5.	गोवा	365
6.	गुजरात	29833
7.	हरियाणा	6684
8.	हिमाचल प्रदेश	39486
9.	जम्मू और कश्मीर	7036
10.	कर्नाटक	52508
11.	केरल	9224
12.	मध्य प्रदेश	125036
13.	महाराष्ट्र	77102
14.	मणिपुर	2547
15.	मेघालय	7138
16.	मिजोरम	909
17.	नागालैंड	950
18.	उड़ीसा	69731
19.	पंजाब	7567
20.	राजस्थान	73439
21.	सिक्किम	1679
22.	तमिलनाडु	66501
23.	त्रिपुरा	7412
24.	उत्तर प्रदेश	271695
25.	पश्चिम बंगाल	80377
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	493
27.	दादर व नगर हवेली	388
28.	दमन व द्वीव	29
29.	दिल्ली	200
30.	लक्षद्वीप	11
31.	पांडिचेरी	276
32.	चंडीगढ़	25
	कुल :	1267884

समूचे केरल राज्य में सफाई अभियान

1979. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने समूचे राज्य में सफाई अभियान चलाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सभापटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

इस्टीट्यूट आफ एलाईड मैनपावर, रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणा दर्शाने वाला विवरण

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1465/97]

(3) कन्सलटेंसी डेवलपमेंट सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवदेन और लेखापरीक्षित लेखों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1466/97]

दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण,

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारमारिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1467/97]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 के अन्तर्गत अधिसूचनायें आदि

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :–

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) पांचवे संशोधन विनियम, 1996 जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 585(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवे संशोधन नियम, 1996 जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 586(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1997 जो दिनांक 17 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 17(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1997 जो दिनांक 17 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 18(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1468/97]

(2) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) संघ लोक सेवा आयोग का वर्ष 1995-96 का छियालीसवां वार्षिक प्रतिवदेन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1469/97]

(दो) उपर्युक्त प्रतिवदेन के अध्याय VIII में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श अस्वीकार करने के कारण बताने वाला ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1470/97]

आयल इंडिया लिमिटिड और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 का समझौता ज्ञापन

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :–

आयल इंडिया लिमिटेड और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1471/97]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री पी०आर० दासमुंशी (हावड़ा) : मैंने विशेषाधिकार नोटिस दिया था जो आपके पास 28 फरवरी से लम्बित पड़ा है। ···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सरदार सरोवर परियोजना के बारे में दिलाना चाहती हूं कि गुजरात सरकार ने ···*(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा (सूरत) : अध्यक्ष जी, पिछले तीन साल से सरदार सरोवर का मामला लटका हुआ है ···*(व्यवधान)*

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : अध्यक्ष जी, प्रीवलेज के मामले को प्रेफ्रेंस देकर मुझे बोलने दें। ···*(व्यवधान)*

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में रेलों में डकैतियां हो रही हैं ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्षय महोदय : कृपया बैठ जाएं। मैं आपका ही नाम पुकारने वाला हूं। क्या पहले आप मेरी बात सुनेंगे। श्री रूडी जी, आप पहले मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सब अपने स्थानों पर खड़े हो जायेंगे तो तब कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। आप शान्त होकर बैठें। जिन सदस्यों ने नोटिस दिया है उन सबके नामों की सूची मेरे पास है। मैं बार-बारी से सब को बोलने का अवसर दूंगा। धैर्य रखें। आप वहां भी खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। शान्त रहें। सब को बोलने का अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिए।

श्री लालमुनी चौबे : अध्यक्ष महोदय, बिहार में डकैतियां हो रही हैं ···*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुन लीजिये ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सबको एक साथ कैसे सुनूंगा ?

श्री लालमुनी चौबे : अध्यक्ष महोदय, बिहार में न केवल रेलें लूटी जा रही है बल्कि बलात्कार भी किये जा रहे हैं। इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये ···*(व्यवधान)* बिहार में बर्बरतापूर्ण रेलगाड़ियों में डकैतियां हो रही हैं ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कैमरों को बन्द किया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनि चौबे : यहां इस तरह के कांड हो रहे है ···*(व्यवधान)* आप जानते हैं कि यहां से ऐसी कोई बात नहीं हुई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कैमरे बन्द कर दिए जायें और कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कैमरों को बन्द किया जाए और कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए। अब आप जो चाहें वही कह सकते हैं।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जितना बोलना चाहें बोलें, लेकिन रेकार्ड पर कुछ नहीं जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप शांति से बैठिए। सबको मौका मिलेगा। आप लोग 15-20 आदमी एक साथ खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। इससे क्या फायदा होगा ? आप जो बोलना चाहते है बोलिए। मुझे क्या करना है ?

*(व्यवधान)**

श्री अटलबिहारी वाजपेयी (लखनऊ) अध्यक्ष जी पहले प्रिविलेज मोशन ले लीजिये। वह पहले आता है (व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने का अवसर मिलेगा। यदि वह अपने-अपने स्थान पर बैठेगें। मैं बारी-बारी से सब को बुलाऊंगा मेरे पास सूची है। आप जल्दी में क्यो हैं ? हर सदस्य बोल रहा है और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं हो रहा है। कैमरे बन्द किये जा रहे हैं। आपके चुनाव-क्षेत्र के लोग आपको नहीं देख पा रहे है। कैमरे बन्द हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : अध्यक्ष जी, बिहार से शुरू कीजिए

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, आप पीठासीन अधिकारी हैं। मैं कुद ही क्षणों के उपरान्त आपको पहले बोलने का अवसर दूंगा। श्री पप्पू जी, आपको बोलने का अवसर मिलेगा। मैं पहले विशेषाधिकार प्रस्ताव लेता हूं। पहले इसी का निपटारा किया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : अध्यक्ष जी, विगत 18 जनवरी को मेरे साथ जो घटना घटी है उसके सम्बन्ध में मैंने आपको विशेषाधिकार हनन की एक सूचना भेजी है। मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करके आपका निर्देश चाहती हूं कि इस मामले में क्या हो रहा है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। परन्तु एक और विशेषाधिकार प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको जवाब दूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी०आर० दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, विगत 28 फरवरी को मैंने भारत के प्रमुख समाचार-पत्र में प्रकाशित एक समाचार आईटम की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण दोनों शामिल थे। जिसमें लोक-सभा के महासचिव श्री सुभाष कश्यप पूरे ने सदन पर, विपक्षी दलों, पीठासीन अधिकारी पर सम्पूर्ण सचिवालय पर बहुत से आरोप लगाये थे और असंसदीय शब्दावली का प्रयोग किया था। उस सीमा तक, मैं केवल तीन पंक्तियों को ही पाढूंगा।

> "उन्होंने कहा कि लोक सभा में कई वर्षों तक कार्य कर चुकने के बाद उनका यह अनुभव रहा है कि सत्ता पक्ष के सदस्य और विपक्षी दलों के सदस्य मिलीभगत से कार्य करते हैं यहां तक कि सभा में उत्पन्न होने वाले शोर-शराबे के दृश्य भी पूर्व निर्धारित होते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य साथ बैठते हैं और अग्रिम योजना बनाते हैं कि कितनी देर तक शोर-शराबा जारी रहेगा; कौन किस पर कागज फेंकेगा और किस विषय पर और वे किस प्रकार किसी का विरोध करेंगे और वे किस प्रकार किसी का समर्थन करेंगे।"

उन्होंने कहा था कि वे सभी निर्णय पूर्व-मिलीभगत से लिए जाते हैं और वे राजनीतिक दल जो स्वयं धर्म निरपेक्षता का पक्ष लेते हैं तथा कथित साम्प्रदायिक दलों से समझौता करते हैं और उनकी-अपनी अलग व्यवस्थाएं भी होती है। महोदय यह अत्यधिक गम्भीर बात है कि उन्होंने यह कहा कि इस शोर-शराबे के कारण हवाला घोटाला मामले को उठाया नहीं जा सका और यह न्यायालय के निर्णय के बाद ही प्रकाश में आ पाया।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : महोदय, आप उनको कैमरा ऑन करने का निर्देश दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब कैमरों को चालू किया जा सकता है।

श्री पी०आर० दासमुंशी : यह भी मिलीभगत से किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस सभा के सदस्य, अधिकतर मामलों में, अपने ही ढंग से समस्याओं का निपटारा करते है।

सबसे भयानक बात जो उन्होंने कही थी वह यह है कि लोक सेवक से संबंधित उपायों, कानूनों के कार्यक्षेत्र में आने से बचने के लिए संसद सदस्य उनके साथ लोक सेवकों का सा व्यवहार किया जाना नहीं चाहते हैं। उन सबमें मिलीभगत है और अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने की येाजना बना रखी है।

इस प्रकार से निवर्त्तमान महासचिव ने टिप्पणी की थी। यह एक गम्भीर मामला है।

उन्होंने कहा कि यह एक विश्व के माहनतम ट्रेड यूनियन का प्रबन्धन है जो अपने लाभों को अपने बीच बांट लेता है।

इससे ज्यादा बेशर्मी की बात नहीं हो सकती। तक ओर हम पर प्रतिदिन न्यायिक सक्रियता द्वारा हमले किए जा रहे हैं और दूसरी ओर एक निर्वत्तमान महासचिव द्वारा यदि ऐसी टिप्पणियां की जाये तो संसद की स्थिति क्या होगी ?

मेरे विचार से यह विशेषाधिकार के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सभा के सम्मान की रक्षा के लिए अपने विवेकानुसार निर्णय लें। यह समस्त सभा पर एक लांछन लगाना है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : विपक्ष के नेता को उस वक्तव्य के मसौदे को या तो स्वीकार करना या फिर नकारना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे न केवल श्री पी०आर० दासमुंशी से ही नहीं अपितु श्री पी०एम० सईद और श्री ए०सी०जोस से भी विशेषाधिकार की सूचना प्राप्त हुई है। हमने निवर्तमान महासचिव और साथ ही *जनसत्ता* के सम्पादक की राय मांगी है। मैं उनकी राय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसे ही मुझे सम्बन्धित पत्र से राय प्राप्त होती है, मैं इसकी समीक्षा करूंगा।

प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा से प्राप्त सूचना में भी यही मामला है। मैंने गृह मंत्रालय से एक रिपोर्ट मांगी है। यह सामान्य प्रक्रिया है। जैसे ही मुझे रिपोर्ट प्राप्त होती है, मैं मामले में निर्णय लूंगा। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, गुजरात के लोगों के लिए सरदार सरोवर एक लाइफ लाइन है, मैं जीरो ऑवर में उसके बारे में बोलना चाहती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका स्मरण नहीं है। मैं इस मामले के बारे में पता करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार एक पीठासीन अधिकारी भी हैं। मुझे उन्हें प्रथम अवसर देना होगा उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा।

अपराह्न 12.14 बजे

बिहार में रेलगाड़ियों में हुई डकैतियों के बारे में

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले सप्ताह इसी सदन में बिहार में एक जघन्य ट्रेन डकैती की चर्चा हो चुकी है। उस समय रेल मंत्री यहां पर बैठे हुए थे और इन्होंने इस सवाल पर कुछ नहीं कहा था। उसके बाद लगातार ट्रेन डकैतियां हो रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कल दिन में डकैती हुई है और इसके पहले भी एक ट्रेन डकैती मोकामा-बरौनी के बीच में हुई थी, जिसके बारे में वहां के मुख्य मंत्री ने बयान दिया है कि ट्रेन डकैती पुलिसवालों ने करवाई है और की है तो यह कौन सी स्थिति में बिहार चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम यहां पर अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे। *(व्यवधान)* मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। आप मुझे सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राम कृपाल यादव को भी मौका मिले, आप इनको भी मौका दीजिए। तो वहां पूरी स्थिति भयानक है। वहां के मुख्य मंत्री कही बाहर नहीं विधान सभा में इस बात को कह रहे हैं कि पुलिसवालों का रेलवे डकैती में हाथ है। अब कौन सी स्थिति में हम जी रहे हैं। अब कौन इनका संरक्षण करेगा। वहां ट्रेन में चढ़ना दुश्वार है, वहां के लोगों का जीवन असुरक्षित हैं ऐसी घटनाएं वहां रोज घटती चली जा रही हैं, दिन-दहाड़े डकैती हो रही है। पुलिसवाले डकैती करा रहे हैं, यह मुख्य मंत्री का आरोप है और पिछले दिनों मुंगेर के एक सांसद ने अपने क्षेत्र की डकैती की चर्चा करते हुए कहा था कि वहां की डकैती में जिसका नाम आया, उसके बारे में इन्होंने आरोप लगाया कि उसको एक मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। तो कहीं मंत्री संरक्षण दे रहे हैं और कहीं मुख्य मंत्री आरोप लगा रहे हैं और रोज डकैतियों का यह सिलसिला चल रहा हैं अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने बिहार में ट्रेनों की स्थिति के बारे में कुछ वक्तव्य सदन के बाहर दिया था, वहां जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है और ट्रेनों में यात्रियों का जीवन असुरक्षित है, इसके बारे में इन्होंने एक वक्तव्य सदन के बाहर दिया थां हम आपसे आग्रह करेंगे कि सदन के अंदर पूरी स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर कई पत्र प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इसके बाद लोगों की सुरक्षा का बंदोवस्त होना चाहिए, ट्रेन डकैती मे लोग मारे जा रहे है और आज एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है कि डकैती में सिर्फ माल ही नहीं लूटा जा रहा है, डकैती में महिलाओं की इज्जत को भी लूटा जा रहा है, महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है ... *(व्यवधान)*

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार की स्थिति यह है कि दिन-दहाड़े डकैत ट्रेनों में चढ़ते हैं ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी। यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री नीतीश कुमार को अनुमति दी थी। श्री नीतीश कुमार, क्या अब आप कृपया अपनी बात पूरी करेंगे। अपनी बात पूरी करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, रेल मंत्री ने सदन के बाहर जो बयान दिया है, वहां ट्रेनों के पचिालन में, डकैतियों के चलते स्थिति बहुत खराब है। जगह-जगह सैबोटेज हो रहे हैं। फिश-प्लेटें खोलकर ट्रेन को पटरी से उतारने की घटनाएं हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री जी को सदन में वहां की स्थिति पर बयान देना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इतना पर्याप्त है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अभी गृह मंत्री जी पटना गए थे। उन्होंने वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में जो कुछ कहा है, उससे साफ है कि बिहार मे कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं हैं, जंगल-राज है, लोगों की शान्ति बिल्कुल भंग हो चुकी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार, क्या आप पूरा एक घण्टा अपने लिए ही लेना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया दूसरों पर दया कीजिए। कृपया दूसरे को भी समय दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अतः हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस विषय पर सदन में चर्चा कराई जाए, रेल मंत्री जी का बयान सदन के सामने आना चाहिए ताकि सही स्थिति सामने आ सके ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : महोदय, यह एक रेल में डकैती के बारे में है। इसमें अवसाद के अतिरिक्त गौरव गाथा भी है। एक

समाचार पत्र ने सूचना दी थी कि दिल्ली का एक पुलिस अधिकारी जो उस ट्रेन में यात्रा कर रहा था वह डकैतों के साथ मुठभेड में मारा गया। *(व्यवधान)* यद्यपि वह रेलवे सुरक्षा बल का सदस्य नहीं था फिर भी उसने रेल यात्रियों को बचाया और अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया इसलिए, मैं रेल मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर ध्यान दें और उनके परिवार को पुरस्कृत करें *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : सभा को उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास इस बारे में अधिकृत सूचना नहीं है, मैं इस समय ऐसा नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब तक कि मेरे पास अधिकृत सूचना नहीं है तब तक मैं ऐसा नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इन सब बातों के संदर्भ में *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री पासवान कृपया बोलना शुरू कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिएं वह अब उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष जी, बिहार की वास्तविक स्थिति के बारे में शायद इस सदन को पूरी जानकारी नहीं है कि आज बिहार में क्या हो रहा है ? *(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : टेलिविजन कैमरे बन्द कर दिये जाएं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहार वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, आपने नीतीश कुमार जी को बिहार में रेलों में हो रही डकैती से संबंधित मामले को उठाने की इजाजत दी *(व्यवधान)*

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेता खड़े हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सहमत हूं कि कार्य व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए। आपने श्री नीतीश कुमार जी को बिहार में हाल ही में रेलों में हुई डकैतियों का मामला उठाने की इजाजत दी। एक-दो सदस्य समर्थन में और भी बोले। श्री चौबे जी बोले। रेल मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। वे चुप बैठे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री जी को उत्तर देना था। वे उत्तर देने के लिए दो बार खड़े हुए थे परन्तु उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनके उत्तर देने से पहले कुछ सदस्यों की बात सुनें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको सुनना चाहता हूं। मैं एक साथ दस लोगों की बात नहीं सुन सकता। मेरे केवल दो ही कान है।

[हिन्दी]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में जंगल-राज हो गया है। बिहार में एनाकों हो गई है। *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम तो विक्टिम हो गए। हम तो कन्क्लूड कर रहे थे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार अपनी बात पूरी करें। आप इसके लिए एक घण्टा नही ले सकते। अन्य संसद सदस्य भी अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं।

श्री नीतीश कुमार : मैं अपने आखिरी तथ्य पर था महोदय। कृपया मुझे अनुमति दें। मुझ पर कृपा कीजिए और अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आधे घण्टे की अनुमति दे देना बहुत ज्यादा कृपा करना है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : कृपया मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, बिहार में हालत यह है कि एक तरफ तो रेलों में डकैतियां पड़ रही हैं और दूसरी तरफ बिहार के मुख्य मंत्री ने सदन में पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं और यह भी कहा है कि देश के सी०ए०जी० और बिहार के ए०जी० को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से बिहार में हो रहा है। आप इस सदन के संरक्षक है। वहां पर संवैधानिक मशीनरी का ब्रेकडाउन हो रहा है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस सवाल पर सरकार को सदन में वक्तव्य देने का निर्देश दें।

अपराह्न 12.25 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर मेरा भी नोटिस है। *(व्यवधान)*

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी इसी विषय पर बोलना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है अभी आप बैठ जाइए। मैं आपको भी बोलने का समय दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अलाउ करूंगा। ठीक है। बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे कुछ कहने देंगे।

(व्यवधान)

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति ले चुका हूं। उन्होंने मुझे प्रश्न काल के बाद इस अत्यधिक महत्वपूर्ण बात को उठाने के लिए कहा था। प्रश्न काल के बाद 25 मिनट बीत चुके है और मैं शब्द बोले बिना ही खड़ा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, क्या कृपया आप मेरी बात सुनेंगे।

श्री सनत मेहता : मैंने एक भी शब्द नहीं कहा क्योंकि मैं अध्यक्ष का सम्मान करना चाहता था परन्तु जो भी जोर से बोला उसे अनुमति दी गई।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अलाउ करूंगा। ठीक है। बैठिए।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता : मैं नहीं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री सनत मेहता : नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरा सहयोग कीजिए।

श्री सनत मेहता : मैं सहयोग कैसे करूं, महोदय ? मैंने अध्यक्ष से अनुमति ली थी।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर भी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बैठ जाएं।

श्री सनत मेहता : मैं बोल नहीं रहा हूं। *(व्यवधान)* गुजरात के हम सब संसद सदस्य अध्यक्ष के कमरे में गए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा एक निवेदन है, जब मैं खड़ा हूं, तो आप सबको बैठना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जीरो आवर में 51 आदमियों के नाम हैं। ट्रेन का मामला उठाया गया हैं जिनके नोटिस आए हैं वे एक-दो एम०पी० हैं, वे अपनी बात कहेंगे। उनको आप सुन लें और उसके बाद में रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे उनका जवाब दे दें।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास कालका मेल जो कालका चंड़ीगढ़ से होकर चलती है उसमें डकैती हुई है और उन डकैतों से मुकाबला करते हुए दिल्ली के एक इंसपेक्टर श्री अभय कुमार जिनके तीन छोटे-छोटे आठ साल, छह साल और चार साल के बच्चे हैं, जिनकी फोटो आज की अखबार में छपी है, उसके अंदर मारा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थान पर दो-तीन दिन पहले नार्दन ईस्ट एकसप्रैस में डकैती हुई। महानगर एक्सप्रेस में डकैती हुई और पूर्वी एक्सप्रैस के कुछ डिब्बों को डिरेल किया गया। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : थोड़ा ब्रीफ में बोलिये।

[अनुवाद]

श्री सत्य पाल जैन : मैं एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

[हिन्दी]

उसके डिब्बों को रोककर लेडीज को जंगलों में ले जाया गया और उनके साथ रेप किया गया। वह घटना इसलिए छुपाई गयी ताकि मामला प्रकाशित न हो सके।

मैं सिर्फ तीन बातें कहना चाहता हूं। पहला, रेलवे में ट्रैवल करने वाले जो पैसेंजर्स है, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किस डिपार्टमैंट की है। यहां की लोकल पुलिस की है या रेलवे पुलिस की है। दूसरा, ट्रेन के अंदर जो इतनी महत्वपूर्ण ट्रेन है, उसमें सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। वह इंसपेक्टर अकेला था और वह लड़ते हुए मारा गया। जब वह घायल हुआ तो बक्सर रेलवे स्टेशन तक उसे रास्ते में कोई फर्स्ट-ऐड नहीं मिली और न ही कोई मेडिकल ट्रीटमैंट मिला। अगर समय पर मेडिकल ट्रीटमैंट मिल जाता तो शायद उस इंसपेक्टर की जान बच जाती।

मैं चाहता हूं कि रेलवे मिनिस्टर इसके बारे में बयान दें। वहां के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि श्री राम विलास पासवान मेरे को खराब करने के लिए ऐसी घटनायें करवा रहे हैं। पासवान जी के मित्र कह रहे हैं कि श्री लालू प्रसाद यादव हमें खराब करने के लिए ऐसा करवा रहे हैं। राजनीति एक तरफ है और जिन्होंने लड़ना है, वह लड़ते रहें लेकिन पैसेंजर्स की सेफ्टी होनी चाहिये। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रेलवे के बारे में

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका रेलवे के बारे में नहीं है। मैं आपको बाद में एलाऊ करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका रेलवे के बारे में नहीं है। आपका एट्रोसिटीज ऑन शैड्यल्ड कास्ट्स के बारे में है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रेलवे एक्सीडेंट के बारे में मेरे पास तीन काम और हैं, जो नोटिस में हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम है। मैं बाद में एलाऊ करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन०के० प्रेमचंद्रन।

श्री एन०के० प्रेमचंद्रन (क्यिलोन) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब उन्हें बोलने दीजिए, महाशय।

(व्यवधान)

श्री एन०के० प्रेमचंद्रन : उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे सदन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि यह पहले ही सूचित किया जा चुका है कि डकैती की 177 घटनाएं हुई हैं। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि पिछले 2 महीनों में अलप्पी–बोकारो एक्सप्रेस जो अलप्पी जा रही थी, दो बार लूटी गई थी। ऐसी घटनाएं न केवल बिहार में हो रही है बल्कि लंबी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ियों, विशेषकर केरल एक्सप्रेस और मांगला एक्सप्रेस में भी हो रही है। ये गाड़ियां जो केरल में तिरूवनंतपुरम तक जाती हैं बहुधा लूटी गई हैं। इसलिए, रेलयात्री रेलों में खतरे का सामना कर रहे हैं।

मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे तुरंत कदम उठाएं और इसे रोकने के उपाय करें। मैं रेलमंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएं जिससे रेल यात्रियों के जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एन०के० प्रेमचंद्रन : मैं परसों की एक घटना पर भी गहरा दुख प्रकट करना चाहता हूं जिसमें दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर को निर्दयता से मार दिया गया है जिसे डकैती के संबंध में छानबीन का प्रभार सौपा गया था। इस प्रकार की घटनाएं जारी हैं। लंबी दूरी की गाड़ियां जो देश के दक्षिणी भागों में जाती हैं, इससे बुरी तरह प्रभावित हैं।

एक बार फिर मैं माननीय रेलमंत्री ली से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे लूट और डकैती रोकने और रेल यात्रियों के जान और माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करें।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदय, रेल का प्रश्न और रेल में डकैतियों का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रेल में मात्र बिहार के लोग ही नहीं चलते हैं बल्कि जो आसाम जाते हैं, जो नार्थ ईस्ट जाते हैं या देश के दूसरे भागों में जाते हैं, वे सब यात्रा करते हैं। रेल में यात्रा करने वाले लोग मात्र एक प्रांत के नहीं होते हैं, पूरे राष्ट्र के होते हैं। बिहार में पिछले छह महीने में 177 से अधिक डकैतियां रेलगाड़ियों में हुई हैं और बिहार के मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पुलिस फोर्स जो रेलवे सुरक्षा के लिए बनायी गयी है, वही डकैती कराती है। पीछे देश के गृहमंत्री जी राज्य में गये थे उन्होंने भी यही मंतव्य व्यक्त किया कि इस राज्य में विधि प्रशासन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले कहा जा चुका है। आप इसे रिपीट मत करिये।

श्री राजीव प्रताप रूडी : रेल मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। एक तरफ इनके पास रेलवे पोटेक्शन फोर्स है। रेलवे पोटेक्शन फोर्स यह कहती है कि हम मात्र रेलवे की प्रापटी की सुरक्षा करेंगे। दूसरी तरफ रेलवे में चलने वाले लोगों की सुरक्षा गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के ऊपर है और बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं और जितनी हत्याएं हुई हैं *(व्यवधान)* मैं महानन्दा एक्सप्रैस में ट्रेवल कर रहा था, मैं यही कहूंगा कि सिर्फ एक जांच करा ली जाये। अकेले महानन्दा एक्सप्रैस में पिछले एक वर्ष में 332 बार घटनाएं घट चुकी हैं। यही नहीं, राज्य सरकार की इसमें पूर्णतया जिम्मेदारी है, राज्य सरकार में कार्यरत यह पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है और इसके सरगना हैं, बिहार के मुख्य मंत्री। *(व्यवधान)* यह उनका और राम विलास पासवान जी का आपसी झगड़ा है *(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : ये सरगना बैठे हुए हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : इस आपसी झगड़े के कारण हमारे प्रान्त के लोग मारे जा रहे हैं, पूरे राज्य की विधि व्यवस्था खराब की जा

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

रही है। मैं जानना चाहता हूं, बिहार में केन्द्र के गृह मंत्री महोदय गये थे, ... *(व्यवधान)* मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस परिस्थिति में राज्य सरकार की बर्खास्त करना पड़ेगा। ... (व्यवधान) इस सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा। वहां हजारों लोगों का कत्ल हो रहा है इसलिए राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाये।

लैफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : ज्यादातर बातें आ गई हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रेलवे का कन्क्लूड हो जाये, उसके बाद मैं बुलाऊंगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : यह बिहार का सवाल है।

उपाध्यक्ष महोदय : बिहार का सवाल नहीं है, रेलवे का हो रहा है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उसी पर मैंने नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, ठीक है। जरा बैठ जाइये।

लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : पिछले पांच-सात दिनों में एक ही क्षेत्र में ये घटनाएं हो रही हैं। मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि रेलवे की प्रोटैक्शन फोर्स इतनी बड़ी है, वहां की लोकल पुलिस है, यह आसान है कि खाली रेल मंत्री को कहा जाये कि यह गलत है। यह आज की बात नहीं है, यह पिछले एक-दो महीने से बहुत ज्यादा, बार-बार बिहार में ये वारदातें हो रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले 1-2 महीने में बजाय इसके कि रेल मंत्री मुख्य मंत्री के बारे में बात करें और मुख्य मंत्री रेल मंत्री के बारे में बात करें, इसके बारे में किया क्या गया है, जब कि यह बिल्कुल साफ जाहिर है कि बार-बार कुछ रेलवे ट्रेनों में एक खास क्षेत्र में ऐसी बातें हो रही हैं। इसके बारे में क्या किया गया हैं ? ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका जिस सबजैक्ट पर है, उस पर मैं एलाऊ करूंगा।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : हम भी इसी विषय पर बोलना चाहते हैं। आप कानून बदल दीजिए, रेल का कानून बदल दीजिए, तब हत्याओं का दौर समाप्त हो जाएगा। जब तक यह आर०पी०एफ०, सी०आर०पी० रहेगी, तब तक ऐसा होता रहेगा, इस कानून को बदलिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका हो गया।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी, रेल में बढ़ते हुए अपराधों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता जाहिर की है, मैं उनके साथ अपने को जोड़ता हूं।

एक तो आज जिस घटना के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, जिसमें एक पुलिस का इन्सपैक्टर अभय कुमार डाकुओं से लड़ता हुआ मारा गया और उस ने बहादुरी का परिचय दिया। मैं आज सवेरे आर०के० पुरम उनके परिवार से मिलने के लिए गया था। उनकी लाश यहां नौ बजे पहुंची। उनके परिवार में तीन बच्चे है, उनके पिता वकील सिंह है, उनकी पत्नी की हालत तो बहुत ही खराब थी, वे किसी हालत में थीं ही नहीं। उस परिवार के लिए जितना भी शोक व्यक्त किया जाये, कम है। जिस बहादुरी का उसने परिचय दिया है, उसके किए जो भी पुरस्कार उस परिवार को दिया जाये, वह बहुत कम है। हम भारत सरकार की तरफ से उनके लिए गेलेंट्री एवार्ड और जो भी हो सकता है, उनकी मांग करेंगे। हालांकि रेलवे की तरफ से हमारा हक बनता हो, नहीं बनता हो, रेलवे के अन्दर आता हो, नहीं आता हो, लेकिन रेलवे मिनिस्टर की हैसियत से मैंने शोक संतप्त परिवार के लिए दो लाख रुपये की ... *(व्यवधान)* पहले सुन तो लिया कीजिए, सब चीजों में क्यों ऐसा करते हैं ? मैंने उनके परिवार वालों को दो लाख रुपये देने की घोषणा की है। उनकी पत्नी स्नातक है, अभी तो वे इस हालत में नहीं हैं, लेकिन यदि वे चाहेंगी तो हम उन्हें रेलवे में क्लास थ्री में उनके लायक कोई पद देने का काम करेंगे। हमने इतना काम किया है।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : जो अन्य लोग मारे गए, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। वे बता रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : पहले सुन लें। मैं इनसे भी ज्यादा जोर से बोल सकता हूं। मुझे आपसे ज्यादा जानकारी है, लेकिन ऐसी चीज की सीमा भी होती है।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : पहले चार आदमी वहां मारे गए थे, रेल कर्मचारी भी मारे गए, आप बोले तक नहीं, कोई बयान नहीं दिया। लेकिन पुलिस वाला मारा गया तो यहां बयान दे रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : लोग मारे जाते हैं, कोई भी मारा जाता है, यह दुखद बात है। लेकिन मैंने बताया कि अभय कुमार कलकत्ता जा रहा था। वह भी चुपचाप बैठा रहता तो उसकी हत्या नहीं होती। आठ-दस क्रिमिनल थे। उसने उनको ललकारा और अपने रिवाल्वर से उनमें से एक को मार गिराया, दूसरा घायलावस्था में है, उसकी हालत चिंताजनक है। वे क्रिमिनल आठ-दस थे इसलिए उन्होंने उसको मार दिया। इसलिए सबकी तुलना एक साथ करना उचित नहीं है।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : जो अन्य कर्मचारी मारे गए, वे भी औरतों और बच्चों की रक्षा करते हुए मारे गए थे।

श्री राम विलास पासवान : रेलवे में घटना का घटित होना हमारे लिए चिंता का विषय है। जब रेलवे में घटना घटती है और ऐसा मामला होता है तो आम लोगों के दिमाग में बात नहीं होती, वे रेल मंत्रालय पर अंगुली उठाते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है। मैंने अपने रेल बजट भाषण में भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि रेलवे में दो तरह की फोर्स हैं। एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है और दूसरी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है। रेलवे की जितनी भी सम्पत्ति है, यार्ड में डिब्बे वगैरह खड़े होते हैं, उनकी सुरक्षा करना आर०पी०एफ० का काम है। हमारा फैडरल स्ट्रक्चर है, 62000 किलोमीटर तक रेल लाईन फैली हुई है, इस सबको देखना जी०आर०पी० का काम है। पचास प्रतिशत पैसा हम जी०आर०पी०

को देते हैं, बाकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्रीय कानून क्यों नहीं बनाया जाता, हमारे सामने लाचारी है। आजादी के बाद पहली बार हमने डी०जी०पी०, आर०पी०एफ० के डी०जी०, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से तीन दिन तक बैठक की। हमने अपने अधिकारियों को बिहार भी भेजा। चार राज्य ऐसे हैं जहां इस तरह की घटनाएं घटती हैं। यह नहीं है कि 1996 में ही ये घटनाएं घटी हैं, उसके पहले भी घटी हैं। बिहार में 1995 में 136 घटनाएं घटी थी, अभी डकैती और रॉबरी की 145 घटनाएं घटी हैं। महाराष्ट्र में 1995 में डकैती और रॉबरी की 35 घटनाएं घटी और अब 144 घटी हैं। उत्तर प्रदेश में 1995 में 67 घटी थीं, इस बार 82 घटनाएं घटी हैं। वैस्ट बंगाल में 1995 में 111 घटनाएं घटी थी, इस बार 102 घटी हैं। इसलिए यह नहीं है कि घटनाएं पहले ही घटीं, हर साल घटनाएं हो रही हैं। *(व्यवधान)* आप पहले सुन लें। यह सदन सर्वोच्च है, हमारे पास जो पावर है, हमारी बैठक हुई, उपाध्यक्ष जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा। जो रेलवे की पुलिस है, वह स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है। उनकी सी०आर० भी रेलवे का अधिकारी नहीं लिख सकता है। उनका करेक्टर रोल जो होता है, हमने सजेशन दिया कि जैसे कोई अफसर डेप्युटेशन पर किसी मिनिस्ट्री या विभाग में जाता है तो उसकी सी०आर० लिखी जाती है। यदि वह अच्छा काम करता है तो अच्छी लिखी जाती है और खराब काम करता है तो खराब लिखी जाती है। लेकिन रेलवे ऑथोरिटी को तो इतना अधिकार भी नहीं मिला हुआ हैं जो खराब अफसर माना जाता है, जो खराब पुलिस मानी जाती है, उसको रेलवे में भेज दिया जाता हैं दूसरी बात यह है कि जब वह रेलवे में आता है तो रेलवे के पास कोई हथियार नहीं है जिससे वह कर्मचारी को अनुशासन में रख सके। इसमें भी हमको मालूम हुआ है कि जो ऑलरेडी गार्ड था, जो उसमें पुलिस होती है, उस ट्रेन में जिस पुलिस को डिप्यूट किया गया था, वे भी जा रहे थे। लेकिन एक दिल्ली पुलिस का अफसर लड़कर अपनी जान दे सकता है, लेकिन स्टेट पुलिस के लोग कहां बैठे हुए थे, यह पता नहीं चल पाया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राम विलास पासवान जी, एक मिनट जरा बात सुनिए। डिटेल में आप अपने रेलवे बजट के उत्तर में कह देना। अभी तो ज़ीरों ऑवर है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैंने इसमें कहा हे कि पार्लियामेंट सर्वोपरि है और मैं पार्लियामेंट के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि इसमें जो फैडरल स्ट्रक्चर है, उसमें रेलवे कुछ नहीं कर सकता है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है और यदि उसमें कोई परिवर्तन करना चाहे तो हम सरकार की तरफ से रेलवे मंत्री की हैसियत से स्वागत करेंगे। यहां पर नेता विरोधी दल और सारे माननीय सदस्य बैठे हैं। आर०पी०एफ० का जो मामला है, मैंने बतला दिया।

[अनुवाद]

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : गृह मंत्री जी को इस बारे में बोलने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जो हमारा वर्तमान एक्ट है, उसके तहत हम आर०पी०एफ० को लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं करवा सकते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, मैंने बतला दिया कि यह बात ठीक है कि बिहार बिहार कह रहे हैं। लेकिन बिहार ही नहीं है और राज्य भी हैं जहां इस तरह की घटनाएं घटी हैं और सबको इसमें सोचने, विचारने का काम करना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

मुझे दो शब्द कहने की इजाजत देंगे ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मंडल जी क्या मुझे बोलने देंगे ? श्री मंडल जी कृपया बैठ जाइए। यह क्या है ? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, मैंने जवाब सुना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए मैंने जवाब सुना है। बिहार के मुख्य मंत्री कहते हैं कि मेरा काम नहीं है, पुलिस करवा रही है। रेल मंत्री कह रहें हैं, कि मेरा काम नहीं है। होम मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। आखिर किसी का काम तो है ?

[अनुवाद]

सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : हां जेना जी, आप कहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री जी की बात सुनिए श्री जेना जी को उत्तर देने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, सेंसिटिव इश्यू है। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। यह सेंसिटिव इश्यू है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : उपाध्यक्ष महोदय, . . .*(व्यवधान)*।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं। गृह मंत्रीजी को जवाब देने दीजिए। यह उनकी जिम्मेदारी है ···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्रीजी को बोलने दीजिए। उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : राज्यों की जिम्मेदारी बनती है, तो गृहमंत्री जवाब दें। गृहमंत्री ने कहा है कि राज्यों की जिम्मेदारी बनती है, तो गृह मंत्री जवाब दें। ···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी बात तो सुन लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : मुझे थोड़ी सी और अनुमति दीजिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, आप पहले बहुत बोल चुके हैं। कृपया बैठ जाइए। आपने काफी समय ले लिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कहते हो ? क्या मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.46 बजे

इस समय श्री सनत मेहता और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा, बशर्ते आप मुझे बोलने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हां मैं आपको अनुमति दूंगा इन 45 मिनटों में यह सदन व्यवस्थित नहीं रहा है। आप कृपया अपने स्थान पर जाइए। तभी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अपराह्न 12.47 बजे

इस समय श्री सनत मेहता और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापिस चले गये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेना सबसे पहले बोलेंगे। उसके बाद मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हां, संसदीय कार्यों के माननीय मंत्री, श्री श्रीकांत जेना बोलेंगे। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्रीकांत जेना ही बोलेंगे।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री श्रीकांत जेना : मैं उसके बारे में पूरी तरह चिंतित हूं। रेल मंत्री जी ने पहले ही सदस्यों को उत्तर दे दिया है और माननीय सदस्यों ने कुछ टिप्पणियां भी की हैं। परंतु मैं उन टिप्पणियों को गंम्भीरता से नहीं लेता। परंतु अध्यक्ष जी की तरफ से बिहार के मुख्य मंत्री के बारे में टिप्पणी की गई है। जो कुछ बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है उसकी जानकारी आपको नही मिली। अगर आप वह सुनिश्चित कर चुके हैं, तो यह बिल्कुल ही अलग मामला हो जाता है। इसलिए सरकार की तरफ से *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यहां सदन में बताया गया है।

श्री श्रीकांत जेना : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मुझे तथ्य बताएं। मैं उन तथ्यों की जांच करूंगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ केवल यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन (मुंबई-उत्तर पूर्व) : अभी-अभी उन्होंने कहा है *(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : नहीं।

श्री प्रमोद महाजन : उन्होंने कहा है।

श्री श्रीकान्त जेना : उन्होंने क्या कहा है ? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : महोदय, हाउस में व्यवस्था बनाई जाए। गृह-मत्री जी सदन में बैठे हुए हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : उन्होंने क्या कहा है ? *(व्यवधान)* सदन को गुमराह करने का प्रयास न करें। *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम यह नहीं होने देंगे *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। इस मुद्दे को स्पष्ट होने दें। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम एक दो बातें सिखा सकते हैं *(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : आप क्या बात कर रहे हैं ? *(व्यवधान)* कृपया अनुशासन का पालन करें *(व्यवधान)* सदन में व्यवस्था बनने दें *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं ? *(व्यवधान)* माननीय सदस्य ने कुछ कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य ने चेयर की अवमानना की है। *[अनुवाद]* उन्होंने भी यही कहा है मैं इस पर विचार करूंगा। मैं आपकी टिप्पणियों पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : यदि किसी *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.52 बजे

इस समय प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गए

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.53 बजे

इस समय प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापिस चले गऐ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाए। चन्द्रशेखर जी कुछ बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : यह डिप्टी-स्पीकर से माफी मांगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो कुछ हुआ है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात का ध्यान रखें कि पीठासीन अधिकारी कोई भी हो, यदि सदन को चलाना है, तो उसका सम्मान करना अनिवार्य है।

उस ओर के कुछ सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियां न केवल दुर्भाग्यपूर्ण हैं अपितु भर्त्सना करने योग्य भी हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई टिप्पणियां भी सुनी है। मेरे विचार से,

[श्री चन्द्रशेखर]

उनमें मुख्यमंत्री पर झूठा आक्षेप लगाने जैसा कुछ नहीं था। उन्होंने तो केवल यह कहा है कि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि यह उनका उत्तरदायित्व नहीं है और रेल मंत्री जी कहते है कि यह उनका उत्तरदायित्व नहीं हैं, तो यह किसकी जिम्मेदारी हुई ? ···*(व्यवधान)* कम से कम इस समय मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अतः इस टिप्पणी को इसी नजरिये से देखा जाना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके वक्तव्य में कुछ भी गलत नहीं था। परन्तु कुछ था तो सही, चाहे वह मुख्यमंत्री पर आक्षेप जैसा कुछ नहीं था। वह चाहे कुछ भी हो, उसमें असंसदीय या आपत्तिजनक कुछ नहीं था। यदि ऐसी कोई प्रभाव उत्पन्न किया गया है, तो मेरे विचार से यह इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष के सदस्य इस मामले पर कुछ अधिक ही संवेदनशील हो गए थे। उन्हें इतना अधिक सवेदनशील नहीं होना चाहिए था। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के तनाव की जानकारी तो समाचार-पत्र के माध्यम से ही हुई जबकि उचित तो यह था कि मुख्यमंत्री जी इसे इस तथ्य की पुष्टि करा ली जानी चाहिए कि उन्होंने यह वक्तव्य दिया भी था या नहीं। ···*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : उन्होंने बिहार विधानसभा में कहा कि उनके पुलिसवालों ने ···*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : यदि उन्होंने बिहार-विधानसभा में ऐसा कहा है, तो उपाध्यक्ष महोदय की टिप्पणी कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। ···*(व्यवधान)* परन्तु इस मामले को लेकर हमें अधिक गुस्सा नहीं करना चाहिए और तमाशा नहीं बनाना चाहिए। मेरा तो केवल यही मत है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपको मुख्यमंत्री जी की उस टिप्पणी की जानकारी है जो उन्होंने विधान सभा में की ···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, यह वक्तव्य विधानसभा में दिया गया था। वह समाचार माध्यमों में छपा है।

श्री चन्द्रशेखर : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सदस्यों को अधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय की भी कुछ जिम्मेदारी होती हैं हमें आवेश मे आकर सदन में तमाशा नहीं बनाना चाहिए। मेरा यही विनम्र निवेदन है। ···*(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प०ब०) : क्या प्रेस को हमारा मार्गदर्शन करना चाहिये ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य अपने शब्द वापिस लें।

[हिन्दी]

श्री अनिल कुमार यादव : (खगरिया) : उपाध्यक्ष जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा। ठीक है, हो गया।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना निवेदन पूरा नहीं कर सका। माननीय श्री चन्द्रशेखरजी ने उचित ही कहा है। जहां तक रेलगाड़ी में डकैती का प्रश्न है तो यह बहुत संवेदनशील मामला है और तीन या चार सदस्यों ने अपने विचार भी प्रकट किये हैं। रेल मंत्री जी ने जिस तरह से इस मामले का प्रत्युत्तर दिया है, उसमें सब कुछ कह दिया है। उन्होंने रेल मंत्रालय और रेलवे आरक्षी बल की भूमिका की विषमावस्था का पहले ही वर्णन कर दिया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील भी की है। इस संघीय संरचना का क्या किया जाए ? हमें भी इसका ध्यान रखना होता है। देश के अन्य भागों में भी डकैतियां पड़ रही हैं, केवल मात्र यही एक राज्य डकैतियों का केन्द्र नहीं है। हमें इस पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। अतः, इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। मेरा तो मात्र यही निवेदन है। यदि कुछ सदस्य ···*(व्यवधान)* श्री नीतीश कुमार जी, मुझे अपना निवेदन पूर्ण करने दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : हम इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग नहीं दे रहे ···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : आप सदस्य लोग पूरे सदन में अव्यवस्था नहीं फैला सकते। यह कोई तरीका नहीं है ···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : रेल मंत्री ने कहा है कि यह स्टेट की जिम्मेदारी है ···*(व्यवधान)* मुख्यमंत्री बिहार और इनमें मतभेद है। ···*(व्यवधान)* इन्होंने कहा है कि गार्ड वहां का नहीं रहता है। ···*(व्यवधान)* जब ये कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है तो रिस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करे कि जिम्मेदारी किसकी है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : मेरा तो केवल इतना ही निवेदन था कि यदि मुख्यमंत्री ने यह वक्तव्य विधानसभा में दिया है तो उन्होंने यह किस सन्दर्भ में कहा और उन्होंने यदि यह कहा भी है तो इस बात की जांच पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की टिप्पणी करने से पूर्व होनी चाहिए। मेरा तो केवल यही निवेदन है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अभी जो चर्चा हो रही थी उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसको छोडिये, आप अपने विषय पर आईये ···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उसी पर बोलिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष जी, अपने सवाल का जवाब तो आया ही नहीं

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

श्री शरद पावर : (बारामती) उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के संसद सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष महोदय से भेट की और माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के एक-एक प्रतिनिधि को बोलने का अवसर दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अवश्य ही उन्हें बोलने का अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष जी, अभी बिहार का मामला पूरे सदन में गूंज रहा था। आज के सभी पेपरों में केन्द्र की खुफिया एजेंसी का जो बयान आया है, उसके अनुसार दस प्रमुख अपराधी गिरोहों की पहचान की गई है। उन्हें किन लोगों का संरक्षण प्राप्त था, उसमें उन सब के नाम दिए हैं। सूरज भान कौन है, अनंत सिंह कौन है, शुक्ला कौन है ···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सूरज भान मैं हूं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हिदायत खान, अनिल शर्मा, सुरेन्द्र बंगाली, भुटकुन शुक्ला, सुनील पांडेय, संजय सिंह और टिक्कर सिंह कौन है ···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप मतलब की बात करिए। आपका सबजैक्ट अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार का है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : बेगूसराय के राम लखन सिंह कौन हैं, बृज विहारी कौन हैं, सैयद शाहबुद्दीन कौन हैं, ये सब उसमें दिया है। 90 फीसदी लोग इसमें मिले हुए थे। गृह मंत्री जी बेगूसराय गए थे। उन्होंने बयान दिया कि चोरी के मामले में किन का हाथ है ? सारी रिपोर्ट आ गई है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण अपराध दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज उनके पास सारे हथियार हैं। इस कारण पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर पाती। रिपोर्ट में दस प्रमुख गैंग्स की बात कही गई है।···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप ब्रीफ में बात करिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मुकामा में डकैती हुई। नॉर्थ ईस्ट में भी यही हाल है। मैं बिहार का मामला उठाना चाहता हूं ···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो सबजैक्ट दिया है, उस पर एक शब्द नहीं बोला हैं आपका नोटिस अनूसूचित जातियों और जन जातियों के ऊपर अत्याचार का है और आपने इस पर एक शब्द नहीं बोला है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं उसी सबजैक्ट पर बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तक तो बोला नहीं है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं यह कह रहा था कि बिहार की जो स्थिति हे, उसको खराब करने में पूरा हाथ ···*(व्यवधान)* राम लखन सिंह के बारे में जानकारी दी जाए और उनसे पूछताछ की जाए। सी०आर०पी०एफ० के जो अफसर हैं, उन्होंने बयान दिया है। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रंजन जी आप फिर अनावश्यक रूप से लम्बा खींच रहे है। जो विषय आपने दिया है वह है 'बिहार में दलितों पर अत्याचार' परन्तु इस विषय पर आपने एक शब्द भी नहीं बोला है।

[हिन्दी]

अपने दलित का नाम तक नहीं लिया हैं जिस सबजैक्ट के ऊपर आपने नोटिस दिया है, उस पर एक बात नहीं कही है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : कौन सा सबजैक्ट ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सबजैक्ट है एट्रोसिटिज ऑन दलित्स इन बिहार।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो सबजैक्ट दिया है, आपको उसका पता ही नहीं ? मेरे पास आपके नाम से जो नोटिस आया है वह है एट्रोसिटिज ऑन दलित्स इन बिहार।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्षमा कीजिए। आप कृपया बैठ जाए। आप अपने विषय पर नहीं बोल रहे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बिहार के बारे में ही लिखा है कि एट्रोसिटिज आन दलित्स इन बिहार।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं उसी के बारे में कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने उसका नाम भी नहीं लिया है।

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : ट्रेन डकैती से लेकर ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सनत मेहता

(व्यवधान)

श्री सनत मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, वे मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे ···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने दलितों पर एक शब्द भी नहीं कहा है।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सनत मेहता]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, अखबार में होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने उस पर बोल दिया है, लेकिन जो सब्जैक्ट है, आप उस पर नहीं बोल रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो सब्जैक्ट दिया है, आप इस पर बोल नहीं रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पूरे बिहार पर नहीं, बल्कि दलितों के बारे में दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अभी दलित का एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उस पर एक घंटे के बाद जाएंगे ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्षमा कीजिए। मैं अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ बोल रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपकी मर्जी है। जो मर्जी करिए।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप हाउस का समय ले रहे हैं। मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। मैं ने उन्हें बोलने के लिए अनुमति दी है आप भी उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप हाउस का समय ले रहे हैं। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे या नहीं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें क्यों नहीं बोलने देते हैं ?

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं बाहर जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मैं दस दफा सुन चुका हूं। आपको कोई रोकता नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठ जाएंगे ? श्री सनत मेहता बोलेंगे।

श्री सनत मेहता : महोदय, उन्हें तो मुझे बोलने देना चाहिए *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप सदन की कार्यवाही चलने देंगे ? आपतो सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं पार्लियामेंटरी अफेअर्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मेम्बर को संभालें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ वह बोलेंगे, उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप तो सभी सीमाओं को लांघ रहे हैं।

श्री सनत मेहता।

श्री सनत मेहता : महोदय, सरदार सरोवर बांध के संबंध में सवोच्च

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

न्यायालय के निर्णय के कारण गुजरात और राजस्थान के अस्तित्व के संबंध में एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई है। इस मुद्दे पर चर्चा होने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 15.7.1996 और 16.7.96 को गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की बैठक में किए गए समझौते के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले के संबंध में अन्तर्वर्ती आवेदन दायर किया गया था। इस परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और प्रधान मंत्री की उपस्थिति में समझौता हुआ है। जब अन्तर्वर्ती आवेदन दिया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह बांध के और ऊंचा करने से संबंधित नहीं थे। यदि अंतर्राज्यीय नदी न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रकार के हस्तक्षेप को सहन किया जाता है, तो समस्याओं का एक अंबार खुल जाएगा और किसी भी अंतर्राज्यीय नदी विवाद के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया।

इन परिस्थितियों में, मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इसकी ओर ध्यान दें कि वह प्रधान मंत्री के समक्ष मुख्य मंत्रियों द्वारा किया गया समझौता लागू करें। यह मेरा तर्क है। अन्यथा गुजरात के पास महात्मा गांधी द्वारा दिखाये गये शान्तिपूर्ण साधनों के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं होगा।

अपराह्न 13.09½ बजे

सरदार सरोवर परियोजना के बारे में

[हिन्दी]

श्री दिलीप संघानी (अमरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात को हरित क्रान्ति में लाने वाली सरदार सरोवर परियोजना न केवल गुजरात के लिये बल्कि सारे देश के लिए लाभप्रद महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना सालों से ट्रिब्यूनल के पास रही और उसने फैसला दिया और फिर 25 साल तक विचार करने के बाद उसकी हाईट का फैसला हुआ जिस पर पुनर्विचार नहीं हो सकता। फिर भी बार-बार यहां से पॉलिटिकली इस योजना में दखल दिया गया और इस महत्वाकांशी योजना को रोकने का प्रयास किया जाता रहा। गत अगस्त महीने में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चार राज्यों के मुख्यमंत्री मिले और योजना को आगे बढ़ाने की बात तय हुई। एक एग्रीमेंट हुआ और काम आगे शुरू होने वाला था तो मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी गुजरात सरकार और केन्द्र सरकार को जिस तरह से केस रखना चाहिए था, वह नहीं रख पाए। जो ट्रिब्यूनल का फैसला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं है फिर भी गुजरात की योजना में सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्तक्षेप किया है, यह ठीक नहीं है। अन्य केस में कुछ भी करें लेकिन इस क्षेत्र में जो फैसला किया है वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे क्योंकि राज्य सरकार इसमें विफल रही है। मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्य मंत्री बनने से पहले वे अपने सदस्यों को लेकर खजुराहो गए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उसको बीच में मत लाइए।

श्री दिलीप संघानी : उसका ऋण अदा करने के लिए गुजरात की वाघेला सरकार को जो काम करना चाहिए वह नहीं किया है। इसलिए केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करके गुजरात की जनता को न्याय दिलाए।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : उपाध्यक्ष महोदय, सरदार सरोवर योजना के बारे में जो बात हमारे साथी दिलीप भाई ने बताई, मैं उसका समर्थन करता हूं। आज गुजरात में सरदार सरोवर योजना चालू न होने की वजह से सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और कच्छ में पीने के पानी की समस्या है और खेलों को पानी नहीं मिल रहा है। 455 फीट की ऊंचाई वाली सरदार सरोवर परियोजना पर पिछले अगस्त में चार मुख्य मंत्रियों की प्रधान मंत्री की उपस्थिति में बैठक हुई। उसमें तय हुआ कि 110 मीटर तक डैम की हाइट का काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। सब इस बात पर सहमत हुए और 85 मीटर तक कंस्ट्रक्शन होना चाहिए क्योंकि दो-तीन महीने में मानूसून आने वाला है। तीन साल से यहां कार्य ठप्प है और कंस्ट्रक्शन नहीं चल पा रहा है। कभी नर्मदा बचाओ आंदोलन आ जाता है और कभी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार और कभी भारत सरकार कंस्ट्रक्शन के काम में रूकावट डालने आगे आती है। इसलिए सरदार सरोवर परियोजना का काम नहीं होता है। इसलिए हम मांग करते है कि चारों मुख्य मंत्रियों ने प्रधान मंत्री की उपस्थिति में जो तय किया, वह काम करवाना चाहिए। दो महीने पहले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर गुजरात आए और वादा करके गए कि पुनर्वास का काम हो रहा है और हम अपनी सहमति देंगे। प्रधान मंत्री गौडा जी आए और उन्होंने गुजरात की प्रजा को आश्वासन दिया कि वे इसमें जरा भी रूकावट नहीं डालेंगे। फिर भी चाहे जो भी सरकार हो, उन्होंने सरदार सरोवर योजना का काम आगे नहीं बढ़ने देने के लिए कोशिश की और इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं और हमारे सब साथी मांग करते हैं कि तीन साल से जो काम ठप्प पड़ा हैं, उसको शीघ्र शुरू करवाया जाए। हमने 6000 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर दिये मगर आज उस योजना का लाभ पानी के लिए तरसती गुजरात की जनता को नहीं हो रहा है। इसलिए यह जो काम रूका है, वह काम तुरंत चालू करें। संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने साथ बैठकर यह मामला तय किया है और फिर भी इसके लिए रूकावटे खड़ी की जा रही हैं। यह केवल गुजरात का मामला नहीं है, यह राष्ट्रीय मामला है और राष्ट्रीय समस्या है। इस परियोजना के पूरा होने से कई राज्यों को लाभ मिल सकता है। इसलिए योजना का काम आगे बढ़े और कोई रूकावट उसमें नहीं आए, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो या नर्मदा बचाओ आंदोलन हो या कोई पर्यावरणविद हो। यह बात जब 1978 से तय हो चुकी है और नर्मदा ट्रिब्यूनल ने इसे पास किया है तो इसमें जरा भी रूकावट न आए और 455 फीट की हाइट तक जो तय किया हुआ है, 110 मीटर तक का कंस्ट्रक्शन हो, यही मेरी मांग है। प्रधान मंत्री और राज्यों के मुख्य मंत्री इसमें एक होकर सुप्रीम कोर्ट से मश्वरा करें, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने गुजरात के तीन सदस्यों को सुना। एक और भी सदस्य गुजरात से निर्वाचित हुए हैं। आप सदस्यों की भावनाओं से परिचित हो गये हैं। यह पार्टी का मामला नहीं है, पूरे गुजरात का मामला है, सारे

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

देश का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के एक हाल के फैसले के कारण कठिनाई पैदा हुई है। इस कठिनाई का हल केन्द्र सरकार को निकालना होगा। एक तरीका यह हो सकता है कि केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले पर रिव्यू के लिए जाए और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करे कि सारे मामले पर फिर से विचार करिये। जो ट्रिब्युनल का फैसला हो गया था, मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री उस फैसले में शामिल थे, उस फैसले को बदलने के दुष्परिणाम होंगे, यह बात जोरदार शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय के सामने लायी जानी चाहिए, शायद यह लायी नहीं गई है। इसलिए सारे मामले पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करे, यह फैसला केन्द्र सरकार कर सकती है और रास्ता निकल सकता है।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला केवल गुजरात का नहीं है। देश में ऐसा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि केवल गुजरात के सदस्य ही इससे चिंतित हैं। कच्छ के इलाके को इसमें सबसे ज्यादा लाभ होने वाला था। कच्छ हमारे यहां का सबसे उपेक्षित इलाका है, यह सीमा का इलाका है और यहां के लोगों के मन में अगर यह भावना आयेगी कि उनके विकास के काम में अवरोध डाला जा रहा है तो उसके परिणाम दूसरी तरफ से भी बुरे होंगे। नर्मदा सागर डैम पर मैं पिछले एक साल में दो बार गया हूं। वहां पर इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। बांध की ऊंचाई कितनी हो इस पर बहस हो सकती है। लेकिन जितना काम पूरा हो चुका है उसमें थोड़ा सा काम और पूरा हो जाए तो बिजली भी बनेगी और बड़े इलाके को सिंचाई भी मिलेगी। न जाने किन कारणों से उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है। मैं नेता विरोध दल की बात से पूर्णतया सहमत हूं। सरकार को इसे एक प्रमुख बात माननी चाहिए और उच्चतम न्यायालय से निवेदन करना चाहिए कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, क्योंकि इससे न केवल आर्थिक नुकसान होगा बल्कि इससे गुजरात के आसपास के दूसरे इलाके भी जो लाभान्वित होंगे, उनमे एक भावनात्मक कठिनाई भी पैदा होगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय से निवेदन करेगी और उच्चतम न्यायालय भी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करेगा।

श्री शरद पवार (बारामती) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में यह इश्यू ले जाने की जरूरत है क्योंकि यह सवाल केवल कच्छ या गुजरात का ही है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। इस पर रकम बहुत लग गई है और इससे बिजली भी मिलने वाली थी और कच्छ के लिए पानी का सवाल कितना महत्वपूर्ण है, यह कहने की यहां जरूरत नहीं है। सबसे अहम सवाल यह है कि इंटर-स्टेट इश्यू एक बाहर रिजोल्व होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान भी दिया, रीओपन भी किया और कुछ नई सलाह स्टेट्स को उन्होंने दे दी कि इसकी कीमत मुझे लगता है कि ऐसे कई प्रस्ताव पर बड़े पैमाने पर हमें देनी होगी। कई ऐसे इश्यूज गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है कि यहां उस राज्य के चीफ मिनिस्टर्स और भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने बैठकर कुछ रास्ता निकाला है, इश्यूज रिजोल्व किये हैं और एक बार इश्यूज रिजोल्व करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने फिर से रीओपन किये हैं। तो इससे एक बड़ी कठिनाई देश के सामने आ सकती है और इसीलिए भारत सरकार को जल्द से जल्द इस इश्यू को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए और इस पर एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए।

श्री शरद यादव (माधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जी और श्री शरद पवार की भावनाओं और उनकी राय से तो सहमत हूं ही, लेकिन इस देश में यदि कोई सबसे ज्यादा रिसोर्स है तो वह वाटर रिसोर्स है। इस देश के पास यदि कोई सबसे बड़ी सम्पत्ति है तो वह पानी है। यहां ऊंचे पहाड़ है, सबसे तेज धार वाली नदियां है। इस विषय पर इंटर-स्टेट और मुख्यमंत्रियों के बीच ही वार्ता न हो, बल्कि मैं महसूस करता हूं कि देश की इस सम्पत्ति पर सभी पक्ष गम्भीरतापूर्वक विचार करें यह मामला इतना उलझा हुआ कि अकेले गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का ही मामला नहीं है, कई दूसरे सूबों में भी ऐसे मामले उठे हुए हैं, जिसके कारण वर्षों से हमारी सम्पत्ति व्यर्थ बहकर जा रही है। इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि उपाध्यक्ष जी, आप इनीशियेटिव लें।

सम्पूर्ण भारत में जितनी नदियां है, वे किसी एक सूबे में नहीं बहतीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। भले ही यह कन्करेंट लिस्ट का सवाल हो लेकिन नदियों से हमें बिजली और पानी दोनों मिलते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति है। जिसके बेहतर उपयोग पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। चूंकि यह विषय हर बार उठेगा, हर बार झगड़े होंगे, यही हमारे पास सबसे बड़ी सम्पत्ति है। तेल हमारे देश में जरूरत से आधा पैदा होता है, कोयला भी खत्म होने वाली चीज है, इसलिए कुदरत ने जो हमें इतनी बड़ी दौलत दी है, मैं सोचता हूं कि इक्कीसवीं शताब्दी में यदि हमारे लिए कोई चीज सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हो सकती है तो वह पानी है। इस सम्पत्ति का हम ठीक से कैसे इस्तेमाल करें, यदि इस बारे में हमें कानून बनाने की जरूरत हो, संविधान में तरमीम करनी पड़े तो मजबूती से फैसला लेकर इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए।

यह मामला दो राज्यों के बीच लड़ाई का नहीं है, जैसे एनवायरनमेंट का मामला यहां उठाया जाता है, जबकि वह कोई मामला नहीं है। अमेरिका में ओजोन की पर्त बनी है लेकिन हमारे यहां एन्वायरनमेंट का कोई झंझट नहीं है, यदि दिल्ली, मुम्बई, मद्रास आदि शहरों को छोड़े दें तो, क्योंकि यहां ज्यादातर लोग गाड़ियां चलाते हैं। अगर हम यहां शनिवार और रविवार को गाड़ियां चलाने पर रोक लगा दें तो देश के बाकी हिस्सों में सब जगह शुद्ध पानी है, सब जगह एन्वायरनमेंट ठीक है। कुछ लोगों का भेजा नेतागिरि के कारण खराब हो गया लगता है तभी वे तमाम डैमों को बंद करने की बात कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि देश में आबादी की वजह से पौल्यूशन की समस्या कुछ बिगड़ी है लेकिन हमारे सामने कई दूसरे सवाल भी हैं। बिलावजह हम पौल्यूशन का मामला, चाइल्ड लेबर का मामला खड़ा कर देते हैं। मैं समझता हूं कि इस देश में हमारी सम्पत्ति के साथ, इस देश के विकास के साथ खिलवाड़ चल रहा है और कुछ लोग चौबीसों घंटे इसी में लगे हैं। हम चाहते हैं कि देश में उपलब्ध सम्पत्ति का बेहतर ढंग से इस्तेमाल हो और जो लोग प्रभावित हैं, उन्हें बसाने का काम हो लेकिन वहां भी लोग गरीबी से मर रहे हैं, पूरे देश गरीबी में मर रहा है। यदि हम नदियों का सही उपयोग करें तो करोड़ों लोगों को पानी मिलेगा। आप देख लीजिए, जिस इलाके में पानी गया है, उस इलाके की शक्ल

बदल गई है। जिस जगह पानी है वहीं नेता पैदा हो रहे हैं, किसी सूखे इलाके में नेता पैदा नहीं होते।

हमारे में देश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा आदि अनेकों बहती हुई नदियां हैं लेकिन यह देश अजीब है। हमारे पास जो सम्पत्ति पचासों सालों से है, उसका हमने अभी तक सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। मैं स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरों को धन्यवाद देता हूं, जिनके प्रयत्नों से, भाखड़ा नंगल के जरिए पूरे देश को आज खाना मिल रहा है। कुछ लोग आज हिमालय में भूकम्प आने की बात कहते हैं। अगर हिमालय में भूकम्प आ भी जाएगा तो हमारी आबादी आज 90 करोड़ है, यदि थोड़ी बहुत कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। अजीब तरह का मामला देश में चल रहा है।

मैं यहां पूरे सदन के लोगों से दिल से अपील करता हूं कि इससे देश की तकदीर बन सकती है। हमारा मुल्क यदि बन सकता है, दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है तो सिर्फ पानी से खड़ा हो सकता है। पानी सबसे अधिक मात्रा में कुदरत से हमें मिला है। यहां ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं, सबसे ज्यादा नदियां हैं। इस सबके बावजूद हम उस पर झगड़ा खड़ा कर रहे हैं। मैं एन्वायरनमेंट वालों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि इस मामले को छोड़कर दूसरे मासलों पर लगें।

चाइल्ड लेबर की जहां तक बात है, कोई भी व्यक्ति अगर बचपन में दरी चादर बनाना नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा। चाइल्ड लेबर होटलों में काम करने वाले बच्चे हो सकते हैं, कोई दूसरा हो सकता है। मैंने अग्निवेश जी से बात की थी और उनसे कहा कि आप क्यों नाश कर रहे हो, पहले ही हमारे लोगों के पास रोजी-रोटी नहीं हैं, आज किसी तरह जो पेट भर रहे हैं, उनसे क्यों छीनना चाहते हो

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, आज सदन में चूंकि अच्छी बात उठी है, दूसरे झंझट होते रहे हैं, असली बात यही है। आप मेरी बात को समझिए। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आप जिस जगह पर बैठे हैं, वहां से निर्देश देकर इस मामले पर सदन में दो-चार दिन की चर्चा कराएं, हम भी बोलना चाहते हैं और कुछ बातें कहना चाहते हैं। पानी हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी सम्पत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके लिए कानून में तरमीम करनी पड़ेगी। पानी के सवाल के ऊपर ये जों सूबे अपास में लड़ते हैं, इनकी कोई परवाह न की जाए और पानी का ठीक से इस्तेमाल किया जाए। इस काम को यह सदन कर सकता है। यह सदन देश का सर्वोच्च सदन है। इस बेहतर सदन को बनाए रखिए। मैं आप सब पक्षों से अपील करता हूं कि इसको बनाए रखिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, यादव जी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं अधिक समय नहीं लूगा। जैसा श्री चन्द्र शेखर जी ने कहा, हम न्यायालयों से दूर नहीं भाग सकते हैं। अतः सरकार को न केवल अपने परन्तु सदन के विचार भी न्यायालय के समक्ष लाने के लिए सभी प्रकार के उपाय तुरंत करने चाहिए। मैंने देखा है और मुझे विश्वास है कि अन्तिम रूप से भेजने के लिए 31 मार्च निर्धारित की गयी है। अतः इस दिनांक से पूर्व सरकार को अपनी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट करनी चाहिए। यह एक मुद्दा है, जैसा कि जनता दल में कार्यकारी सभापति ने ठीक ही कहा है कि राष्ट्रीय कार्य'सूची में कुछ मुद्दे होने चाहिएं। यह इस प्रकार का एक मुद्दा है जो हमारी राष्ट्रीय कार्य सूची में होना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके संबंध मैं दलगत भावना से ऊपर उठकर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि जल संसाधनों का यह मामला एक ऐसा मामला है जिसकी ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे हमारे ही देश में राज्यों के बीच और लोगों के बीच परिहार्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः हमें लगता है कि यह ऐसे मामले हैं जिनका जितना शीघ्र संभव हो निपटान किया जाना चाहिए। इस अत्यन्त महत्वपूर्ण संसाधन की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जितनी जल्दी इसका समाधान किया जाए उतना ही अच्छा है। हम आशा करते हैं कि न्यायपालिका की विभिन्न दृष्टिकोणों की ओर ध्यान देगा और शीघ्र निर्णय लिया जाएगा ताकि इससे पूरे देश का भला हो।

श्री काशी राम राणा : इस संबंध में हम सरकार से उत्तर चाहते हैं।

श्री श्रीकांत जेना : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सरकार ने पहले ही विपक्ष के नेता श्री चन्द्र शेखर और श्री शरद पवार और श्री शरद यादव जैसे अन्य नेताओं के इस सुझाव की ओर ध्यान दिया है। मैं आज यह संदेश प्रधान मंत्री को देता हूं और कानूनी तौर पर जो संभव है वह उचित न्यायालयों तक पहुंचाया जाएगा।

और श्री शरद यादव द्वारा दिए गए दूसरे सुझाव के संबंध में जल संसाधनों के संबंध में एक राष्ट्रीय वाद-विवाद होना चाहिए। यदि हम इसे स्वीकार करते हैं तो जल संसाधन मंत्रालय से सम्बद्ध अनुदानों की मांगों पर चर्चा के साथ-साथ इस पर चर्चा की जानी चाहिए और इस विषय के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि कार्य मंत्रणा समितियों में हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हाराधन राय बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही उनका नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर बोलना नहीं है। सिर्फ एक इन्फर्मेशन देनी है कि इस फैसले में सेंट्रल गवर्नमेंट एक पार्टी है और अगर आप पार्टी है, तो यह फैसला तो केन्द्रीय सरकार के खिलाफ हैं इसलिए आपको तो इसमें इनीशिएटिव लेना चाहिए।

[अनुवाद]

आप सर्वोच्च न्यायालय का एक अंग हैं। अतः कृपया इस पर आगे कार्यवाही कीजिए *(व्यवधान)*

[श्री हरिन पाठक]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलमे दीजिए। मैंने उन्हें पहले ही बोलने की अनुमति दे दी है। कृपया आप भी साथ दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा अब समाप्त हो गया। उन्हें बोलने दीजिएं।

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के मामले में इस बारे में उन चीजों पर ध्यान दिया जाए। *(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक लाइन में कन्क्लूड कर रहा हूं कि हम मध्य प्रदेश के लोग गुजरात के हितों पर कुठाराघात नहीं करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि गुजरात को कम पानी मिले। हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की पानी की क्षमता को अवश्य ध्यान में रखा जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। कृपया मुझे सहयोग दीजिए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के बारे में हमारे हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हमें भी इस बारे में कुछ बोलने का अधिकार है। *(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मध्य प्रदेश के अनेक गांव बांध बनने से डूबेंगे। इसलिए हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही उनका नाम पुकारा है। मुझे खेद हो रहा है, यह ठीक नहीं हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप सहयोग करेंगे तो मैं सबको बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट सैशन की शुरूआत में सदन के बाहर माननीय कोयला मंत्री ने अखबारों में बयान दिया कि राष्ट्रीय कोयला उद्योग का निजीकरण कर दिया जायेगा। इस कारण कोयला मजदूरों में बहुत असंतोष है। वे इसके खिलाफ कोई भी कदम उठाने को तैयार हो गये है। दूसरी बात यह है कि पहले कोयला खदान प्राइवेट मालिक लोग चलाते थे। उन्होंने बहुत बेकानूनी व अवैज्ञानिक रूप से कार्य किया। उससे यह समस्या हुई कि उस इलाके में, शहर, गांव खेतों आदि में सभी जगह सबसीडैंस हो रहा है। मिट्टी के नीचे भी कोयला जल रहा है। इससे कई लोग बेघर हो रहे हैं और उनकी सम्पत्ति भी नष्ट हो रही है। जिस कारण कई मौतें भी हुई हैं। उन सबका जीवन खतरें में है। इसी के चलते सरकार ने 1972-73 में इसी खदान का राष्ट्रीयकरण किया लेकिन उस इलाके में जो 15 लाख आदिवासी रहते हैं, उनकी जान खतरे में है। उनकी जमीन खतरे में है। वहां कई मौतें भी हो चुकी हैं। सरकार ने वह खदान लेने के बाद उन आदिवासियों के पुनर्वास के लिए, उनकी रोजी-रोटी के लिए, उनकी जमीन की रक्षा के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाई है। सरकार का कहना है कि प्राइवेट मालिक के जमाने में जो कुछ भी हुआ है, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। वह कुछ भी नहीं कर रही है। इसी तरह खदान को प्राइवेट मालिक के हाथों में देने के बाद वह भी कहेंगे कि सरकार ने जो कुछ किया है, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बेघर हो रहे हैं, जिनकी सम्पत्ति नष्ट हो गयी है और जो मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, जिसके लिए नैशनल वेज एग्रीमैंट है उसका क्या हो रहा है, इसके बारे में मजदूर बहुत चिन्ता में है। उनमें बहुत रोष है। यह बहुत गंभीर प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके बारे में क्या किया जा रहा है ? ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को घाटे के नाम पर बंद करने के लिए बी०आई०एफ०आर० में रैफर किया गया है। बी०सी०सी०एल० को भी बी०आई०एफ०आर० में रैफर किया गया है। एक तरफ सरकार इनको बंद करने जा रही है लेकिन दूसरी तरफ जो खदानें चल रही हैं जिनसे गांव वालों की जान खतरे में है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। सह कारण करीब 15 लाख लोग संकट में आ जायेंगे। यही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, कोयले की खानों में निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भागीदारी खोलने संबंधी सरकार का निर्णय एक प्रतिगामी कदम है।

कोयला उद्योग का 1972 और तत्पश्चात 1973 में राष्ट्रीयकरण किया गया। हमें 1972 से पहले देश में चल रहे निजी खनन का अनुभव था। कोयला खानें निजी कम्पनियों के हाथों में थीं और क्योंकि उन्होंने खनन कार्य अवैज्ञानिक तरीके से किया और देश की बहुमूल्य सम्पदा को लूटा है, इसलिए 1972 में भारत सरकार ने पहली बार कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया। तत्पश्चात, 1973 में गैर-कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित निजी कम्पनियों को कोयला निकालने की अनुमति दी जाती है तो, जैसा 1972-73 से पहले होता था, कोयला खानों के रूप में हमारी परिसम्पत्तियों को ये निजी कम्पनियां और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लूट लेंगी।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की कार्यवाही न करें। यदि कोयला उद्योग को निजी कम्पनियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोलने का कोई निर्णय लिया गया है तो सरकार को ऐसा प्रतिगामी कदम उठाने से बचना चाहिए।

कोल इन्डिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड। जिसका मामला बी०एफ० आई०आर० के पास भेजा गया है, को अर्थक्षम बनाने हेतु हर सम्भव प्रयास, करना चाहिए ताकि कोयला उद्योग में अवैज्ञानिक तरीके से कोयले का खनन न होये। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कोयला उद्योग में निजी खनन की अनुमति देने का प्रतिगामी कदम न उठाए। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबको एलाऊ करूंगा, मैं तो बैठा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक-एक साइड से बुलाया जाएगा, अब उधर साइड से बोलने के बाद इधर नम्बर आएगा।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समूची सभा से, विशेषकर नेताओं से अपील करता हूं कि वे कृपया मेरी मांग का समर्थन करें। ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा के सभी पक्षों का ध्यान रखना है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं उस अधिनियम का उल्लेख कर रहा हूं जिसे सर्वसम्मति से दोनों सभाओं द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम नियोग्यता वाले व्यक्ति (समान अवसर) अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 से संबंधित है यह 1996 का अधिनियम है। यह पहला अधिनियम था। इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने कई वायदे किए थे। यह वायदा किया गया था कि एक केन्द्रीय समन्वय परिषद गठित की जाएगी और विकलांग पुरूष एवं महिलाओं को विभिन्न सुविधाएं दी जाएंगी। अब पूरे वर्ष भर, दुर्भाग्य से सरकार ने इस बारे में कोई कार्य नहीं किया।

अभी पिछले शुक्रवार को पुनर्विचार के रूप में उन्होंने केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन किया। महोदय, आज विकलांग व्यक्ति धरना दे रहे हैं। वे गिरफ्तारी भी दे रहे हैं। अतः मेरी सरकार से और सभी पक्षों से यह अपील है कि विकलांग व्यक्तियों की न्यूनतम मांगों को, जो आपत्तिजनक न हों, जैसे मानसिक व्याघात वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास और प्रमस्तिष्कीय नीति विधेयक, की विषय-वस्तु को परामर्श के लिए सार्वजनिक किया जाए, को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

दूसरा, केन्द्रीय समन्वय समिति गठन, जिसकी सरकार ने पिछले शुक्रवार को घोषणा की थी, की अधिसूचना वापस ली जाए। मैं विधेयक के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन यह विधेयक का अपने आप में उल्लंघन है। केन्द्रीय समन्वय समिति का पुनर्गठन किया जाए।

तीसरा, एक मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए। देश के विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याण मंत्रालय को भत्ते व अन्य आवंटन के रूप में दी जाने वाली 28 करोड़ की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के लिए केवल 28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जबकि प्रधानमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का वायदा किया था। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। उन्हें कुछ सुविधाएं रेलगाड़ियों में दी जा सकती है। यह वास्तव में देश के विकलांग व्यक्तियों के लिए है। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। ... *(व्यवधान)*

श्री पी० आर० दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय मैं उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। ... *(व्यवधान)*

श्री शिवानन्द एच० कौजलगी (बेलगाम) : महोदय मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चित रूप से मैं आपको इसका अवसर दूंगा।

... *(व्यवधान)*

श्री शिवानन्द एच० कौजलगी : मैंने कई बार कोशिश की है। लेकिन मुझे अवसर नहीं मिलता। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नए सदस्यों को भी अवसर दें ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० गिरिजा व्यास (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने पहले पार्ट में तो जसवन्त सिंह जी ने जो मसला उठाया है, उसकी मैं ताईद करती हूं कि इस विषय पर संवेदना से हम लोगों को सोचना चाहिए।

सारा राष्ट्र कल अखबार की खबर सुनकर और आज भी अखबार की खबर पढ़कर स्तब्ध है कि बिहार में आज आजादी के 50 साल बाद भी 15 लाख बच्चियों को हर वर्ष मार दिया जाता है। यह खबर एक सर्वे में सामने आई है और लगातार तीसरे दिन यह खबर आई है। पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और उत्तर प्रदेश तक यह बात पहुंची, लेकिन यह खबर केवल एक विशेष पार्टी या केवल एक राज्य से सम्बन्धित खबर नहीं है। यह इस सदन के लिए चिंता करने वाली खबर है कि आजादी के 50 साल बाद बच्चियों की हत्याएं इतनी क्यों होनी लगी है।

उस रिपोर्ट में तीन बातें सामने आई कि पहले बच्चियों की हत्याएं केवल एक जाति विशेष में होती थीं, जो अपर कास्ट है। फिर दूसरी अपर कास्ट और समृद्ध लोगों ने बच्चियों की हत्याएं शुरू की। लेकिन अब ये शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स में और दलितों के उन इलाकों में भी ज्यादा होनी लगी हैं, जो समृद्ध हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि समृद्धि के साथ हम लोग कितने अमानवीय और कितने दानव होते जा रहे हैं, यह प्रश्न इस सदन के सोचने का है।

महोदय, इसके साथ दो तत्व और निकलकर आए हैं। इस सबके पीछे दो बातें और जुड़ी हैं। एक तो पुरुष अहम् की कि वे अपनी बच्चियों का हक मांगने के लिए दूसरे घर नही जाएंगे इसलिए बच्चियों की हत्या की जाए और दूसरे बच्चियों की सुरक्षा नहीं हो सकती, यह बात उभर कर सामने आई है।

उपाध्यक्ष जी, अब मैं दूसरी बात उठाना चाहती हूं। कल दिल्ली की बोर्ड की परीक्षा में एक प्रश्न पत्र में अनसीन पैसेज था। उसमें पूछा था कि बच्चियां स्कूल क्यों नहीं जातीं, क्योंकि उनके माता-पिता

[डा० गिरिजा व्यास]

को रास्ते में उनकी इज्जत लुटने का खतरा रहता है या उनके शिक्षकों या साथी लड़कों के द्वारा इज्जत लूटे जाने का खतरा है। उनकी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, यह भावना उभरकर सामने आई हैं, यह उस पैसेज में भी आइ। यह सदन के लिए एक गम्भीर विषय है। मैं सदन से और सरकार से अपील करना चाहती हूं कि इस मामले को राज्य सरकार पर न छोड़ें। मैं जेना जी से कहना चाहती हूं कि हमें केन्द्रीय टीम सेम्पल के लिए बिहार में भेजनी चाहिए, बल्कि उन राज्यों में भी भेजें जहां पहले ज्यादा हत्यायें होती थी और अब चोरी-छिपे होती हैं। यह यू०पी०, राजस्थान और अन्य प्रदेशों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो। केन्द्र सरकार को ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ेंगे जिससे इस पर रोक लगाई जा सके।

आज एक अखबार में रिपोर्ट आई है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वह भी अलार्मिंग है। उस पर भी सदन में विशेष चर्चा होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि एक घंटे की चर्चा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और खासकर बच्चियों की जो हत्यायें बिहार में हो रही हैं, उस पर कराएं। आजादी के 50वें वर्ष में हम एक संकल्प के साथ बिल लेकर आएं जिससे उनकी हत्यायें न हो सकें। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक को बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनके बाद आपका नाम बुला रहा हूं, क्या आप संतुष्ट नहीं हैं ?

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : आगरा में मार्च के तीसरे सप्ताह ताज महल के पास संगीत का एक बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से हो रहा है। उसमें देश-विदेश से लोग इकट्ठा होंगे। यहां पर जेना भी मौजूद हैं। आगरा-फतेहपुर सीकरी राजमार्ग इतना खराब है, डिलैपिडेटिड कंडीशन है कि वहां आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और कई पर्यटक घायल या मारे जाते हैं। उन्होंने मीटिंग की थी, लेकिन केन्द्र सरकार उसको ठीक नहीं करा रही। जेना जी के आग्रह के बावजूद भी यह नहीं हुआ। आप निर्देश दें कि आगरा-फतेहपुर सीकरी राजमार्ग की डिलैपिडेटिड कंडीशन को ठीक किया जाए। वहां यात्री का कार्यक्रम हो रहा है, 10-11 हजार विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। सड़क को ठीक नहीं किया जा रहा, उसको स्वीकृत भी नहीं किया गया है। यमुना की रेत पर कार्यक्रम हो रहा है, ताज स्ट्राइकिंग जोन में है इसलिए उसको भी खतरा है। वहां पर जो गरीब चांदनी, कछपुरा आदि चार-पांच मोहल्ले हैं, उनमें सार्वजनिक प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। इससे आई०एस०आई० के लोग ताज महल को खतरा पहुंचा सकते हैं, यह देश की बड़ी भारी अपूर्णीय क्षति होगी। वहां के लोग भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था की जाए। सरकार धोखा दे रही है, केवल खम्भे लगा दिए, लेकिन बिजली नहीं दे रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने भी ताज महोत्सव कार्यक्रम में आगरा की सड़कों की डिलैपिडेटिड कंडीशन को ठीक करने के लिए अन्य कार्यक्रमों की घोषणा की थी। लेकिन उसके लिए पैसा नहीं दिया जा रहा। 40 लाख रुपये वर्षा से खराब हुई सड़कों के लिए बेहात के लिए कल रिलीज किए गए, यह राशि बहुत कम है। आगरा के लोगों में इस बात को लेकर बड़ी भारी वेदना है कि राज्यपाल महोदय घोषणा करते हैं, लेकिन नौकरशाह उनकी घोषणाओं को अमलीजामा नहीं पहनाते, पैसा नहीं देते। आगरा बैराज की घोषणा भी ऐसे ही है, अन्य घोषणाएं भी इसी तरह से हैं। यहां तक कि आगरा में मच्छरों के प्रकोप के कारण पर्यटकों और आम लोगों को बड़ी मुश्किल होती हैं मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए वहां उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन केन्द्र सरकार, योजना आयोग और प्रदेश सरकार उपलब्ध कराए जिससे पर्यटकों को परेशानी और दुर्घटना न हो और ताजमहल भी सुरक्षित रह सके।

[अनुवाद]

श्री शिवानन्द एच० कौजलगी : महोदय गोकक में दूरदर्शन केन्द्र चालू होने के लिए तैयार है। लेकिन कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति न होने के कारण पिछले डेढ़ साल से वहां कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है। माननीय, सूचना और प्रसारण मंत्री जी ने अपने मंत्रालय को निर्देश दिया था कि स्थायी कर्मचारी पदों की नियुक्ति की स्वीकृति होने तक वहां अन्य कर्मचारियों को नियुक्त या प्रतिनियुक्त किया जाए। इसके बावजूद मंत्रालय ने वहां कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके माध्यम से उक्त दूरदर्शन केन्द्र पर कर्मचारियों को नियुक्त या प्रतिनियुक्त करने के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आवश्यक निर्देश जारी किए जाए ताकि यह टी०वी० सैन्टर शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जा सके *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जल्दबाजी मत कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बुला रहा हूं, सबको बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें सबके नाम हैं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में सरकार ने जो नीति अपनाई है और विदेशी ट्रॉलर्स को लाइसेंस देने के कारण जो देश के एक करोड़ मछुआरों को नुकसान हो रहा है, उस बात को लेकर नेशनल फिश वर्कर्स फोरम की ओर से हिन्दुस्तान के प्रमुख बंदरगाह जैसे मुम्बई, कांडला और विशाखापट्टानम बंदरगाहों की घेराबंदी करने, ब्लॉकेड करने के आंदोलन आज से शुरू हो गए हैं दो साल पहले पी० मुरारी कमेटी नियुक्त की गई थीं उस कमेटी में संसद के काफी सदस्य थे और सभी ने एकमत से रिकमेंडेशन की थी और सरकार ने उनको स्वीकार भी किया था। लेकिन स्वीकार करने के बाद अभी भी ट्रॉलर्स को लाइसेंस दिए जा रहे हैं और उनके लाइसेंस रद्द नहीं किए जा रहे हैं। फूड प्रोसिसिंग मिनिस्ट्री कर रही है कि हम रद्द करेंगे और लॉ मिनिस्ट्री कह रही है कि हम रद्द नहीं कर सकते। गुजरात महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक के 9 प्रदेशों

में एक करोड़ लोगों ने इस प्रकार की घेराबन्दी आंदोलन आज से शुरू किया है। मैं यह मांग करता हूं कि सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट करे और साथ ही साथ लाइसेंस रद्द करने की बात सरकार ने जो कही है, उस पर सरकार अमल करे। सरकार इसके बारे में क्या करना चाहती है, मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ कहना चाहेंगे तो मैं रोकूंगा नहीं।

श्री राम नाईक : मुम्बई, कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाहों में आज से आंदोलन शुरू हो रहे हैं। सरकार इस बारे में यदि ख्याल नहीं करेगी तो आपको याद होगा कि दो साल पहले श्री थोमस कोचरी ने इस बारे में अनशन किया था और सदन ने उनसे आग्रह किया था कि उनको अनशन बंद करना चाहिए और उन्होंने अनशन बंद कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसके बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

श्री श्रीकान्त जेना : उपाध्यक्ष जी, वी० मुरारी कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी और सरकार ने उसमें कहा था कि उसको हम मान जाएंगे, यह सवाल मैं संबंधित मंत्री जी को बता दूंगा और लेटेस्ट पोजीशन क्या है, वह भी बता दूंगा। मुझे लगता है कि वह मंत्री स्वयं ही आपसे बात करके रास्ता निकाल लेंगे। *(व्यवधान)*

श्री येल्लैया नंदी (सिद्दीपेट) : उपाध्यक्ष जी, सिकन्दराबाद केनटोनमेंट के अंदर आज से 100 साल पुराना मंदिर है जहां पर हजारों लोग पूजा करते हैं। लेकिन सिकन्दराबाद के केन्टोनमेंट में जो डिफेंट एरिया है, 26 तारीख को मिलिट्री के 150 मिलिट्री सैनिकों ने आकर प्रातः साढ़े तीन बजे उस मंदिर के कम्पाउंड 'वाल' को तोड़ दिया। वहां बीस साल से कन्टोनमेंट बोर्ड के मैम्बर माइनोरिटी के हैं और उनका नाम मोहम्मद खान है। उस मौहल्ले में जो लोग रहते हैं, उनका कहना है कि उनका इशारा मैम्बर की तरफ था, इस वजह से वहां लॉ-एंड-आर्डर की समस्या हुई। इसको फिर कमिश्नर साहब ने संभाला है। वहां पर बंद भी कॉल किया गया। मिलिटरी अथॉरिटी को अगर किसी कम्पाउन्ड-वाल को तोड़ना है, तो पहले उनको नोटिस देना चाहिए। लेकिन रात को साढ़े तीन बजे आकर उस कम्पाउन्ड-वाल को तोड़ा गया। मेरा निवेदन है कि डिफैंस अथारिटी को उन पर एक्शन लेना चाहिए। इसके पहले तिलमिलगिरी विलेज में, जो कन्टोनमेंट क्षेत्र में पड़ती है, एक पुरानी चर्च को रिपेयर किया जा रहा था, उसको भी कन्टोनमेंट अथॉरिटी ने तोड़ दिया।

हमारे सिकन्दराबाद में कन्टोनमेंट का एम०पी० लोकल एरिए का जो फन्ड होता है, उसका एक लाख रुपया ....

उपाध्यक्ष महोदय : आप कई विषय उठा रहे हैं।

श्री येल्लैया नंदी : दो-तीन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक ही उठाना है।

श्री येल्लैया नंदी : लिखा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : लिखा हुआ है, लेकिन एलाउ एक ही किया है।

श्री येल्लैया नंदी : लोकल एरिया एम०पी० का एक लाख रुपया जो कम्युनिटी हाल के कन्स्ट्रक्शन के लिए था और कन्स्ट्रक्शन का काम हो रहा था, लेकिन एग्जिक्युटिव आफिसर, ***, उन्होंने जाकर

उपाध्यक्ष महोदय : नाम न लीजिए, एग्जिक्युटिव आफिसर काफी है।

श्री येल्लैया नंदी : एग्जिक्युटिव आफिसर के आदेश के अनुसार उस कन्स्ट्रक्शन को रिमूव कर दिया। जिस प्रकार मिलिटरी अथॉरिटी ने बिना कोई नोटिस दिए काम कियां इस वजह से वहां पर लॉ-एंड आर्डर की समस्या हुई। वहां के माइनोरिटी कम्युनिटी के बोर्ड मैम्बर थे, उनका इशारा था। इसको उन्होंने तोड़ा। इससे कम्युनल रायट होने के इमकानात थे। मैं चाहता हूं कि सिकन्दराबाद डिफेंस के जो ब्रिगेडियर हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : एक के बाद एक का नाम आएगा। आप दस खड़े हैं, लेकिन बोलेंगे तो एक। आप बैठ जाइए।

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, रिजर्व बैंक ने सारे देश के व्यापारियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है कि वे किसी से भी प्रकार की रकम लेकर अपना बिजनेस नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हड़ताल और आन्दोलन चल रहे हैं। यह संशोधन आर्डिनेंस के द्वारा किया गया है। व्यापारियों से कहा जा रहा है कि आप बैंक्स से रकम लीजिए, अन्यथा कहीं से नहीं ले सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने कल ही कहा है कि इसमें गलती हुई है और इसमें जो भी कमी रह गई है, उसमें हम संशोधन कर देंगे। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह कानून एक अप्रैल से लागू हो रहा है यदि एक अप्रैल से पहले इसमें संशोधन नहीं किया गया, तो सारे देश में व्यापारियों के ऊपर मुकद्दमे लागू हो जायेंगे और काम ठप्प हो जाएगा। इस चीज को लेकर चारों तरफ असंतोष बढ़ रहा है और हड़तालें हो रही हैं इसलिए मेरा चिदम्बरम जी से निवेदन है, जैसा कि कल उन्होंने कहा भी है कि आर्डिनेंस का धारा 45(एस) के अन्दर लेन-देन के बारे में जो प्रतिबन्ध है, व्यापार के अन्दर रकम जमा करने पर, उसको हटा देंगे। मैं चाहता हूं कि इसको एक अप्रैल से पहले हटा दिया जाए। यही मेरा निवेदन है।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संचार व्यवस्था के बारे में नोटिस दिया है। मेरा निवेदन है कि उग्रवाद प्रभावित जिलों में विशेष अभियान चला कर दूरसंचार व्यवस्था के लिए जितने भी पिकेट्स है, ग्राम-पंचायत दे और जितने भी पुलिस पिकेट्स हैं, इन सब को एस०टी०डी० सेवा से जोड़ दिया जाए। दूर संचार के चलते हमारे यहां समाचार नहीं मिल पाता है, बहुत भयंकर उग्रवाद बढ़ रहा है। इसलिए इसके खात्मे के लिए पूरे औरंगाबाद जिले के सभी पिकेट्स और सभी ग्राम पंचायतों के दूर संचार व्यवस्था में एसटीडी की सुविधा प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

श्री द्वारकानाथ दास (करीमगंज) : महोदय, होकुण्डी स्थित कचार पेपर मिल को रुग्ण मिल घोषित कर दिया गया है। क्योंकि इस मिल को 1993-94 और 1994-95 के दौरान 300 करोड़ रुपए से

[श्री द्वारकानाथ दास]

अधिक का घाटा हुआ। इस घाटे का एकमात्र कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होना हैं तथापि इस मिल को बांस के टुकड़े (चिप्स) त्रिपुरा और मिजोरम के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे दूरदराज के क्षेत्रों से प्राप्त हो रहे थे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कच्ची सड़कें अर्थात मटेल रोड्स का जहां तक संबंध है। करीमगंज में यह सड़के मानसून के दौरान अर्थात 6 महीने के लिए बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं ऐसा कहा जा रहा है। कि यह मिल पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रही है। इसलिए, इस मिल को अर्थक्षम बनाने के लिए मेरे सुझाव इस प्रकार है :– सर्वप्रथम – कोई ऐसा उपाय किया जाना चाहिए जिससे इस मिल को मानसून के महीनों के दौरान बांस के टुकड़े दूदरदराज के क्षेत्रों से न लेने पड़े। दूसरा – एक स्थानीय शासकीय निकाय होना चाहिए जिसमें स्थानीय प्रतिनिधि हों और तीसरा – मिल के समूचे कार्यकरण की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की जानी चाहिए। मेरा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से भी अनुरोध है कि वह इस मामले पर गौर करे और आवश्यक कार्यवाही करे। इसके साथ-साथ मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि वह इस मिल के पुरुनुद्धार के लिए तत्काल कदम उठाए।

श्री पी०आर० दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, कल अतारांकित प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री जी ने बताया कि महिलाओं पर अत्याचार के मामलों की दर दुगनी हो गई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज एक चौंका देने वाली खबर है। अब से चार दिन बाद विश्व भर में विश्व महिला दिवस मनाया जाएगा।

जहां तक महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने का संबंध है, भारत की स्थिति कुछ भिन्न हैं सरकार भी महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और यहीं की स्थिति देखिए। दिल्ली राज्य आयोग द्वारा प्रकाशित रिर्पोट में कहा गया है कि राजधानी महिलाओं और लड़कियों के लिए असुरक्षित होती जा रही है। वर्ष 1993 में जो अपराध दर 9.5 प्रतिशत थी, वह आज 34.1 प्रतिशत हो गई है। इससे भयंकर स्थिति का पता चलता हैं रिपोर्ट में कहा गया है कि सोलह वर्ष की आयु की लड़कियां और कालिज जाने वाली लड़कियां छेड़-छाड़ करने वालों और असमाजिक तत्वों की दया पर निर्भर हैं। दिल्ली में स्थिति बहुत चिन्ताजनक है।

रिपोर्ट में दिवस में तथ्यों तथा गंभीर होती स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं आपके द्वारा संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे आज से चार दिन बाद मनाए जाने वाले महिला दिवस से पहले गृह मंत्री से एक स्पष्ट संदेश देने को कहें कि यह सरकार महिलाओं पर अत्याचारों को समाप्त करने के लिए और भारत की राजधानी तथा महिलाओं के सम्मान को बचाने के प्रति दृढ़ सकल्प हैं। ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि इस रिपोर्ट का बी०बी०सी०, सी०एन०एन० तथा विश्व भर में प्रचार होगा। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हुए पूरा विश्व हम पर हँसेगा कि यह देश की राजधानी में क्या हो रहा है। रिपोर्ट में यहां तक भी कहा गया है। कि महिलाएं थियेटरों तथा शॉपिंग सेन्टरों में जाते हुए डरती हैं। दिल्ली में डेढ़ वर्ष से अधिक समय से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं।

यदि सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेगी तो मेरा विचार से राष्ट्र की पूरी छवि खतरे में पड़ जाएगी। अतः आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वे माननीय गृह मंत्री से कहें कि वे 8 मार्च से पहले मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत करें और पुलिस आयुक्त का जवाबदेही तय करें कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और इन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि रिपोर्ट में दिए गए तथ्य दिल्ली से संबंधित है।

अपराह्न 2.00 बजे

[अनुवाद]

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक गांव मौगला है जो कालाकोट के इलाके और रजोरी डिस्ट्रिक्ट में है। वहां सोमवार तीन मार्च को कोयले की खान में बलास्ट हुआ। 22 मजूदरों में से चार मजूदर मर गये, 15 जख्मी हुए और चार अभी तक खान में फंसे हुए हैं। मेरा कोल-मिनिस्टरी से आग्रह है कि जो मजदूर खान में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए दिल्ली से कोई एक्सपर्ट भेजे। जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने में स्टेट गवर्नमेंट की मदद करें – यहीं मेरा आग्रह है।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष जी, कोटा औद्योगिक राजधानी कहलाती थी। मेरा दुर्भाग्य यह है कि पिछली बार भी मुझे इन्सट्रूमेंटेशन लिमिटेड के मजदूरों के विषय को सदन में जोर से उठाना पड़ा था। आज जे०के० सिंथेटिक्स के मजदूर भूखे की स्थिति में आ गये हैं। वहां का पदमपत सिंघानिया इसको बंद करना चाहता है, जिसके कारण जे०के० सिंथेटिक्स, जे०कं० एक्रेलिक्स, जे०के० टायर कोर्ड बंद होने की स्थिति में है। हजारों मजदूर सड़कों पर हैं। बी०एम०एस० के लोग धरना दे रहे हैं। सीटू के लोग आंदोलन चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसको आप गंभीरता से लेकर मजूदरों को वेतन दिलाएं। चार महीने से मजदूर को वेतन नहीं मिला है। उनको वेतन दिलाया जाए।

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष जी, मुम्बई में कानून और व्यवस्था खत्म हो गयी है। वहां राजनीतिक लोगों की हत्याएं की जा रही हैं सत्ता में बैठे कर्णधारों की नाक के नीचे यह सब हो रहा है। वहां अभी नगर-निगम चुनाव हुए। वहां की सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने जागेश्वरी, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हमला किया। शिव सेना के एक नेता काटगर ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। चुनाव में 21 सभासद जीते थे। उस बौखलाइट की वजह से उन्होंने वहां पर कातिलाना हमला किया। वहां पर चार लोग घायल हुए हैं, एक जनवरी से 28 फरवरी तक लूटपाट और डाके की 106 वारदाते थाने में दर्ज हुई हैं, जबकि आधे से ज्यादा क्राइम वहां दर्ज नहीं होते हैं। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला भट्ट के घर में घुसकर गोली मारी गयी। पूर्व कांग्रेसी मंत्री बाबा साहेब धावेकर पर भी हमला हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी का नाम न लीजिए।

कुंवर सर्वराज सिंह : यह सब तो रिपोर्ट में है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

कुंवर सर्वराज सिंह : वहां के एक मेला जो एक पार्टी को चला रहे हैं, वे जब अदालत में जाते हैं तो न्यायालय की अवमानना वहां की गयी है। जब एक मुम्बई के बहुत बड़े अपराधी को पकड़ा गया तो वहां की सरकार में बैठे एक सांसद ने ···

उपाध्यक्ष महोदय : स्टेट सबजैक्ट है, इसको मत डिस्कस कीजिए।

कुंवर सर्वराज सिंह : उपाध्यक्ष जी, डिस्कस करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर कानून और व्यवस्था नहीं है। ···*(व्यवधान)* कत्ल, हत्या लूट, बलात्कार भ्रष्टाचार सत्ता के कर्णधारों के इशारे पर हो रहे हैं। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह : "कौन रोके, कौन टोके, फुरसत किसे है।

बादशाहों में खुमारी और प्यादे सो रहे हैं।।"

वहां पर पुलिस मिली हुई है। वहां पर हत्याओं में साजिश हो रही है। दत्ता सामंत जी की हत्या हुई। एक-एक क्रम में यह सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के लोगों को निरन्तर धमकियां दी जा रही हैं। उन लोगों की जान को खतरा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हस्तक्षेप करे क्योंकि मुम्बई का नियंत्रण वहां की सरकार के हाथ में नहीं रह गया है। वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाए। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) मैंने सूचना दे दी है ···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले उन्हें अपना वक्तव्य समाप्त करने दीजिए। तत्पश्चात् मैं उस पर गौर करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक ही वाक्य आपके सामने रखना है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसको सुनें। मैंने एक सप्ताह पूर्व शून्यकाल में एक प्रश्न उठाया था कि चीनी सेना हमारे देश के भीतर घुस गई है। हिमाचल के छः किलोमीटर इलाके में 4 फरवरी से 18 फरवरी तक उनका यह सिलसिला जारी था। मैंने इस बारे में सरकार से सफाई मांगी थी। आठ दिन हो गए हैं लेकिन सरकार ने न सदन के अन्दर और न ही बाहर अपना मुंह खोला है देश की जमीन के बारे में इस प्रकार की लापरवाही इसके पहले भी एक बार हुई थी। हम इसका नतीजा आज भी भुगत रहे हैं। हमारी 1 लाख 19 हजार स्कवेयर किलोमीटर जमीन आज चीनियों के हाथों में है। यह कांड तब हुआ जब चीन के राष्ट्रपति हिन्दुस्तान आए थे। चीनियों के बर्ताव में हमेशा इस प्रकार की रणनीति रही है। वह जहां जाते हैं, उन्हें यह भी दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं और तुम्हारे बारे में क्या सोच रखते हैं। मैंने यह बात उस दिन भी कही थी। मुझे बहुत दुख और खेद है कि सरकार की तरफ से इस सदन में इसके बारे में सफाई नहीं दी गई। मेरी प्रार्थना है कि देश के हित के लिए आप सरकार को कहें कि वह इस मुद्दे पर सही, गलत, हां, न, जो भी कहना है, कहे लेकिन मात्र चुप्पी साध कर इस तरह से न बैठ जाए। ···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी एक बात सभी माननीय सदस्य सुनें। एक मीटिंग में चर्चा हुई थी कि जीरो आवर दो घंटे तक चलता है लेकिन आज दो घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : कभी-कभी हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कभी-कभी कुछ रह जाता है। हम उसे कल डिसकस कर लेंगे।

[अनुवाद]

अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 3 बजकर पांच मिनट तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 3.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.11 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.11 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री नीतीश कुमार *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री हरिवंश सहाय (सलेमपुर) : सभापति महोदय, बिहार के सांसद श्री पप्पू यादव गन्ने के दामों को बढ़ाने के मामले को लेकर मेन गेट पर अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि गन्ने के दाम 77 रुपये प्रति क्विंटल कर दें और जूट के दाम भी बढ़ा दें। आप सरकार को निर्देश दे कि वह दाम बढ़ा दे और उनका अनशन तुड़वा दे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

अपराह्न 3.12 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विनेय कटियार (फैजाबाद) : सभापति महोदय, सदन के माध्यम से मैं आपका ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। फैजाबाद जिले में काफी संख्या में विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हैं, किंतु वहां के विद्यार्थियों के लिए न तो कोई मेडीकल कालेज है और न ही इंजीनियरिंग कालेज है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा जैसे मैनेजमैंट, कम्प्यूटर कोर्स तथा अन्य तकनीकी शिक्षा का भारी अभाव है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से सदन के माध्यम से

अनुरोध करता हूं कि फैजाबाद जिले के निवासियों की चिरपरिचित मांग को ध्यान में रखते हुए जनहित में मांग करता हूं कि फैजाबाद जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग को स्वीकृत करें जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, कम्पयूटर कोर्स, मैनेजमेंट तथा अन्य तकनीकी शिक्षा प्रदान की जी सके।

(दो) उत्तर-प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण संबंधी उपबंधों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कृषकों को "लोक प्रयोजक" हेतु अर्जित भूमि के प्रतिकर भुगतान में "विधि के समक्ष समानता" के सिद्धांत का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है।

एक ओर जब उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कृषकों की भूमि आवास एवं विकास परिषद हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अंतर्गत अर्जित की जाती है व भूमि अध्याप्ति (संशोधन) अधिनिमय, 1984 के द्वारा दिये गये लाभ (जैसे बढ़ी दर से ब्याज, राहत राशि व अन्य अनुतोष आदि) से कृषकों को वंचित रखा जाता है।

वही दूसरी ओर अब उ०प्र० शासन द्वारा वही भूमि अन्य योजनाओं अथवा निकायों हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत अर्जित की जाती है व उक्त संशोधन अधिनियम का लाभ कृषकों को दिया जाता है। चूंकि *"भूमि अर्जन"* संविधान की *"समवर्ती सूची"* में सम्मिलित है, अतः प्रदेश की विधायिका द्वारा बनाये गये उक्त परिषद अधिनियम के भूअर्जन प्रावधानों में संशोधन का अधिकार संसद में निहित है (अनुच्छेद 254(2) के परन्तक के अनुसार)।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश राज्य में हजारों कृषकों के साथ हो रहे भेदभाव व विसंगतियों की समाप्ति हेतु संसद द्वारा उक्त परिषद अधिनियम के भूमि अर्जन विषयक प्रावधानों में अविलम्ब संशोधन कराया जाये।

(तीन) मध्य बिहार में 2000 मेगावाट विद्युत परियोजना की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा) : सभापति महोदय, मध्य बिहार का गया जिला, दक्षिण बिहार के पलामू, चतरा तथा अन्य जिलों में बिजली की स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही हैं ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य बिहार तथा दक्षिण बिहार के निवासी पुनः लालटेन युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ शहरी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त ग्रामीण इलाकों में दो-तीन घंटे से ज्यादा बिजली नहीं रहती। फलस्वरूप वहां हजारों लघु उद्योग-धंधे बंद हो गए हैं। कई बड़े कारखाने भी बिजली की कमी से सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। किसानों की हजारों एकड़ जमीन बिजली न होने के कारण सिंचित नहीं हो पा रही है तथा लाखों विद्यार्थी रात में बिजली की कमी के कारण ठीक से विद्याध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति की भयावहता इतनी है कि हताशा के कारण नौजवानों में निराशा बढ़ती जा रही है।

अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि बिहार के गया, पलामू या चतरा जिलों में से किसी एक जिले में दो हजार मेगावाट की विद्युत परियोजना शीघ्रातिशीघ्र लगाई जाए। इस परियोजना के पूर्ण होने पर प्रदेश के करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे तथा प्रदेश के विकास का द्वार खुलेगा।

(चार) स्वदेशी अखबारी कागज एकको को बंद होने से रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस० बंगारप्पा (शिमोगा) : भारत में कागज का निर्माण करने वाली चार सरकारी इकाइयां हैं। इन चार इकाइयों की कुल उत्पादन क्षमता लगभग 4.5 लाख टन है जबकि कुल वार्षिक मांग 6.5 लाख टन है। यह कमी आयात द्वारा पूरी की जाती है।

1992 तक आयात केवल वास्तविक उपयोग कर्ताओं तक ही सीमित था जो आयातित प्रत्येक एक टन अखबारी कागज के लिए 4:1 के अनुपात से अखबारी कागज का आयात कर सकते थे। अखबारी कागज के विदेशी निर्यातकों ने अपना एक कार्टेल बना कर भारतीय बाजारों में बड़ी मात्रा में अखबारी कागज के डम्प करना शुरू कर दिया। आयातित अखबारी कागज का ढुलाई मूल्य (जानकार कम रखा गया) स्वदेशी अखबारी कागज से काफी कम है।

1995-96 में स्वदेशी इकाइयों को कुछ राहत देने के लिए केलकर समिति ने आयतित अखबारी कागज पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाने की सिफारिश की थी परन्तु यह हैरानी की बात है कि इसे भारत सरकार ने तो स्वीकार किया और न ही लागू किया।

इस समय भारत के पंजीयक के पास लगभग 35,000 अखबार/पत्रिकाएं/पाक्षिक पंजीकृत हैं जिन्हें सीमा शुल्क के भुगतान के बिना ही किसी भी मात्रा में अखबारी कागज आयात करने का अधिकार है चाहे भारतीय अखबार संघ (इन्डियन न्यूज पेपर सोसायटी तथ्य यह है कि के अनुसार इनमें से 80 प्रतिशत अखबार लगातार नहीं निकलते इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक राष्ट्रीय अखबारी कागज नीति अपनाकर और केलकट समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार आयातित अखबारी कागज पर 40% की दर से सीमा शुल्क लगाकर डंपिंग निरोधक उपाय शुरू करे, लगभग दो लाख टन (कमी) वार्षिक तक की आयात सीमा निर्धारित करे, स्वेदेशी इकाइयों को लेबल प्लेंइग फील्ड प्रदान करने के लिए आयातित अखबारी कागज पर काउंटर-वेलिंग शुल्क लगाए और अखबारों/पत्रिकाओं की वास्तविक बिक्री के आधार पर भारत के अखबारों के पंजीयक द्वारा आयात अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने जैसे उपचारात्मक उपाय अपनाएं।

(चार) कर्नाटक के पारिवारा, बेस्टा और तलवारा समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार (मैसूर) : तलवारा, पारिवारा और बैस्टा समुदायों के अधिकांश लोग कर्नाटक के मैसूर जिले के कुछ क्षेत्रों में रह रहे हैं। वे समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं और वे अनुसूचित

जाति के लोगों से संबंध रखते हैं ये जनजातियां नायकास, नायक और वाल्मीकि के पर्याय हैं। ये समुदाय काफी लंबे समय से अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किये जाने की मांग करते रहे हैं वास्तव में काफी समय पहले कर्नाटक की राज्य सरकार ने इसकी सिफारिश की थी। जब वर्ष 1990 में अनुसूचित जातियों के वर्ग के अंतर्गत नायकास के पर्याय वाली कुछ जनजातियों को शामिल करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया था तो पारिवारा, तालवारा और बैस्टा के पर्याय वाली जनजातियां छूट गई थी। इस मामले को राज्य सरकार ने एक दशक से अधिक समय तक उठाया था। संविधा (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करते समय प्रभारी मंत्री ने सदन में क्रम रूप से यह आश्वासन दिया था कि अनुसूचित जातियों की सूची में कुछ अन्य छोटे समुदाय भी शामिल किए जाएंगे, जिन्हें विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है।

चूंकि पारिवारा, बेस्टा और तालवारा समुदाय नायकास, नायक और बाल्मीकि के पर्याय हैं, इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए।

(छः) मलेरिया रोधी कार्यक्रम के लिए असम सरकार को और अधिक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : मलेरिया असम के ग्रामीण क्षेत्रों में ही नही अपितु शहरी क्षेत्रों में भी भारी जनहानि का कारण बन रहा हैं मच्छर शीत ऋतु में भी गड्ढों, जमे हुए पानी की सतह पर प्रजनन क्र लाखों मच्छर पैदा करते हैं। यह आभास होता है कि भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार से मलेरिया रोधी कार्यक्रम के लिए डी०डी०टी छिड़कने वालों को नियोजित करने के लिए कहा था परन्तु राज्य सरकार कथित रूप से धन की कमी के कारण केन्द्र सरकार के इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए इसे जो धनराशि मिलती है उससे यह ग्रीष्म ऋतु के पाँच महीनों के लिए आदमियों को नियोजित करती है। इस बीमारी के उन्मूलन के लिए मलेरिया रोधी कार्यक्रम का क्रियान्वयन अपर्याप्त रुप से हो रहा है और यह बीमारी शीत ऋतु में भी एक महमारी के रूप में फैल रही है क्योंकि मच्छरों के प्रजनन के लिए हर जगह पानी जमा हो रहा है। वर्ष भर व्याप्त स्थिति के कारण असम में वर्ष भर मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि रक्षा मंत्रालय ने फिर भी अपने दिल्ली स्थित वायु सेना कर्मियों को मलेरिया रोधी श्रमिकों के रोजगार को नियमित करने के लिए आदेश दिए हैं परन्तु असम की जनता के हित में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की समान्य प्रक्रिया के अभाव में सेना और भारतीय वायु सेना ने पूरे वर्ष किसी प्रकार का मलेरिया रोधी उपाय नहीं किया जब कि सर्दी के मौसम में भी इस बीमारी के फैलने की आशंका बनी रहती है। असम में दिसम्बर के मध्य से फरवरी के मध्य तक ही वर्ष में लगभग 65 दिन तक ही सर्दी का मौसम रहता है। इस प्रकार यह मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र है असम के लोग मांग करते है कि असम राज्य के 23 मैदानी जिलों के लिए मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पूरे वर्ष चलाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को राज्य के लिए अधिक धनराशि आवंटित करनी चाहिए और विशेष निर्देश देने चाहिए कि उक्त धनराशि ऐसी धनराशि की कमी को पूरा करने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जिसे राज्य अपने संसाधनों से उपलब्ध नहीं करा सकता है।

(सात) बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों में छात्रावास की सुविधाओं वाले केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, हमारे देश के करीब 84 लाख से भी अधिक बच्चे जो अभी भी शीशा चुनने, मोटर-गैराज में काम करने, रेलवे प्लेटफार्मों पर बोझ उठाने, होटलों में काम करने आदि पर मजबूर हैं। चूंकि इन बच्चों पर अपने परिवार का बोझ उठाने का भार अभी से ही आ जाता है। अतः वे सारे के सारे बच्चे गरीबी में दब कर देश के भविष्य को हानि पहुंचाते हैं।

आजादी की 50वीं वर्षगांठ मानते हुए भी हम अपने देश के नौनिहालों, जिन पर देश का भविष्य निर्भर करता है उनको साक्षरता का नाम देकर, समता मूलक समाज की हवा चलाकर, नए-नए कानून और फिर उनमें संशोधन लाकर भी वांछित फल नहीं पा सके। सरकार ने 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा मुफ्त तो कर दी है, लेकिन जो बुनियादी जरूरत (बच्चों के भोजन, कपड़ा, आवास और फिर पढ़े-लिखने का एक शैक्षणिक माहौल) है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया।

अतः मान्यवर अध्यक्ष महोदय के साथ-साथ अपने सभी सांसद सामाजिक न्याय देने, उन्हें देश की मुख्यधारा में लाने और फिर देश में गरीब बच्चों को गलत जगह जाने से बचाने के लिए बिहार, मध्य प्रदेश या फिर अन्य पिछड़े राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में ऐसे केन्द्रीय आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाए जहां प्रभावित बच्चों को रखकर उनकी सही देखभाल करते हुए उन्हें शिक्षित भी किया जाए।

(आठ) भूमि पर अनधिकृत कब्जे को रोकने के लिए पुलिस को अधिकार देने हेतु भारतीय दंड संहिता में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

डा०, बलिराम (लालगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश विशेषकर जनपद आजमगढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां के गावों में गरीब किसान व सरकारी कर्मचारी गांवों में रहने वाले दबंग व अपराधी किस्म के व्यक्ति कमजोर, गरीब व कर्मचारी वर्ग की जमीनों, खेतों, जो कि बाप-दादाओं के समय से उनके नाम पर है, पर कब्जा कर लेते हैं जब त्रस्त व्यक्ति अपनी जमीन के कागजात लेकर थाना पुलिस के पास जाता है, तो वहां उसकी सुनवाई नहीं होती है। वह थककर कोर्ट में चला जाता है और वहां काफी समय तक मुकदमों का फैसला नहीं हो पाता और जमीन पर दबंग व अपराधी किस्म के व्यक्ति का कब्जा बना रहता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि भारतीय दंड एवं प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर ऐसा नियम बनाया जाए कि पुलिस कागजों की सत्यता के आधार पर तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई करे जिससे कि गरीब व कर्मचारी वर्ग की जमीन पर कब्जा न हो पाए तथा कोर्ट ऐसे मुकदमों की सुनवाई कागजों की सत्यता के आधार पर तत्काल करें व दोषी दबंग व अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को जुर्माने के साथ सजा भी करें।

अपराह्न 3.25 बजे

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में संविधि संकल्प — *जारी*

और

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक — *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम अब मद संख्या 7 और 8 पर आगे चर्चा करेंगे। श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह अपने भाषण को जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : महोदय, मैं कल वित्त मंत्री जी से निवेदन कर रहा था कि जो उद्देश्य यहां बजाये गये हैं उनमें प्रबंधककीय स्वायत्ता और गैर कार्य संचालन के संबंध में भी, पूंजी और ऋणों के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने और मोटे तौर पर समान वित्तीय संस्थाओं के मुकाबले में अधिक समान क्षेत्र सृजित करने में यह अधिनियम बन जाने के बाद सहायक होगा।

महोदय, दूसरा जो हम निवेदन करना चाहते हैं वह यह है कि इसका नाम भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक शब्दों के स्थान पर जहां-जहां पर भी वे आते हैं वहां इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमैंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड शब्द रखे जायें। इसी तरह से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमैंट बैंक शब्द रखे जायें। मैं चाहूंगा कि जब कोई बैंक होगा ही नहीं तो फिर इसके साथ बैंक शब्द आप क्यों रखने का प्रस्ताव रख रहे हैं। यह तो केवल वित्तीय संस्थान होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल होगा। सरकार कोई नया बैंक स्थापित करने नहीं जा रही है। जो वित्तीय संस्थान होंगे, उनका नामकरण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहकर, वित्तीय संस्थान कहकर ही करने चाहिए अथवा किसी निगम के रूप में उसको आप उपस्थापित कीजिये तो वह ज्यादा सार्थक होगा। उसी के साथ परिभाषा में भी आपने कह दिया है कि जब यह निरसित हो जायेगी, निरसन के बाद जब यह रिपील हो जायेगी तो उसके बाद आप कम्पनी अधिनियम के 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने वाले इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमैंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड अभिप्रेत, यह जो परिभाषा दी गयी है, उसकी जगह वित्तीय संस्थान अंकित कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।

उसी तरह से आपने यहां लिखा है कि जहां पुनर्निमार्ण बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी उपधारा एक के अधीन नियोजन या सेवा में न रहने का विकल्प देता है तो समझा जायेगा कि उसने त्याग-पत्र दे दिया है। लेकिन उसकी जो पूर्व की सेवा है, उसकी भविष्य निधि की जो अंश होगा, उसके उपादान का जो अंश होगा, उसकी सुरक्षा का भी प्रावधान होना चाहिए। जब भी हम एक सेवा से दूसरी सेवा में जाते हैं, अन्तरण होता है, हस्तांतरण होता है अथवा कोई नाम आप बदलते हैं तो हमसे विकल्प की मांग की जाती है। इसलिए ऑक्शन मांगना चाहिए, विकल्प मांगना चाहिए और विकल्प के बाद जब आप त्याग-पत्र मांगते हैं तो ऐसे कर्मचारी को, ऐसे पदाधिकारी को काफी हर्जाना देना पड़ेगा। उसी की तरह आपने यहां स्वामित्व, जो भी उनको दायित्व होंगे, उनको ग्रहण करना पड़ेगा। जो भी संविदाएं, जो बंद पत्र होंगे, उसके सामने आपको नामित करना होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और 274 में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आदेश के बिना राष्ट्रपति और भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि, हिन्दी में आपने राष्ट्रपति के सम्बन्ध में कोई भी सहमति इसमें अंकित नहीं की है।

अंग्रेजी का जो बिल हमने पढ़ा है, उसमें निश्चित तौर पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति ली गई है, लेकिन हिन्दी में कहीं भी अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय की अनुमति का कोई उल्लेख नहीं है। जब आप हिन्दी में भी बिल पेश कर रहे हैं, अंग्रेजी में भी पेश कर रहे हैं तो हिन्दी के लिए जो पेश किया गया यह विधेयक, 1997 है, इसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति का भी उल्लेख अनिवार्यतः करना चाहिए। अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अनुसार इसका उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए आसन से हमारी आपत्ति है। हमारी आपत्ति है कि जब एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274, जो दोनों अनुच्छेद हैं, इसके तहत जब तक आप राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक इसको पेश ही नहीं करना चाहिए। आप भारत के संविधान का उल्लंघन करते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर हमारी जो आपत्ति है, इस आपत्ति को आप देखेंगे कि हिन्दी में कही भी राष्ट्रपति महोदय की अनुमति का उल्लेख नहीं है। आप इसको देखें, हम इसपर आपका नियमन चाहेंगे, तब इसपर बहस को अगे बढ़ायें, अन्यथा यह तो अवैध हो जाएगा, बिना राष्ट्रपति के सरकार को बिल पेश करने का अधिकार ही नहीं, इसलिए इसपर आपका नियमन चाहिए।

सभापति महोदय : नहीं, आप अपनी बात जारी रखे। आपके पाइंट को हमने नोट कर लिया है, हम इसे देख रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यहां मैं मामले को देख रहा हूं, आप तक एक अपनी बात जारी रखें।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : जो बिल अंग्रेजी में सर्कुलेट हुआ है, यह सूचना दी गई है कि राष्ट्रपति महोदय से इसकी अनुमति ली गई है, अनुज्ञप्ता प्राप्त है, लेकिन हिन्दी ट्रांसलेशन में वह नहीं है। इन्होंने यही बात उठाई है। यह तो वैलिड पाइंट है।

सभापति महोदय : मैं यहां ओरिजनल हिन्दी कॉपी देख रहा हूं, तब तक आप अपनी बात जारी रखें।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : दूसरे जो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, 1984 में धारा चार के बाद अंतःस्थापित करने की बात करते हैं, इसमें भी आप देखेंगे;

"(1) केन्द्रीय सरकार, पुनर्निमार्ण बैंक की शेयर पूंजी को,—

(क) उसके किन्हीं साधारण शेयरों के दायित्व को निर्वापित कर या घटा कर;

(ख) उसके किन्हीं साधारण शेयरों के दायित्व को या तो निर्वर्धित कर या घटा कर या उसके बिना, ऐसी समादत्त शेयर पूंजी को रद्द करते हुए जिसकी हानि हो गई है या जिसके लिए आस्तियां उपलब्ध नहीं है;"

इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें स्पष्टतः भारत सरकार को चाहिए, जनता के सामने स्पष्टतः यह कहे कि जो बी०आई०एफ०आर० की, वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 में की गई, उसकी विफलता क्यों हुई, उसके क्या कारण हुए, ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, जिसके कारण आप उसको रिपील कर रहे हैं और आप लिखते हैं कि दबाव ज्यादा हो गया। क्या दबाव हो गया ? आपको संसद् के सामने रखना चाहिए, भारत की जनता के सामने रखना चाहिए। इसके पूर्व भी जो आपकी रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां हैं और यथासमय जब सुनिश्चित करने की दृष्टि से जब आपने काफी इसकी जांच कर ली, काफी मूल्यांकन किया, इसकी काफी समीक्षा कर ली गई, इसके बाद भी भिन्न-भिन्न पदाधिकारी और उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि पुनर्निर्माण बैंक की भूमिका पर उसको पुनर्भाषित किया जाये। उसी की तरह प्रति-स्पर्धा की बात भी कही गई है कि विद्यमान वित्तीय व्यवस्था में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता उसके पूंजी बाजार में पहुंच की योग्यता पर निर्भर करेगी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उद्देश्यों और कारणों का जो उल्लेख किया गया है, आप अपनी विफलताओं के सम्बन्ध में उनको जनता के सामने स्पष्टरूप से रखें।

सभापति महोदय, मैं अंतिम निवेदन करना चाहूंगा। इसमें निश्चित तौर पर ऐसी कोई स्थिति न आ जाए कि फिर से निरसन के लिए, फिर से रिपील करने के लिए दूसरा संशोधन लाना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं आपकी पिछली व्यवस्था में जो विफलता थी कल वित्त मंत्री ने हम लोगों से कहा था कि जिन लोगों ने कर्जा लिया उसका 32 प्रतिशत चुकता नहीं हुआ, अतः क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि भविष्य में शत-प्रतिशत भुगतान हो जाएगा, इसका कोई प्रावधान हमारे सामने नहीं आया है। आप कहते हैं 74.30 करोड़ रुपये को साधारण पूंजी बनाकर बट्टेखाते में डालकर औद्योगिक पुनर्निर्माण की पूंजी को घटाकर, फिर 'ख' में कहते हैं कि 52.25 करोड़ रुपये की रकम को उसमें लादेंगे। सदन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस परिस्थिति में जो हमारी पूंजी है, उसको घटाना चाहते हैं। किस परिस्थिति में वर्तमान कानून को निरसित करके दूसरा कानून लाना चाहते हैं, क्योंकि मूल कानून कम्पनी अधिनियम में जाकर इसके निरसन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर नियमावली बनाने से आपका नया कानून औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक, 1997 के रूप में काम करेगा।

सभापति महोदय, मैं पुनः आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति की बिना अनुमति लिए सदन में इसे पेश किया गया है, यह आपत्तिजनक है।

सभापति महोदय : आपने कहा कि राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ली गई है, राष्ट्रपति की अनुमति ली गई है। जो अंग्रेजी में बिल है, उसमें इस बात का उल्लेख है आपने चर्चा की है कि हिंदी वर्जन में इसका उल्लेख नहीं है, तो यह गलती है। यही अनुवाद होना चाहिए।

श्री रमेन्द्र कुमार : हिंदी के साथ भेदभाव हो रहा है, बराबर का दर्जा नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय : यह भेदभाव की बात नहीं है। यह काम करने से ढंग का सवाल है। जब अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में पूरा विधेयक आता है तो अंग्रेजी में अनुमति की चर्चा है, लेकिन हिंदी में नहीं है। मैं समझता हूं यह एक जबर्दस्त भूल है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : जी नहीं।

सभापति महोदय : क्या आपने इसको नोट किया।

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : हां।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : इनके ओथ लेने से पहले हो गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : शपथ लेने के पश्चात् वह मंत्रालय के कामकाज को सुधार सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यों ने अध्यादेश वाली बात भी कही है कि अध्यादेश जिस समय बहुत आवश्यकता हो, उस समय निकालना चाहिए, बार-बार नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि 13 दलों की सरकार है, एक दल के नाम एक अध्यादेश निकालते हैं और 13 दलों के लिए 13 अध्यादेश हैं। मुझे लगता है समानता रखने के लिए कि हम सब बराबर है, 13 अध्यादेश निकाल दिए। आपको आध्यादेश की महत्ता को समाप्त नहीं करना चाहिए। मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं कि सरकार ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए इतना घाटा खाने के बाद भी कम्पनी बनाने का एक दायरा बनाया है। यह एक प्रकार से विफलताओं का जिक्र है और संकटों से छुटकारा पाने की कांग्रेसी सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का अनुसरण है। आश्चर्य की बात है कि इतने सारे समाजवादी नेताओं की सरकार भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक को कंपनी बनाकर लाखों औद्योगिक कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार में धकेल रही हैं यह सही है कि कंपनी रुग्ण इकाई के पुनर्निमाण में मदद करेगी ? बैंक यदि होता तो बैंक से जिन लोगों को आपने पैसा दिया था, उनकी सिक्योरिटी भी आपने रखी होगी। उनकी जमानत की राशि जो है या जमानत में जो कुछ भी जमा कराया होगा, उससे आपको वसूल करना चाहिए था। अब किसको लोन दिया और किसको लोन नहीं दिया, आप किस प्रकार से वसूल करेंगे ? इन सारी बातों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप तो यह कह रहे हैं कि पैसा डूब गया।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

जिस व्यक्ति को चोरी करने की आदत पड़ गई है, वह चार बैंकों से रकम ले लेगा और चारों बैंक से रकम लेने के बाद यदि कंपनी बन गई तो वह कंपनी के पास फिर जाएगा और वहां से भी पैसा ले लेगा। इसलिए बैंक ही रहना चाहिए। बैंक ने जिस आधार पर जिस व्यक्ति को लोन दिया, उसकी सिक्योरिटी भी जमा हुई होगी तो उस सिक्योरिटी की रकम से वसूल करना चाहिए। कंपनी लोन देगी या नहीं देगी, यह तो उस कंपनी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। मेरी मांग है कि संशोधन वापस लिया जाना चाहिए। बैंकों को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया है, उसकी प्राप्ति हेतु सार्थक कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कोई औद्योगिक इकाई रुग्ण न हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस औद्योगिक इकाई के मालिकों के खिलाफ जांच हो तथा मजदूरों के हितों का संरक्षण हो जिन्होंने इस प्रकार से पैसा दिया है। इसलिए बैंकों को रहना चाहिए और कंपनी बनाकर घाटे को दूसरे रूप में परिवर्तित करने का काम जो किया जा रहा है, जो बिल लाया गया है, मैं इस कंपनी बनाने वाले अधिनियम की आलोचना करता हूं तथा सरकार से मांग करता हूं कि कंपनी बनाने वाले अधिनियम को वापस ले और यह ठीक ही रहना चाहिए। बैंक ने जिन लोगों को लोन दिया, उनसे ठीक प्रकार से वसूल करें।

मुझे लग रहा है कि भारतीय मजदूर संघ जो ग्रामीण बैंक की स्थापना करने जा रहा है, वह उस बैंक की स्थापना न कर सकें। जिन लोगों ने धोखा दिया है, उस धोखे को छिपाने के नाते यह कंपनी बनाने जा रहे हैं। इसलिए मैं कंपनी का विरोध करता हूं और यह बैंक ही रहना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था कि बैंक लोगों को कर्जा देगी। मैं समझता हूं कि हम भी उन विचारों पर चलें। अतः मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूं। आपने समय दिया, आपको धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : सभापति महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करने में सरकार की मंशा अच्छी हो सकती है परन्तु जिस तरीके से यह अध्यादेश लाया गया है मैं उसका समर्थन नहीं करता। आजकल प्रतिदिन अधिकाधिक अध्यादेश जारी किये जा रहे हैं। यह स्वस्थ्य प्रजातान्त्रिक परम्परा नहीं है और प्रजातन्त्र के स्वस्थ कार्यकरण के विरुद्ध है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि राष्ट्रपति भवन जाकर, उनसे आग्रह करके, सम्मति प्राप्त करके अध्यादेश जारी करने की क्या जल्दी थी।

महोदय, यह तो आप जानते ही हैं कि यह अध्यादेश 24 जनवरी 1997 को जारी किया गया। सदन का सत्र 20 दिसम्बर 1996 को समाप्त हो गया था। सदन का शीतकालीन सत्र जल्दी ही समाप्त हो गया। 20 दिसम्बर को सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। अतः यदि सरकार ने इसे एक सप्ताह की अवधि के भीतर जारी किया होता तो इसकी कोई सार्थकता होती। 24 जनवरी तक, मेरे विचार से मंत्रिमंडल ने बजट सत्र के शुरू होने की तारीख के बारे में निर्णय कर लिया था। यदि मंत्रिमंडल द्वारा बजट सत्र की तारीख तय किये जाने के पश्चात् अध्यादेश जारी किये जायेंगे तो वह हमसे समर्थन की आशा कैसे कर सकते हैं ? उन्होंने एक ही अध्यादेश जारी नहीं किया अपितु तीन अध्यादेश जारी किए। ऐसा करने की कोई तात्कालिक आवश्यकता भी नहीं थी। विधेयक की प्रकृति को देखते हुए यदि दो महीने बाद भी इसे जारी किया जाता तो कोई आसमान नहीं गिर जाता। इन विधेयकों को कार्यसूची वरीयतां के आधार पर सूचीबद्ध करवाया जा सकता था। अतः तेजी से सचलित हो रही यह प्रवृत्ति कोई स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं हैं।

अध्यादेश के आशय का यहां तक सम्बन्ध है, मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण बैंक अब तक एक सांविधिक प्राधिकरण था और अध्यादेश के जारी होने के पश्चात् इसने एक कम्पनी का रुप ले लिया हैं मुझे याद है कि दो-तीन वर्ष पहले हमने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए भी ऐसा ही विधान पारित किया था। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अपने आपको कम्पनी का रूप देना चाहता था ताकि वह अपने प्रचालनों में कुछ लचीलापन ला सके और अधिक पूंजी संसाधान जुटाने के लिए पूंजी बाजार तक अपनी पहुंच प्राप्त कर सके। ये सब बातें तो हैं। इसके पीछे इरादा भी अच्छा है। प्रारम्भिक रूप में यह संस्था थी। इस संस्था ने रुग्ण इकाईयों के पुर्नरुद्धार में सहायता की। मार्च 1996 के अन्त तक संस्था ने 1375 इकाईयों को 2,983.71 करोड़ रुपये तक की संचयी मियादी ऋण सहायता प्रदान की। फिर मार्च 1996 के अन्त तक इस संस्था ने उपकरण किराया खरीद और उपकरण वित्तीय सम्पति के अन्तर्गत 36 इकाईयों को 20.8 करोड़ रुपये की और 48 इकाईयों को 600.82 करोड़ रुपये की संचयी वित्तीय सहायता मंजूर की।

अपराह्न 3.49 बजे

[श्री पी०एम० सईद *पीठासीन हुए*]

अतः इस प्रकार निस्सन्देह रूप से आई०आर०बी०आई० ने बहुत सी रुग्ण ईकाईयों को सहायता प्रदान की है। उनमें बहुत सी पुर्नजीवित हो गई है और कुछ बन्द हो गई हैं। यह सब चिन्ता का विषय है।

महोदय, मेरे मत में सार्वजनिक इकाईयां अधिक महत्वपूर्ण है। यहां एक अन्तर है कुछ सदस्यों को इन्हें प्राथमिकता आधार पर रखा जाना उचित नहीं लग सकता है, परन्तु सार्वजनिक इकाईयों के लिए हमें कुछ उदार रवैया अपनाना पड़ता है। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 200 केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में से 97 रुग्ण पाये गए। इनके रुग्ण होने के दो कारण बताये गए। एक आवश्यकता से अधिक भूमिकों की नियुक्ति। इस अध्ययन के अनुसार इन इकाईयों में लगभग 33 प्रतिशत या एक तिहाई अधिक लोग कार्यरत थे। औद्योगिक रुग्णता का एक कारण पुरानी पड़ चुकी प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल में लाया जाना भी था इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक कारण कुप्रबधन था उस अध्ययन में इस तथ्य पर अधिक प्रकाश नहीं डाला गया। परन्तु अनुभव के आधार पर यह पाया गया कि यही मुख्य कारण था। जो भी हो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि अधिक से अधिक रुग्ण ईकाईयों की रुग्णता समाप्त कर उन्हें पुर्नजीवित किया जाए। हमने इस संबंध में कितना रास्ता तय किया है ? मेरे विचार से इस बारे में की गई प्रगति कोई खास उत्साहजनक नहीं रही है।

विशेषकर आई०आर०बी०आई० के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध हैं। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 जिसे एस०आई० सी०ए० के नाम से जाना जाता है की धारा 15 के अधीन अधिकतम 1,241 मामले आई०आर०बी०आई० को भेजे गए थे। बी०आई०एफ०आर० जिसे रुग्णता के कारणों का पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा रखा गया था कि क्या उन एककों को फिर से चालू किया जा सका तथा क्या उन्हें चालू किया जा सकता था अथवा नहीं, ने आई०आर०बी०आई० के 321 मामलों में संचालक एजेंसी के रूप में नियुक्त किया था। इन 321 मामलों में से जहां उन्हें संचालक एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था, आठ मामलों में यह कार्य किसी अन्य को कैसे दे दिया गया। उन्होंने ऐसा क्यों किया ?

इस संबंध में मै इस माननीय सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मार-यूटिकल लिमिटेड (आई०डी०पी०एल०), जोंकि औषधियों के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सरकारी उपक्रम है तथा जो जीवन रक्षक दवाइयां बना रहा है, वह भी रुग्ण एकक बन गया हैं यह पहला उपक्रम हैं जिसे बी०आई०एफ०आर० ने पुनः चालू करने की स्वीकृति दी हैं उस समय इसे आई०आर०बी०आई० को न भेजकर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०ई०) जो कि एक संचालन एजेंसी थी, को भेजा गया था। मंत्रालय, आई०डी०बी०आई०, तथा आई०डी०पी०एल० के प्रतिनिधियों की बैठक हुई तथ्य कार्यबल की सहायता से बी०आई०एफ०आर० द्वारा स्वीकृति दी गई यह पहली रुग्ण परियोजना थीं मैं वहां के कार्यवल से संबद्ध हूं, मैं एक यूनियन से भी संबद्ध रहा हूं वेतन तथा भत्तों के रूप में कर्मचारियों ने अनेक प्रकार के त्याग किए हैं; उन्होंने यह भी कहा था कि वे बढ़ा हुआ मैंहगाई भत्ता नहीं लेंगे; उन्होंने बढ़े हुए वेतन तथ्य ऐसी अन्य बातों की मांग नहीं की थी।

बैठक में सभी का यह मत था कि इसे पुनः चालू किया जा सकता है। लेकिन बाद में, शायद 2 अक्तूबर, 1994 को अचानक आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने इसे अव्यवहार्य पाया। मैं नहीं जानता कि वे इस निर्णय पर कैसे पहुंचे। एक अथवा दो वर्षों के बाद उन्होंने इसे पुनः अव्यवहार्य पाया। 50 करोड़ रु० की राशि का क्या हुआ? अन्य संसद सदस्यों के साथ एक प्रतिनिधमंडल में मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिला। उन्होंने भी इसके लिए कुछ धनराशि स्वीकृति कर दी। वित्त मंत्री ने लगभग 50 करोड़ रु० की मंजूरी दी। यह एक ऐसी परियोजना थी, जो 1961 में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दवाइयों आदि के मूल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्थापित की गई थी।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की भलाई में इसका काफी योगदान रहा है। पिछली बार जब गुजरात में प्लेग फैला था तथा दवाईयों की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई थीं – उस समय पेन्सलीन उपलब्ध नहीं थी – इन लोगों ने दिन-रात काम किया था। वे सरकार को तथा रोग से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए आगे आए थें इसकी इकाईयां ऋषिकेश, हैदराबाद आदि बड़े-बड़े क्षेत्रों में हैं। इन इकाईयों द्वारा बड़ी मात्रा में दवाईयां सप्लाई की जा रही हैं। आई०डी०पी०एल० ने केवल भारत की एक प्रतिष्ठित इकाई है बल्कि पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया का एक बहुत बड़ा संगठन है। अब यह संगठन सभी इकाईयों के साथ बंद होने की समस्या का सामना कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसके पीछे कोई षडयंत्र है। पुनः आई०डी०बी०आई० ने मै० फरगुसन एंड कंपनी को संचालक एंजेसी के रूप में नियुक्त किया। यह सब क्या है ? मुझे बताया गया है कि सरकार ने कुछ निर्णय लिया है। वे यह सब क्या कर रहे हैं ?

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि 'गेट' में शामिल होने के बाद हमें कुछ क्षेत्रों में काफी सावधान रहना पड़ता है तथा एक ऐसा क्षेत्र हे अनिवार्य जीवन रक्षक दवाईयों का उत्पादन तथा निर्माण। आप जीवन रक्षक दवाईयों के महत्व के संबंध में जानते हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि कुछ मामलों में आई०डी०बी०आई० एजेंसी थी। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आज इस एजेंसी को भी कंपनी में बदलने की आवश्यकता है क्योंकि कई बार उनके पास धन नहीं होता। वे भी ऐसा कहते हैं। पहले वे किसी चीज को व्यवहार्य पाते हैं तथा बाद में वे कहते हैं कि इसे पुनः चालू नहीं किया जा सकता। अतः मै जानना चाहूंगा कि क्या आई०आर०बी०आई० के संबंध में ही ये समस्याएं हैं तथा इन समस्याओं का समाधान करने के लिए वे इसे कंपनी में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं अथवा आई०डी०बी०आई० की तरह कुछ अन्य वित्तीय संस्थान भी हैं जिन्हें रुग्ण एककों को पुनः चालू करने में एक भूमिका निभानी है। मैं इस मुद्दे के संबंध में जानना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस मुद्दे का उत्तर दें।

इसके बाद जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्हें निधियों में वृद्धि करनी होगी। कल भी माननीय सदस्यों जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया था, द्वारा ठीक ही इस संबंध में चिन्ता व्यक्त की गई थी कि लगभग 74 करोड़ रु० बट्टे खाते में डाला जा रहा है। यह भी सरकारी धन है। इस गैर-जिम्मेदारना पूर्ण दिए गए ऋण जिसकी वसूली नहीं की जा सकी, के लिए कौन उत्तरदायी हैं। आजकल देश में यह माना जा रहा है कि केवल धनी तथा प्रभावशाली लोग, चाहे वे व्यापारी हो अथवा जमींदार, वे ऋण ले सकते हैं, तथा उससे अपने काम कर सकते हैं; वे साफ बच सकते है। ऐसे उद्योगपति हैं, जो ऋण लेते हैं। कपड़ा उद्योग क्षेत्र में क्या हुआ था ? अतः स्वाभाविक रूप से हमें अपने व्यवहार द्वारा यह प्रभाव समाप्त करना चाहिए, न केवल कहकर बल्कि इसे क्रियान्वित करना चाहिए। अपने मुद्दे पर आते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि अब ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है कि इन ऋणों का भुगतान न किया जाए। विभिन्न क्षेत्रों में हम कहते हैं कि कोई भी मरना नहीं चाहता और विशेषकर सरकारी धन का कोई भी भुगतान नहीं करना चाहता। लोग सरकारी धन का भुगतान नहीं करना चाहते। यह प्रवृत्ति अब बढ़ रही है। 1997 के बाद ऋण को बट्टे खाते आदि में डाले जाने के निर्णय के बाद स्थिति और खराब हुई है।

अपराह्न 4.00 बजे

फिर भी वहां ऐसी राय नहीं बनाई जानी चाहिए। सच्चे तथा जरूरतमंद लोगों को ही ऋण दिया जाना चाहिए। हम पुनः इसे कंपनी में बदलना चाहते हैं। उनका दृष्टिकोण लचीला होगा। वे बाजार से सम्पर्क कर सकते हैं।

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही]

एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप उदार शर्तों पर सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों को ऋण नहीं देते वे अपने क्षेत्र के अन्य संगठनों के साथ खड़े नहीं हो सकते। यदि आप उनसे अन्य निजी बड़े संगठनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहेंगे तो क्या वे ऐसा कर सकते हैं ? वे ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि रुग्ण एककों को वरीयता दी जानी चाहिए तथा विशेषकर उनको जो कि सरकारी क्षेत्र में हैं। इसलिए मैं श्री चिदम्बरम से कहना चाहूंगा कि उनका इरादा अच्छा है किन्तु जिस प्रकार से अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है हम उसे उस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़) : यह एक अच्छा हस्तक्षेप है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : जसवंतसिंह जी, मैं आपके समर्थन को दूसरों की अपेक्षा अधिक मान देता हूं।

सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूरिक लिमिटेड (आई०डी० पी०एल०) के बारे में कहना चाहूंगा। मैं इसके द्वारा दी गई सेवाओं के बारे में आपको बताना चाहूंगा, इसने किस प्रकार अच्छे इरादों के साथ अपना योगदान दिया; इसे पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया था। इसने आधारभूत तथा जीवन रक्षक दवाईयों के उत्पादन तथा विनिर्माण के प्रमुख क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली हैं अब हमें यह देखकर दुख होता है कि वे इसे बंद करने का निर्णय ले रहे हैं। संसद की पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति ने कंपनी का दौरा किया था क्योंकि बी०आई०एफ०आर० द्वारा पुनः चालू किए जाने की स्वीकृति दिए जाने वाली यह पहली परियोजना थी। समिति ने संयंत्र का दौरा किया तथा इसके कार्यकरण को देखा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसकी बहुत आलोचना की। प्रबंधक वर्ग पुनः चालू किए जाने संबंधी योजना पर बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से काम कर रहा था। वे इन लोगों के प्रति बहुत ही कठोर कार्रवाई करना चाहते थे। समिति चाहती थी कि सक्षम लोगों को संगठन का प्रभारी बनाया जाए। लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। हम इस प्रकार की मूर्खताओं तथा चेयरमेन प्रबन्ध निदेशक आदि जैसे अकुशल व्यक्तियों के कारण सरकारी क्षेत्र के एकक बंद नहीं कर सकते। अतः इस प्रकार के प्रतिष्ठित संगठन को इस प्रकार नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे व्यक्तिगतरूप से इस मामले को देखें तथा वे यह भी देखें कि उन्हें इस ऋण सहायता का लाभ मिले ताकि उन्हें पुनः चालू किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : बिहार में गन्ना और जूट के सवाल को लेकर एक सांसद अनशन पर बैठे हुए हैं।

सभापति महोदय : इसके उसके लिए सदन को स्थगित कर किया जाए ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह विषय इस समय उठाने वाला नहीं है। हमें यह डिबेट कॉन्टिन्यू करनी है।

[अनुवाद]

श्री वित्त वसु (बारासाट) : सभापति महोदय, इस विधेयक को जिस सिद्धांत पर प्रतिपादित किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक का विशेष रूप से इसलिए स्वागत करता हूं क्योंकि इस विधेयक के उपबंधों के अधीन बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में होगा। मैं सिद्धांततः इससे सहमत हूं और मैं माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना करता हूं कि पिछली बार अपने बजट भाषण में उन्होंने जो वायदा किया था, उसे पूरा करने के लिए वह जल्दी ही यहां उपस्थित हुए हैं।

इस विशेष उद्देश्य के बारे में पिछली बार उन्होंने जो कहा था, मैं सदन को उसका स्मरण कराना चाहता हूं। मैं उद्धृत करता हूं :–

> "भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई०आर०बी०आई०) का गठन मुख्य ऋण, पुनर्निर्माण एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए किया गया था। मैं इन दो पहलुओं पर बल देना चाहता हूं। तेजी से हो रहे परिवर्तनों के लिए धन्यवाद। पुनर्निर्माण का भार विभिन्न हितबद्ध पक्षों, जिनमें विकासशील वित्तीस संस्थाएं भी शामिल हैं, और बैंकों द्वारा मिलकर किया जा रहा है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि आई०आर०बी०आई० को एक पूर्ण सर्वांगीण प्रयोजन वाली विकासशील वित्तीय संस्था बनाया जाए और इसका मुख्यालय कलकत्ता में हो। मैं शीघ्र ही आई०आर०बी०आई० को प्रतिवादित करने वाले अधिनियम में परिवर्तन करूंगा।"

महोदय, मैं तीन मुद्दों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला मुद्दा यह है कि उन्होंने भारतीय औद्योगिक पुनर्निमार्ण बैंक में सांविधिक संशोधन करके परिवर्तन लाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। आई०आर०बी०आई० के कंपनीकरण करने का कोई जिक्र नहीं किया गया था। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने पिछली बार जो वायदा किया था वह उससे पीछे नहीं रह गए हैं और इस बार हमने क्या कार्यवाही की है ?

महोदय, मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा था कि आई०आर०बी०आई० का मुख्य कार्य ऋण और पुनर्निर्माण एजेंट के रूप में कार्य करना था। पुनर्निर्माण ऋण और पुनर्निर्माण सहायता की पेशकश करने में आई०आर०बी०आई० की एक भुमिका थी ? निश्चत ही, इसकी भूमिका कलकत्ता में रुग्ण उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की थी।

महोदय, विशेषरूप से चूंकि मैं बंगाल से हूं, हम जानते हैं कि

रुग्ण उद्योगों को पुनजीवित करने में आई०आर०बी०आई० की कितनी बड़ी भूमिका रही है। अतः यहां तक इस विधेयक का संबंध है, मेरी पहली शिकायत यही है कि इस पहलू की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

मेरा दूसरा मुद्दा – मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा – यह है कि वर्तमान में विधेयक का उद्देश्य आई०आर०बी०आई० को ऐसी कंपनी लगाना है जो अन्य विकासशील वित्तीय निगमों, कंपनियों, एजेंसियों अथवा जो भी हो, के साथ प्रतियोगिता करने में सक्षम हो सके।

वास्तव में, मुझे यह बात समाचार पत्रों से ही पता चली – चूंकि कल मैं वहां उपस्थित नहीं था, और जब माननीय वित्त मंत्री जी ने इस विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत किया, मुझे उन्हें सुनने का अवसर ही नहीं मिला कि सरकार का इक्विटी धन 200 करोड़ रुपए था। लेकिन बाद में, मुझे अन्य सदस्यों से यह पता चला कि इस धनराशि को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। यह एक स्वागत योग्य प्रस्ताव है।

किंतु यदि यह राशि 1000 करोड़ रुपये भी कर दी जाए तो भी यह बैंक अन्य विकासशील वित्तीय कंपनियों, संगठनों और संस्थाओं के साथ प्रतियोगिता करने में समर्थ नहीं हो पाएगा।

मैं कुछ तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। आई०डी०बी०आई० की मूल पूंजी 7000 करोड़ रुपये है। आई०एफ०सी०आई० की मूल पूंजी 4000 करोड़ रुपए है। आई०सी०आई०सी०आई० को मूल पूंजी 6000 करोड़ रुपए है।

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : कितने वर्षों के पश्चात् ?

श्री चित्त बसु : ठीक है। आप भी यह चाहते हैं कि यह छोटा सा बैंक इन बड़ी संस्थाओं के साथ प्रतियोगिता कर सके। मैं बहुत विचारशील व्यक्ति हूं। पहले आपको 200 करोड़ रुपए की बात की थी अब आपने इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए रखा है। आप चाहते हैं कि यह बैंक उन बड़ी संस्थाओं, जिनमें आई०डी०बी०आई० जिसकी पूंजी 7000 करोड़ रुपए है, आई०एफ०सी०आई० जिसकी पूंजी 4000 करोड़ रुपए है और आई०सी०आई०सी०आई० जिसकी पूंजी 6000 करोड़ रुपए है, का प्रतियोगी बनें। आप चाहते है कि यह छोटा बच्चा रातों रात बड़े का रूप ले ले और तब इस तरह के अन्य बड़े व ताकतवर संगठनों का मुकाबला करें। इस मामले में यह बड़ा रूप वित्तीय विशालता का है। यह ठीक नहीं है, न्यायोचित नहीं है, इसमें अत्याधिक वित्त लगाना आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।

दूसरा, सरकार ने आई०आर०बी०आई० आधिनियम में ही कुछ सांविधिक संशोधन क्यों नहीं किया ? यह नई कंपनी क्यों बनाई गई अथवा ऐसा कंपनीकरण क्यों किया गया ? परोक्ष रूप से इसके अन्य उद्देश्य भी है। मेरे कुछ मित्रों, जो पहले बोल चुके हैं, ने सदन का ध्यान इस ओर दिलाया हैं कुछ हद तक इससे स्टाफ का हित भी प्रभावित होगा। यदि आई०आर०बी०आई० अधिनियम में ही संशोधन करके सांविधिक उपाय किया गया होता तो लोगों के मन की शंका को दूर किया जा सकता था। ऐसा क्यों किया गया ? ऐसा क्यों हुआ कि मूल अधिनियम में सांविधिक संशोधन करने के स्थान पर कंपनीकरण का रास्ता अपनाया गया ?

एक और प्रयास भी किया गया । सरकार आई०आर०बी०आई० से अपनी बकाया राशि वसूलने या समायोजित करने के मामले में भी गंभीर है। वे आई०आर०बी०आई० पर उस बकाया ऋण या बकाया धनराशि को समायोजित करना चाहते हैं जो उन्हें भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के रूप में दी गई है अथवा किसी तरीके से उसे समायोजित किया जा रहा है और मूल पूंजी से उतनी राशि कम की जा रही हैं उन्होंने इस हेतु 200 करोड़ रुपये दिए है। लेकिन मैं जानता हूं कि श्रामिक संघों द्वारा मुझे उपलब्ध कराए गए कुछ विवरणों के अनुसार 200 करोड़ रुपए धनराशि की जरूरत तो 1998 से पुनर्भुगतान करने के लिए ही आवश्यक होंगी। आप 1000 करोड़ देंगे। लेकिन 5 वर्षों में वह राशि भी 1998 से भुगतान करते करते ही समाप्त हो जाएगी। यही वह दूसरा पहलू है जिसके बारे में मुझे शिकायत है। मुझे इस पर आपत्ति हैं मैं चाहता हूं कि इस बारे में सरकार को आई०आर०बी०आई० की मूल पूंजी में आगे वृद्धि करनी चाहिए।

अंत में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस ओर ध्यान देंगें। उन्होंने आई०आर०बी०आई० के उद्देश्यों को छोड़ दिया है। मेरी समझ से आई०आर०बी०आई० का मूल उद्देश्य – वह चाहे कुछ भी समझें, हमारे विचार हमेशा भिन्न-2 होते हैं – रुग्ण उद्योगों का पुनरूद्धार करना है।

यहां इस संदर्भ में मूल उद्देश्य रुग्ण उद्योगों का पुनरूद्धार करना अथवा उन्हें पुनः शुरू करना ही नहीं है। इसका मूल उद्देश्य वित्तीय संकटों को दूर करना, किसी भी तरह से लाभ कमाना है, भले ही इसके उन्हें इसे पुनरूद्धार करने की आवश्यकता की उपेक्षा ही क्यों न करनी पड़े। यह भूल अधिनियम का उल्लंघन है।

मैं आपको बता दूं कि इस बैंक की क्या भूमिका रही। 31 मार्च, 1996 को उन रुग्ण इकाइयों जिनकी गैर कार्यकारी संपत्ति 208 करोड़ रुपये थी, 387.69 करोड़ रुपए दिए गएं इस संबंध में पश्चिम बंगाल को सर्वाधिक बड़ा भाग मिला। पश्चिम बंगाल को 70 रुग्ण इकाइयों को 197 करोड़ रुपये मिले; उत्तर प्रदेश में 39 रुग्ण इकाइयों के लिए 37.57 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश को 28 रुग्ण इकाइयों के लिए 21 करोड़ रुपए और गुजरात को 36 रुग्ण इकाइयों के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए। इस बात की क्या गारंटी है कि इस तरह के वितरण से पुनः चालू परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी और इन रुग्ण उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री पाणिग्रही ने ठीक ही कहा हैं कि औद्योगिक पृष्ठभूमि में आज सबसे बड़ी समस्या निजी क्षेत्र और सार्वजनकि क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों की रुग्णता दूर करने की है। यदि उस उद्देश्य को ही नजरअंदाज किया जाता है, उसे दर किनार रखा जाता है तो अन्य बड़े वित्तीय संगठन की स्थापना करने के उद्देश्य, से उन सामाजिक दायित्वों का निर्वाह नहीं हो जाएगा जिसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पीछे जो मूल भावना थी उसे राष्ट्र ने पूरे मन से स्वीकार किया था ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं जानता हूं आपने घंटी बजा दी है। मैं इस सदन में सर्वाधिक आज्ञाकारी सदस्य हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : आप बहुत ही आज्ञाकारी है।

श्री चित्त बसु : अतः अपना भाषण और आगे बढ़ाए बिना, मैं इस विधेयक में सुधार हेतु कुछ सुझाव पढ़कर सुनाना चाहता हूं निश्चत ही विधेयक पारित कराने में उनकी ज्यादा दिलचस्पी है और मेरी भी दिलचस्पी यही है।

आई०डी०वी०आई० के कंपनीकरण के लिए पूर्व-प्रस्तावित रूपरेखा के आधार पर कंपनीकरण होना चाहिए न कि आई०एफ०सी०आई० के। वह इस बात को जानते हैं यदि वह इस पर न ध्यान दें तो ऐसा कर सकते हैं।

प्रस्तावित कंपनी के विदेशक मण्डल से सरकार से अधिक प्रतिनिधि लेने चाहिए और उद्योग, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, अधिकारी तथा कर्मचारी एसोसिएशन से अनुपाति रूप में प्रधिनिधि लेने चाहिएं।

मेरा दूसरा सुझाव रुग्ण इकाईयों को पुनः चालू करने से संबंधित है। देश भर में उन की संख्या लगभग चार लाख तक पहुंच गई है। इस भयानक संख्या को भूलिए मत। इस समय 4 लाख कम्पनियां रुग्ण हैं। अतः आई०आर०वी०आई० अधिनियम के अंतर्गत रुग्ण उद्योगों का पुनरूत्थान पहले की भांति जारी रहना चाहिए और सरकार को हर साल रुग्ण इकाईयों के सुधार के लिए पर्याप्त बजट सहायता उपलब्ध करानी चाहिए क्योंकि सरकार रुग्ण इकाईयों के पुनरूत्थान के मामले में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है।

सरकार को प्रस्तावित कम्पनी को दीर्घकालिक ऋण देते रहना चाहिए और सरकार के वर्तमान बकाया ऋणों का समायोजन नहीं किया जाना चाहिए और न ही इसकी वर्तमान स्थिति ऐसी रहने देनी चाहिए।

आई०आर०वी०आई० की सरकार की ओर से देय राशि जो राष्ट्रीयकृत इकाइयों के वित्तपोषण के लिए उधार दी गयी है वह प्रस्तावित कंपनी को वापस की जानी चाहिए जिससे नई कंपनी ने नकदी आधार को और शाक्तिशाली बनाया जाए।

मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में दो बार विचलन किया उसका स्पष्टीकरण देंगे। और यदि वह चाहते हैं तो उन सुझावों का भी उत्तर दें जो मैंने दिए हैं।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य (सैंरमपुर) : महोदय, कल जब वित्त मंत्री महोदय बोल रहे थे उन्होंने स्पष्ट रूप से दो बातें कहीं हैं। एक है बैंकिंग विधि और दूसरा रुग्ण एककों का पुनरूद्धार। संभवतः मंत्री महोदय यह समझते हैं कि यदि वह रुग्ण एककों को अधिक राशि देते हैं, तो रुग्ण एककों का पुरूद्धार किया जा सकता है। महोदय, मैं एक साधारण सी बात कहना चाहता हूं। केवल भारी मात्रा में धन दे देने से ही रुग्ण एककों का पुनरूद्धार नहीं किया जा सकता है। रुग्ण एककों को पुनः चालू करने के लिए कभी-कभी वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, कभी आधुनिक तकनीकी जानकारी की आवश्यकता और कभी प्रवन्धकीय तकनीक की और कभी-कभी अन्य बातों की आवश्यकता होती है।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चहाता हूं कि क्या यह विधेयक लाने से देश के रुग्ण उद्योग विशेषकर जो देश के पूर्वी भाग में स्थित हैं लाभान्वित होंगे और क्या यह संगठन तकनीकी जानकारी, नई प्रबन्धन तकनीकी तथा अन्य जानकारी प्राप्त करने में सहायता देगा।

महोदय, आपकी जानकारी के लिए और इस माननीय सदन की जानकारी के लिए पूर्व संगठन आई०एफ०सी०आई० और बाद में आई० आर०बी०आई० ने विभिन्न रुग्ण इकाइयों की सहायता की है, जैसा कि मेरे सहयोगी ने उल्लेख किया। अनेक रुग्ण इकाइयां आई०आर०सी०आई० और आई०आर०बी०आई० की सहायता से चलते रहे। मेरी अपनी शंकाएं हैं। क्या यह इस विधेयक से इन उद्देश्यों की पूर्ति प्राप्ति हो सकती हैं ? मंत्री महोदय का रुग्ण इकाइयों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कलकत्ता में बैकिंग संगठन की स्थापना का इरादा अच्छा हो सकता है। किन्तु जिन छोटी इकाईयों की समस्याएं गम्भीर हैं वह कैसे चल सकती हैं ? मैं नहीं समझता हूं। विधेयक में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

महोदय, मेरा एक निवेदन है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इस विधेयक से 1,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी प्राप्त होगी। मैं उनकी अच्छी मंशा का स्वागत करता हूं। किंतु, इसमें दो बातें हैं। आई०आर० बी०ई० की स्थापना जिस प्रमुख उद्देश्य से की गई है वह है औद्योगिक पुनरूत्थान। क्या मंत्री महोदय, इस बात का आश्वासन देंगे, कि इस दीर्घ-कालिक ऋण से रुग्ण इकाईयों का पुरूत्थान किया जा सकता है? मैं जानता हूं कि आई०एफ०सी०आई० और आई०आर०बी०आई० ने रुग्ण इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में प्रौद्योगिकीय जानकारी उपलब्ध कराई है। मैं नहीं जानता कि इसका भविष्य क्या होगा।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्री महोदय की मंशा तब भी पूरी हो सकती है यदि वह आई०आर०बी०आई० अधिनियम में आई०डी०बी०आई० की पद्धति पर संशोधन के लिए सहमत हों। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे। आई०आर०बी०आई० को 125 करोड़ रुपये के प्रमुख पूंजी आधार सहित 49 प्रतिशत तक इक्विटी बढ़ाने की अनुमति देने से हम इस बात की आशा नहीं कर सकते हैं कि आई०आर०बी०आई० "विकास वित्त संस्थान" की भूमिका निभा पाएगा। सरकार को आई०आर०बी०आई० को 150-200 करोड़ रुपये की प्राथमिकता राशि कम ब्याज दर उदाहरणार्थ छह प्रतिशत दर पर देने, पर विचार करना चाहिए जो आई०आर०बी०आई० द्वारा 10-15 वर्ष की अवधि के बाद अदा कर दी जाएगी।

वित्त मंत्री महोदय आई०आर०बी०आई० को सरकारी गारंटी के अंतर्गत कर-मुक्त बॉंड जारी करके अपने संसाधन बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं, जैसे कि कोंकण रेलवे के मामले में किया गया था। अतः यह स्पष्ट है। यदि सरकार का रुग्ण इकाइयों को जीवित रखने के लिए एक बैंकिंग संगठन बनाने का इरादा है तो फिर उन्हें इस के अनुसार ही चलना होगा।

मैं एक महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आई०आर० बी०आई० के अन्तर्गत अनेक रुग्ण इकाईयां हैं। मुझे नहीं मालूम कि इन सभी संगठनों का भविष्य क्या होगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह इस संबंध में वास्तव में क्या सोचते हैं।

अंत में, मैं और एक महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं। अध्यादेश से यह पता चलता है कि भारत सरकार तुलन-पत्र में कुछ समायोजन करके आई०आर०बी०आई० के पूंजीगत आधार को काफी घटाना चाहती है जिससे प्रस्तावित कम्पनी संसाधन जुटाने के मामले में गम्भीर संकट में पड़ेगी। वित्तीय मंत्री महोदय ने इस सदन में कहा है कि इस की अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपये होगी। क्या वह सदन को यह आश्वासन दे सकते हैं कि इस क्रिया-शील निकाय के रहते हुए वह इस का वितरण उचित ढंग से कर पाएंगे ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछता हूं क्योंकि मैं यह जानता हूं कि बैंकिंग संगटन को कोई तकनीकी जानकारी नहीं है और न ही उनके पास ऐसे व्यक्ति है जो रुग्ण इकाईयों को तकनीकी जानकारी दे सकते हैं। यदि वह कर सकते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी; और यदि नहीं करते हैं तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि कृपया इस पर पुनः विचार करें।

कृपया यह विधेयक स्थायी समिति को भेज दीजिए। ताकि इस पर व्यापक चर्चा हो और तत्पश्चात् शीघ्र ही इस सभा के समक्ष आए ताकि वे उसे पारित कर सके।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति जी, बी०आई० एफ०आर० के तहत यह कल्पना की जाती थी कि देश के जो रुग्ण उद्योग हैं, उनको इसके माध्यम से निश्चित राहत मिलेगी। दुर्भाग्य से इस सदन में अनेकों बार इस बात का ध्यान दिलाने के बावजूद भी कि बी०आई०एफ०आर० के पास इतने परिवार हैं, इतने मामले हैं, उस दृष्टि से पूरा स्टॉफ भी 1987 से लेकर 1995 तक उसको स्थापित नहीं करा सका। इतने परिवारों में से मेरे कोटा नगर का भी एक परिवार था जिसको माननीय जसवंत जी और मैं लगातार सब प्रकार के प्रयत्न कराने के बावजूद भी राहत नहीं दिलवा सके। कोटा में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड करके केन्द्र सरकार का एक उद्योग था। चार साल पहले तक वह उद्योग लाभ में चल रहा था लेकिन प्रशासनिक अकुशलता के कारण वह उद्योग नुकसान में जाने लगा। वह बहुत अच्छा उद्योग था। उस उद्योग की 90 प्रतिशत वस्तुएं विदेशों में निर्यात की जाती थीं। भाईभतीजावाद के कारण उसे टेली कम्युनिकेशन के द्वारा 65 करोड़ रुपये का आदेश प्राप्त हुआ लेकिन माननीय सुखराम जी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी एक कम्पनी खोली ली जिसके कारण उसको दिये हुए आदेश वापस ले लिये गये। इस कारण से वह उद्योग जो करोड़ों रुपये के लाभ में था, अचानक नुकसान में जाने लगा। इन्हीं सारे कारणों से आज एक अच्छे संस्थान को, एक अच्छी व्यवस्था को हम बदलने जा रहे हैं। क्यों बदलने जा रहे हैं ? बदलने ही नहीं बल्कि उसका हैडक्वार्टर भी बदलने जा रहे हैं।

अब बी०आई०एफ०आर० औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की जगह माननीय वित्तमंत्री जी एक हजार करोड़ रुपये की लागत से एक नयी कम्पनी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमैंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से स्थापित करने जा रही हैं। मुझे यह निवेदन करना है कि जब तक मूलबीमारी की ओर हमारा ध्यान नहीं जायेगा तब तक कुछ नहीं होगा आखिरकार रुग्ण उद्योग जिनपर करोड़ों रुपये का बकाया चल रहा है, जो घाटे में चल रहे हैं, उन उद्योगों की तरफ से हमें क्या करना है ? हम कम्पनी बना लें या बैंक बना लें लेकिन जब तक हमारी नीयत इन उद्योगों को ठीक प्रकार से चलाने की नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी राहत उनको इस मामले में नहीं मिल पायेगी।

मेरा निवेदन करना है कि 1000 करोड़ की धनराशि नगण्य है। अरबों रुपये के नुकसान में ये उद्योग हैं, जिनको कि राहत इस कम्पनी के द्वारा देने का माननीय वित्त मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, इससे कोई राहत किसी भी मूल्य पर नहीं मिल पाएगी। एक बार सारे इंडस्ट्रियल सैट-अप पर हम विचार करें कि उसकी दृष्टि से हमें क्या करना है, इन रुग्ण उद्योगों को किस प्रकार से, कैसे उनके शेयर बेचकर, उनकी जमीन बेचकर या उनको पुनर्जीवन देने के लिए हमारी क्या नीति होगी, उसके लिए कितनी धनराशि होगी, 1000 करोड़ रुपये की धनराशि से यह कम्पनी सफल नहीं हो पाएगी। 1987 में हमने जो औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड बनाया था, जिसको कि आज हम बदलने जा रहे हैं, फिर से माननीय वित्त मंत्री जी कोई यहां नई बात लेकर आएंगे, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिलेगी।

माननीय मंत्री महोदय, आपने क्या सोचकर इसका हैडक्वार्टर कलकत्ता किया है ? जितने भी उद्योग हैं, वे सारे भारत में हैं, जो रुग्ण हैं। विशेष रूप से जितने भी सार्वजनिक उपक्रम के उद्योग हैं, वे रुग्ण हैं। उनके जो अधिकारी दिल्ली आकर सुविधापूर्वक अपनी बात करके जाते थे, अब कलकत्ता जाने से यह महंगा सौदा होगा। मेरी मान्यता है कि अगर आप कम्पनी बनाने की जिद कर रहे हैं, चूंकि मैजोरिटी फिलहाल आपके साथ है, आप 'हां' 'ना' करके इसको पास करा लेंगे, लेकिन इसका केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में रखा जाये। किसी भी मूल्य पर इसका केन्द्रीय कार्यालय कलकत्ता सुटेबल नहीं होगा, सुविधाजनक नहीं होगा। केवल मार्क्सवादी आपको बाहर से समर्थन कर रहे हैं, वे दबाव लाकर उन उद्योगों को राहत दिला देंगे, केवल पश्चिम बंगाल के उद्योगों के लिए ही आप न सोंचे, सारे भारतवर्ष के उद्योगों के लिए आप अपना विचार करें। इस कम्पनी के माध्यय से सारे भारतवर्ष के उद्योगों को राहत मिले और विशेष रूप से मेरा कोटा नगर में स्थित इंस्ट्रूमेंटेशन. लिमिटेड को, निश्चित रूप से पहली बार आप इस इंडस्ट्रियल कम्पनी के माध्यम से राहत प्रदान करें, जिससे कि एक सुन्दर उद्योग जीवन प्राप्त कर सके।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हम कितनी देर इस विधेयक पर चर्चा करेंगे ?

सभापति महोदय : अभी दो और वक्ता बोलने वाले हैं।

श्री जसवंत सिंह : मैं यह इस लिए पूछना चाहता हूं क्योंकि हमें सदस्यों की उपस्थिति प्रबन्ध करना है। उन्हें रेल बजट पर चर्चा आरंभ करनी है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप को उत्तर देने में कितना समय लगेगा ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मुझे तो केवल कुछ मिनट ही लगेंगे। किंतु आप को याद दिलाने के लिए मैं यह कहता हूं कि एक घंटे का समय आवंटित किया गया था।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें अपने सदस्यों की उपस्थिति की व्यवस्था करनी है।

श्री पी० चिदम्बरम् : एक और विधेयक भी है।

सभापति महोदय : मैं वक्ताओं से निवेदन करता हूं कि केवल पांच मिनट का ही समय लें ताकि 15-20 मिनट में हम इस विधेयक पर चर्चा पूरी करे सकें।

श्री जसवंत सिंह : क्या हम रेल बजट पर आज चर्चा आरंभ कर रहे हैं या नहीं ?

सभापति महोदय : मुझे नहीं मालूम क्योंकि अगले विधेयक पर बोलने वाले वक्ताओं की संख्या मुझे मालूम नहीं है। सचेतक एक-एक करके नाम बताते रहेंगे। यहां पर पीठासीन अधिकारियों के लिए यहीं समस्या है।

श्री सम्पथ, कृपया आप पांच मिनट ही समय लीजिए।

श्री ए० सम्पथ (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अन्तक्षण और निरसन) विधेयक, 1997 पर बोलने की अनुमति दी है।

सर्वप्रथम मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और कल श्री निर्मल कान्ति चटर्जी और आज श्री चित्त बसु ने जो आपत्तियां रखी हैं मैं भी उनसे सहमत हूं। मैं केरल राज्य से हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहां अधिक उद्योग नहीं हैं और रुग्ण उद्योगों की संख्या भी अधिक नहीं है। इस प्रकार इस क्षेत्र में हमारी भागीदारी बहुत सीमित है।

इस अवसर का फायदा मैं सरकार के साथ-साथ वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाने में लगाता हूं कि केरल में उद्योगों के विकास के लिए राज्य को अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

मैं तो यह कहूंगा कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का मामला उस डाक्टर के समान है जो बीमार हो गया है। ऐसा व्यक्ति जिसे बीमार अन्यों का इलाज करना है वह स्वयं बीमार हो गया है। और उसका एक बड़ा आपरेशन हो रहा है। वित्तीय ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय सरकार का निम्नलिखित कदम उठाने का विचार है। अर्थात्

(क) विगत गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियों के बदले में 74.90 करोड़ रुपए तक की साध्य पूंजी को बट्टे-खाते डालकर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की प्रदत्त-पूंजी को कम करना।"

इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। इसका कारण न्याय-असंतोष नहीं है बल्कि कुप्रबन्ध, हेराफेरी और कदाचार है। हो क्या रहा है कि भ्रष्ट, लालची और धोखाधड़ी करने वाले लोग खुले घूम रहे हैं। क्या हमारा देश में हेराफेरी, कदाचार और कुप्रबन्ध की अनुमति दी जाएगी ? इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती; इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। यह जनता का पैसा है। यह गरीब जनता का पैसा है। ऐसे ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे जहां गरीब लोगों के पास इतना पैसा तक नहीं कि उन्हें दो वक्त की रोटी तक नसीब हो सके। और दूसरी ओर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो करों का भुगतान नहीं करते बल्कि जनता का पैसा बरबाद करते हैं, कुप्रबन्धन में जुटे रहते हैं, हेराफेरी करते हैं। हमारे देश में यही सब हो रहा है। यदि यह सब चलता रहा कृपया मुझे इस शब्दावली के लिए क्षमा करें तो हमारे कई औद्योगिक उपक्रम अराजकता, विप्लव और अपने विनाश की राह पर जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं सरकार और वित्त मंत्री महोदय से पुनः अपील करता हूं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे वित्त राज्य मंत्री भी हैं। तब भी हम आपसे अपील करते हैं कि हमें पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं। मैंने यह मामला पिछले सत्र में भी उठाया था।

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : ताकि और अधिक घाटा हो।

श्री ए० सम्पथ : नहीं महोदय, मुझे उम्मीद है कि हम इसे सम्भाल लेंगे। हमें धन चाहिए। हमारे पारम्परिक उद्योगों को पर्याप्त हिस्सा नहीं मिलता हमारे यहां पारम्परिक उद्योग हैं लेकिन वे अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। वे न्याय प्रधान प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि विगत सरकारें और वर्तमान सरकार वायदे पर वायदे करती आई हैं। ये वायदे विवाह-पूर्व वायदों की तरह होते हैं जो विवाह के पश्चात कभी पूरे नहीं होते। मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया केरल के मामले पर भी विचार करें।

मैं विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी और श्री चित्त बसु ने जो आपत्तियां रखी हैं मैं भी उनसे सहमत हूं।

सभापति महोदय : अब श्री प्रमथेस मुखर्जी बोलेंगे। कृपया अपना भाषण 5 मिनट में समाप्त करें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहाम पुर) (प०ब०) : महोदय, प्रत्येक दिन जब भी मैं बोलना चाहता हूं आप समय कम लेने की बात कह देते हैं खैर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया हैं अपनी पार्टी, आर०एस०पी० की ओर से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य पूर्व प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान है। मैं माननीय वित्तमंत्री की उन धारणाओं का स्वागत करता हूं जो इस विधेयक में अभिकल्पित की गई हैं। मैं कलकत्ता में इसकी शुरूआत किए जाने का स्वागत करता हूं।

मुझे अर्थशास्त्र का ज्यादा ज्ञान नहीं है। इसके अलावा मैंने इस सभा में इस विषय पर कई महत्वपूर्ण भाषण सुने हैं। मैं केवल एक मुद्दे पर बोलना चाहूंगा। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के बैंकिंग और वित्तीय पहलू अथवा सामाजिक पहलू है। कई एकाधिकार घराने हैं जो जनता का शोषण करने का प्रयास करते हैं और इस संस्था के उद्देश्य को विफल करने का प्रयास करते हैं। इसलिए, मैं सरकार और वित्त मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वे कम से कम हमारे राज्य में सरकारी क्षेत्र के इन रुग्ण एककों की पुकार पर विशेष ध्यान दें। हम सरकारी उपक्रमों की रुग्णता से जूझ रहे हैं।

हो सकता है। मैं अर्थशास्त्र का अच्छा अध्येता नहीं हूं लेकिन मैं सामाजिक विज्ञान का अच्छा अध्येता हूं। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह कह सकता हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम या आई०डी०पी०एल० या धर्मशोधनालयों या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के काम करने वाले मजदूर गम्भीर कठिनाइयों से जूझ रहे हैं मैं उनकी व्यथा को अच्छी तरह से जानता हूं।

मैं बरहामपुर का रहने वाला हूं जहां कोई उद्योग नहीं है। लेकिन मेरे जिले में जो मेरा पैतृक शहर है मनिन्द्रा और बी०टी० एकमात्र कपड़ा मिल हैं।

महोदय, वहां श्रमिकों की कुल संख्या 1400 से घटकर 365 रह गई है। उनकी जमीनें बड़े-बड़े एकाधिकार व्यापारिक घरानों द्वारा हड़पी जा रही हैं। उनकी परिसम्पत्तियां, खरीदी जाती हैं। उन्हें राष्ट्रीय कपड़ा मिल के पुनरुद्धार के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं मिल पा रही है। इस मिल का राष्ट्रीकरण 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय इन्दिरा गान्धी द्वारा किया गया था। सरकारी, क्षेत्र का यह उपक्रम अब बन्द होने के कगार पर है, मजदूरों का भविष्य अन्धकारमय है और वे बेघर हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। इस उपक्रम के मजदूरों की ऐसी हालत हैं।

महोदय, ऐसी ही स्थिति मैसर्स आई०डी०पी०एल०, मैसर्स टी०ए० एफ०सी०ओ०, मैसर्स एम०ए०एम०सी० और सरकारी क्षेत्र के कई अन्य रुग्ण उपक्रमों के मजदूरों की भी है। मेरा यही कहना है। माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि वे सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए शीघ्र ही एक सकारात्मक और व्यापक पुनरुद्धार योजना लाएंगे। लेकिन यह योजना, अभी तक इस सभा में पेश नहीं की गई है, मैं समझता हूं कि इसे उचित समय पर पेश किया जाएगा। मैं यह भी समझता हूं कि वे सरकार क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार पर गौर करेंगे।

बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली के इस युग में माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इस ओर अधिकाधिक ध्यान दें ताकि इस औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को मेहनतकश जनता के हित में केवल सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के पुनर्निर्माण एवं पुनरुद्धार के प्रयोजन में ही लगाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : सभापति जी, मुझे इस विधेयक का मतलब क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा है। एक माननीय सदस्य ने यहां पर सुझाव दिया कि इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं क्योंकि इस विधेयक के औचित्य के बारे में अधिक गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए और स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा संभव है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर आप विधेयक की ओर नजर डालें और उसके ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स की तरफ देखें तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निमार्ण बैंक के बारे में एक आम समझ यह बनी रही है कि जो बीमार उद्योग हैं या बीमारी की ओर जो उद्योग जा रहे हैं, इनको बचाने के लिए बनाया हुआ यह बैंक है। लेकिन अगर इसके पूरे कार्य को हम लोग देखें और आज भी जो जानकारी सदन के सामने अनेक माननीय सदस्यों ने रखी है तथा बैंक की बैलेंस शीट को भी अगर आप देखे तो उससे भी पता चलता है कि कुल मिलाकर बीमार उद्योग के क्षेत्र में इस बैंक द्वारा बड़े और मीडियम श्रेणी के उद्योगों को कुल मिलाकर 387 करोड़ रुपए दिया गया है तथा जितनी कंपनियों को यह ऋण दिया गया है, उनकी संख्या 309 है। उसमें नगर बारीकी में जाएं तो जहां 309 कंपनियां हैं और 387 करोड़ रुपए का आबंटन है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक-एक कंपनी के हिस्से में और अधिकतम कंपनियां ऐसी हैं जिनको पचास लाख, साठ लाख रुपय बैंक की ओर से दिया गया है। लेकिन यह भी एक कंपनी है, इसका भी एक सुपर स्ट्रक्चर है, यह भी एक कॉरपोरेशन है। इसकी ओर से भी बहुत कुछ काम हो रहा है। भले ही उसको चलाने वाले लोगों के दिमाग में कई बातें रहें। लेकिन देश में बीमार उद्योगों की जो हालत है और उनके बारे में अभी बनी जो सरकार की नीति है, अगर उसकी तरफ नजर डालें तो इस बैंक के बने रहने में या जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि यह भी बीमार हो गया है, इसका बीमार होना या यह बैंक न बने रहना, इससे देश के औद्योगिक क्षेत्र में फर्क पड़ना है, यह बात मुझे नहीं जंचती है। मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि हजार करोड़ रुपए हम पूंजी डालेंगें 200 करोड़ रुपए अभी उसकी पूंजी हैं इसमें से 199 करोड़ कुछ लगाया है। इसको एक हजार करोड़ रुपए तत्काल करेंगे तथा आगे जाकर दो हजार करोड़ रुपए करने का भी उनका इरादा है। लेकिन अगर वह इरादा है और इस बैंक का जो मकसद है, उसमें रिश्ता कहां जोड़ा जाता है, वह हम समझ नहीं पा रहे हैं। बीमार उद्योगों के बारे में आपकी पहले से बनी हुई नीति है। उसी नीति के अन्तर्गत दो रोज पहले कपड़ा मंत्री ने एक लम्बा चौड़ा ब्यान पढ़ा। उस नीति में उन्होंने यह बताया, जब तक जमीन नहीं बेचेंगे, तब तक कुछ नहीं होना है और जमीन के बेचने के लिए उन्होंने मुम्बई का उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र सरकार हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रही है। हम से 'हा' कह रही है, लेकिन बाद में 'नहीं' कह रही है। हर प्रदेश में इस प्रकार की समस्यायें आ सकती हैं और जमीनें बेचकर कहां तक उद्योगों को फिर से जिन्दा रखा जा सकता है, यह भी एक बात है। जमीन बेचकर वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह देने की बात हो, तो भी जिनकी वह जमीन है, उस जीमन पर उनका कितना अधिकार रहना चाहिए, इस प्रकार के अनेक प्रश्न आ जाते हैं। इसलिए जब आपकी नीति बनी है कि बीमार उद्योग बीमार पड़े रहे, मर जायें, तो फिर क्या कहा जा सकता है।

आज हम लोगों का विश्वीकरण हो गया है, इस विश्वीकरण के कारण हमारी इस अर्थ-व्यवस्था में बीमार उद्योगों के लिए कोई स्थान

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

नहीं है। कारण यह कि जो विश्वीकरण के जो पुजारी हैं, वे अमरीका में हो या विश्व बैंक में हो या हिन्दुस्तान की सरकार में हों, तो विश्वीकरण के पुजारियों का यह कहना होता है कि जो कम्पीटिशन में टिक सकता है, वह टिके और जो नहीं टिक सकता है, वह मर जाए। एग्जिट पालिसी की बात कर्मचारियों के लिए नहीं है, एग्जिट पालिसी की बात उद्योगों के लिए भी है। जो टिक सकता है, वह टिका रहे, वरना मर जाए। ऐसी स्थिति में इस बैंक का औचित्य मैं समझ नहीं पा रहा हूं एक और भी कारण है, जिसकी वजह से मैं इसके औचित्य को समझ नहीं पा रहा हूं और वह यह है कि देश में जो कुल बीमार उद्योग हैं, उनमें छोटे उद्योगों की संख्या कम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्री जी ने इकोनोमिक-सर्वे सदन में पेश किया। इसके मुताबिक कुल बीमार उद्योगों की संख्या 2,71,206 है। इनमें से जिनको छोटे उद्योग कहा जाता है, उनकी संख्या 2,68,815 है। इतना होने पर भी नॉन-स्माल-स्केल इन्डस्ट्रीज, मीडियम और लार्जर, के लिए 309 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबक इनकी संख्या 1,919 है। इस महत्वपूर्ण सवाल आज जाता है, बैंकों के पास इन उद्योगों ने, जो आपकी इकोनोमिक सर्वे के मुताबिक बीमार हैं, ताजा सरकारी आंकड़े हैं, बैंकों से जो लिया हुआ कर्ज है, जो बैंकों के वापिस मिलने की उम्मीद इस क्षण नहीं है, वह रकम 13,739 करोड़ रुपए है। यानि, इस बैंक को बीमार उद्योगों के लिए जो पूंजी दी गई है, उसका यह तीन प्रतिशत है। मतलब यह कि 2,68,815 छोटे उद्योगों के लिए 13,739 करोड़ रुपए में से 3,547 करोड़ रुपए ही दिए हैं और आप यहां तीन सौ करोड़ रुपए की बात कह रहे हैं। इसी प्रकार 1,919 जो मध्यम और बड़े उद्योग हैं, उनको कर्ज के तौर पर 8,739 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यहां मामला हजारों करोड़ का है और आप तीन सौ या पांच सौ करोड़ रुपए की बात कह रहे हैं। इसके लिए आपने एक संस्था बना कर रखी है और पिछले तेरल साल से यह संस्था खुद ही बीमार पड़ी हुई है। इसको अगर नया स्वरूप देना है, तो उस नए स्वरूप के साथ अगर नया बैंक बनाने जा रहे हैं, तो मैं इस को समझ सकता हूं। लेकिन एक और संस्था बनानी है, उसका एक नाम है और उस नाम को चिरायु रखना है तथा कोई लोग हैं आपकी नजर में, जिनको बनाए रखने के लिए इन्तजाम करना है और इस प्रकार की बातें कह कर आप ऐसी संस्था बनाने जा रहे हैं, तो मुझे उसका औचित्य समझ में नहीं आता है।

इसलिए मैं उन साथियों के और उन सदस्यों के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाए। वहां इसकी सम्पूर्ण आवश्यकता और इसके औचित्य पर सारी बहस हो जाएगी। उसके बाद यह सदन तय करे। अगर संस्था का निर्माण करना है या जो संस्था है, उसी के जरिए जो भी होना है और जो नीति आप चला रहे हैं, उसके जरिए बरबादी की ओर ले जायेंगे, वहां ले जाने तक उसको चलाना है, तो उसको चलने दिया जाए। *(व्यवधान)*

श्री रामसागर (बाराबंकी) : सभापति महोदय, एक तात्कालिक लोक महत्व की घटना है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप इस संबंध में बोल रहे हैं।

श्री रामसागर : जी नहीं। एक तात्कालिक लोक महत्व की घटना है और आज की ही घटना है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या घटना है ?

श्री रामसागर : महोदय, पूरे देश में उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को सबसे कम दाम मिल रहा है। *(व्यवधान)* सरकार ने इसका नोटिस नहीं लिया, इस वजह से वे धरने पर बैठे गए हैं। *(व्यवधान)* महोदय, हम आपसे इतना निवेदन करना चाहते हैं कि इस मामले में सरकार को निर्देशित करें और उनकी जो समस्या है उसका समाधान करें।

सभापित महोदय : आप यहां सीनियर मेम्बर हैं। आप सरकार को डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, यह आपको मालूम है। अगर आपको इस मामले को उठाना है तो अध्यक्ष जी से मिलें और जीरो ऑवर में या किसी और समय में इसे लाएं।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के लिए, आभारी हूं।

समान्यतः मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये उस सुझाव के संबंध में कहना चाहता था कि यह विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। परंतु, इस विधेयक की पृष्ठभूमि को देखते हुए यह आवश्यक नहीं है। जैसा कि श्री चित्त बसु ने कहा है कि यह जुलाई 1996 के बजट भाषण में दिया गया आश्वासन है और प्रत्येक ने आई०आर० बी०आई० को एक पूर्ण विकासात्मक संस्थान के रूप में परिवर्तित किए जाने का स्वागत किया था और वास्तव में, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पूर्व के सदस्य बारी-बारी से मेरे पास आए और उन्होंने कहा "कृपया इसे बहुत शीघ्र कीजिए।" मुझे इस बात का दुख है कि मैं इसे जुलाई से दिसंबर के बीच नहीं कर सका। जब हमारे पास विधेयक तैयार था तो हमारे पास विधायी कार्यों के लिए समय नहीं था। इसीलिए हमें अध्यादेश जारी करना पड़ा और मुझे सदन में उपस्थित होना पड़ा।

मैं नहीं जानता कि कोई व्यक्ति इस विधेयक में कोई गुप्त कार्य सूची अथवा कुछ अद्भूत प्रावधानों को देखने की कोशिश क्यों करता हैं यह विधेयक विगत के उन विधेयकों की रुपरेखा के अनुसार है जिसमें अन्य संस्थाओं को पूर्ण विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं में परिवर्तित किया गया है।

आई०आर०बी०आई० का इतिहास प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह जानता है। आई०आर०बी०आई० उस समय शुरू किया गया था जब रुग्ण इकाईयों को पुनर्जीवित करने के लिए किसी पुनर्निर्माण बैंक की आवश्यकता थी। परंतु जैसा कि मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा है कि अब रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के अधिकांश कार्य बी०आई०एफ०आर० में निहित हैं और बी०आई०एफ०आर० रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए आई०आर०बी०आई० जैसी कई एजेंसियों की सहायता लेता है। इसलिए अब समय बदल गया हैं सन्दर्भ बदल गया हैं मुझे यह जानकर भी

दुख हो रहा है कि देश के उस क्षेत्र के बोलने वाले लोग ही यह मानकर भ्रम करते रहते हैं कि देश के उस हिस्से में ये इकाइयां रुग्ण हो जाएंगी।

बरहामपुर के एक मित्र ने कहा है कि उनके जिले में केवल एक मिल थी और वह भी रुग्ण। वहां कोई उद्योग नहीं लगाया जा रहा हैं मैं समझता हूं वास्तविक प्रश्न जो हमें पूछना चाहिए वह यह है कि उस जिले में कोई उद्योग क्यों नहीं लगाया जा रहा है ? उस जिले की जलवायु में ऐसा क्या है जो वहां नए उद्योग लगाए जाने को रोकता है ? वह एक मिल भी रुग्ण क्यों हो गई ? इसलिए, पूछा जाने वाला प्रश्न यह नहीं है कि हम रुग्ण उद्यागों के वातावरण में कई दशकों तक रहते रहेंगे। हमारे अपने आप से पूछे जाने वाले प्रश्न यह हैं कि यह उद्योग रुग्ण क्यों हो गया है ? हम विकास और वृद्धि के मार्ग पर किस प्रकार आ सकते हैं ? आखिर, इस देश में कई जिले हैं जो फले-फूले हैं। मुंबई से पूणे के रास्ते पर हम देखते हैं कि कई ऐसे जिले हैं जहां उद्योग फल-फूल रहे हैं। चेन्नई से बंगलौर के रासते पर भी उद्योग फल-फूल रहे हैं। हैदराबाद से मेडक, विशाखापतनम और विजयवाड़ा क्षेत्रों में आप पाएगें कि उद्योग फल-फूल रहे हैं। इसलिए, यह कहना ठीक नहीं हैं कि "हम रुग्ण हैं और रुग्ण रहेंगे। हमें एक ऐसी कंपनी की जरूरत है जो इन रुग्ण कंपनियों का पुनर्निर्माण करे"। हमें वह सब पीछे छोड़ देना चाहिए। हमें एक ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जहां नई कंपनियां लगें, नए उद्योग लगें, नए रोजगार पैदा हों और नई निधियां प्राप्त हों।

महोदय, आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं ? मैं नहीं कर रहा हूं जिस सन्दर्भ में आई०आर०बी०आई० की स्थापना की गई थीं मैं इसे आई०डी०बी०आई०, आई०सी०आई०सी०आई० और आई० एफ०सी०आई० की तरह की पूर्ण विकासात्मक वित्तीय संस्था बनाना चाहता हूं। अगर मैं यह प्रस्ताव बंगलौर या हैदराबाद में किसी नई कंपनी को शुरू करने के संबंध में करता तो वे उस मौके का फायदा उठाते। मैं नहीं जानता कि बंगाल के लोग इस विधेयक का समर्थन करने से क्यों कतरा रहे हैं ?

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : वित्त मंत्री जी, हम इस विधेयक का समर्थन करने से नहीं कतरा रहे हैं। हम इस विधेयक पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आपने यह कहा है कि हम इस बात पर गहराई से विचार कर रहे है कि रुग्ण उद्योगों को किस प्रकार पुनर्जीवित किया जा सकता है। परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित होने का मौका नहीं देते और केवल नई कंपनियों को वित्तीय सहायता ही देते हैं तो क्या आप समझते हैं कि वे कंपनियां आगे बढ़ेंगी ? आप मेरे राज्य का इतिहास जानते हैं। वहां उद्योग ब्रिटिश शासन के समय से शुरू हुए थे। क्या आप उन्हें बेकार कर देना चाहते हैं ?

श्री पी० चिदंबरम : आपने अपनी बात कह दी है। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। इसलिए, जो हम चाहते हैं वह यह है कि कोई पूर्ण विकासात्मक वित्तीय संस्था हो जो वह सभी कार्य कर जो आई०डी० बी०आई०, आई०एफ०सी०आई० और आई०सी०आई०सी०आई० द्वारा किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि कलकत्ते में ऐसी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कलकत्ता के महत्व अवस्थिति पूरे उत्तर पूर्व की आवश्यकता पूरी करने की क्षमता को देखते हुए, मैं सोचता हूं कि इस तरह की कोई संस्था देश के उस भाग में होनी चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि विगत में किए गए कार्य को देखते हुए यह संस्था क्या कार्य करेगी ? अब तक, बी०आई०आफ०आर० के 45 मामलों में आई०आर०बी०आई० पुनर्जीवित करने में सहायता करती रही थी। मामलों में आई०आर०बी०आई० प्रमुख कार्याकालन एजेंसी थी, 27 मामलों में कोई और कार्यपालन एजेंसी थी परंतु आई०आर०बी०आई० वित्त पोषण करने वाली एजेंसी थी। अब मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि अब आई०आर० बी०आई० की फाइलों में रुग्ण इकाइयों की जो भी स्थिति है वही स्थिति नई आई०आर०बी०आई० फाइलों में भी रहेगी। आई०आर०बी०आई० उन रुग्ण इकाईयों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से या तो कार्य पालन एजेंसी या वित्त पोषण एजेंसी के रूप में कायम रहेगी। कुछ भी कार्यक्षेत्र के बाहर नहीं होगा। परंतु नई कंपनी का यही एक मात्र कार्य नहीं होगा। जबकि कंपनी के कार्यों में वर्तमान इकाईयों को पुनर्जीवित करना एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। फिर भी यह नई कंपनियों और नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने जैसी वित्तीय विकास की नई भूमिका अपनाएगा। उससे आपके संदेह का समाधान हो जाएगा।

इस अध्यादेश के बारे में भी प्रश्न उठाए गए थे। मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि इसका एक कारण यह है कि मैं अपना यह वायदा पूरा करना चाहता था कि 31 मार्च के पहले इस कंपनी का उद्घाटन हो जाना चाहिए। अध्यादेश जारी किए जाने के बाद हमने ज्ञापन और संस्था की नियमावली तैयार करायी। कंपनी कार्य के पंजीयक के लिए हमारा आवेदन तैयार है। हमने तैयारी के सभी कार्य कर लिए हैं। जैसे ही यह विधेयक कानून बन जाएगा, मुझे आशा है कि 31 मार्च से पहले इस कम्पनी का उद्घाटन हो जाएगा। मैं आप सभी को कलकत्ता में मुझसे मिलने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम इस कंपनी की पूंजी का एक विशेष तरीके से पुनर्नियोजन कर रहे हैं।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : आप सभी दलों को आंमत्रित करें।

श्री पी० चिदम्बरम : सभी आ सकते हैं। हम इसे एक खास तरीके से क्यों कर रहे हैं ? मैं विस्तार से इस बारे में नहीं कहना चाहता। परन्तु मैंने इसका बहुत सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है। मंत्रीमंडल का यह नोट इसी से संबंधित है। इसी तरीके से इसे पुनर्नियोजित किया जा सकता है। हम यही कर रहे हैं। 'आदेशित उधार' जैसी बात भी रही हैं मैं इसके आंकड़े नहीं दे रहा हूं। आदेशित उधार की राशि आई०आर०बी०आई० को भारत सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की बकाया राशि में समायोजित हो जाएगी जिससे तुलन 'पत्र उस सीमा तक सन्तुलित हो जाये।

इसके अलावा 'आदेशित उधार' राशि में बकाया ब्याज और अन्य प्रभार की राशि भी हैं जो मेरे विचार से 'आदेशित उधार' राशि के बराबर हैं।

[श्री पी० चिदम्बरम]

अपराह्न 5.00 बजे

इसे भारत सरकार के बकाया ऋण शेष के में से समायोजित किया जाएगा और शेष आई०आर०बी०आई० की 74.30 करोड़ रुपए की इक्विटी राशि को वट्टे खाते में डालकर और 52.25 करोड़ रुपए को विमोच्य प्रिफ्रेंस शेयरों में बदलकर समायोजित किया जाएगा। यह सब सी०आर० आई०एस०आई०एल०, प्रबंध सलाहकार के परामर्श से किया जा रहा है जिसे इसके अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया है।

यह सब करने के बाद आई०आर०बी०आई० का बकाया ब्याज के संबंध में सरकार के ऊपर कोई और दावा नहीं रहेगा। तुलन पत्र स्पष्ट हो जाएगा। अब आई०आर०बी०आई० इक्विटी पूंजी और ऋण दोनों के लिए में पूंजीबाजार में प्रवेश पा सकेगी। तुलन पत्र को ठीक किए बिना न तो कोई आई०आर०बी०आई० में निवेश करेगा और न ही आई०आर० बी०आई० को एक रुपया उधार देगा। इसलिए तुलना पत्र को स्पष्ट करना ही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम इसकी शुरूआत की है। मुझे विश्वास है कि यही सही तरीका है जिसके द्वारा तुलन पत्र को संतुलित किया जाना चाहिए।

ये एन०पी०ए० कौन हैं, इस संबंध में कई प्रश्न हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं किये एन०पी०ए० कौन हैं। मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। ये एन०पी०ए० लेखे, बंगाल पोटरी, कंटेनर्स एंड क्लोजर्स लिमिटेड, डालमिया-दादरी सीमेंट, इनचेक टायर्स, इत्यादि हैं। अब प्रश्न यह है कि यह सब क्या है ? यह सब उधार है। कंपनियां विभिन्न कारणों से रुग्ण बन गई हैं। कारंवाई की जा रही है। अगर कोई अपराधिक मामला बनता है तो कारंवाई की जाएगी। परंतु आज इससे मेरा उद्देश्य किस तरह पूरा होगा ? मेरा उद्देश्य कंपनी को चलाना है और नई कंपनियों में नए कार्य शुरू करना है। मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। पूरी सूची यहां है। मैं इसे यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। सदस्य इस सूची को देख सकते हैं। इसमें छुपाने लायक कुछ भी नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि कार्य चलता रहे। विगत में जो हुआ उसे छोड़ दें। विगत से शिक्षा लेकर हम कार्य आरंभ करें और संस्था का विकास करें।

महोदय, 1000 करोड़ रुपए प्राधिकृत पूंजी हैं हम बाजार से पूंजी प्राप्त करेंगे। सरकार भी निश्चत ही कुछ पूंजी प्रदान करेगी। यह पूंजी बाजार से प्राप्त की जाएगी। किसी सदस्य ने 6000 या 5000 करोड़ रुपए के बारे कहा है। मुझे बताया गया है कि आई०एफ०सी०आई० के पास 1000 करोड़ रुपएं की प्राधिकृत पूंजी है। कुछ ही समय में यह संस्था आई०डी०बी०आई०, आई०एफ०सी०आई०ए आई०सी०आई०सी० आई० की तरह बन जाएगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : आई०एफ०सी०आई० के पास सबसे कम प्राधिकृत पूंजी है।

श्री पी० चिंदबरम : 1000 करोड़ रुपया हैं आई०डी०बी०आई० के पास 6,000 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : वह बहुत ही सक्षम विकास एजेंसी है।

श्री पी० चिदंबरम : परंतु केवल अधिक प्राधिकृत पूंजी होने से कोई संस्था सक्षम नहीं बन जाती।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं विचार से माननीय मंत्रीजी को यह बताना चाहिए कि सरकार ऐसी स्थिति में कितनी सहायता करेंगी यदि प्राधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए है।

श्री पी० चिदंबरम : सबसे पहले विधेयक को पारित होने दीजिए। जैसा कि मैंने कहा है कि 1000 करोड़ रुपए प्राधिकृत पूंजी है तो बोर्ड को यह निर्णय लेने दीजिए कि वह बाजार से कितनी पूंजी जुटा सकता है और सरकार से इसे कितनी पूंजी के जरूरत है। इस बात का फैंसला बोर्ड द्वारा किया जाएगा। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनपर मैं केवल प्राधिकारिक घोषणाएं करूं।

मैं यह कह रहा हूं कि 1000 करोड़ रुपए प्राधिकृत पूंजी है और जैसे ही यह संस्था अपना व्यापार और कार्य बढ़ाएगी, हम संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों में संशोधन कर सकेंगे और प्राधिकृत पूंजी बढ़ा सकेंगे। वास्तव में, किसी कंपनी का ढ़ांचा हमें सांविधिक निगम ढांचे से अधिक लचीलापन प्रदान करता है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी से यह प्रश्न उठाया था कि मैं आई०आर० बी०आई० अधिनियम में प्राधिकृत पूंजी का उल्लेख क्यों नही कर रहा हूं मैंने इसका विस्तार से अध्ययन किया है। अब मैं आई०आर०बी०आई० अधिनियम में धारा 4 (ए०) ला रहा हूं और यह अधिनियम का अब निरसन किया जा रहा हैं मैं इस धारा को इस अधिनियम इसलिए ला रहा हूं जिससे मैं पूंजी कम करके वे सभी बातें पूरी कर सकूं जो मैंने कुछ समय पहले कही थीं। यह धारा उसी समय समाप्त हो जाएगी जब यह निरसित विधेयक पारित हो जाएगा। इसलिए पूंजी में कमी निरसित किए जाने वाले विधेयक में संशोधित करके की जाएगी। प्राधिकृत पूंजी संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों के अंतर्गत आ जाएगी। 1000 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। और जैसे ही अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी सरकार कंपनी को और अधिक पूंजी दे देगी।

मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक के संबंध में कोई रहस्य नहीं है। यह एक साधारण विधेयक है जिसका उद्देश्य विकास का माहौल तैयार करना है। मैं सभी माननीय सदस्यों से इस विधेयक को शीघ्र ही पारित करने का अनुरोध करूंगा।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, जब यह विधेयक इस सदन में लाया गया था तो हमारी पार्टी के सदस्यों ने, विशेषकर पश्चिम बंगाल के सदस्यों ने, काफी आपत्तियां की थी। उनकी आशंकाएं थीं अधिकांश बातें माननीय मंत्री जी द्वारा स्पष्ट कर दी गई हैं, परंतु मैंने अपने अनुभव से देखा है और जैसा कि उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि जब बी०आई०एफ०आर०, आई०आर०बी०आई० सहित विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं को मामले भेजता है तो वे इसका समर्थन नहीं करते।

कई विभिन्न सदस्यों ने सदन में समय-समय पर बंगाल पोटरीज का मामला उठाने की कोशिश की परंतु ऐसा नहीं हो सका। डर इस बात का है कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि चेन्नई,

विशाखापत्तनम, और इन सभी स्थानों पर नए उद्योग लगाने के संबंध में आई०आर०बी०आई० को नई निर्धारित कार्य सूची दिए जाने के बाद पश्चिम बंगाल के रुग्ण उद्योगों की तरह ध्यान नहीं दिया जाएगा *(व्यवधान)*

श्री पी० चिंदबरम : उनको नजर अंदाज नहीं किया जाएगा।

श्री संतोष मोहन देव : जहां भी यह संभव होगा इसे फिर से चालू किया जाना चाहिए। यही आश्वासन हमने दिया था। मुझे आशा है कि ये उन मंत्रियों की तरह आश्वासन नहीं देंगे ये इसे पूरा करेंगे। बाद में ये इसे भूल जाएं। *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मुझे यह कहने कि अनुमति दीजिए कि 1991 में कुल अग्रिम राशि का 60 प्रतिशत नए उद्योगों को आवंटित किया जाएगा और 40 प्रतिशत *(व्यवधान)*

श्री सोम नाथ चटर्जी : नहीं, ऐसा नहीं होगा। *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : 1991 में ऐसा हुआ था। सरकार ने उन्हें अपनी निधियों का 60 प्रतिशत निवेश करने की अनुमति दे दी थी। 1991 में ऐसा हुआ है। *(व्यवधान)*

श्री पी० चिंदबरम : ये उसके बाद क्या करेंगे ? *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ऐसा न केवल रुग्ण उद्योगों को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था बल्कि अन्य उद्योमों के वित्तपोषण के लिए भी किया गया था। 1991 में पहले ऐसा किया गया था। मैं वित्त मंत्री को इसी बात का स्मरण करा रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारे कुछ सुझाव सुनें और वास्तव में वे उनके अपने ही सुझाव हो सकते हैं, यह उनका विचार भी हो सकता है। में इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, हम नए उद्योगों के लिए विधियों के उपलब्ध, न होने के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करते रहे है और हम उनसे बार-बार विधियां मांगते रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : आप पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष है। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसीलिए मुझे यह पता चला है। मैंने इस समस्या को स्वयं महसूस किया है क्योंकि कई इकाइयां निधियों की अनुपलब्धता के कारण शुरू नहीं की जा सकी। देश में निधियों की कमी है। वे इस बारे में जानते हैं; हो सकता है यह उनका किया-धरा हो।

सच्चाई यह हैं कि उनके पिछले बजट अभिपाषण के अगले दिन मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था कि आधार भूत ढांचे का विकास करने वाली कम्पनियों कलकत्ता में स्थापित की जानी चाहिए। चेन्नई को स्पष्ट कारणों से प्राथमिकता दिए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री पी० चिदंबरम : आई०आर०बी०आई० को कलकत्ता *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अच्छी बात है कि आई०आर०बी०आई० को कलकत्ता में स्थापित किया गया है। मैंने कहा है 'इसे रुग्ण कंपनी न बने रहने दें। यह एक रुग्ण कंपनी बन गई है। इसलिए इसको फिर चालू करने के लिए निधियां प्रदान करना आवश्यक हैं; इसे एक वित्तपोषित कंपनी बनाया जाये। मुझे खुशी है कि ऐसा किया गया है। परंतु इस बारे में कुछ संदेह हैं और मैंने उन्हें कुछ सुझाव देते हुए लिखा भी था। मैं वे सुझाव यहां बता सकता हूं। ये सुझाव उद्योगों, मैं वे सुझाव यहां बता सकता हूं। ये सुझाव उद्योगों, चैंबर ऑफ कॉमर्स और बैंकों से संबंधित लोगों के थे। ये सुझाव काफी हद तक उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं। इसलिए, हम यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस बात का अश्वासन दिया है कि रुग्ण उद्योगों की स्थिति सुधारने के साथ-साथ उन्हें पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। मैं उनसे एक नई संस्कृति लाने का अनुरोध कर रहा हूं। मैंने उन्हें ऐसे कई उदाहरण दिये हैं कि आई०डी०बी०आई०, आई०सी०आई०सी०आई० और आई० एफ०सी०आई० पूर्वी भारत की परियोजनाओं को किस तरह लंबित रख रहे हैं। मैं केवल पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं वह इससे सहमत हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता *(व्यवधान)*

श्री संतोष महोन देव : पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की बात कर रहा हूं।

इसमें संदेह नहीं है कि श्री संतोष मोहन देव के कहने के बावजूद पूर्वोत्तर भारत में कुछ और परियोजनाएं हैं।

मैंने उन्हें दूरदर्शन पर कहते हुए सुना – वे कह रहे हैं कि मैं कहां नहीं था – वे मुंबई से पुणे, चेन्नई से बंगलौर, हैदराबाद से मेंडक इत्यादि के बारें में बात कर रहे थे।

कृपया यह पता लगायें कि कितनी विधि उपलब्ध कराई गई है।

श्री पी० चिदंबरम : इसीलिए मैंने कहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए। मैंने अपने उत्तर में ऐसा कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अच्छी बात है। आखिर देर से उन्होंने महसूस कर ही लिया। इसलिए इसकी तुलना मत कीजिए और न ही इसकी प्रतिकूल बातों पर जाइये। इसलिए हम इस सम्माननीय सदन में माननीय मंत्री जी को आश्वासन दे सकते हैं कि अगर कोई वित्त पोषण करने वाली एजेंसी बन जाती है तो औद्योगिक इकाइयों को कमी नहीं होगी।

सभापति महोदय : उन्होंने आपके आने से पहले ही यह कह दिया है।

श्री पी० चिदंबरम : मैने ऐसा कहा था। आपने सुना नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह कह रहा हूं कि यह काम कर

श्री पी० चिदंबरम : वे अपनी बात पर जोर दे रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे सक्रिय होना चाहिए ?। इसका सही समर्पित का दृष्टिकोण होगा यही हम चाहते हैं मंत्री जी इसका आश्वासन दें। मैं जानता हूं कि नए आई०आर०बी०आई० में ऐसे अधिकारी हैं जो ऐसा करना चाहते हैं, बशर्ते नार्थ ब्लॉक से इन्हें प्रोत्साहन दिया जाए और सही दृष्टिकोण अपनाया जाए। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं। उनका अच्छा प्रभाव है और मुझे विश्वास है कि 31 मार्च को, अफवाहों के बावजूद, जब वे वहां जाएंगे तो उन का स्वागत होगा। वे कहते हैं कि वे मुख्यमंत्री को आमंत्रित करेंगे। ऐसा उन्होंने मुझसे कल कहा था। पता नहीं वे मुझे आमंत्रित करेंगे या नहीं। मैं उन्हें हर प्रकार की शुभकामनाएं देता हूं। परंतु वे इस बात का आश्वासन दें कि देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्से में सही परियोजनाओं के लिए विधियों की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं उनसे यह आश्वासन चाहता हूं।

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : आई०आर०बी०आई० इन वर्षों के दौरान, पश्चिम बंगाल और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में रुग्ण उद्योगों की मदद कर रहा था। इसने कुछ तकनीकी कार्मिक और तकनीकी विशेषज्ञ तैयार किए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आई०आर०बी०आई०निधियों की कमी के कारण सही ढंग से और सफलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकी इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यदि आई०आर०बी०आई० को पर्याप्त निधियां और इन वर्षों के दौरान तैयार किए गए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की जाएं तो पश्चिम बंगाल और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार हो जाएगा। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि आई०आर०बी०आई० को पर्याप्त निधि नहीं दी जा रही है और पूंजी की कमी के कारण रुग्ण उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। अन्यथा, इन वर्षों के दौरान आई०आर०बी०आई० ने जो तकनीकी विशेषज्ञ, और तकनीकी कार्मिक तैयार किए हैं। वे निश्चय ही काफी महत्व के हैं। इसलिए, मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे आई०आर०बी०आई० को बर्बाद न होने दें बल्कि पर्याप्त निधियां देकर इसे मजबूत बनाने की कोशिश करें।

सभापति महोदय : डा० पाल, उन्होंने अपने उत्तर में यह पहले ही कह दिया है।

[हिन्दी]

आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, जो बात मैं कहना चाहता हूं वह मुझे कहने का अधिकार हैं आप मुझे संरक्षण प्रदान करेंगे। जैसा मैंने प्रारम्भ में अध्यादेश लाने की जो बात कही थी कि कार्य चाहे अच्छा हो या जैसा भी कार्य हो, अगर वह अध्यादेश के माध्यम से होता है तो वह उचित नहीं है और फिर 24 जनवरी को यह लाया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था और 24 जनवरी के दिन यह महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कराकर अध्यादेश को लाये, जब कि यह अधिवेशन होने वाला था। मैं साम्यवादी बंधुओं से यह अपेक्षा करूंगा कि वे जिस सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं 13 पार्टनर्स हैं और 13 अध्यादेश यह सरकार ले आई है। आप भी कभी इधर बैठते थे तब कहते थे कि अध्यादेशों की प्रवृत्ति की हम निंदा करते हैं। तो आपकी कथनी और करनी में कम से कम अंतर नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसीलिए, मैं उनसे आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी माननीय चिदम्बरम जी ने उत्तर देते हुए जो कहा है, मैं समझता हूं कि सच्चाई से इन्होंने मुंह मोड़ने का प्रयास किया हैं वह सवाल तो जानना चाहते हैं कि बंगाल के अंदर और नॉर्दन ईस्ट के अंदर सिकनेस क्यों है, लेकिन उसकी तह के अंदर जाने का और कहने का साहस नहीं जुटा पाये हैं और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि यह औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक कंपनी में परिवर्तित हो जायेगा और रुग्ण इकाईयों को रिवाइवल के लिए आप सहायता भी प्रदान करते रहेंगे, लेकिन जब तक हड़तालों, घेरावों आर कामबंदी के ऊपर आप पाबंदी लगाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अधिकार मांगो, अधिकारों का हम समर्थन करते हैं। लेकिन जैसे भारतीय मजदूर संघ कहता है कि 'राष्ट्र हित में करना काम, काम के बदले लेंगे पूरा दाम' ...*(व्यवधान)* लेकिन जब कलकत्ता, बंगाल में मैंने देखा एक नारा लग रहा था 'चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हों'। अगर इस तरह से चाहे जो मजबूरी हो और काम नहीं करेंगे और केवल सिक यूनिट्स के नाम पर औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक से मदद लेते जायेंगे तो फिर ये सारी इकाईयां सिक नहीं होंगी तो क्या होंगी। हमारी साथियों ने कुप्रबंधन, मिसमैनेजमैंट की बात की है, वह भी कुछ हद तक सत्य है। लेकिन उसके साथ उसमें जितने भी लोग है उन सबकी भी जिम्मेदारी है।

मैं आपके माध्यम से सरकार के भागीदार दलों से कहना चाहूंगा कि जब आपने बंगाल में इस बैंक के मुख्यालय को स्थापति करने का निर्णय ले लिया है, उसके साथ-साथ देश में जितनी रुग्ण इकाईयां हैं, वे भी लाभप्रद बने। हमारा सार्वजनिक उपक्रम लाभ में आयें, यह अच्छी बात है लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि यह सरकार सी०पी०आई० और सी०पी०एम० जो इसके सपोर्टर हैं, उनके दबाव में आकर औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित करना चाहती है ...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है क्योंकि मैंने इस विधेयक के निरनुमोदन का सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया है और मैं इस विषय पर आपका संरक्षण चाहता हूं ताकि मैं अपनी बात पूरी कह सकूं।

सभापति महोदय : संक्षेप में कहिए।

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति जी, आज कुछ लोग पत्तों को

पानी दे रहे हैं, जड़ों को पानी नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस देश से सभी बुराइयां दूर हों। अब हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है, उदारीकरण शुरू हो गया, वैश्वीकरण शुरू हो गया, जिससे अनिवार्य रूप से सभी चीजों में प्रतिस्पर्धा की स्थिति आएगी लेकिन ···*(व्यवधान)* मैं अपनी बात कह रहा हूं और मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है ···*(व्यवधान)*

मैं भी वहीं कह रहा हूं कि टाटा और बिड़ला जैसे बड़े मोनोपोलिस्ट इसका विरोध करते हैं *(व्यवधान)* लेकिन वहां काम करने वाले लोगों के परिश्रम के कारण, उसमें आगे बढ़ने की भावना के कारण, हर चीज लाभ में परिवर्तित हो जाती हैं दूसरी ओर हमारे सार्वजनिक उपक्रमों में जहां बहुत ज्यादा अधिकारी हैं, दुनिया भर का लबाजमा है, वे घाटे में चलते हैं। इसका कारण मैं आपको बताता हूं क्योंकि पीछे जब मैं गोरखपुर गया था *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मुद्दे पर आईए। दो घंटे से ज्यादा इस बिल में लग चुके हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं आपको एफ०सी०आई० गोरखपुर की बात बताना चाहता हूं। वह यूनिट 6 महीने से बंद पड़ी थी, अब तो उसे दो-तीन साल हो गये होंगे, मगर उसके कर्मचारी घर बैठे तनख्वाह ले रहे थे लेकिन उसकी रिवाइवल के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहें अगर सब कुछ ऐसे ही चलना है तो देश में वैसा ही होता रहेगा, जिससे मुझे कहना पड़ेगा –

निकले हैं कहां जाने के लिए,

पहुंचेंगे कहां यह मालूम नहीं।

इन राहों में भटकने वालों को

मंजिल की दिशा मालूम नहीं।।

उसके बाद वही स्थिति हो जाएगी कि जैसे-जैसे हम इलाज करेंगे, वैसे-वैसे मर्ज बढ़ता जाएगा –

'मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की'।

सभापति महोदय : आप कहां-कहां जाते हैं, कभी गोरखपुर, कभी कहीं और, आप बिल पर आइए और इसी पर बोलिए।

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति जी, स्टैडिंग कमेटी की बात भी आप नहीं मान रहे हैं। हमारे मित्रों ने इस विधेयक को स्थाई समिति को भेजने का प्रस्ताव किया था, अन्यत्र इस पर विचार-विमर्श की बात कही थी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का जो ढांचा है, उसकी कुछ राशि को बट्टे-खाते में डालने की कार्यवाही पर संसद की मुहर लगवाने के लिए, यहां जो कुछ किया जा रहा है, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। इस बैंक की 52.25 करोड़ रुपए की रकम को 6 प्रतिशत पर 10 साल के लिए मोचनीय करने वाली बात का मैं विरोधी हूं। आप एक बड़ी रकम को बट्टे-खाते में डालने के लिए इस बिल को यहां लाए हैं, उस पर संसद की मुहर लगाना चाहते हैं, इसलिए संसद में लाए गए औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक विधेयक का मैं विरोध करता हूं और अपने प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : क्या आप अपने रिजौल्यूशन को विदड्रा नहीं करना चाहते ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप संकल्प वापिस ले रहे हैं ?

प्रो० रावत सिंह रावत : जी नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1997 को घोषित औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश, 1997 (वर्ष 1997 की सं० 7) को अस्वीकृत करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह विधेयक भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के उपक्रमों के अंतरण और निहितीकरण का उपबंध करने वाल विधेयक, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी बनाए जाने और कम्पनी के रूप में पंजीकरण किए जाने और उससे संबंधित मामलों या प्रभावी मामलों तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 को निरसन करने के लिए है, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारिम किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.22 बजे

निक्षेपागार संबंधित विधि (सशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

निक्षेपागार संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब यह सभा मद सं० 9 और 10 पर एक साथ चर्चा इसके लिए एक घंटे का समय आवंटित किकया गया है।

श्री गिरधारी : लाल भार्गव बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाला भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 15 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित निक्षेपागार संबंधित विधि(संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

मैं डिपोजिटरीज रिलेटैड लाज (अमेंडमेंट) बिल, 1997 को प्रोमलोट करने वाली राष्ट्रपति महोदय की उद्घोषणा का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि यहां पर यह हो रहा है कि मेरी पार्टी और मेरा अध्यादेश, किसी एक पार्टी के नाम पर एक अध्यादेश निकाला जा रहा है। मैं अनेक बार इस सदन में कह चुका हूं कि बार-बार अध्यादेश निकालना उचित नही है। इसके बारे में जो अध्यादेश निकाला गया है यह पहले ही आ चुका था। माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यह 20 सितम्बर 1995 को ही आ चुका है और उस पर इस सदन में चर्चा भी हो चुकी है। इसमें :–

अपराह्न 5.23 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

किस प्रकार की कमियां पाई गई हैं और इसके कार्यान्वयन में क्या कठिनाईयां आ रही हैं ? इन बातों का, उल्लेख किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस समय भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि इसमें जो उद्देश्य और कारण किए गए हैं उनमें इस डिपोजिटरी विल को लाने की क्यों आवश्यकना पड़ी और इसको लाने के बाद कौन-कौन से लाभ होंगे ये बातें नही दी गई हैं। मैंने पहले भी आपसे मांग की थी और अब फिर आप इसमें एक नई धारा डिपोजिटरी की जोड़ने जा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको संसद की फायनेंस मिनिस्ट्री की स्टेंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए। यह कमेटी इसकी प्रत्येक धारा पर विचार करे और उसे बाद यदि वह सदन में आए, तो मैं समझता हूं कि मुनासिब होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके क्या लाभ होंगे और क्या नुकसान होंगे, यह बात भी इसके आबजैक्ट्स एंड रीजन्स के स्टेटमेंट में नहीं बताई गई है। यह बात आनी चाहिए। मेरी तीसरी बात यह हैं कि

[अनुवाद]

इस विधेयकक में, जे०पी०सी० की विभिन्न सिफारिशें में उल्लेख किए गए अनुसार, जमाकर्त्ताओं के लिए सुरक्षा और पूर्व में होने वाली गलत परम्पराओं को रोकने का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

जे०पी०सी० में जो रिक्मेंडेशन की गई थी उन सारी रिक्मेंडेशंस को लागू करने के लिए यह सरकार इस प्रकार का अमेंडमेंट लाई है और यही डिपोजिटरी बिल का कंसैप्ट है। यह बात इस देश के लिए एक प्रकार से नई है। इसलिए मेरा कहना यह है कि

[अनुवाद]

ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि छोटे निवेशक सुरक्षा चाहते हैं और पूंजी बाजार भी सुक्षामता से चलना चाहिए। इसलिए मेरा पहला प्रश्न यह है कि इसकी व्यवस्था कौन करेगा ?

[हिन्दी]

इसमें डिपाजिटरी कौन आदमी होगा ? यह मेरा चौथा बिन्दु है और पांचवां मेरा निवेदन है कि

[अनुवाद]

निवेशकों को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान की जाएगी और पूंजी बाजार किस प्रकार नियन्त्रित किया जाएगा ? निवेशकों का परिचय कराने का विशेषाधिकार किसे मिलेगा ?

[हिन्दी]

यानी डिपाजिट कौन खोलेगा, इस बात को कौन तय करेगा। कौन व्यक्ति डिपाजिट खोलेगा, इस को तय करने के लिए मेरा निवेदन है कि आर०बी०आई० की एक कमेटी बनाई जाए जिसमें योग्य और सक्षम आफीसर हों, वे यह बताएंगे कि कौन आदमी डिपाजिट करेगा। इसका प्रमाण कौन अथारिटी देगी, इसका भी इसमें कहीं उल्लेख नहीं किया गया हैं कैपीटल बेस 100 करोड़ रुपए का होना चाहिए। इसमें आडिट का भी प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए इसमें ऑडिट का प्रावधान भी हो। ऑडिट कौन करेगा, कौन खोज करेगा, इसका भी कही पर जिक्र नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि लेखा परीक्षा न होने के कारण, साक्षा निधियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनियमितताएं और धोखाधड़ी की जाती है।

[हिन्दी]

अंत में मेरा निवेदन यह है कि

[अनुवाद]

जमाकर्ताओं द्वारा अतरण के दौरान होने वाली धोखाधड़ी और घोटाले के कारण होने वाले को झेलेगा ? क्या कम्पनी घास उठाएगी ? इसके द्वारा लिया जाने वाला सेवा शुल्क क्या होगा ?

[हिन्दी]

इन सारी बातों का इस बिल में कुछ जिक्र नहीं किया गया है इसलिए मैं इस अध्यादेश की प्रवृत्ति का विरोध कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको जल्दी में पास न कराइयं। फाइनेंस की जो सेलेक्ट कमेटी बनी है, उस कमेटी को दें। कमेटी उन सारी रिकमेंडेशन्स पर विचार करे। उसके बाद यह बिल लाया जाये तो मुनासिब होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेश लाने वाली सरकार की प्रवृति रही है, जब यह विपक्ष में बैठा करते थे तो आलोचना करते थे। कुछ 40 लोगों ने उधर जाकर जब अपनी सरकार बना ली तो यह अपने कर्त्तव्य को भूल गये हैं। आज यह आर्डिनैंस लायेंगे, 13-13 आर्डिनैंस लायेंगे। इसलिए विपक्ष में जाकर, आखिरकार यह जो सामने बैठे हुए हैं, वे विपक्ष के ही लोग हैं, उनको अपने पुराने आचरण को, जो उनका पुराना कृत्य है, उसको न भूलें और आर्डिनैंस न लायें। इन सारी बातों को आप फाइनेंस की सेलेक्ट कमेटी को भेज दें तो मुनासिब होगा। उसके बाद एक बिल लाया जाये। मैं समझता हूं कि यही बात मुझे आपकी सेवा में निवेदन करनी थी। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, कंपनी अधिनियम, 1956, भारतीय स्टेट बैंक (सामनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बेंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, आप को याद होगा कि इस सभा द्वारा निक्षेपागार विधेयक पास किया गया था और राष्ट्रीय प्रतिभूर्ति निक्षेपागार लिमिटेड, प्रथम निक्षेपागार है जो कि 8 नवम्बर 1996 को गठित हुई थी। निक्षेपागार का आरम्भ होने के पश्चात् हमने यह पाया कि उसमें कुछ क्रियान्वयन संबंधी कठिनाईयाँ है और इस विधेयक का संशोधन कर उन्हें दूर करने की मांग की गई है।

वास्तव में, पिछली बार यहाँ तक कि चर्चा के दौरान भी राज्य सभा के एक माननीय सदस्य द्वारा एक समस्या का उल्लेख किया गया था। जब उन्होंने कहा कि धारा 9(2) में कमी रह गई थी और उस कमी को दूर करना है, मैंने उनसे कहा था कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कमी है। लेकिन मैंने उनसे विधेयक पारित करने की अनुमति माँगी ताकि निक्षेपगार का गठन हो और मैं उसे यथाशीघ्र संशोधित कर दूंगा। एक संशोधन ऐसा है जिसे मैं उस कमी को दूर करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका उल्लेख राज्य सभा के एक माननीय सदस्य ने मुझसे किया था।

दूसरा, कम्पनी अधिनियम तथा निक्षेपागार अधिनियम में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप अब शेयर आराम से हस्तांतरित किए जा सकते हैं। लेकिन फिर, हमारे ध्यान में लाया गया कि जैसा कि धारा में कहा गया है कि यदि एक कम्पनी शेयर हस्तांतरित करने अथवा आदेश पारित करने से मना कर देती है तो निवेशकर्त्ता के लिए कोई उपाय नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि उस कम्पनी के विरूद्ध निवेशकर्त्ता के लिए कोई उपाय निकाला जाए जो कम्पनी हस्तांतरण संबंधी आदेश पारित करने से इंकार करती है जबकि हस्तांतरण के लिए आवेदन पत्र दिया जाता है। अब इसके लिए भी उपबंध किया जा रहा है।

तत्पश्चात् महोदय, निक्षेपागार से संबंधित कम्पनियों के शेयरों पर स्टैम्प अधिनियम लागू नहीं होता है। कारण स्पष्ट है। निक्षेपागार अभौतिक किये गये शेयरों में कारोबार करता है। स्टैम्प उनकी कोई स्क्रिप नहीं होती। स्टैम्प अधिनियम की बात नहीं उठती क्योंकि यह अधिनियम केवल कम्पनियों के शेयरों की बात करता है। अब यू०टी०आई०, एस०बी०आई०, के समनुषंगी बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निक्षेपागार में शामिल होना चाहते हैं। उनके मामले में चूंकि 'कम्पनी' शब्द में संविधिक निगम शामिल नहीं होते हैं इसलिए हमें यह बताया गया था स्टैम्प अधिनियम से छूट लागू नहीं होगी और जब तक कि स्टैम्प अधिनियम से उनके 'स्क्रिपों' को भी छूट देने का संशोधन पारित नहीं किया जाता, तब तक स्टैम्प अधिनियम उन पर लागू रहेगा। अतः आज जो प्रावधान मैं संशोधनकारी विधेयक में कर रहा हूँ वे पूर्णतः पारिणामिक संशोधनकारी उपबंध हैं जिससे कि अधिनियम की विषमताओं को दूर किया जा सके तथा निक्षेपागार की कार्यप्रणाली को अधिक कुशल और कारगर बनाया जा सके। कानून में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं। निक्षेपागार में गठन के पश्चात् पिछले तीन-चार महीनों में हुए अनुभव के परिणामस्वरूप हम समझते हैं कि ये संविधान आवश्यक हैं। विधि मंत्रालय ने इस पर विचार किया है और वह इस बाते से संतुष्ट हैं कि ये संशोधन आवश्यक हैं।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को पारित करने के लिए अपना सहयोग दें। अध्यादेश को पारित किया गया था क्योंकि निक्षेपागार का गठन पहले ही हो चुका था और हम अपनी कानूनी किताब में इन विषमताओं को रहने नहीं देंगे। अतः अध्यादेश पारित किया गया था। इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए हम यथाशीघ्र यहां आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 15 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित निक्षेपागार संबंधित विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्याक 5) का निरनुमोदन करती है।"

> "कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, कंपनी अधिनियम, 1956, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में और

संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० रासा सिंह रावत।

श्री पी० चिदम्बरम : प्रो० रासा सिंह रावत को इस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी वित्त मंत्री जी द्वारा निक्षेपागार संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक इन्वैस्टर्स, कम्पनीज तथा शेयर होल्डर्स वगैरह की सुरक्षा के लिए तो था ही, लेकिन उसमें जो कानूनी कमिया रह गई थीं, वे कमियां भी इसलिए रह गई थीं कि "हेस्ट मेक्स वेस्ट, लेट बट नॉट दि लेट" देर आयद, दुरूस्त आयद और जल्दी का काम शैतान का होता है, हिन्दी के अन्दर यह एक कहावत है। उस समय जब यह बिल लाया गया था, यह सरकार बनी थी, उस समय भी पहले हमनें यह कहा था कि निक्षेपागार अधिनियम *(व्यवधान)*

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसार मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहीम) : जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम आपका हर काम देरी से करेंगे।

प्रो० रासा सिंह रावत : वह कहावत है, उतावला सो बावला। "लुक बिफोर यू लीप" कूदने से पहले, आगे बढ़ने से पहले उसका चिन्तन कर लेना चाहिए हमने उस समय भी यह अनुरोध किया था कि अगर इसको स्टैंडिग कमेटी के पास में पहले भेज दिया जाये। जब यह बिल मूल रूप से 1996 के अन्दर लाया गया था और जब हिन्दुस्तन की सबसे पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एन०एस०डी०एल०, 1996 'केम इन्फ्रा, एग्जिस्टेंस,' स्थापित हुई थी, तो उससे पहले जब यह बिल लाया गया था तभी हमने कहा था कि भली प्रकार से विचार-विमर्श करके समग्र विधेयक, कॉम्प्रीहैंसिव बिल सदन के सम्मुख आना चाहिए, परन्तु उस समय हमारी बात को शायद सुना अनुसुना कर दिया गया। परिणामस्वरूप बहुत जल्दी इसमें यह संशोधन की आवश्यकता पड़ी और यह संशोधन भी इसलिए कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1989, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, कम्पनी अधिनियम, 1956, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1957, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 बैंककारी कम्पनी उपक्रम का मंत्रणा अधिनियम, 1976, बैंककारी कम्पनी अधिनियम, 1980, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 को और संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। इससे स्पष्ट पता लगता है कि पहले जो बिल लाया गया था, उसमें उन कम्पनी के शेयर होल्डर्स वगैरह की सुरक्षा या स्मॉल इन्वैस्टर्स वगैरह की सुरक्षा थी, लेकिन जो कारपोरेट बॉडी होती थी जो ऐसे निगम या निकाय वगैरह होते थे, उनको इसका लाभ नहीं मिलता था। अब इसमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्यान्य भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक इत्यादि इसमें लाभान्वित होना चाहते थे और ये भी शेयर वगैरह लगाकर इसमें भागीदार बन सकते थे, इसलिए यह जो विधेयक लाया गया है, हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि यह अच्छे उद्देश्य के लिए लाया गया है।

परन्तु एक बात हम अवश्य कहना चाहेंगे कि अच्छे उद्देश्य के बारे में गांधी जी कहा करते थे कि जब लक्ष्य, उद्देश्य अच्छा हो और साध्य अच्छा हो तो उसके लिए साधन भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन यह जो अध्यादेश लाये हैं, आर्डिनेंस के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से लागू किया, अब जब 20 फरवरी से संसद् का अधिवेशन शुरू हो ही रहा था और 15-20 दिन के अन्दर ऐसा कुछ होने वाला नहीं था तो इसको थोड़ा रूककर लाते, लेकिन चूंकि इनकी भी वही प्रवृत्ति है, जो भी राज में आता है, वह राज के दुर्गुणों से युक्त होता है, इसलिए यह भी अध्यादेश के माध्यम से जो लाये हैं, तो अध्यादेश की प्रवृत्ति की तो मैं निन्दा करता हूं। लेकिन इस विधेयक का जो कानून की कमी को दूर करने के लिए लाया गया है, जैसा कहा गया :

[अनुवाद]

कुछ कानूनी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से निक्षेपागार अधिनियम, 1996, कम्पनी अधिनियम 1956, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया था।

[हिन्दी]

अभी-अभी हमने इससे पहले इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक आफ इंडिया का संशोधन किया है और अभी उसका नाम कम्पनी में हो गया, क्या यह कानूनी कमी नहीं रहेगी, क्या लीगल लैकुना फिर नहीं रहेगा ?

क्या उसका नाम पहले अध्यादेश में लागू हो गया है और वह लिमिटेड बन गई है, इंवैस्टमेंट कम्पनी बन गई है, इसलिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की तरह इसका नाम भी बदला जाना चाहिए। क्या इसमें फिर कमी नहीं रह जाएगी ? इसलिए इस पर गम्भीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है। इसमें लिखा है भारतीय औद्योगिम पुनर्निर्माण बैंक किया जाएगा। अध्यादेश के माध्यम से जो विधेयक पास किया है उस अधिनियम के द्वारा जो नाम परिवर्तित हुआ है वह नाम इसमें आना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस कानूनी पहलू की ओर ध्यान देकर सरकार को इस सम्बन्ध में निर्देश देना चाहिए।

दुनिया बहुत छोटी हो गई है, उदारीकरण की प्रक्रिया चल रही है। ट्रेड एंड सैटलमेंट सिस्टम बदल रहा है। व्यापार की दृष्टि से जो उन्नतशील देश हैं उनके अंदर डिपाजिटरीज बड़ी सफलतापूर्वक कार्य कर सकें, इसमें आडिटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। भविष्य में जो छोटा-मोटा काम करने वाले आम लोग हैं, जो इसमें पैसा जमा कराना चाहते हैं, उनको हानि न हो, उनके साथ धोखाधड़ी न हो और चोरी न हो, इसके बारें में भी पूर्ण सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि हर्षद मेहता जैसे लोगों को सजा नहीं मिलने के कारण वे खुले घूम रहे हैं। शेयरों में कभी-कभी बहुत उछाल और मंदी इन्हीं लोगों के कारण आ जाती है। आम लोगों को फिर धोखा न खाना पड़े, शेयरधारकों की सुरक्षा भली प्रकार से हो सके, इसका आश्वासन

मंत्री जी दें। आपने सेबी बना दी, उसके रेगुलेशन के लिए डिपाजिटरीज के स्टाक एक्सचेंज के नियम बना दिए हैं। सब कुछ बनाने के बाद भारतीय शेयरों में मजबूती आनी चाहिए और जो धन शेयर बाजार में लगा है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए तथा अधिक धन आना चाहिए। इन बातों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मैं पुनः कहना चाहता हूं कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक बदल गया है, उसकी जगह कम्पनी बन गई, वह नाम परिवर्तित हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री शफीकुर रहमान बर्क (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि राजेश रंजन जी पार्लियामेंट के गेट पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ऐसा न हो कि जान खतरे में पड़ जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठिए। कुमारी ममता बनर्जी।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (दक्षिणी कलकत्ता) : महोदय, निश्चय ही, कल मैंने इस अध्यादेश का विरोध किया था क्योंकि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो अध्यादेश जारी नहीं किए जाने चाहिए। अतः, आज मैं वही बात दोहराने नहीं जा रही हूं।

पहले वर्ष 1996 में इस विधेयक को पारित किया गया था। लेकिन यह राज्य सभा में पारित नहीं हो सका था। इसलिए यह विधेयक लोक सभा में लाया गया था। मैं वहीं समझती कि इसमें बहुत कमियां हैं। अतः मैं इस विधेयक को समर्थन देने के लिए खड़ी हुई हूं। मेरा विचार है ये सरकार शेयर बाजार और पूंजी बाजार को बढ़ाना चाहती है तथा विशेष रूप से निक्षेपागार और प्रतिभूतियों द्वारा अधिक धन का निवेश भी करना चाहती है। वे इस विधेयक द्वारा उनके नाम, उनका ब्यौरा, उनकी कम्पनी का नाम तथा सब कुछ पंजीकृत करने जा रहे हैं।

ये विधेयक की अच्छी बातें हैं। लेकिन विधेयक के खंड 9 में कुछ कमियां हैं। श्री चिदम्बरम् ने जो कहा वह यह था कि कम्पनी अधिनियम की धारा 82 के पश्चात् एक नई धारा 83 को जोड़ा जाएगा, जिसके अनुसार किसी भी कम्पनी जिसकी शेयर पूंजी है उसका प्रत्येक शेयर अपनी एक उपयुक्त संख्या से जाना जाएगा। मैं नहीं जानती कि इस 'उपयुक्त संख्या' का क्या अर्थ है।

मैं यहां केवल दो या तीन बातें कहना चाहती हूं। आजकल, हमारे देश में समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है। यहां तक कि वोहरा रिपोर्ट से भी आपको यह पता चलेगा कि माफिया गिरोह का एक वर्ग, राजनीतिज्ञों का एक वर्ग और प्रशासन का एक वर्ग देश में समानान्तर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं।

इस समानान्तर अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने हेतु सरकार को दृढ़ता से काम लेना होगा।

हां कुछ चिट कम्पनियां हैं जो कि धोखा-धड़ी कर रही है। उन्हें इस विधेयक लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस विधेयक का लाभ उठा कर वे अपनी कम्पनी को विभिन्न नामों से पंजीकृत करा लेंगे। मैंने एक व्यक्ति की दस-पंद्रह कम्पनियां देखी हैं। वे या तो कार्य बढ़ाने का काम कर रहे हैं अथवा ठेके पर कार्य कर रहे हैं अथवा उन्होंने कोई पर्यटन उद्योग स्थापित कर लिया है। इस तरह से एक व्यक्ति की दस-पंद्रह कम्पनियां हैं। इस तरह के व्यक्ति कानून का दुरूपयोग कर सकते हैं।

जब आप यह कानून बनाने जा रहे हैं—यह एक अच्छा कानून है—आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि लोग बेनामी नामों से पैसा जमा न करवायें। मैं विशेष रूप से निजी व्यक्तियों की बात कर रही हूं क्योंकि ये व्यक्ति यू०टी०आई०, जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के पास अपना धन जमा करवाते हैं। उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए और उनके धन को समुचित सुरक्षा मिलनी चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह निगरानी रखे और यह सुनिश्चित करे कि कार्य ठीक ढ़ग से चल रहा है या नहीं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंकों के केन्द्रीय मुख्यालय में सही तरीके से रजिस्टर रखे जा रहे हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि रजिस्टर ठीक से रखे जा रहे हैं अथवा नहीं। आम व्यक्ति को उनकी मेहनत की कमाई के लिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं तथा इसका समर्थन करती हूं। साथ ही मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे इस समानान्तर अर्थव्यवस्था को समाप्त करें। समानान्तर अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकती है। यह किसी व्यक्ति विशेष को बेशक नुकसान न पहुंचाये लेकिन देश के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगी हम चाहते हैं कि इस प्रकार के कानूनों द्वारा हमारा देश का विकास हो।

श्री बलाई चन्द्र राय (वर्दवान) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपत्तियों और चिन्ता के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। चिन्ता इसलिए है क्योंकि मूल निक्षेपागार विधेयक में स्टैम्प अधिनियम की धारा 8(क) पुनः स्थापित की गयी थी और स्टैम्प अधिनियम की धारा 8(क) यह कहती है कि खंड क और ख में विनिर्दिष्ट कुछ प्रकार के हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया जाएगा। ये हस्तांतरण निक्षेपागार के माध्यम से किये जायेंगे। यदि लाभार्थी स्वामी, जो शब्द पहली बार इस अधिनियम में इस्तेमाल किये गये हैं का अर्थ एक स्क्रिप धारण करने वाले से अधिक कुछ नहीं है, अपने शेयर किसी अन्य लाभार्थी को हस्तान्तरित करता है जोकि पूंजी बाजार में एक साधारण लेन-देन था, जो स्टाम्प शुल्क देना पड़ता था वह खरीद मूल्य आधार के आधार पर दिया जाना था। अब इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है यदि हस्तांतरण निक्षेपागार के माध्यम से किया जाता है। अब निक्षेपागार और शेयर जारी करने वाले अर्थात कम्पनी अथवा सांविधिक निगम अथवा म्युचुवल फंड के बीच लेन-देन के मामले में उस शुल्क का कितना अनुमान लगाया जाएगा और कैसे लगाया जाएगा। उसका उल्लेख नहीं है और यह जारीकर्ता द्वारा हस्तांतरण के मूल्य के ऊपर लगाया जाएगा।

इसका अर्थ है शेयरों का अंकित मूल्य। यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि जो लेन-देन सेकेण्डरी बाजार में होते हैं उसमें शेयरों की कीमत

[श्री बलाई चन्द्र राय]

कभी-कभी अंतिक मूल्य से 400 गुणा होती है और वसूल किया गया स्टाम्प शुक्ल जो कि राजस्व के रूप में राज्य सरकारों को चला जाता है, वह उस लेन-देन के खरीद मूल्य तक थी अब जारीकर्त्ता द्वारा केवल अंकित मूल्य पर ही स्टाम्प शुल्क दिया जाएगा और हम नहीं जानते कि कौन सा शुल्क क्योंकि इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि शुल्क का अनुमान किस तरह से लगाया जाएगा। क्या इसका अनुमान मूल्यानुसार किया जायेगा है अथवा शुल्क की दर क्या है। इस कारण राज्य सरकारों की काफी नुकसान होगा। इस बात का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया और इस तरह के विधेयक में इस बात का उल्लेख करना सम्भवतः कठिन है कि वसूल किए गए करों का वितरण किस प्रकार किया जाएगा। इसका परिणाम यह है कि सर्वप्रथम हम मूल्यवान प्रतिभूतियों के खरीददाताओं से कोई स्टाम्प शुल्क अथवा कोई शुल्क की मांग नहीं करते हैं जबकि काम राशि की भूमि के एक साधारण लेन-देन करते हुए शुल्क देनी पड़ती है। यहां तक कि कृपक को भी हस्तांतरण के लिए स्टाम्प शुल्क देना पड़ना है और शेयर बाजार में शेयरों के हस्तांतरण में स्टाम्प शुल्क का आरम्भ इस बात को मद्देनजर रखते हुए किया गया कि रोजाना करोड़ों रुपयों का लेन-देन होता है। यदि इस पर शुल्क के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में कर लगाया जा सकता है तो राज्य सरकारों को अतिरिक्त राजस्व के संग्रहण द्वारा अनुषंगी लाभ दिया जा सकता है। खंड 'ग' और 'घ' प्रकार के अन्तरणों में यह समाप्त कर दिया गया है और खंड 'क' और 'ख' प्रकार के लेन-देनों में शुल्क की एक छोटी राशि निर्धारित की गई है।

यह बात समझ नहीं आती। यदि कोई अपने शेयर निक्षेपागार में जमा करवाता है तो शेयरों के हस्तांतरण में किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लाभार्थी स्वामी के शेयरों के हस्तांतरण पर कोई कर देना आवश्यक नहीं है, चाहे उसे आप कहे अथवा कोई अन्य शुल्क कहें। लेकिन यदि किसी का निक्षेपाकार में खाता नहीं है तो लाभार्थी स्वामी उस समय मात्र शेयरों का स्वामी होगा और यदि वह 'क' से 'ख' को शेयरों का हस्तांतरण करता हे तो उसे स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। निक्षेपागार के लिए यह एक प्रकार का प्रोत्साहन हो सकता है कि वे आये और पूंजी बाजार में लेन-देन करें। लेकिन इस बात का अभी अन्दाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि अन्ततः निक्षेपागार किस तरह से कार्य करेंगे। इस बात की आशा से कि निक्षेपागार कुछ इस तरह से कार्य करेंगे कि उससे शेयरों के शीघ्रतापूर्वक अन्तरण को प्रोत्साहन मिलेगा, निक्षेपागार के माध्यम से एक लाभार्थी स्वामी से दूसरे लाभार्थी स्वामी के सभी प्रकार के हस्तांतरणों पर पूरा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचेगा और इससे निक्षेपागारों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा अब निक्षेपागारों के नाम पर नए निगम उत्पन्न होंगे।

दूसरा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संशोधन न केवल अधूरा है जैसा कि प्रो० रासा सिंह रावत ने कहा है, बल्कि जिस बात की सरकार से उम्मीद थी, उसका भी बहुत ही कम ध्यान रखा गया है।

कृपया एक ऐसे संशोधन पर विचार करिए जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया है। निक्षेपागार में शेयरों का पंजीकृत स्वामी ही निक्षेपागार है। लेकिन, खंड 10 के अंतर्गत उसे मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके साथ ही लाभार्थी स्वामी, शेयरधारक को भी मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः इसके बाद कम्पनियां मतदान से वंचित शेयरधारकों के एक बड़े भाग को कम्पनी की बैठकों में मतदान से वंचित कर सकेंगी और उसके भंयकर परिणाम निकलेंगे। न तो निक्षेपागारों को वोट देने का अधिकार है और न ही लाभार्थी स्वामी को वोट देने का अधिकार है।

एक बार फिर केवल एक ही उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, बैंकिग कम्पनी अधिनियम में काफी संख्या में संशोधन लाए गए हैं। यद्यपि संशोधन काफी हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है। इसका उद्देश्य यह है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि कम्पनियां शेयरधारकों का एक रजिस्टर रखें। यह उन शेयरधारकों के रजिस्टर हैं जिनके नाम कम्पनी के पास पंजीकृत हैं। ऐसा बैंकिग कम्पनी अधिनियम, कम्पनी अधिनियम और अन्य अधिनियमों के अंतर्गत किया गया है जिसका उल्लेख अनुसूची-II में स्टाम्प शुल्क के बाद किया गया है इस रजिस्टर में निक्षेपागार का नाम यह कहकर खंड 6(2) में शामिल किया जाएगा कि निक्षेपागार पंजीकृत शेयर-धारक होगा। अब, कम्पनी केवल वही रजिस्टर रखेगी और निक्षेपागार एक अन्य रजिस्टर रखेगा जिसमें लाभार्थी स्वामियों के नाम दिए होंगे। अब उन सब प्रावधानों में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि यह मान लिया जाएगा कि यह रजिस्टर कम्पनियों का है सम्भवत : इस बात पर ध्यान नहीं गया है। मान लिए जाने वाले प्रावधान द्वारा, जो रजिस्टर वास्तव में विद्यमान है, को समाप्त नहीं किया जा सकता है। केवल तभी जबकि कोई रजिस्टर नहीं था तव इसे मान लिए जाने वाले प्रावधान द्वारा एक रजिस्टर बनाया जा सकता था। लेकिन क्या किया गया है। एक भिन्न रजिस्टर बनाया गया है परन्तु पंजीकृत स्वामी निक्षेपागार है ओर मान लिए जाने वाले प्रावधान द्वारा लाभार्थी स्वामी भी पंजीकृत स्वामी बन जाता है। यह ऐसी स्थिति है जिससे कठिनाईयां उत्पन्न होंगी।

मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाह रहा था कि एक अधिक व्यापक संशोधन लाया जाना चाहिए था जिसमें कि राज्य सरकार के कोषागार से बड़ी मात्रा में राशि न निकाली जा सके। अगर ऐसा किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूरक राशि देनी होगी। स्टैम्प शुल्क राज्य सरकार की आय के प्रमुख साधनों में से एक है, अगर स्टैम्प शुल्क समाप्त कर दिया जाता है और प्रतिपूरक राशि नहीं दी जाती है तो राज्यों को नुकसान होगा। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राज्य सरकारों के संसाधन बहुत सीमित होते हैं। उन्हें राजस्व जुटाने में बहुत ही सीमित अवसर उपलब्ध रहते हैं अतः यह एक पहलू है जिसकी ओर मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं इस बात पर भी बल दे रहा हूं कि सामान्य तौर पर यह जो लाभ दिया जा रहा है कि, निक्षेपागार के माध्यम से लाभार्थियों के बीच किए गए लेन देन पर लाभार्थियों को किसी प्रकार का स्टैम्प शुल्क नहीं देना होगा तो इससे पूंजी बाजार में केवल बड़े चालबाजों को ही लाभ होगा। छोटे निवेशक जिनका निवेश हजार अथवा लाख रुपए तक है को निक्षेपागार के माध्यम से स्टैम्प शुल्क देने से बचाया

जा सकता है। लेकिन आप सभी को छूट क्यों दे रहे हैं? जो शुल्क दे सकते हैं उन्हें इसका भुगतान करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान की प्रस्तावनों में भी यह कहा गया है कि हमने अपने देश में अर्थव्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था को अपनाया है। क्या हम इतनी अधिक छूट दे सकते हैं, क्या हम शुल्क में इस मात्रा में पूरी तरह से छूट दे सकते हैं कि सभी बड़े चालबाज बच निकले और छोटे निवेशक जो शायद ही निक्षेपागार में जाने की हिम्मत जुटाये इसका लाभ नहीं उठा पायेंगे। कम से कम इस संशोधन के बारे में साव- धीनीपूर्वक विचार करना चाहिए था। मेरे विचार से इसमें पुनः इस आशय के संशोधन किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि हमें यह पता हो कि किस दर पर शुल्क लगाया जाएगा। लेकिन इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। शुल्क की दर क्या होगी। हमारे देश में निक्षेपागार कहां तक सफल होंगे? उन्हें ठीक तरह से कार्य करने दीजिए। ऐसी हम आशा करते हैं। शेयरों का हस्तांतरण शीघ्रातिशीघ्र हो। लेकिन जब तक हमें यह नहीं लगे कि निक्षेपागार में इस तरह से कार्य हो रहा है तब तक शुल्क का भुगतान नहीं करने की छूट उन्हें नहीं दी जानी चाहिए। यह कार्य आप बाद में भी कर सकते थे। लेकिन अभी आप उन्हें यह लाभ बहुत जल्दी दे रहे है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैंने उस समय चर्चा में भाग लिया था जब मूल विधेयक पारित किया गया था। वास्तव में मूल विधेयक को स्थायी समिति में भेजा गया था। वह स्थायी समिति से होकर आया था। सर्वप्रथम, मेरी कुछ मित्र धारणा है। हो सकता है, यदि वह सही होते और मुझे गलत साबित कर दिया होता तो मुझे खुशी होती। मुझे कुछ स्पष्टीकरण चाहिए।

इस विचार से यह एक सामर्थ्यकारी संशोधन है कि यदि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम में इस बात का प्रावधान नहीं है कि उनके शेयर निक्षेपागार में सूचीबद्ध किए जा सकते हैं तो समस्या उत्पन्न होगी। यही बात आई०डी०बी० आई के साथ लागू होती है। इसी बात का उल्लेख यहां किया गया हैं। लेकिन उस समय जिस समस्या का उल्लेख हमने किया था वह यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकर्त्ता सरकार की प्रशंसा कर रहे थे, कि भौतिक रूप में शेयर अथवा शेयर सर्टिफिकेट के अंतरण में काफी समय लगता है। इस संबंध में कोई भी आश्वस्त नहीं था। इसके लिए झूठे शेयर सर्टिफिकेट आदि के मामले भी सामने आ रहे थे। वह हमारी सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे थे कि 'ए' फार्म जिसे कुछ उन्नत देश अपना रहे है, हमारे देश में भी अपनाया जाए। इस पृष्ठभूमि में निक्षेपागार विधेयक मूलतः प्रस्तुत किया गया था और फिर कुछ एक सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे यू०टी०आई०, एस०बी०आई० इत्यादि की सहायता से एक निक्षेपागार खोला गया था। लेकिन अब यह अपने आप पूर्ण है। लेकिन यह किसके लिए है, वह लोग मौन हैं? इससे भारतीय स्टेट बैंक शेयर निक्षेपागार में रिकार्ड हो सकेगें तथा अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसके हाथ में वास्तव में सर्टिफिकेट न हो तो वह अपना नाम निक्षेपागार में दर्ज करा सकता है। इससे भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम के शेयर निक्षेपागार में सूचीबद्ध हो सकते हैं। लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) की भी यही स्थिति है।

इसके पश्चात् बैंकिग कम्पनी अधिनियम और बैंकिग कम्पनी अधिनियम 1980 में संशोधनों की बात आती है। ऐसे दो प्रकार के बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण अथवा अधिग्रहण इन दो अधिनियमों के अंतर्गत किया गया था इन दो अधिनियमों में संशोधन करने से वह सभी बैंक भी इस श्रेणी में आ गए और उनमें शेयर भी निक्षेपागार रजिस्टर में दर्ज किए जा सकते हैं यह बात तो ठीक है। चूंकि हमने निक्षेपागार विधेयक पास कर दिया है और इसका स्वागत किया है और यदि शेयरधारियों को निक्षेपागार में अपने नाम दर्ज करवाने में कोई बाधा आती है तो उसे दूर करना चाहिए लेकिन एक समस्या है। समस्या यह है कि मैंने इसे ठीक प्रकार से समझा नहीं है और मुझे इस बारे में बताए जाने की आवश्यकता है। जिसमें एक तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया का उल्लेख है और इसके साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण 1970 अथवा 1980 में किया गया था। भारतीय यूनिट ट्रस्ट भी इस समस्या से प्रभावित है। अब भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया है। उसका भी एक अलग से अधिनियम है और उसको भी यहां मान्यता दी गई है। लेकिन उस अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, कि ऐसा क्यों किया गया है। क्या ऐसा भूल से हुआ है अथवा मैंने समस्त प्रक्रिया को ठीक से समझा नहीं है यहाँ तक अपने प्रारम्भिक कथन में माननीय मंत्री ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उल्लेख यह कहकर किया था कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का एक अलग अधिनियम है।

श्री पी० चिदम्बरम : यू०टी०आई० के कोई शेयर नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उस मामले में आपको उद्देश्यों तथा कारणों के कथन से अपने कथन के एक भाग को वापस लेना होगा।

अपराह्न् 6.00 बजे

इस कथन में कहा गया है :

"बैंकिंग कम्पनी अधिनियम 1970 के अंतर्गत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इन्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया और अन्य बैंको जैसे सांविधिक निकायों की प्रतिभूतियां ....."

यदि अब कही गई बात सही है तो यह हवाला असंगत है।

श्री पी० चिदम्बरम् : आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जो बात आपने कहीं है, मैं उसे पढ़ सकता हूं लेकिन यह उद्देश्यों तथा कारणों का कथन है।

श्री पी० चिम्बरम् : इस विधेयक के लिए उद्देश्यों तथा कारणों का कथन ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जी हां।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : छः बज गए हैं। हाउस क्या चाहता है?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसे कल करिए। इसमें जल्दी क्या है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम सभा की बैठक का समय बढ़ा देगें जब तक कि इस मद पर चर्चा पूरी नहीं होती। सहमत ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : छः बज गए हैं। आप इसे कल करिए।

कुमारी ममता बनर्जी : कल प्राइवेट मैम्बर्स डे है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : और कोई मैम्बर इस पर बोलने वाला नहीं है। केवल ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को रिप्लाई देना है।

कुमारी ममता बनर्जी : सात और आठ तारीख की छुट्टी है। कल रेल बजट आना चाहिए। कल प्राइवेट मैम्बर्स डे भी है। आज खत्म हो जाए तो अच्छा है।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना सहयोग दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी है, तब तक के लिए समय बढ़ा दिया गया है जब तक कि चर्चा समाप्त नहीं होती है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : छः बज गए हैं। आप इसे कल चलाइए *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम् : कौन आपत्ति कर रहा है, महोदय ?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैम्बर्स को ऑब्जैक्शन है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम् : आप क्यों आपत्ति कर रहे है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हमारे लोग भी यहां नहीं हैं। ऐसे में आपकी बात कौन सुनेगा ? इसे कल क्वश्चन आवर के बाद कर लीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम् : आप किस बात पर आपत्ति कर रहे हैं। इस पर सभी बोल चुके हैं। कृपया इसलिए ऐसा नहीं करिए कि करना है। आप दोनों बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : छः बज गए हैं। आप हाउस एडजर्न कर दीजिए *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : जो यहां नहीं रहता, उसे इंटरस्ट नहीं रहता।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : कृपया अपना सहयोग दीजिए।

प्रो० रासा सिंह रावत : जब हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं तो भी आप ऐसा कह रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री पी० चिदम्बरम् : ठीक है। मुझे खेद है। कृपया करिये। बैठ जाइए। कृपया सहयोग करिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः चर्चा पूरी होने तक के लिये समय बढ़ाया जाता है। सहमति हैं।

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं बस समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हाँ, श्री निर्मल कान्ति चटर्जी आप वक्तव्य जारी रख सकते हैं। लेकिन कृपया संक्षेप में बोलिएगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ठीक है महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं संक्षेप में ही बोलूंगा।

जैसा कि मैंने कहा है कि, इस विधेयक को मुख्यतः इसलिये लाया जा रहा है कि निक्षेपागार कार्य कर सकें और इस अभौतिककरण प्रक्रिया से 10 बिलियन डालर की लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

हमारे मित्र द्वारा जो एक अन्य मुद्दा उठाया गया है वह भारतीय स्टाम्प अधिनियम से संबंधित है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके फलस्वरूप राज्य को हुई अति का जिक्र मैं वित्त मंत्री से पहले ही कर चुका हूं। अब, यदि एक शेयर सर्टीफिकेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित किया जाता है तो उस पर स्टाम्प कर लगेगा।

श्री पी० चिदम्बरम् : ठीक है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं अभी कोई गलतियों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

इस संबंध में मैंने जो एक मात्र दलील सुनी वह यह थी कि चूंकि यह कोई कागज नहीं है इसलिए इस पर स्टाम्प कर क्यों लगाना चाहिए ? अंतरण एक पंजी अंतरण होता है। निक्षेपागार में एक रजिस्टर होता है और एक विशेष शेयर सर्टीफिकेट नम्बर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से दर्ज होता है; और उसके परामर्श से इसे अन्य व्यक्ति को अंतरित किया जाता हैं अतः यह अंतरण होता है। लेकिन मैं वित्त मंत्री के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं कि ऐसे अंतरण में स्टाम्प कर लगाना संभव नहीं है। उस अंतरण में भी स्टाम्प कर लगाना पूर्णतया संभव है भले ही वह अभौतिक अंतरण हो।

अतः, मेरी आपत्ति यही है कि ये सभी चीजें अध्यादेश के रूप में है। इस मामले में उन्हें कोई वायदा नहीं निभाना है।

पूर्व विधेयकों के मामले में हमारे विचार से उन्हें अपनी वायदा

निभाना था। लेकिन इस मामले में ऐसा कोई वायदा नहीं है। मैं नहीं मानता कि अध्यादेश और आज की स्थिति में इस निक्षेपागार ने जोरदार सफलता हासिल की है। इसे सफल होना है; हम यह जानते हैं क्योंकि यह आसान है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें कागज का काम भी बहुत होता है और इस दृष्टि से इसमें शेयरों का मुद्रण और अंतरण आदि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कार्य को आसान बना दिया गया हैं लेकिन इससे राज्यों को स्टाम्प कर की हानि होगी। संशोधनकारी विधेयक के अध्याय-2 में इस बात के सिवा कि इस पर कोई स्टाम्प कर नहीं होगा, और कुछ नहीं है। राज्यों का नुकसान यही है।

चूंकि इससे में सारे प्रश्न उठे हैं अतः मैं चाहता था कि इसे स्थायी समिति को सौंपा जाए। विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाले ऐसे प्रारूप तैयार करते हैं जिनमें खामियां होती हैं या उनकी मंशा भले ही ठीक हो, तो भी इसमें संशोधन करने के लिए या स्थायी समिति की राय जानने के लिए इसे स्थायी समिति के पास भेजनी चाहिए। तथापि, ऐसा नहीं किया गया था। उपाध्यक्ष के एक पूर्व निर्णयानुसार यह निदेश दिया गया था कि इसे स्थायी समिति को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं जानता की इसमें जल्दबाजी की क्या आवश्यकता हैं। आज भी इसे स्थायी समिति को सौंपा जा सकता है। यह बहुत आसान है। जो भी हो मैं इस विशेष मुद्दे पर उत्तर चाहता हूं। स्टाम्प कर न लगाये जाना जरूरी क्यों है। दूसरी बात यह है कि यदि इसकी आत्याधिक आवश्यकता ही थी तो वह राज्य की इस नुकसान की भरपाई कैसे कर पायेंगे।

यू०टी०आई० से संबंधित एक तकनीकि मुद्दा :

"यू०टी०आई० के बारे में विगत तकनीकी मुद्दे को जिसे मैंने पहले उठाया था, कि इसका उल्लेख तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक इसका कम्पनी अधिनियम संशोधन के अंतर्गत उल्लेख नहीं किया जाता के अतिरिक्त मैं यही सब बातें उठाना चाहता हूं।

श्री पी० चिदम्बरम् : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा मोटे तौर पर इस संशोधन विधेयक, जिसके बारे में जैसा कि मैंने कहा था कि यह पूर्व निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के परिचालन में पाई गई खामियों को दूर करने के लिये लाया गया है, का समर्थन करने के लिए आभारी हूं।

मैं अंतिम मुद्दे का सर्वप्रथम उल्लेख करता हूं, मेरे मित्र श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने पूछा है कि मैं निक्षेपागार अधिनियम में प्रतिभूतियों को छूट देकर उन्हें स्टाम्प कर के दायित्वों से क्यों मुक्त कर रहा हूं। मैं अभी ऐसा नहीं कर रहा हूं। निक्षेपागार अधिनियम को संसद द्वारा पारित करते समय ऐसा किया गया था। अधिनियम की धारा 30 में स्टाम्प कर से छूट देने का प्रावधान है। यह प्रश्न उस समय उठाया जाना चाहिए था जब मूल अधिनियम पारित किया जा रहा था। मूल अधिनियम पारित किया जा चुका है अतः मैं अब कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं।

इसका कारण बहुत आसान है। मेरे विचार से प्रतिभूतियों का हस्तांतरण बिना किसी रूकावट के किया जाना चाहिए। प्रतिभूति का स्वतंत्र अंतरण पूंजी बाजार का एक प्रभावी अंग है। निक्षेपागार लागू करने के पीछे यही कारण है कि हम स्क्रिप आधारित व्यापार को छोड़कर अभौतिक अंतरण रीति को अपनायें। अभौतिक अंतरण रीति अपनाने, इस पर स्टाम्प कर जैसी एक और प्रभार लगाये जाने और यह सुनिश्चित करने, कि स्टाम्प कर का संदाय हो और इसका संग्रह किया जाये, इससे तो प्रतिभूतियों के निर्बाध अंतरण में बाधा ही पड़ेगी। यही कारण है कि मूल अधिनियम की धारा 30 में निक्षेपागारों के अंतर्गत प्रतिभूतियों को स्टाम्प अधिनियम से छूट दी गई है। यदि निर्मल कान्तिजी को कोई आपत्ति थीं तो उन्हें उस वक्त उसे उठाना चाहिए था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमने उस समय भी इसका विरोध किया था।

श्री पी० चिदम्बरम् : उस समय कोई संतोषप्रद उत्तर देना चाहिए था। इसलिए, मेरे विचार से वह प्रश्न अब नहीं उठता।

जहां तक यू०टी०आई० का संबंध है तो इसका उत्तर बहुत आसान है। यू०टी०आई० अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि यू०टी०आई० को निक्षेपागार में प्रवेश करने से रोका जा सके। आप अध्यादेश पर गौर करें, मैं उन सभी अधिनियमों में, जो किसी कम्पनी की निक्षेपागार में प्रवेश करने से रोकता है, संशोधन कर रहा हूं। इसमें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, शामिल हैं। यू०टी०आई० अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे उसे निक्षेपाकार में प्रवेश करने से रोका जाए। उद्देश्यों और कारणों का कथन में यू०टी०आई० के बारे में जो उल्लेख किया गया है वह यू०टी०आई को निक्षेपागार में प्रवेश हेतु समर्थ बनाने के संदर्भ में नहीं था।

उसमें यू०टी०आई० के यूनिटों को भी स्टाम्प कर से छूट देने की बात कही गई थी। यह विधेयक दो कार्य करता है। पहला तो यह है कि इससे वे संस्थान, जो इससे पहले निक्षेपागार में शामिल नहीं हो सकते थे, अब इसमें प्रवेश कर सकते हैं और दूसरा इसमें उन सभी सेवाओं को स्टाम्प कर से छूट जारी रखी गई है जो इसमें अब प्रवेश कर रही यू०टी०आई० के यूनिटों पर भी स्टाम्प कर लगता यदि मैं यू०टी०आई० यूनिटों पर यह छूट लागू नहीं करता। इसी कारण वक्तव्य में यू०टी०आई का संदर्भ आया था।

मेरा यही कहना है कि ये सभी संशोधन पारिणामिक है। जो निक्षेपागार अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिये किये गये हैं। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना सहयोग देकर इस विधेयक को पारित करें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बातें कही थी।

[अनुवाद]

उसमें पहला मुद्दा यह था कि इसका प्रबंध कौन करेगा ? निवेशकों को कैसे संरक्षण प्रदान किया जाएगा और पूंजी बाजार को कैसे नियंत्रित किया जा सकेगा ? *(व्यवधान)*

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

[हिन्दी]

दूसरी बात मैंने कही थी कि · · ·

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनको रिपीट मत कीजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से ऑडिट कौन करेगा, कैपिटल कितनी होगी, इन सारी बातों का इसमें उत्तर नहीं दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सारी बातों का मंत्री जी उत्तर दें तब तो ठीक है। वरना यह ठीक भावना से बिल लाये हैं और एक प्रकार से हर्षद मेहता और अन्य सारे लोग जो गड़बड़ी कर लिया करते थे जैसे उनके शेयर को किसी ब्रोकर न मंजूर कर लिया। लेकिन अब मैं समझता हूं कि डिपोजिटरी में जिसकी एन्ट्री हो जायेगी उसी को वैलिड माना जायेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी थोड़ी जल्दी कर रहे हैं मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजें, अब यदि वह नहीं भेजना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। बाकी ये सारी बातें ऑडिट कौन करेगा, डिपोजिट कौन खोलेगा, फ्रॉड की जिम्मेदारी कौन लेगा। इन सारी बातों का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है, यदि वे इनका उत्तर दें तो अच्छा है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं मात्र एक मिनट लूंगा। यह यू०टी०आई० के बारे में उनके स्पष्टीकरण से संबंधित है। उनका कहना है कि बैंककारी कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत गठित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट; भारतीय स्टेट बैंक और अन्य ऐसे बैंकों जैसे सांविधिक निकायों की प्रतिभूतियों की निक्षेपागार प्रक्रिया के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। यदि मैं अंग्रेजी ठीक से समझ सका हूं तो मेरे विचार से वक्तव्य में कुछ गलतियां हैं क्योंकि उस अध्याय में यूनिटों का उल्लेख नो है। यह अध्याय-II में है जहां भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन किए गए और जहां यूनिटों के स्वामित्व का उल्लेख है। लेकिन इस वाक्य में कहा गया है, "सांविधिक निकायों की प्रतिभूतियां और इस संदर्भ में भारतीय युनिट ट्रस्ट का उल्लेख किया गया है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में आपको वाक्य के उस भाग में संशोधन करना होगा। आप देखें अंग्रेजी में आपकी पैठ मुझसे बहुत अधिक है।

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं मानता हूं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट को अन्य पांच के साथ रखना एक गलती होगी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उल्लेख हमारे वाक्य में होना चाहिए था क्योंकि अगले वाक्य से यह अच्छी तरह स्पष्ट होता है कि मैं मात्र कम्पनी अधिनियम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम और बैंककारी कम्पनी अधिनियम में संशोधन कर रहा हूं। मगर भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उल्लेख अलग से करना चाहिए था लेकिन मगर मंशा साफ थी। शायद इसे उस वाक्य में शामिल करना एक गलती थी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भार्गव की टिप्पणियों पर आपको कुछ कहना है ?

श्री पी० चिदम्बरम् : जहां तक उनके मुद्दों का संबंध है तो मुझे यही कहना है कि इन सभी बातों का उल्लेख विनियमों में किया गया है। जब मूल अधिनियम पारित किया गया था तो मैंने निक्षेपागारों पर नियंत्रण के बारे में विस्तार से बताया था। अब इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदारिता) विनिमय 1996 के नाम से जाना जाता है। वे विनिमय सभा पटल पर रख दिए गए हैं। मैं उन्हें उसकी एक प्रति भेज दूंगा। उस विनिमय में उन सभी बातों का विस्तार से उल्लेख है जिनका जिक्र वे कर रहे थे।

निक्षेपागार के कृत्यों का नियंत्रण विनिमय करेगा। संशोधनकारी अधिनियम में वे प्रश्न नहीं उठते। मूल अधिनियम पारित करते समय ये प्रश्न उठे थे। मैंने निरीक्षण एवं नियंत्रण के संबंध में उस समय विस्तार से वर्णन किया था जिसमें यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी कि निक्षेपागारों से भागीदारों और शेयर धारकों के हितों को किसी भी तरह का नुकसान न हो। 'सेबी' द्वारा बनाये गए विनियमों की एक प्रति में उन्हें भेजने के को तैयार हूं। आपने जिन मुद्दों को उठाया है उन सभी बातों का उल्लेख विनिमय में किया गया है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अपने सांविधिक संकल्प को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा रखे गये संकल्प को वापस लेने के की अनुमति देती है ?

संकल्प, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, कम्पनी अधिनियम 1956, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 6 मार्च, 1997/15 फाल्गुन, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।